खण्ड–489, अंक–10
बुधवार, 11 आषाढ़, शक संवत् 1936
(02 जुलाई, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2014)

(खण्ड 489 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
कुम्भ मेले में घोटाले सम्बन्धी कैग रिपोर्ट का प्रकरण उठाने का प्रयास ...	7
प्रश्नोत्तर	7-117
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	117-119
नवसृजित जनपद शामली में दो नई तहसीलें बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
जनपद इलाहाबाद की बारा तहसील अन्तर्गत जर्जर सेभारतगंज-प्रतापपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
जनपद कौशाम्बी अन्तर्गत कौशाम्बी-हिनौता मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	120
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान की बालिकाओं के सुदूर स्थानों पर किये गये विवाह की सूचना सम्बन्धित थानों में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन में कार्यरत संविदा/ठेका कर्मियों का वेतन बढ़ाये जाने एवं नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	120-121
प्रदेश के जनपदीय तथा आउट लाईन न्यायालयों में महिला कांस्टेबलों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु नई नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के स्वीकृत विद्युत कार्यों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	121-122
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	122-123
जनपद बांदा के कतिपय ग्रामों में व्याप्त पेयजल संकट का निवारण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	123
प्रदेश के मदरसों के शिक्षकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
लखनऊ शहर की मलिन बस्ती, डूडा कालोनी की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124-125

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सीतापुर के ग्राम पंचायत रेउसा में ग्राम सभा की जमीन से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	125
जनपद हाथरस के सासनी ब्लाक में व्याप्त पेयजल संकट के निवारण हेतु इंडिया मार्का हैण्डपम्पों की स्थापना कराये जाने एवं पहले से स्थापित हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	125-126
विधान सभा क्षेत्र कासगंज में तहसील सहावर समेत गंगा नदी के किनारे के ग्रामों में स्थापित मानकों के विपरीत लगाये गये हैण्डपम्पों की जांच कराये जाने एवं पेयजल आपूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126
कानपुर महानगर स्थित महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत हंसपुरम् आवास विकास कालोनी को विकास परिषद् तथा नगर निगम द्वारा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	126-127
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	127
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के वित्तीय वर्ष 2008-2009, 2009-2010 एवं 2010-2011 के आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता (सदन के पटल पर रखा गया)	127
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का वर्ष 2011-2012 (01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक) के वार्षिक लेखे (सदन के पटल पर रखा गया)...	127
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	127-128
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2013-2014) का इक्तालिसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	128
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	128-130
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य), अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) एवं अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत) ...	130-172
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) तथा अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	172-199
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-02-आवास विभाग (स्वीकृत)	199-223

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित) ...	223-227
जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से करवाया जाना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन	227
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	227-230
बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में आये दिन किसानों द्वारा सूखे, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि तथा कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	230-232
जनपद-कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत किसानों की सिंचाई हेतु जोगापुर पम्प कैनाल परियोजना के निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	232
जनपद झांसी में ग्वालियर रोड स्थित रेलवे-क्रासिंग पर फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	232
जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में स्थित रूद्र-विलास किसान सहकारी चीनी मिल के प्लाण्ट व वॉयलर का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	232
जनपद कानपुर देहात के सिकन्दरा क्षेत्रान्तर्गत मुगल रोड से दुर्गापुर, अनवा होते हुए बेहमई तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	232-233
जनपद ललितपुर के विकास खण्ड महरौली में जर्जर विद्युत लाइन के टूटने से हुई मृत्यु में मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री फेरनलाल अहिरवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	233
जनपद वाराणसी में नगर निगम द्वारा समय से आगणन तैयार न कराकर विकास कार्य पूर्ण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	233

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद	गोण्डा के भू-माफियाओं द्वारा ग्राम सभा देवरिया में हरिजन आबादी की जमीन को कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती नन्दिता शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	233
नत्थी	... ...	234-246

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 02 जुलाई, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-334

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय, श्री — वाराणसी
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
9. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
10. अताउररहमान, श्री — बरेली
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
22. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
25. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
26. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
27. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
28. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
29. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
30. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
32. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
33. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
34. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
35. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
36. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
37. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
38. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
39. आशीष यादव, श्री — बदायूं
40. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
41. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
42. इकबाल महमूद, श्री — संभल
43. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
44. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
45. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
46. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
47. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
48. उदयराज, श्री — उन्नाव
49. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
50. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
51. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
52. उमाशंकर, श्री — बलिया

53. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
54. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
55. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
56. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
57. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
58. काली चरन सुमन, श्री आगरा
59. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
60. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
61. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
62. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
63. कैलाश, श्री गाजीपुर
64. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
65. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
66. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
67. गजराज सिंह, श्री हापुड़
68. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
69. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
70. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
71. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
72. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
73. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
74. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
75. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
76. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
77. गोमती यादव, श्री लखनऊ
78. गोरख पासवान, श्री बलिया
79. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
80. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
81. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
82. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
83. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
84. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
85. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
86. जगपाल, श्री सहारनपुर
87. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
88. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
89. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
90. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
91. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
92. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
93. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
94. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
95. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
96. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
97. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
98. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
99. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
100. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
101. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
102. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
103. दलजीत सिंह, श्री बांदा
104. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
105. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
106. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
107. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
108. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
109. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
110. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
111. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
112. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
113. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
114. धर्मराज, श्री बाराबंकी
115. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
116. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़

117. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
118. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
119. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
120. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
121. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
122. नारद राय, श्री बलिया
123. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
124. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
125. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
126. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
127. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
128. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
129. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
130. पीतमराम, श्री पीलीभीत
131. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
132. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
133. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
134. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
135. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
136. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
137. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
138. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
139. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
140. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
141. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
142. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
143. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
144. फेरन लाल, श्री ललितपुर
145. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
146. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
147. बदलू खां, श्री उन्नाव
148. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
149. बाबू खां, श्री हरदोई
150. बाबूलाल, श्री गोण्डा
151. बावन सिंह, श्री गोण्डा
152. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
153. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
154. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
155. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
156. बैजनाथ, श्री मऊ
157. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
158. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
159. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
160. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
161. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
162. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
163. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
164. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
165. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
166. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
167. मनबोध, श्री देवरिया
168. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
169. मनीष रावत, श्री सीतापुर
170. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
171. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
172. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
173. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
174. महबूब अली, श्री अमरोहा
175. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
176. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
177. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
178. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
179. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
180. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
181. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
182. मानपाल सिंह, श्री कासगंज

183. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
184. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
185. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
186. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
187. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
188. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
189. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
190. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
191. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
192. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
193. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
194. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
195. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
196. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
197. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
198. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
199. यासर शाह, श्री बहराइच
200. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
201. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
202. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
203. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
204. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
205. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
206. रणजीत सुमन, श्री एटा
207. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
208. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
209. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
210. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
211. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
212. रवि शर्मा, श्री झांसी
213. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
214. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
215. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
216. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
217. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
218. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
219. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
220. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
221. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
222. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
223. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
224. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
225. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
226. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
227. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
228. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
229. राधे श्याम, श्री अमेठी
230. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
231. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
232. राम करन आर्य, श्री बस्ती
233. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
234. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
235. राम गोविन्द, श्री बलिया
236. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
237. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
238. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
239. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
240. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
241. राम मगन, श्री बाराबंकी
242. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
243. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
244. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
245. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
246. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
247. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
248. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
249. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
250. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ

251. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
252. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
253. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
254. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
255. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
256. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
257. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
258. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
259. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
260. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
261. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
262. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
263. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
264. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
265. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
266. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
267. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
268. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
269. विजय सिंह, श्री रामपुर
270. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
271. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
272. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
273. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
274. वीरपाल राठी, श्री बागपत
275. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
276. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
277. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
278. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
279. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
280. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
281. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
282. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
283. शाकिर अली, श्री देवरिया
284. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
285. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
286. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
287. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
288. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
289. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
290. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
291. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
292. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
293. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
294. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
295. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
296. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
297. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
298. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
299. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
300. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
301. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
302. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
303. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
304. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
305. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
306. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
307. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
308. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
309. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
310. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
311. सियाराम सागर, डा0 बरेली
312. सीमा, श्रीमती जौनपुर
313. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर

314.	सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा	
315.	सुदामा प्रसाद, श्री	महराजगंज	
316.	सुदेश शर्मा, श्री	गाजियाबाद	
317.	सुधाकर, श्री	मऊ	
318.	सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	
319.	सुनील कुमार लाला, श्री	लखीमपुर खीरी	
320.	सुभाष पासी, श्री	गाजीपुर	
321.	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	
322.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	
323.	सुरेश राणा, श्री	शामली	
324.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	
325.	सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद	
326.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली	
327.	सुशील सिंह, श्री	चन्दौली	
328.	सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा	
329.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर	
330.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	
331.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	
332.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी	
333.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद	
334.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत	

नोट :- पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

कुम्भ मेले में घोटाले सम्बन्धी कैग रिपोर्ट का प्रकरण उठाने का प्रयास

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक....

श्री अध्यक्ष-

अब आप शान्त रहिये और नियमों में आइये। नियमों के अन्तर्गत लिखकर दीजिये, उसमें जो आपको कहना हो, कहियेगा।

[नत्थी (क) तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने एवं श्री सतीश महाना द्वारा उनकी बात सुने जाने का अनुरोध करने पर]

श्री अध्यक्ष-

नहीं आप नियमों में लाइये। ऐसे नहीं। अगर आपका इरादा फिर बवाल करने का है तो बता दीजिये, आप परेशान क्यों करते हैं ? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप नियमों में लिखकर दीजिये, उसमें आपको पूरी बात कहने का मौका मिलेगा, तो आप उसको मान रहे हैं। आप बैठ जाइये।

प्रश्नोत्तर नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में बरसात तथा अन्य कारणों से गड्ढायुक्त एवं दूरी सड़कों को गड्ढामुक्त/पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु समय-सीमा निर्धारित करने विषयक

*01-श्री प्रदीप माथुर तथा श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुचारु परिवहन व्यवस्था हेतु प्रदेश में बरसात तथा अन्य कारणों से गड्ढायुक्त एवं टूटी सड़कों को गड्ढामुक्त/पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो आगामी बरसात के पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के ऐसे राज्यमार्ग/जिला मार्ग जो कि वर्तमान समय तक गड्ढामुक्त/ पुनर्निर्मित नहीं किये जा सके हैं, को शीघ्र गड्ढामुक्त/पुनर्निर्माण कर पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

जी नहीं।

मार्गों पर बरसात तथा अन्य कारणों से समय-समय पर पैच उत्पन्न होते रहते हैं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पैच मरम्मत का कार्य सतत् रूप से कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत हेतु अब तक रुपये 115.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई जिससे अनुरक्षण कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि काफी हनकदार मंत्री होने के बावजूद प्रदेश में सड़कों का बड़ा पुरसाहाल है और सारे प्रदेश में तमाम सड़कें गड्ढायुक्त हैं और लोक निर्माण विभाग के जो इंजीनियर्स हैं वह सिर्फ मिट्टी से ही उन्हें पाट देते हैं और फिर सड़कें गड्ढायुक्त हो जाती हैं और यह बता दिया जाता है कि सड़कें गड्ढ़ामुक्त हो गयी हैं। इस कारण बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें होती रहती हैं। पिछली बार लोक निर्माण मंत्री ने इस सदन में भरोसा दिलाया था कि सारी सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया गया है, उसके बावजूद भी आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि सड़कों में कितने गड्ढे हैं। मान्यवर, आप कई जनपदों की स्थिति देखिये यदि आप आगरा मंडल के कतिपय मार्गों की स्थिति देखें तो तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं और उनमें बड़े-बड़े गड्ढे हैं। इसके अतिरिक्त आप लखनऊ-इलाहाबाद मार्ग का हाल देखिये, उसका पुरसाहाल है। बुन्देलखंड के जनपद चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर उसके अलावा झांसी मंडल के झांसी, ललितपुर, जालौन का बहुत बुरा हाल है। इसी तरह बेलगांव, कुरेनी, सलीला मार्ग में बहुत बुरा हाल है। कुशीनगर स्थित बी0एम0 सिटी मार्ग तमकुहीराज से कप्तानगंज की सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। मान्यवर, पुरसाहाल और हनकदार मंत्री, जिनके कहने से ही सब काम होता है और सरकार के हर विभाग में इनका काम होता है। इनकी हनक उन गड्ढों पर क्यों नहीं जाती है। दूसरी बात यह है कि यह बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत हेतु अब तक 115.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि किस-किस जिले को कितनी धनाशि आवंटित की गयी जिससे यह पता लगे कि उस जिले में कितने गड्ढा भरने में कितनी धनराशि का उपयोग हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

सूचना है मंत्री जी।

श्री शिववाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, सूचना तो काफी लम्बी हो जायेगी और अगर यह मथुरा का कहें तो बता दूं। आगरा से शुरू करते हैं। आगरा में 1198.00 लाख, मथुरा में 198 लाख, फिरोजाबाद में 282 लाख, मैनपुरी में 200 लाख, अलीगढ़ में 737.94 लाख, हाथरस में 401.19 लाख, एटा में 834.29 लाख, कांशीराम नगर में 104.14 लाख, इलाहाबाद में 992.80 लाख, कौशाम्बी में 419.5 लाख...प्रतापगढ़ 842.08 लाख, फतेहपुर 730.10 लाख, आजमगढ़ 315,04 लाख, मऊ 368.40 लाख, बलिया 200.00 लाख, जौनपुर 12 करोड़ 85.75 लाख, बरेली, 95.67 लाख, शाहजहांपुर 754.46 लाख, बदायूं 517.09 लाख और पीलीभीत 725.55 लाख रुपये।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आज प्रदेश की सड़कों की जो खस्ताहाल है यह किसी से छिपी नहीं है। मैंने आज लोक निर्माण विभाग के कई प्रश्न लगाये थे मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से केवल तीन बातें जानना चाहता हूं। एक तो यह कि सभी जवाबों में यह लिख कर आया है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता

के अनुसार कार्य कराये जायेंगे। तो मान्यवर, कल बजट भी पास हो गया है और वित्तीय संसाधन सरकार के पास रहते हैं इसलिये इसको यदि स्पष्ट कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि पूरे सदन की जानकारी में आ जायेगा और मेरे जनपद शाहजहांपुर में ब्लाक मिर्जापुर के एक गांव राजीरायपुर में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण शासनादेश दिनांक 27-02-2014 में स्वीकृत किया गया है लेकिन इसमें भी यह कहा गया है कि कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा। मान्यवर, कल बजट भी पास हो गया है इसलिये मैं चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी इसका कार्य शुरू कराने का आश्वासन सदन में दे दें और तीसरी बात यह कि हमारे क्षेत्र से स्टेट हाई-वे 43 जाता है बदायूं होते हुये मुरादाबाद। फर्रुखाबाद से लगाकार शाहजहांपुर तक उसकी हालत इतनी खराब है कि उस पर चलना बहुत मुश्किल है और अधिकारियों ने लिखा है कि मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। जबकि सरकार की योजना जिले से जिले को फोरलेन से जोड़ने की है और उस जवाब में भी दिया है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बजट पास हो चुका है और जो ये दो कार्य होने हैं यह मा0 मंत्री जी कब तक करा देंगे और वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो गये हैं यह भी अब शायद किसी से छिपा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 कुशवाहा जी, आप विद्वान सदस्य हैं आप जानते है कि जब तक विनियोग विधेयक नहीं पारित होता है तब तक सरकार के बजट का कोई उपयोग नहीं हो सकता है, इसलिये जब विनियोग विधेयक पारित हो जायेगा और उस पर महामहिम राज्यपाल जी के हस्ताक्षर हो जायेंगे तब वह बजट पास होगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, बजट तो कल ही पास हुआ है और अभी तो इस्टीमेंट बनेंगे, प्रस्ताव आयेंगे, फिर स्वीकृतियां होगी तो मान्यवर, यह लम्बा प्रॉसेज है पुलिया का। जहां तक माथुर साहब ने जो सवाल किया है पैच रिपेयरिंग कराने के सम्बन्ध में तो मान्यवर, इस वर्ष 11 हजार नवीनीकरण कराना है और अभी 15 जून तक 4 हजार 8 सौ किलोमीटर पैच रिपेयरिंग हो चुकी है और 8 हजार किलोमीटर के लिये 690 करोड़ रुपया अवमुक्त हो चुका है। यह जो भी है 330 करोड़ रुपये यह विशेष मरम्मत के लिये पैसा है, दूसरा नवीनीकरण के लिये भी है और विशेष मरम्मत के लिये भी है और राज्य सड़क निधि के द्वारा भी पैसा दिया जाता है, 2014-15 में वर्षा ऋतु के कारण भी बहुत सी सड़कें खराब हुई हैं। सी0आर0एफ0 में केन्द्र सरकार के लिये भी मैंने प्रस्ताव भेज दिया है औरर केन्द्रीय टीम भी आयी थी जांच कर ले गयी है लेकिन पैसा अभी अवमुक्त नहीं हुआ है। दैवी आपदा कोष से भी डी0एम0 के जो प्रस्ताव जिलों से आते हैं उस पर भी 115 करोड़ रुपया अवमुक्त हो चुका है और उसमें से 65 करोड़ रुपया अभी तक खर्च हुआ है। मान्यवर, पैच रिपेयरिंग अनवरत चलता रहता है। बरसात होगी, गड्ढे होंगे और जहां तक गड्ढों को मिट्टी से भरने का सवाल था तो पिछली सरकार में हमने मिट्टी की जगह बालू कर दिया था, किसी भी गड्ढे में मिट्टी से गड्ढ़ामुक्त नहीं होगा। अगर कहीं पर मिट्टी पड़ती है तो वह गलत है और उसकी शिकायत मिलेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। मैंने कार्रवाई की भी है, आपको पता होना चाहिये कि मैंने बहुत कार्रवाई की है, इतने इंजीनियर्स सस्पैंड हुये हैं शायद इतने कभी भी नहीं हुये होंगे। अभी 11 हजार कि0मी0 पैच रिपेयरिंग

करानी है उस पर अनवरत काम चालू है और काम चालू रहेगा। अभी विनियोग विधेयक पास हो जाने दो, जब यह पास हो जायेगा तो और तेजी से शुरू करा देंगे।

श्री पंकज गुप्ता-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक पूछने का मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि कोई भी नई सड़क होने के उपरान्त उसको कितने दिनों में दोबारा नये सिरे से बनाने का काम किया जाता है क्योंकि हमारे यहां उन्नाव से शुक्लागंज होते हुये कानपुर का जो स्टेट हाई-वे है, कई बार उसका टेण्डर कराया गया, इस्टीमेट बनाया गया और फिर निरस्त किया गया पिछले दो सालों में, इसको बने हुये लगभग सौ साल से ऊपर हो गया हमारा मानना है कि एक सड़क की आयु 10 साल से 15 साल तक होती होगी लेकिन सौ साल से ऊपर होने के उपरान्त भी आज तक कोई कार्य नहीं कराया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि इस मार्ग के बारे में क्या विचार चल रहा है ? कई बार इस मार्ग के निर्माण के लिये आपके संज्ञान में लाया गया है आपसे निवेदन है कि इसको बनवाने का कष्ट करें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पैच रिपेयरिंग की बात हो रही है लेकिन यह नई सड़क बनाने की बात है। जहां तक मेरी जानकारी है उन्नाव से कानपुर की सड़क सी0सी0 रोड थी और बहुत पुरानी रोड थी, सी0सी0 रोड तो कम से कम 50 साल तो चलनी चाहिये थी।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अनुपूरक पूछने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये, एक साथ इतने लोग कैसे अनुपूरक पूछ पायेंगे। श्री सुरेश राणा जी आप पूछिये।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सदन को जानकारी हुई थी कि मेरठ-करनाल रोड पी0पी0पी0 मॉडल पर बनने वाली है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दो वर्ष हो गये लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ और अब पुनः पी0डब्ल्यू0डी0 उसे वापस लेने जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

यह गड्ढायमुक्त के बारे में प्रश्न है, उस पर पूछिये, नई सड़क की बात कहां से आ गयी ?

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, गड्ढा नहीं, सड़क तालाब हो गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे जानकारी हुई है कि मेरठ-करनाल रोड, पी0डब्ल्यू0डी0 में आ गयी है तो उसका निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह इससे संबंधित सवाल नहीं है लेकिन मैं मा0 सदस्य को जानकारी दे देता हूं पी0पी0पी0 मॉडल पर इसे बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था लेकिन वहां पर बैंक गारण्टी आदि को लेकर बात नहीं

बनी और वह प्रस्ताव खत्म हो गया। अब हमने उसे वापस लेने के लिये लिखा है और जैसे ही वापस मिल जायेगी वैसे ही उस पर काम शुरू करा दिया जायेगा।

श्री गजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक रोड है जो लगभग 15 साल से पड़ी है वह क्षेत्र नया जुड़ा है।

श्री अध्यक्ष-

सड़क गड्ढायुक्त है तो उसे कब तक बनाया जायेगा यह सवाल पूछें। नयी सड़क के बारे में न पूछें।

श्री गजेन्द्र सिंह-

वह है सोनाली से शिकारपुर होते हुये तेलिया मेथना रोड और श्याना रोड से सैदपुरा रोड यह लगभग 20 साल पहले बनी होगी उस रोड में सिर्फ पत्थर ही बचा है सरकार से निवेदन है कि वह रोड इस बार बनेगी।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल ही सही नहीं है ?

श्री गजेन्द्र सिंह-

तेलिया मेथना रोड गड्ढामुक्त होगी कि नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग सवाल ही सही ढंग से नहीं पूछ रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज की कार्य सूची में अतारांकित प्रश्न संख्या-12, 16, 86 और 118 यह चार प्रश्न ऐसे हैं जिसमें सिर्फ गड्ढा भरने के बारे में प्रश्न है। एक पुलिया चौड़ी करने के सम्बन्ध में तीन पूरी तरीके से गड्ढा भरने के सम्बन्ध में। तीनों प्रश्नों का उत्तर यह आया है संसाधन उपलब्ध नहीं है इस समय कल बजट पास हुआ है कुछ दिन बाद विनियोग विधेयक पास हो जायेगा जब इस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है तो कब संसाधन उपलब्ध होंगे। कभी-कभी इन गड्ढों में पड़कर स्कूटर, साइकिल और मोटरसाइकिल वाले बहुत बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसलिये गड्ढा भरना तो नितांत आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या-12, 16, 86 और 118 में जो मैंने गड्ढा भरने की बात पूछी है उसके लिये कब तक संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह इतना बड़ा प्रश्न है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह तीनों सड़कें हमारे विधान सभा क्षेत्र शाहजहांपुर के देहात क्षेत्र की हैं। इसमें केवल गड्ढा भरने की बात है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न तो पढ़ लो इसका जवाब यहां नहीं मिल सकता। प्रश्न तो पढ़ लें प्रश्न है कि आगामी बरसात के पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के ऐसे राज्यमार्ग/जिला मार्ग जो कि वर्तमान समय तक गड्ढामुक्त/पुनर्निर्मित नहीं किये जा सके हैं, को शीघ्र गड्ढामुक्त/पुनर्निर्माण कर पूर्ण करा दिया जायेगा वह कह रहे हैं कि यह सतत प्रक्रिया है। अब बार-बार इसमें क्या पूछते हैं।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से लोक निर्माण मंत्री जी से जानना भी चाहता हूं कि बताना भी चाहता हूं कि आपने गड्ढामुक्त बनाने के लिये बलिया को 200 करोड़ रुपये दिया में उसके लिये धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि और बताना भी चाहता हूं। साथ ही साथ यह भी बताना चाहता हूं कि अधिशासी अभियन्ता बलिया को मैंने पी0डब्ल्यू0डी0 के डाक बंगले में बुलाया और पूछा तो वह कहते हैं कि हमारे पास गड्ढामुक्त के लिये कोई धन नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने खर्च कर दिया होगा।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

अध्यक्ष जी आज भी बलिया की सड़कें उसी तरह से गड्ढायुक्त हैं। मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पैसे का बंदरबांट हो रहा है क्या इसकी निगरानी करने के लिये एक कमेटी प्रदेश स्तर पर बनायेंगे ताकि धन का सदुपयोग हो सके।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से कहना चाहता हूं मथुरा में सड़कों की स्थिति इतनी खराब बनी हुई है कि पता नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मथुरा में बलदेव क्षेत्र के अन्तर्ग्रत राया से बलदेव मार्ग, मथुरा से सादाबाद मार्ग और फरह से ओल मार्ग, ओल से लुहारा मार्ग वाया भदेरूआ की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, यह वहां की मुख्य सड़कें हैं और इनकी हालत बहुत खराब है, इसको आप दिखवा लीजिये। अभी आगामी एक हफ्ते में वहां पर गुरू पूर्णिमा का मेला आने वाला है जिसमें तमाम लोग वहां आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि यह वहां की महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जो टूटी पड़ी हैं, गड्ढों से युक्त है, इनको बरसात से पहले भरवाने का कष्ट करें।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब और नहीं। आप लोग बैठिये। आप लोग प्रश्न पूछ ही नहीं पा रहे हैं। मैं प्रश्न संख्या-2 ले रहा हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सभी माननीय सदस्य, अपने-अपने क्षेत्र की जो पीड़ा है वह यहां रखना चाहते हैं। चूंकि कल लोक निर्माण विभाग के बजट पर यह कटौती का प्रस्ताव रख ही नहीं

पाये। मान्यवर, यदि आपकी ओर से निर्देश हो जाय और माननीय मंत्री जी चूंकि इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, उनकी सदाशयता होनी चाहिये। लिखित रूप से मंगवा लें और उस पर अपना विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

लिखकर दे दो मंत्री जी को वह अलग बात है।

केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में बनाये गये भू-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 को प्रदेश की सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना

*02-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में बनाये गये भू-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 को प्रदेश में सरकार क्रियान्वित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

भू-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रदेश में दिनांक 01-01-2014 से प्रवृत्त है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

अध्यक्ष जी, भू-अर्जन का विषय देश की सम्पत्ति सूची में होने के कारण जब देश की संसद ने कानून पास कर दिया उसी दिन से पूरे देश में लागू हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, भू-अधिकरण, 2013 में कुछ धाराओं में भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को यह अधिकार दिये हैं कि वह प्रदेश सरकार इनमें निर्णय करे जैसे माननीय अध्यक्ष जी, इस एक्ट की धारा 10 में प्रदेश सरकार को यह अधिकार है कि सिंचित बहुफसली जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा कि नहीं, यह उत्तर प्रदेश सरकार को निर्णय करना है। इसी एक्ट के धारा 107 में प्रदेश सरकार को यह अधिकार है कि जो इस एक्ट में जमीनों का मुआवजा देने का जो प्राविधान पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना के जो प्राविधान भारत सरकार ने दिये हैं अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो उस कानून में बदलाव करके नया कानून बनाकर किसानों को अधिक मुआवजा दे सकती है माननीय अध्यक्ष जी, इसी की धारा 108 में अगर सरकार चाहे तो नई नीति बनाकर उत्तर प्रदेश के किसानों को अधिक मुआवजा दे सकती है। इसी कानून की धारा 109 में अगर सरकार चाहे तो इस पूरे अधिनियम को प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिये नियमावली बनाने का काम भी प्रदेश सरकार को करना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो किसानों की जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है आगरा में माननीय अध्यक्ष जी, 4 प्रोजेक्टों में अधिग्रहण हो रहा है। सिविल इन्क्लेव लखनऊ एक्सप्रेस-वे, इन पार्क और आगरा रिंग रोड। पूरे प्रदेश में इन प्रोजेक्टों के साथ जो सरकार अधिग्रहण

कर रही है किसानों की जमीन का क्या इन किसानों को सक्रिल रेट के 6 गुना मुआवजा देने का काम करेगी।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

दिनांक 01-01-2014 को यह एक्ट प्रभावी हो गया है लेकिन इसकी नियमावली अभी बन रही है। सभी विभागों को भेज दिया गया है और इसकी एक समिति चीफ सेक्रेट्री की अध्यक्षता में बना दी गयी है क्योंकि अभी नियमावली बननी है और सभी विभागों को भेज दी गयी है और इसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बन गयी है तो जैसे ही कमेटी निर्णय ले लेगी, उस पर कार्यवाही शुरू हो जायेगी।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 बनाया गया है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने 01-01-14 से लागू किया है। मान्यवर, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह जो 2013 अधिनियम है, भूमि अधिग्रहण का, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने एडाप्ट किया है, इसमें सक्रिल रेट से कितने गुना प्रतिकर किसानों को देने का प्राविधान है ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि 01-01-14 से पहले जो उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहीत करने के लिये कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी थी जो एस0एल0ओ0 के यहां प्रतिकर भी पहुंच गया, किसी कारणवश वह बंटा नहीं, क्या यह नई नीति उसमें भी लागू होगी या नहीं होगी ? मान्यवर, यह मेरे दो प्रश्न हैं, इनका उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री शिवपाल सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इसकी कमेटी बनी है और सभी जिलाधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी गयी है और जब नियमावली तैयार हो जायेगी, उसके बाद ही यह तय हो सकेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि पर निर्भर है, किसान बाहुल्य प्रदेश है और मान्यवर, यह समाजवादी पार्टी का चुनावी घोषणा-पत्र है, जिसमें मान्यवर, इन्होंने भूमि अधिग्रहण के विषय में जो कमिटमेंट किया है कि किसानों की दो फसल देने वाली जमीन का उपयोग उद्योग एवं बुनियादी ढांचा निर्माण के लिये अधिग्रहण पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। किसी खास स्थिति में अधिग्रहण होना है तो किसानों की स्वीकृति से ही होगा, अधिग्रहण का मूल्य सक्रिल रेट से 6 गुना होगा। मान्यवर, यह मैं नहीं कह रहा हूं यह आपकी चुनावी घोषणा-पत्र कह रहा है, जिसके बल पर आप पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर यहां पर आये हैं। आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से केवल इतना ही पूछना चाहता हूं जैसा कि अभी आपने सदन को अवगत कराया है कि अभी केन्द्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून जो बनाया है, उसके विषय में प्रदेश सरकार ने नीति नहीं बनायी है। हम नीति बना रहे हैं तो क्या अपनी नीति निर्धारण करते वक्त अपने चुनावी घोषणा के मुताबिक यह सक्रिल रेट से 6 गुना ज्यादा दिये जाने की बात को उसमें सुनिश्चित करेंगे या नहीं, केवल इतना उत्तर आ जाय।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मौर्या जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे घोषणा-पत्र को जितने आदर और सम्मान के साथ उसका भाव अपने हृदय में रखते हुये और निरन्तर अपने साथ रखने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, बहुत कीमती और मोहब्बत की चीजें लगातार सीने से लगा कर रखी जाती हैं, मान्यवर, उनके इस भाव के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, आपका यह कहना है कि अभी तो रूल बना रहे हैं और जब बन जायेंगे तब विचार होगा। मौर्या जी का कहना है कि जो घोषणा-पत्र में था, रूल बनाते समय उसके आधार पर उसमें कुछ विचार होगा या नहीं ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, ढाई साल हो गया है, ये वादा करके, वादा-खिलाफी कर रहे हैं। इसलिये सरकार के इस ढुलमुल रवैये का विरोध करते हुये बहुजन समाज पार्टी सदन से बर्हिगमन करती है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों सहित सदन से बर्हिगमन कर गये।)

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पहले से बिजली का संकट क्षेत्र रहे उद्योगों पर विद्युत दरों में भारी बढ़ोत्तरी को रोकने तथा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये उक्त दरों में कटौती करने की सरकार की योजना

*01-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पहले से बिजली का संकट झेल रहे उद्योगों पर विद्युत दरों में भारी बढ़ोत्तरी की गयी है ? यदि हां, तो क्या उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये उक्त दरों में कटौती करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी नहीं।

नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु दिनांक 19-10-2012 को घोषित टैरिफ आदेश में औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी की गई थी, परन्तु वर्ष 2013-14 हेतु आयोग द्वारा निर्गत किए गए टैरिफ आदेश में उद्योगों पर लागू दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

वर्ष 2012-13 में उद्योग क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं पर लागू विद्युत दरों में जो वृद्धि की गई है, उसका मुख्य कारण विभाग के द्वारा विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा क्रय कर विद्युत उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु रु0 5.87/- यूनिट का खर्च है, जो वर्ष 2012-13 में आयोग द्वारा अनुमोदित है। इस टैरिफ वृद्धि से पूर्व औसत विक्रय मूल्य रु0 3.84/यूनिट अनुमोदित था तथा दिनांक 19-10-2012 को आदेशित टैरिफ वृद्धि के उपरान्त भी प्रति यूनिट विद्युत विक्रय पर विभाग को रु0 1.36/यूनिट का राजस्व घाटा है।

अतः टैरिफ वृद्धि को वापस लेना उचित नहीं होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रदेश के औद्योगिकी करण से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है और जिस प्रकार से मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक उद्योग नीति अपनाई थी, उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कुछ प्लान बनाये थे, उद्योग नीति बनाई थी मान्यवर, उसमें यदि हम इस बात के लिए महत्वपूर्ण रुप से विचार करें कि यदि पावर का टैरिफ जो विद्युत मूल्य है मान्यवर वही अगर बहुत ज्यादा होंगे तो हम पहले झटके में ही उन उद्योगों को जिन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं, हम उसमें सफल नहीं हो पायेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी करना चाहता हूं कि जो टैरिफ वृद्धि 19-10-2012 को लागू हुआ था, उसके पहले जो रेट थे, वह मान्यवर 115 रुपये प्रतिकिलोवाट की डिमाण्ड थी और उसे बढ़ा कर 225 रुपये प्रति किलो वाट कर दी गई थी, यह छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए था मान्यवर और जो एनर्जी का रेट था वह 04 रुपये 95 पैसे था वह 05 रुपये 86 पैसे कर दिया गया, जो डिमाण्ड थी मान्यवर वह 96 प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई थी और जो एनर्जी का रेट था मान्यवर उसमें 18.2 प्रतिशत वृद्धि हुई थी और जो मान्यवर ईडी थी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रीसिटी डिमाण्ड, वह पहले 09 पैसे थी जिसको बढ़ा कर 7.5 रुपये कर दी गई थी, लगभग 544 प्रतिशत उसमें वृद्धि हुई। मान्यवर, इसमें ओवरआल जो बढ़ोत्तरी हुई थी, यदि हम उसको देखें तो 38.5 प्रतिशत थी, जो मध्यम और लघु उद्योगों के लिए थी।

इसी प्रकार से मान्यवर जो लार्ज पावर और हैवी इण्डस्ट्री के लिए थी, उसका मान्यवर जो पैसा था वह 04 रुपये 60 पैसे का इनर्जी का दाम था जो 05 रुपये 90 पैसे कर दिया गया और जो ईडी 09 पैसे थी, वह 7.5 परसेण्ट कर दी गई, यानी 565 प्रतिशत वृद्धि हुई, ओवरआल मान्यवर इसके ऊपर 29.9 प्रतिशत वृद्धि हुई मान्यवर, एक साथ 38.5 प्रतिशत लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि मान्यवर किसी भी उद्योगों के ऊपर करने के कारण उस समय उद्योगों के ऊपर बड़ा संकट था मान्यवर, आज फिर कहीं न कहीं वही परिस्थितियां आ रहीं हैं आने वाले समय में आज 02 तारीख है, परसों 04 तारीख को फिर ये नियामक आयोग के अधिकारी फिर उसको बढ़ाने के लिए एक वह जिस प्रकार से प्रक्रिया होती है बढ़ाने की, मान्यवर फिर उसको जा रहे हैं। पहले तो मान्यवर, जब मैंने प्रश्न किया था तब यह बात सामने नहीं थी लेकिन अब एक नई बात सामने आई है, पहले जब मैंने प्रश्न किया था तो उसको घटाने के लिए काम करेगी, उसका उत्तर तो मा0 मंत्री जी के द्वारा आ गया कि नहीं, अब एक नया प्रश्न मान्यवर खड़ा हो गया तो आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस रेट को वृद्धि करने के ऊपर सरकार विचार कर रही है, जिससे जो

इण्डस्ट्रिलाईजेशन है वह और ठप हो जाये और इण्डस्ट्रीज का बण्टाधार हो जाय। यह जो 04 तारीख को यह सब जगह जाकर उसका एक सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत जानकारी करना चाहते हैं, इसके ऊपर वृद्धि करने के ऊपर विचार करेंगे।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री यासर शाह)-

मान्यवर, सम्मानित सदस्य यह बात जानते हैं कि विभिन्न व्यापक जनसुनवाई, उपभोक्ता और उपभोक्ता प्रतिनिधियों की सूचनायें और विचार सुझाव लेकर के विद्युत नियामक आयोग यह तय करता है कि रेट बढ़ाया जाय बिजली का या न बढ़ाया जाय। यह बात और है कि हमारे विभाग से एनुवल रेवेन्यु रिक्वायरमेण्ट जाती है, उसको भी लिया जाता है एक्सप्लेनेशन में। मा0 सदस्य महोदय का जो प्रश्न है वह यह है कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पहले से बिजली के जो रेट कम करने की बात है, जो फ्यूचर टेन्स की बात करेंगे कि बढ़ाया गया है या बढ़ाया जाने वाला है, तो उसके मान्यवर को प्रश्न दोबारा करना पड़ेगा, जब बढ़ेगा तो देखेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अगर प्रश्न दोबारा करने की बात है तो निश्चित रुप से सारे प्रश्न कर रहे हैं तो अनुपूरक का कोई औचित्य नहीं होता, जो आपने लिख कर दे दिया, काम खत्म हो गया। उसी में से अनुपूरक होते हैं और मान्यवर मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं।...

जैसा कि मा0 मंत्री जी ने कहा कि हम उपभोक्ताओं से इस बात की एक रायशुमारी करते हैं, उनसे विचार कर लेते हैं, तब हम उसको बढ़ाते हैं। क्या मा0 मंत्री जी ये बतायेंगे कि कभी आपने जब रायशुमारी की है तो उपभोक्ताओं ने कह दिया हो कि हमारा टैरिफ इतने प्रतिशत बढ़ा दिया जाये, कभी ऐसी भी परिस्थितियां आई हैं क्या मान्यवर। अगर टैरिफ बढ़ा दिया जायेगा तो परिस्थितियां आयीं हो वो बता दें। अगर उन्होंने कहा कि कम कर दो, कम करने के बाद बढ़ाया जाये तो मान्यवर, उसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आयोग बढ़ाता है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, उन्हें भी संरक्षण दीजिये, हमें भी संरक्षण दीजिये। मंत्री जी ने कहा है कि वे रायशुमारी करते हैं, जनता से पूछते हैं। क्या कभी जनता से पूछने के बाद कभी इस प्रकार के विचार आये हैं कि हमारे में तो बहुत कम है, उसको बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा कोई कहेगा कि नहीं, आप कोई ठोस सवाल पूछिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इससे ज्यादा ठोस सवाल क्या होगा। मंत्री जी, कम से कम यह आश्वासन दे दें। मान्यवर, मेरा एक प्रश्न होता है सारी सरकार उत्तर देने के लिये तैयार हो जाती हैं, सक्षम मंत्री हैं, आप जानते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं केवल इतनी बात बता रहा हूं कि जो आगे बढ़ाने के ऊपर विचार है, इन्होंने कहा कि आगे बढ़ाने के ऊपर विचार है, इस पर प्रश्न बनता है ऐसी बात नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, आप स्वयं जानते हैं। ये आप रायशुमारी कर रहे हैं तो रायशुमारी के हिसाब से उसके ऊपर जो भी आयेगी उसका अनुपालन करेंगे या जबर्दस्ती फिर बढ़ाने की बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इसमें तो नियामक बढ़ाता है, ये कहां बढ़ाते हैं। आप भी जानते हैं, आपकी सरकार में भी नियामक है। अब हो गया प्रश्न।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि प्रति यूनिट विद्युत विक्रय पर विभाग को 01 रुपया 36 पैसे का राजस्व घाटा है। यह एक तथ्य है, इस तथ्य के बहाने बड़ी आसानी से सरकार अगले साल कहेगी कि हमने 01 रुपया 36 पैसे बढ़ा दिये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि बिजली के मूल्य को बढ़ाने के अलावा और कौन-कौन से वो रास्ते हैं जिनका सरकार उपयोग कर सकती है और कर रही है जिससे कि इस राजस्व घाटे को पूरा कर लिया जाये क्योंकि यह तो बड़ा आसान है कह देना कि 01 रुपया 36 पैसा घाटा है हमने तो सदन को बता दिया था और अब हम को दर को बढ़ाना पड़ेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि दर तो जब बढ़ायेंगे, बढ़ायेंगे और भी बहुत से विकल्प हैं। कम से कम उद्योगों के बारे में मैं इस सदन में कहूं तो उचित नहीं होगा लेकिन मा0 मंत्री जी भली-भांति जानते होंगे कि इनका विभाग ही बिजली विभाग को इस घाटे को पहुंचा रहा है उद्योगों के साथ सांठ-गांठ करके तो क्या आप उस चोरी को रोकने का कोई प्रयास करेंगे कि जिससे अनावश्यक ये दाम न बढ़े।

श्री यासर शाह-

मा0 अध्यक्ष जी, चोरी रोकने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। कल पहली जुलाई को जो हमारा अभियान शुरु हुआ उसमें लगभग 25000 नये कनेक्शन दिये गये। इसी तरह से चोरी और लाइन लासेस रोकने के लिये बहुत से ऐसे प्रयास हैं जो प्रदेश में किये जा रहे हैं। जो प्रदेश व्यापी अभियान चलाया गया है जिससे कि बिजली की चोरी रोकी जा सके और हम इस सदन को विश्वास दिलाते हैं कि चोरी रोकी जायेगी और लाइन लासेस कम किये जायेंगे।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

मेरा सवाल इन उद्योगों को दी जाने वाली बिजली से था और मा0 मंत्री जी ने उसको जन सामान्य के 25000 नये कनेक्शन पर पहुंचा दिया। ये जो 25000 नये कनेक्शन दिये गये हैं ये जन सामान्य को दिये गये होंगे। मैं उद्योगों की बात कर रहा हूं जो उनमें चोरी हो रही है, उसको आप कैसे रोक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

वो तो कह रहे हैं कि उसको भी रोकेंगे।

प्रदेश में विशेषत्तर समूचे पूर्वांचल में हाइड्रोफोबिया से पीड़ित मरीजों की बढ़ रही संख्या को नियंत्रित कर समुचित दवा का प्रबन्ध कराये जाने की सरकार की कार्य योजना

*02-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में, विशेषकर समूचे पूर्वांचल में हाइड्रोफोबिया से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो

क्या सरकार पीड़ित मरीजों को समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने तथा उनकी मृत्यु दर में कमी लाने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा स्वास्थ्य मातृ एवं शिशु कल्याण परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हाइड्रोफोबिया कुत्ते, सियार बन्दर आदि जंगली जानवरों के काटने से उत्पन्न होने वाली बीमारी "रैबीज" का लक्षण है।

यह ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। केवल रोक-थाम ही संभव है जिसके लिए एन्टी रैबीज (ए0आर0बी0) इंजेक्शन कुत्ता काटे गये रोगियों को लगाये जाते हैं, जो प्रदेश के पूर्वान्चल सहित सभी राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि सभी जगह उपलब्ध हैं। मेरा जो अनुभव होता है वह यही होता है कि जब आवश्यकता होती है लोगों को तो वह एण्टी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होता और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके वहां लोग चिट्ठी लिखवाने आते हैं कि आप लिख देंगे तो शायद मिल जायेगा। हाइड्रोफोबिया कुत्ते, सियार, बन्दर आदि से होता है तो नगर में सियार नहीं हैं। आवारा कुत्ते हैं, बन्दर हैं तो मंत्री जी ने कहा कि रोकथाम इसका एक उपाय है।

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ये आवारा कुत्ते, सियारों को छोड़ दें, सियारों को ग्रामीण क्षेत्र में पकड़े और ये जो बंदर हैं इनको पकड़ने की कोई व्यवस्था सरकार के संज्ञान में है, कोई कार्य योजना है और अगर है तो कब से लागू होगी।

श्री अध्यक्ष-

अब ये कौन-सा सवाल है, कुत्ते पकड़ने का, बंदर को तो पकड़िये तो गांव में झगड़ा हो जायेगा, हनुमान मानते हैं उन्हें, स्थिति यह है और कोई सवाल करिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर रोकथाम उपाय है, ए0आर0बी0 इन्जेक्शन एक उपाय है, तो ये ए0आर0बी0 इन्जेक्शन सभी अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध रहे लोगों को उसका लाभ मिल सके, क्या सरकार सुनिश्चित करायेगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

मा0 अध्यक्ष जी, वरिष्ठ सदस्य हैं दादा जी और ये जिस तरह इस सवाल को पूछ रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश के जहां भी कोल्ड चेन हो, पी0एच0सी0, सी0एच0सी0, जिला अस्पताल से लेकर के मेडिकल कालेज तक हर जगह एंटी रैबीज ए0आर0बी0 का इंजेक्शन उपलब्ध है और मैं व्यक्तिगत रुप से जानता हूं, आप जहां से आते हैं बनारस से, प्रतिदिन वहां पर 300 से 400 इंजेक्शन एंटी रैबीज के लगाये जाते हैं, आपके बनारस में मैंने खुद जांच किया था, वहां जाकर। इंजेक्शन लगाने वाली बात पर उसमें हमने थोड़ा-सा गलती पाया तो उसमें पनिश भी कर दिया था और आप कह रहे हैं कि एन्टी-रैबीज का इन्जेक्शन उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया आपने दवा उपलब्ध करा दी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मा0 मंत्री जी उधर बहस मत करिये हमसे बहस करिये, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारत सरकार ने अपनी बारहवीं पंचवर्षीय योजना में रैबीज को एक प्रायरिटी डिसीज के रुप में लिया है। देश में रैबीज के जितने मरीज होते हैं उसमें से एक तिहाई उत्तर प्रदेश में होते हैं, इस नाते इस प्रश्न का महत्व है। एक तो आपने जो कहा कुत्ते, सियार, बंदर एक महत्वपूर्ण घरेलू जानवर बच गया बिल्ली, जो शायद इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरी चीज यह गलत सूचना है अध्यक्ष जी कुत्ते के काटने से कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि पागल कुत्ते के काटने से बीमारी होती है। हम लोग और यह सरकार इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम पूरी जगह यह छवि फैला रहे हैं कि किसी को भी कुत्ता काट ले तो सुई लगवा ले। यह गलत है, कुत्ते के काटने से कुछ नहीं होता, अगर वह कुत्ता बीमार है और दस में मर जायेगा तभी बीमारी होगी, जो टीके के संकट हो रहा है, वह इसीलिए हो रहा है। अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या इस सत्य को जनता के बीच में वह प्रसारित करेंगे, दूसरी चीज यह आदमियों को तो सुई लगाने की बात कर रहे हैं। आज के जमाने में हर घर में कुत्ते पाले जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हर पांच घर में से एक घर में कुत्ता होता है, इनका लाइसेंस नगर निगम से मिलता है। इन कुत्तों को हर वर्ष टीका लगाया जाये रैबीज का यह जरुरी होता है, लेकिन अधिकांशतः नहीं लगाया जाता अगर इन कुत्तों को टीका लगा लिया जाये तो आज जो आदमियों में समस्या आ रही है वह नहीं आयेगी। क्या मा0 मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह सुनिश्चित करेंगे कि जो कुत्ते इस प्रकार से पालतू हैं या नहीं भी है, आप उन्हें समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके टीकाकरण का कोई अभियान चलायेंगे। अध्यक्ष जी, हंसी में न लीजिए, यह बहुत गंभीर सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

उनको पकड़ना बड़ा कठिन काम है। उनको कोई पकड़ के लगा नहीं पायेगा। पालतू कुत्तों को तो लगाया जा सकता है ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 मैं एक चिकित्सक के रुप में बोल रहा हूं। बहुत गंभीर सवाल है, हंसी में न लीजिए, इसका जवाब दिलाइये।

श्री शंखलाल मांझी-

मान्यवर, यह केवल पागल कुत्ते के काटने से होता है। दस के अन्दर यदि वह मर जाये, तो इन्फेक्शन हो सकता है। मान्यवर, अवारा कुत्ता कहीं चला गया। मर गया या जिन्दा चला गया तो उस परिस्थिति में भी यह लगता है। मान्यवर, यह कुत्ते बिलार के काटने से भी हो सकता है। मान्यवर, यह कोई भी जानवर, जो इन्फेक्टेड हो चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, बन्दर हो उसके काटने से फैल सकता है। मान्यवर, इसकी वैक्सीन उपलब्ध रहती है और काटने के बाद लोग प्री-काशन के नाते उसको लगवाते हैं। यह पहले दिन, तीसरे दिन, सातवें दिन, चौदहवें दिन, अठ्ठाइसवें दिन पर लगता

है। मान्यवर, यह भी जानवरों के काटने पर एक ही है। मान्यवर, जो पालतू पालते हैं वह भी सुरक्षा के लिए इस तरह का टीका लगवा लेते हैं। मान्यवर, मैं प्री-काशन के लिए बता रहा हूं कि चौबीस घण्टे में ही लगना चाहिए।

श्री संतराम कुशवाहा-

मान्यवर, चूहों से, बिल्ली बंदर के काटने से शरीर में विष हो जाता है, तो मान्यवर जिस व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो जाती है उसके परिवार को आप इसमें आर्थिक सहायता प्रदान करने पर विचार करेंगे।

श्री शंखलाल मांझी-

मान्यवर फिलहाल इस तरह की कोई योजना नहीं है।

श्री लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद-

मान्यवर, जब बन्दर किसी को काटने के बाद मर जाता है, तो यह लोग उसे हनुमान का रुप मान लेते हैं, और धरना-प्रदर्शन करते हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी "दादा"-

मान्यवर, यह सम्भव नहीं है कि अवारा कुत्तों को पकड़-पकड़ कर इंजेक्शन लगवाये जायें जैसा कि मंत्री जी ने बताया है। मान्यवर, यह बताया कि जब वह काट ले और दस दिन के बाद यदि वह मर जाये तब वह लगवाया जाय तो क्या साइन्स में इतनी प्रगति की है कि आदमी इंजेक्शन लगवा ले ताकि यदि कोई जानवर उसे काटे तो उस पर असर न पड़े।

प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु अलग विद्युत लाइन/फीडर से विद्युत सप्लाई दिये जाने की घोषणा वित्तीय वर्ष 2012-2013 को बजट में किये जाने की कार्य योजना को पूरा किया जाना

*03-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु अलग विद्युत लाइन/फीडर से विद्युत सप्लाई दिये जाने की घोषणा गत वित्तीय वर्ष 2012-13 को बजट में की गयी थी ? यदि हां, तो इस योजना पर अब तक क्या कार्य किया गया है एवं इसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर के ग्रामीण अंचल में पायलेट प्रोजेक्ट रुप में दिनांक 31-03-2011 से कार्य प्रारम्भ कर 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य जुलाई, 2014 तक पूर्ण होना लक्षित है।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के अन्तर्गत जनपद बागपत के विद्युत वितरण खण्ड बागपत एवं जनपद शामली के विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शामली में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है तथा अगस्त, 2014 तक पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मेरा सवाल कुछ है जवाब आप क्या दे रहे हैं मैंने पूछा है कि प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु अलग विद्युत लाइन/फीडर से विद्युत सप्लाई दिये जाने की आपकी सरकार ने 2012-13 में बजट की घोषणा की थी उसके अनुरुप क्या सरकार किसानों के लिए अलग विद्युत फीडर की व्यवस्था कर रही है आप जवाब दे रहे हैं कि मुजफ्फरनगर मण्डल और इसमें पायलेट प्रोजेक्ट हमने दिनांक 31.3.2011 से से प्रारम्भ कर दिया आपकी सरकार भी नहीं थी तब आपने यह प्रोजेक्ट कब से चालू कर दिया 31-3-2011 से और उसमें 80 प्रतिशत कार्य हो गया। पहले तो आपका जवाब ही गलत है इसके साथ साथ जो आपने घोषणा की है मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अन्य जिलों में भी सरकार इस तरह का प्रोग्राम इस तरह की लाइन खींचने का काम कर रही है ? अलीगढ़ में विशेष रुप से कहूंगा कि अलीगढ़ में इस कार्यक्रम को कब से चालू कर रहे हैं ?

श्री यासर शाह-

मान्यवर, माननीय सदस्य जी बहुत सम्मानित सदस्य हैं, सीनियर हैं मैंने सवाल का ही जवाब दिया है आपने पूछा था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु अलग विद्युत लाइन फीडर से विद्युत सप्लाई दिये जाने की घोषणा गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट में की गयी थी इसका जवाब है जी हां, की गयी थी। फिर आपने पूछा है यदि हां तो इस योजना पर अब तक क्या कार्य किया गया है एवं इसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा। सरकारें एक सतत प्रक्रिया होती है सरकारें आती जाती रहती हैं, जो कार्य शुरु किये जाते हैं वह खत्म किये जाते हैं। 31-3-2011 का जो पायलेट प्रोजेक्ट लिया गया था उसमें 2012 तक कोई कार्य नहीं हुआ था, 2012 में जब हमारी सरकार आई तो फीडर सपरेशन का कार्य पूरी गति शुरु किया गया। चूंकि यह नया कार्य था इसलिए पायलेट प्रोजेक्ट के लेकर वह कराया गया। पायलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बागपत और शामली में भी इस कार्य को लिया गया है अब वित्तीय संसाधनों को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हैं वित्तीय संशोधन जो कम है उसको देखते हुए हम पूरे प्रदेश में इसको लागू करने हेतु विचार करते हैं किन्तु जहां तक वित्तीय संसोधनों की बात है जब वह पूरा हमें मिल जायेगा तभी इसको पूरे प्रदेश में लागू कर सकते हैं।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, इस योजना को आपने इन दो स्थानों के अलावा कहीं किया है और अलीगढ़ का मैं विशेष रुप से पूछ रहा हूं कि क्या यह योजना वहां पर आपने शुरु की है और नहीं की है तो कब से शुरु करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह कह तो रहे हैं कि वित्तीय संसोधन जब हो जायेंगे तब शुरु कर देंगे, आप बैठिये।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन पर वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों का बकाया कर्ज का विवरण

*04-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन पर वित्तीय संस्थाओं का कितना कर्ज है तथा इसको चुकाने के लिये सरकार ने क्या योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 31.03.2014 को विभिन्न संस्थाओं एवं बैंकों का कुल रु0 49755.72 करोड़ का कर्ज बकाया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(रुपये करोड़ में)

संस्थाओं का नाम	बकाया धनराशि
बैंक	25244.35
बन्धपत्र	15810.38
हुडको	969.99
आर0ई0सी0	3726.00
पी0एफ0सी0	3755.00
नोएडा	250.00
योग	**49755.72**

प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 05-10-2012 को विभिन्न राज्यों को विद्युत वितरण कम्पनियों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए वित्तीय पुनर्गठन योजना स्वीकृत की है, जिसे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है।

योजना के अनुसार जारी किए गए बन्ध पत्र रु0 15810.38 करोड़ को शासन द्वारा तीन वर्षों में अधिग्रहीत कर लिया जायेगा। जब तक यह बन्ध पत्र पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत नहीं किए जाते हैं तब तक इन पर देय ब्याज का दायित्व उत्तर प्रदेश शासन का है। शेष रु0 33945.34 करोड़ के ऋणों का ब्याज सहित पुनर्भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 से अगले 7 वर्षों में विद्युत वितरण निगमों द्वारा किया जाना है जिसके लिये उनको वित्तीय रुप से सुदृढ़ करने तथा वर्ष 2017-18 तक टर्न एराउन्ड करने हेतु वित्तीय पुनर्गठन योजना प्रतिपादित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न करना चाहता हूं। नम्बर एक, कि यह घाटा किन कारणों से बढ़ा, क्या विद्युत उत्पादन लागत ज्यादा है, या लाइन लास ज्यादा है, या कुप्रबंधन की वजह से घाटा बढ़ा। पिछले दो वर्षों में घाटा बढ़ा या कम हुआ, यह बता दें। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि लगभग 15-16 हजार करोड़ रुपया उपभोक्ताओं पर बकाया है, किसी ने स्टे ले रखा है, कहीं अन्य कारणों से रुका हुआ है, यह पावर कारपोरेशन की लेनदारी है। क्या मान्यवर, माननीय मंत्री जी उस लेनदारी को इस हद तक प्रभावी बनायेंगे। यह दो सवाल माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो कर्ज का मामला था। घाटे का तो था नहीं।

श्री यासर शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, विद्युत वितरण क्षेत्र पिछले कई वर्षों से लगातार घाटे की स्थिति में रहा है। घाटे का प्रमुख कारण विद्युत चोरी, अधिक लाइन लास तथा बिलिंग के सापेक्ष कम वसूली होना है। इसके अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति की लागत लगातार बढ़ती गयी लेकिन लागत में वृद्धि के सापेक्ष रिटेल टैरिफ में आवश्यक वृद्धि नहीं हुयी। विभिन्न वर्षों में घाटे एवं ए0टी0एम0सी0 हानियों की स्थिति निम्नवत् है। वर्ष 2007-08 में हानि 3948 करोड़ रुपये और ए0टी0एम0सी0 हानियों का प्रतिशत 41.75 करोड़ रुपये। इसी प्रकार 2008-09 में 3611 करोड़ रुपये और ए0टी0एम0सी0 हानियों का प्रतिशत 36.43 करोड़ रुपये। वर्ष 2009-10 में 3321 करोड़ रुपये और ए0टी0एम0सी0 हानियों का प्रतिशत 41.07 प्रतिशत रहा। 2010-11 में 3921 करोड़ रुपये और ए0टी0एम0सी0 लाइन हानियां 4436 करोड़ रुपये। 2011-12 में 9269 करोड़ रुपये और लाइन हानियां 45 प्रतिशत रही। 2012-13 में जो हानि हुयी वह 9778 करोड़ और ए0टी0एम0सी0 43.68 प्रतिशत। 2013-14 में जो पिछला फाइनेन्शियल ईयर हुआ, उसमें अनुमानित हानि घटकर 7042 करोड़ रुपये और ए0टी0एम0सी0 लॉस घटकर के 39.52 प्रतिशत। उपभोग में संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि में केवल वर्ष 2009-10 में 13 प्रतिशत विद्युत दरें बढ़ाई गयी थीं। शेष 4 वर्षों में विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी। इसके बाद वर्ष 2012-13 में लगभग 22 प्रतिशत और वर्ष 2013-14 में लगभग 10.5 प्रतिशत की वृद्धि बिजली की दरों में की गयी। वितरण क्षेत्र में हानि का एक कारण यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मीटर के फिक्स्ड दर पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। इसका औसत टैरिफ लगभग एक रुपया प्रति यूनिट होता है। विद्युत आपूर्ति की लागत लगभग सात रुपये प्रति यूनिट है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति से जो हानि होती है उसके लिये अपेक्षित अनुदान की पूरी धनराशि राज्य सरकार से नहीं मिलती है। वितरण क्षेत्र की आपूर्ति लागत सात रुपये प्रति यूनिट के सापेक्ष वर्तमान में औसत बिलिंग रेट 4.94 पैसे प्रति यूनिट है। इस प्रकार अभी 206 पैसे प्रति यूनिट का अंतर है जिसे दर वृद्धि तथा लाइन हानियों को कमी करके अगले तीन वर्षों में पूरा किया जायेगा।

अब वित्तीय पुनर्गठन योजना में यह बाध्यता है कि वितरण कम्पनियां विद्युत आपूर्ति की लागत एवं रिटेल टैरिफ के अंतर को वर्ष 2016-17 तक समाप्त करेगी और वर्ष 2014-15 के बाद बैंकों से घाटे की प्रतिभूति के लिये कोई ऋण नहीं मिलेगा। वर्तमान में ए0टी0एम0सी0 हानियां 39.52 प्रतिशत है जिन्हें वर्ष 2016-17 तक घटाकर 24.4 प्रतिशत तक लाना होगा, इसीलिये बिजली चोरी रोकने का वृहत अभियान प्रारम्भ किया जा रहा है। वर्तमान में बकाया ऋण 49,755 करोड़ में से 15810 करोड़ राज्य सरकार ले लेगी और अवशेष 33,945 करोड़ के ऋण में वर्ष 2014-15 में केवल 3 हजार करोड़ की वृद्धि होगी।...इसके बाद यदि वित्तीय हानियां होती हैं तो उनकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को करनी होगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, दूसरी जो सवाल वसूली के सम्बन्ध में मा0 सदस्य ने पूछा था क्या उसके बारे में कुछ बतायेंगी।

श्री यासर शाह-

मान्यवर, वसूली की तो सतत् प्रक्रिया है वह चलती रहेगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि ग्रामीण क्षेत्र को जो बिजली दी जाती है 1 रुपये प्रति यूनिट औसत की दर पर, राज्य सरकार उसकी प्रतिपूर्ति पावर कारपोरेशन को नहीं करती है यह स्वयं मा0 मंत्री जी ने अपने मुंह से कहा है। यह कौन सी राज्य सरकार है और जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं यह हमें नहीं मालूम है क्योंकि हम लोग तो इन्हीं को राज्य सरकार जानते हैं। अब प्रश्न यह है कि अगर राज्य सरकार पावर कारपोरेशन को प्रतिपूर्ति नहीं कर रही है तो उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है। इसका खामियाजा तो शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता भोग रहे है क्योंकि उनकी बिजली की दरें बढ़ती चली जा रही हैं इसीलिये अगर आप ग्रामीण क्षेत्र को सस्ती बिजली दे रहे है दीजिये हमें कोई आपत्ति नहीं है हम सब उसके समर्थक होंगे लेकिन जो प्रतिपूर्ति करना नियमानुसार आपका दायित्व है जिसे आप सदन में स्वीकार कर रहे हैं कि हम नहीं करते है और ऐसा करके आप शहरी क्षेत्र के नागरिकों को महंगी बिजली दे रहे हैं, इस अन्याय को ठीक करना चाहिये। क्या सरकार अपने दायित्वों को निर्वहन करेगी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलने वाली सस्ती बिजली के बदले में जो राज्य सरकार को पूरा धन की प्रतिपूर्ति पावर कारपोरेशन को करनी है, वह करेगी ?

श्री यासर शाह-

मान्यवर, ये लोग चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की गरीब जनता की बिजली दर भी बढ़ा दी जाये तो राज्य सरकार ऐसा नहीं करेगी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह जवाब ठीक नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं पूरी सफाई के साथ सवाल पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र को बिजली देते रहे, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि प्रतिपूर्ति देना आपका दायित्व है। राज्य सरकार का यह जिम्मा है कि ग्रामीण क्षेत्र को सस्ती बिजली देने के नाते पावर कारपोरेशन को जो घाटा हो रहा है राज्य सरकार उसकी भरपाई करे। राज्य सरकार उसकी भरपाई नहीं कर रही है और शहरी नागरिकों को महंगी बिजली दे रही है। मैं पलट कर पूछ लूं तो यह पूछूंगा कि क्या आप शहरी नागरिकों को अपनी लापरवाही की सजा देना चाहते हैं। आपको प्रतिपूर्ति करना है उसे आप नहीं करते हैं और आपके नाते शहरी नागरिकों का शोषण हो रहा है क्या आप इसे स्वीकार करेंगे ?

श्री यासर शाह-

मा0 अध्यक्ष जी, जिस तरह का रिकार्ड पिछले एक-डेढ़ महीने से बज रहा है बड़ा हेल्पी वाला, डीजल बढ़ गया, मिट्टी का तेल बढ़ गया, गैस सिलेण्डर बढ़ गया तो वैसे ही ये लोग चाह रहे हैं कि गरीबों की ग्रामीण क्षेत्र की बिजली की दरें बढ़ा दी जाएं ताकि वह इतना परेशान हो जाएं कि गरीबी खत्म हो जाए। मान्यवर, यह नहीं हो पायेगा, समाजवादी पार्टी की सरकार गरीबों की बिजली की दर नहीं बढ़ायेगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, प्रश्नों का सही जवाब आना चाहिये।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर बोलने लगे।)

(व्यवधान के मध्य)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल (सदन के वेल से)-

मान्यवर, आप ग्रामीण क्षेत्र को सस्ती बिजली देंगे और उसकी प्रतिपूर्ति पावर कारपोरेशन को न करके वह प्रतिपूर्ति शहरी नागरिकों से करायेंगे। मा0 मंत्री जी बताये कि ग्रामीण क्षेत्र को जो बिजली सस्ती दरों पर दी जा रही है उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार पावर कारपोरेशन को करेगी या नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आप यह बात अपने आसन से नहीं कह सकते थे। आप हर बार सदन के वेल में आ जाते हैं, यह नहीं चलेगा।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया (सदन के वेल से)-

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जो बिजली महंगी हो रही है मा0 मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में दी गई सस्ती बिजली की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार से न ले करके उसका बोझ शहरी नागरिकों पर डाल रहे हैं। देश के सभी नागरिक एक समान है इसलिये शहर के नागरिकों पर सरकार बोझ न डाले।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, राज्य सरकार प्रतिपूर्ति नहीं कर रही है, ये सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों का बोझ शहरी नागरिकों पर डाल रही है। मान्यवर, यह जो मा0 मंत्री जी का आचरण है, आपत्तिजनक है कृपया इस प्रकार का जवाब न दें।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने आसन पर चलें, मा0 डाक्टर साहब यह अच्छा आचरण नहीं है, आप हमें विवश न करें। अगर मा0 मंत्री जी जवाब नहीं दे रही हैं तो मैं क्या कर सकता हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल (सदन के वेल से)-

मान्यवर, जिस प्रकार का जवाब मा0 मंत्री जी दे रहे हैं क्या वह उचित है ?

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गये।)

(श्री जाहिद बेग के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बेग साहब बैठ जाओ, एक तो आपकी बात कोई समझ नहीं पाता, दूसरे बहुत हल्ला करते हो, बैठो।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, हम सब आपके आदेश से वेल से वापस आ गये, आप हमारी बात तो सुन लीजिये। मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। मा0 मंत्री जी के पास या तो जवाब नहीं है या फिर वह जवाब दे नहीं रहे हैं, हर बात का यह जवाब नहीं है कि एक महीने के अन्दर सब कुछ गड़बड़ हो गया। मान्यवर, यह ग्रामीण क्षेत्रों को, किसानों को एक रुपये यूनिट में बिजली दें मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन उसका भार शहरी उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ना चाहिये उसकी प्रतिपूर्ति सरकार के द्वारा पावर कारपोरेशन को की जानी चाहिये और उसका उत्तर उस हिसाब से आना चाहिये था। मान्यवर, आप कहते हैं कि भा0ज0पा0 के लोग रोज यहां पर आ जाते हैं तो उनको भी तो कहिये के सही जवाब दिया करें। आपके माध्यम से जो प्रश्न किया है उसका जवाब आ जाए।

संसदीय कार्य, मुस्लिक वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का उत्तर मा0 मंत्री जी ने बस इतना ही दिया कि हम किसानों पर बोझ नहीं बढ़ायेंगे। अब इसमें क्या परेशानी है भारतीय जनता पार्टी को ? मात्र यह परेशानी हो सकती है आपकी कि डीजल भी किसान के प्रयोग में आता है और डीजल का दाम बहुत बढ़ गया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, अभी आपने काल ही सदन में डीजल पर 5 रुपये लीटर बढ़ाया है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आप भ्रम पैदा मत कीजिये, बढ़ाया नहीं है, बढ़ाने का अधिकार अपने पास रखा है, 05 पैसे भी बढ़ा सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते हैं सिर्फ अधिकार अपने पास रखा है। अगर यह अधिकार आपको अच्छा लगता है तो दिल्ली में केन्द्र की सरकार आने के बाद जितनी बढ़ोत्तरियां हुई हैं उन सबका अधिकार रख लीजिये और सारी महंगाई वापस ले लीजिये। आप सारी महंगाई वापस ले लीजिये फिर आपकी तरफ से किसानों पर बिजली का बोझ और डालने के लिये विचार किया जा सकता है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब सही नहीं है मेरा प्रश्न बहुत साफ है ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ती बिजली दे रहे हैं हम लोग भी देते थे। मेरा कहना है और पूरे देश का नियम यह कहता है कि आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सस्ती दे रहे हैं तो पावर कारपोरेशन को उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को देनी पड़ेगी, यह केवल उत्तर प्रदेश का नियम नहीं है पूरे देश का नियम है। आप प्रतिपूर्ति नहीं देते हैं। आपने स्वयं सदन में कहा कि राज्य सरकार प्रतिपूर्ति नहीं दे रही है। आपको तो यह भी नहीं पता था कि जो पढ़ रहे थे पावर कारपोरेशन के द्वारा लिखा हुआ उसमें से कौन सी लाइन न पढ़ें, यह जो नकल करने वाली, इमला वाली आदत होती है...

श्री यासर शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह टिप्पणी गलत है, इस तरह की बात शोभा नहीं देती है और इस पर मेरा पूरा-पूरा विरोध है, अध्यक्ष जी इसे कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री अध्यक्ष-

हम टिप्पणी निकाल देंगे, यह लिखा नहीं जायेगा। अग्रवाल साहब आप बैठिये, हम आपकी बात कह दे रहे हैं। मा0 मंत्री जी आपका कहना यह है कि जो ग्रामीण अंचलों में सस्ती बिजली दी जाती है उसकी प्रतिपूर्ति सरकार को विद्युत कारपोरेशन को करनी चाहिये और सरकार पूरा नहीं करती इसलिये घाटा है क्या इसे पूरा करने पर सरकार विचार करेगी, यह उनका सवाल है ?

श्री यासर शाह-

माननीय सदस्य का सुझाव है तो वह सुझाव के रूप में आ सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है लेकिन उसके अलावा यह कहना...

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

यह क्यों कहेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं इनको पता नहीं है...

श्री अध्यक्ष-

वह मैंने निकाल दिया, चौधरी जी बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सी सरकारी स्कीम्स हैं उसमें सब्सिडी दी जाती है, स्कॉलरशिप्स दिये जाते हैं। सब्सिडी का मतलब यह नहीं होता कि हम किसी जगह सब्सिडी दे रहे हैं तो उतना ही पैसा दूसरों पर और बोझ बढ़ा दें। स्कॉलरशिप्स हम देते हैं तो उसका मतलब यह नहीं होता कि हम गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो सम्पन्न पर और बोझ बढ़ा दें। इसी तरह अगर गरीब किसानों को कोई इस तरह की राहत है कि उनकी बिजली सस्ती है तो इसमें आपको क्या एतराज हो सकता है ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

यह गलत है अगर इस तरह के जवाब दिये जायेंगे तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह तो दिया अगर इस प्रकार इनका सुझाव आता है तो इस पर विचार करेंगे। यह कार्यवाही में भी आ गया है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह हमारा प्रश्न है सुझाव एक दूसरा विषय है प्रश्न दूसरा विषय। सरकार इसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है सरकार के इस निर्णय के विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री सतीश महाना अपने दल के साथ सदन त्यागकर चले गये।)

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इस पर मैं एक सवाल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न पर जिन्होंने प्रश्न लगाया था वह वाकआउट कर गये हैं इसलिये मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

अगर सदन को आप सुचारु रूप से चलाना चाहते हैं तो इनके नेता का चुनाव करवा दीजिये इनके कम्पटीशन में हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। दूसरा प्रश्न है कि 31 जनवरी तक पावर कारपोरेशन पर कितना कर्ज था।

श्री अध्यक्ष-

वह सवाल खत्म हो गया। मैंने अगला प्रश्न ले लिया।

प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आये दिन हो रही दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर इलाज करने हेतु कैश-लेस सुविधा मुहैया कराने विषयक प्रकरण

*05-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आये दिन हो रही दुर्घटना में घायल लोग, जोकि समय पर पैसा अथवा एम्बुलेंस के अभाव में तत्काल इलाज नहीं करा पाते हैं और दुर्घटना स्थल पर ही दम तोड़ देते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी दुर्घटनाओं में घायलों के इलाज के लिये तत्काल कैश-लेस सुविधा एवं एम्बुलेन्स मुहैया कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आये दिन हो रही दुर्घटना में घायलों को निकटवर्ती राजकीय चिकित्सा इकाई तक पहुंचाने हेतु प्रदेश में 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा का संचालन सितम्बर, 2012 से किया जा रहा है। जीवन रक्षक सुविधाओं से लैस यह एम्बुलेंस सेवा सभी के लिये पूर्णतया निःशुल्क है। आकस्मिक रोगियों, जिसमें दुर्घटना में घायल व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, का तत्काल इलाज राजकीय चिकित्सा इकाई की इमरजेन्सी में निःशुल्क किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त व्यवस्था प्रदेश में पूर्व से ही विद्यमान है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

अध्यक्ष जी दुर्घटनाओं के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो दुर्घटनायें होती हैं उनमें ज्यादातर गरीब लोगों की दुर्घटना में मौत हुई है कोई गरीब बाजार में सड़क पार कर रहा था, कोई साइकिल पर जा रहा था ऐसे लोगों की ही मौतें ज्यादातर होती हैं। हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिनकी दुर्घटना होती है उनका निजी अस्पतालों में इलाज कराया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्री राजमार्गों पर जिन गरीबों की दुर्घटना होती है वे इसमें घायल होते हैं उनको निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान करेंगे ?

श्री शंखलाल माझी-

माननीय सदस्य अपने सवाल को दूसरे ढंग से पेश कर रहे हैं। जब सरकार यह कह रही है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिनकी दुर्घटना होती है तो उसमें वर्गीकरण जाति या धर्म के आधार पर नहीं किया जाता। राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो भी दुर्घटना में घायल होता है उन सभी घायल मरीजों के लिये समाजवादी एम्बुलेंस व्यवस्था सितम्बर, 2012 से शुरू हुई है और वह लगातार चल रही है अब तक इस व्यवस्था से लगभग 24 लाख 24 हजार 918 रोगी लाभान्वित हुये हैं इन सभी को सी0एच0सी0 जिला अस्पतालों में फौरी इलाज के लिये ले जाया जाता है। इन पर टोटल लगने वाला दवा का खर्च पूरा का पूरा निःशुल्क होता है फिर दूसरी जगह हम क्यों भटकने जायं। अस्पताल तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट के अन्दर एम्बुलेंस पहुंच जा रही है और चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराते हुये जिला अस्पताल, सी0एच0सी0 तक पहुंचायी जाती है तो फिर प्राइवेट में भटकने की क्या जरूरत है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी पिछले हफ्ते शुक्रवार को आगरा के एस0एन0 कालेज में ऑक्सीजन न होने से एक लड़की की डेथ हुई। सरकारी सुविधायें कैसी हों, मैंने एग्जाम्पिल भी दिया कि पड़ोसी राज्य में ऐसी सुविधा प्रदान की है राष्ट्रीय राज्यमार्गों पर घायल होने पर। मैं फिर से वही प्रश्न दोहरा रहा हूं कि क्या सरकार, माननीय अध्यक्ष जी, एन0आर0एच0 में ऐसे हास्पिटल चिन्हित किये गये हैं और हम लोग विधायक निधि से, उसके लिये भी सरकार ने अस्पताल चिन्हित किये हैं। ऐसे निजी अस्पतालों में तत्काल उपचार मिल सके। बहुत से राष्ट्रीय राज्य मार्ग ऐसे हैं जहां से जिला मुख्यालय बहुत दूर है। 80-80, 90-90 किलोमीटर दूर है। माननीय अध्यक्ष जी, आगरा में ही 90 किलोमीटर दूर है जिला मुख्यालय। क्या माननीय मंत्री जी पुनः इस पर विचार करेंगे।

श्री शंख लाल माझी-

माननीय अध्यक्ष जी, विद्वान सदस्य ने पड़ोसी राज्य की बात कही है। हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं पड़ोसी राज्य में वहां इस तरह की एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है कि नहीं है, पहले इस पर विचार कर लें। जिस सुविधा को आप वहां पड़ोसी राज्य का उदाहरण देकर रखना चाहते हैं वहां यह भी सोचना चाहिये कि वहां 108 एम्बुलेंस सेवा जिस तरह से यहां उत्तर प्रदेश में है वह वहां हरियाणा में उस तरह उपलब्ध है कि नहीं है और दुर्घटना की बात कर रहे हैं। आप बीमारी के लिये तो यह सरकार हर उस गरीब के लिये जो बी0पी0एल0 केटेगिरी का है या जिसकी आय 24,000 के आस-पास या उससे कम है, हर उस गरीब और असहाय के लिये चाहे एक रुपये से लेकर एक करोड़ तक लगे यह सरकार कटिबद्ध है उसकी दवा कराने के लिये, आप बीमारी के लिये। आप सवाल कर रहे हैं दुर्घटना के बारे में और ले जा रहे हैं उसको आम बीमारी की तरफ से। दुर्घटना की बात तो मैंने कहा कि जहां पर 108 एम्बुलेंस जैसी सेवा न हो वहां पर इस तरह की बात करते हैं तो कौन सा तीर मार रहे हैं। हम तो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, त्वरित सेवा और चिकित्सीय सुसज्जित सेवा जब दे रहे हैं तो फिर इस पर विचार करने की क्या जरूरत है।

(कई माननीय सदस्यों के प्रश्न करने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

एक आखिरी सवाल, उसके बाद अब टाइम खत्म होने वाला है।

डा0 धर्म पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर भारत सरकार द्वारा पहले से एम्बुलेंस उपलब्ध है।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं। मेरे यहां एक एक्सीडेंट हुआ और 108 एम्बुलेंस सेवा आई मैं लेकर गया उससे पहले और उसके बगल में चूंकि राजकीय चिकित्सालय में वह सुविधाएं नहीं थी मैंने बड़ा आग्रह किया कि उस मरीज को उससे पहले सरकारी अस्पताल से पहले, वहां एक प्राइवेट अस्पताल है वहां या उसके बगल में दूसरा प्राइवेट अस्पताल है, तो सरकारी एम्बुलेंस के आदमी ने मरीज को उतारने से इंकार कर दिया और यह कहा कि हम केवल पी0एच0सी0 या सी0एच0सी0 या रोड से वहां ले जायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहने का आशय यह है कि क्या सरकार एम्बुलेंस सेवा में ऐसे कोई निर्देश जारी करेगी कि यदि मरीज अगल-बगल में प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहता है जो वहां सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, तो एम्बुलेंस सेवा वहां उतारने का काम करेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय भदौरिया जी बैठो ना, मंत्री जी को जवाब तो दे देने दो।

श्री शंख लाल माझी-

अरे एक सदस्य का उत्तर तो आ जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी आप बैठ जायें, प्रश्नों का समय समाप्त हुआ, भदौरिया जी आपको उत्तर ही नहीं देने दे रहे हैं।

वर्ष 2013 में बाढ़ से हुई मृत्यु की जानकारी तथा बाढ़ पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने व बाढ़ के प्रकोप से निपटने के आपदा प्रबन्धन के किये गये उपायों की जानकारी

*06-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2013 में बाढ़ से कितनी मौतें हुई हैं ? क्या सरकार बाढ़ प्रभावित जिलों के बाढ़ पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बाढ़ के प्रकोप से निपटने के लिये सरकार ने आपदा प्रबन्धन के कौन-कौन से उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्ष 2013 में बाढ़ से 295 मृत्यु हुई है।

नोटः-तारांकित प्रश्न संख्या-4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जी हां।

भारत सरकार गृह मंत्रालय के अद्यतन संशोधन पत्र संख्या-32-3/2013, एन0डी0एम0-1, दिनांक 28-11-2013 द्वारा दैवी आपदा से प्रभावित प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को रु0 1,50,000/-धनराशि की सहायता निर्धारित है। बाढ़ से मृत व्यक्ति के परिवारों को कुल रु0 2,73,00,000/- धनराशि प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्ध समूह का गठन किया गया हैं। बाढ़ से प्रभावित आपदा से निपटने के लिये शासनादेश संख्या-209/1-11-2014-22(जी) 2009, दिनांक 23-06-2014 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं प्रमुख सचिव/सचिवों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं एवं लगातार अनुश्रवण किया जाता है। राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के माध्यम से आपदा को न्यून करने हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित क्षमता संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा विद्युत शुल्क की वसूली एवं विद्युत सब-स्टेशनों के अनुरक्षण हेतु स्वीकृत फ्रेंचाइजी व्यवस्था की रूपरेखा की जानकारी

*07-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊर्जा विभाग के द्वारा विद्युत शुल्क की वसूली एवं विद्युत सब-स्टेशनों के अनुरक्षण हेतु फ्रेंचाइजी योजना स्वीकार किये जाने की नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और वह कब से और किन-किन जिलों में लागू हैं ? क्या यह सही है कि आगरा शहर/जिले में उक्त योजना सफल नहीं रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, शासन द्वारा विद्युत शुल्क की वसूली हेतु फ्रेन्चाइजी व्यवस्था लागू किये जाने की नीति बनाई गयी है। विद्युत सब-स्टेशनों के अनुरक्षण का कार्य विभागीय कर्मचारियों अथवा वाह्य कार्यदायी संस्थाओं से कराया जाता है।

फ्रेन्चाइजी के नियुक्ति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1780/24-1/2006-1690/पी-1/06 दिनांक 18-05-2006 द्वारा दिशानिर्देश जारी किये गये थे, जिसके तहत फ्रेन्चाइजी द्वारा राजस्व वसूली के साथ-साथ छोटे-मोटे मरम्मत कार्य, डिस्कनेक्शन, नये कनेक्शन आदि भी किये जाने की व्यवस्था है। फ्रेन्चाइजी की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से विज्ञापन के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर की जाती है तथा इसमें स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती है। यह व्यवस्था शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रदेश के समस्त जिलों हेतु लागू है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नदियों को आपस में जोड़ने की कार्य योजना की जानकारी

*08-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों को आपस में जोड़ने की सरकार द्वारा कोई योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा किन-किन नदियों को जोड़ने पर विचार हो रहा एवं इससे जनता-किसान को क्या लाभ होगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कालाजार (बुखार) कई जनपदों में फैल जाने के कारण इसे रोकने की सरकार की कार्य योजना

*09-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कालाजार (बुखार) बहुत तेजी से फैल रहा है ? क्या यह सही है कि प्रदेश के कई जनपदों में इसके मरीज पाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसको रोकने के लिये कोई योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

जी हां, जनपद बलिया, देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी, गाजीपुर एवं भदोही में कालाजार के रोगी पाये गये हैं।

प्रदेश में कालाजार रोग से रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य मुख्यालय द्वारा प्रभावी कार्य योजना बना कर जनपदों को निर्देश प्रेषित किये गये हैं, जिसके अनुसार जनपदों द्वारा यथा आवश्यकतानुसार कार्य योजना बना कर इन रोगों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड में हुये अनियमित भुगतान प्रकरण में मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र पर (कार्यवाही) की जानकारी

*10-श्री पंकज गुप्ता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड में हुये अनियमित भुगतान प्रकरण में मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य का पत्र दिनांक 29-05-2014 एवं 30-05-2014 जो कि क्रमशः अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

इस संदर्भ में निगम के पत्र दिनांक 23-06-2014 एवं 26-06-2014 द्वारा मा0 सांसद से पत्रों की पुष्टि हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की 21 चीनी मिलों की विनिवेश प्रक्रिया में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की जांच सी0बी0आई0 से कराने की मांग

*11-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीनी निगम को बेची गयी 21 चीनी मिलों की विनिवेश प्रक्रिया में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की जानकारी क्या प्रदेश सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच सी0बी0आई0 से कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश की 21 चीनी मिलें, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम को नहीं बेची गई हैं, अपितु चीनी निगम की 21 मिलें विनिवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत विक्रय की गई है। इस सम्बन्ध में जांच/अन्वेषण मा0 लोक आयुक्त के स्तर पर विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना किसानों की खेती अधिकाधिक मात्रा में करने हेतु प्रोत्साहन के कार्य योजना पर विचार तथा योजना में कार्यक्रमों की जानकारी

*12-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दस वर्षों से प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में किसानों द्वारा गन्ना की खेती न के बराबर किये जाने से प्रदेश का चीनी उत्पादन घटा है एवं चीनी मिलें भी बन्द होने लगी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को गन्ना की खेती अधिकाधिक मात्रा में करने हेतु प्रोत्साहित कर कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गन्ने की खेती के आधार पर प्रदेश को तीन जोन यथा-पश्चिम, मध्य एवं पूर्वी जोन में बांटा गया है। पूर्वी जोन के अन्तर्गत फैजाबाद मण्डल, देवीपाटन मण्डल, गोरखपुर एवं देवरिया मण्डल तथा लखनऊ मण्डल के सीतापुर एवं रायबरेली जिले सम्मिलित हैं। पेराई सत्र 2004-05 में गन्ना क्षेत्रफल 5.70 लाख हे0 था, जो कि पेराई सत्र 2013-14 में बढ़कर 7.09 लाख हे0 हो गया है। इस प्रकार विगत दस वर्षों में पूर्वांचल में गन्ना क्षेत्रफल एवं गन्ना उत्पादन में कमी नहीं हुयी है। वर्तमान में सरकार द्वारा कृषकों को गन्ने की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु चार वर्षीय बीज बदलाव योजना तैयार की जा रही है। गन्ना उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा जिला योजना के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कैंसर, गुर्दा आदि गम्भीर रोगों से पीड़ित गरीबों के इलाज हेतु प्रयुक्त दवाओं में छूट दिये जाने की सरकार की योजना

*13-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में कैंसर, गुर्दा आदि गम्भीर रोगों से पीड़ित मरीजों के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाओं को सस्ता करने के लिये टैक्स राहत सब्सिडी अथवा कोई अन्य उपाय करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में दिनांक 01-01-2008 से मूल्य संवर्धित कर प्रणाली लागू है। केन्द्र स्तर पर गठित राज्यों के वित्त/कर मंत्रियों की इम्फावर्ड कमेटी द्वारा वैट व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरें संस्तुत की गयी है। इसमें ड्रग एवं मेडिसिन्स को 4 प्रतिशत कर की देयता की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार राज्य में ड्रग एवं मेडिसिन्स पर 4 प्रतिशत की कर देयता अवधारित है।

राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये प्रदेश की वित्तीय आवश्यकता एवं सीमित संसाधनों के दृष्टिगत वैट की दरें निर्धारित की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद शाहजहांपुर में 133-तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सिन्धौली के अन्तर्गत पाता से नयागांव होते हुए वचुईया तक मार्ग तथा बरौरा से अख्तियारपुर होते हुए पाता तक बच्चा एवं क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण का प्रकरण

01-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133-तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सिन्धौली के अन्तर्गत पाता से नयागांव, होते हुये पल्हनापुर खिरिया सम्पर्क मार्ग बरौग से नथुआपुर होते हुये वचुईया तक मार्ग तथा बरौरा से अख्तियार पुर होते हुये पाता तक मार्ग कच्चा एवं उबड़-खाबड़ गड्ढा युक्त होने से क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कच्चे मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम पाता की आबादी 280 है। वर्तमान में 500 से अधिक आबादी के ग्रामों को जोड़ना ही शासन की प्राथमिकता है। ग्राम नया गांव व पल्हनापुर खिरिया, लेपित मार्ग पर स्थित है।

बरौरा से नथुआपुर होते हुए वचुईया तक का निर्माण कार्य लम्बाई 4.30 कि0मी0 लागत रु0 439.00 लाख का आगणन गठित किया गया है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

बरौरा से अख्तियारपुर तक का भाग बरौरा से नथुवापुर होते हुए वचुईया मार्ग का ही एक भाग है एवं अख्तियारपुर से पाता तक के भाग में पाता ग्राम की आबादी 280 (500 से कम) है, अतः इन्हें सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना शासन की प्राथमिकता में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये डिज्नीलैण्ड अथवा एस्सेल वर्ल्ड की तर्ज पर मनोरंजन के साधन के रूप में विकसित करने सम्बन्धी प्रस्ताव की जानकारी

02-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये डिज्नीलैण्ड अथवा एस्सेल वर्ल्ड की तर्ज पर मनोरंजन के साधन के रूप में कोई स्थल विकसित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जी नहीं।

आगरा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये डिज्नीलैण्ड अथवा एस्सेल वर्ल्ड की तर्ज पर मनोरंजन के साधन के रूप में स्थल विकास के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग में विचाराधीन नहीं है।

जनपद हरदोई ग्राम विन्दौरा विकास खण्ड बेहदर में तारा तालाब (निकट जसकरन खेड़ा) में बनी कच्ची सड़क को डामरीकरण कराये जाने विषयक पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

03-श्रीमती कृष्णा पासवान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विन्दौरा, विकास खण्ड बेंहदर, जनपद हरदोई में तारा तालाब (निकट जसकरन खेड़ा) से बनी कच्ची सड़क का डामरीकरण कराये जाने विषयक मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ का पत्र दिनांक 08 मई, 2013 मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद् लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्बता के क्या कारण हैं ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

अपर निदेशक (प्रशासन) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उ0 प्र0 लखनऊ ने अपने पत्रांक-मु0अभि0/2013-1011, दिनांक 13-6-2013 द्वारा मुख्य अभियन्ता (म0क्षे0) लो0नि0वि0, लखनऊ को अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में 500 से अधिक आबादी वाली अनजुड़ी बसावटों को जोड़े जाने हेतु प्रस्तावित कार्य योजना में मण्डी परिषद् को 739 बसावटों को जोड़ने हेतु आवंटित किया गया है, जिसमें प्रश्नगत मार्ग सम्मिलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व गांव पृथक करके जनपद पीलीभीत से सम्बद्ध किये जाने के फलस्वरूप जनपद पीलीभीत के गजरौला में नवीन तहसील बनाने का प्रस्ताव

04-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व गांव पृथक करके जनपद पीलीभीत से सम्बद्ध किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार परिसीमन करके जनपद पीलीभीत के गजरौला में नवीन तहसील सृजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में कलीनगर को नई तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें गजरौला ग्राम भी शामिल है।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण आगरा के वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत जगनेर रोड से अजीजपुर से सौहला फाटक एवं टोरंट पावर हाउस अजीजपुर का परिक्रमा मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण सड़क निर्माण कराया जाना

05-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण आगरा के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जगनेर रोड से अजीजपुर से सौहला फाटक एवं टोरंट पावर हाउस अजीजपुर का परिक्रमा मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों के आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा के विकास खण्ड निगोही में विलसण्डा रोड पर ईशापुर से बहादुरपुर तक पक्के गड्ढायुक्त मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क की मरम्मत/डामरीकृत किया जाना

06-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में विलसण्डा रोड पर ईशापुर से बहादुरपुर तक पक्के गड्ढा युक्त मार्ग में बरसात में जलभराव हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना

करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में बीसलपुर निगोही मार्ग से धुल्लिया नहर पटरी पर ताल गांव लोहरगवां तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/डामरीकृत कराया जाना

07-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में बीसलपुर निगोही मार्ग से धुल्लिया नहर पटरी पर ताल गांव लोहरगवां तक मार्ग ऊबड़-खाबड़ व गड्ढायुक्त होने तथा बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में नरायनपुर से जनपद-पीलीभीत के ग्राम हरैया बार्डर तक तथा बरैचा से हटादलेलपुर होते हुये कमुला नाला के किनारे-किनारे विकास खण्ड ददरोला के ग्राम कपेट कटका तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

08-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में नरायनपुर से जनपद-पीलीभीत के ग्राम हरैया बार्डर तक तथा बरैचा से हटादलेलपुर होते हुये कैमुला नाला के किनारे-किनारे विकास खण्ड ददरोला के ग्राम कपेट कटका तक कच्चे ऊबड़-खाबड़ व गड्ढायुक्त मार्ग में बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक असुविधा होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम नरायनपुर व ग्राम हरैया तथा ग्राम बरैचा व ग्राम कपेड़ कटका पूर्व से ही अलग-अलग एकल दिशा लेपित मार्ग से जुड़े हैं। ग्राम हटादलेलपुर हेतु मार्ग पी0एम0जी0 एस0वाई0 में स्वीकृत है जिससे ग्राम हटादलेलपुर एकल मार्ग से जुड़ जायेगा अतः इन्हें आपस में जोड़ा जाना शासन की प्राथमिकता में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में नवियापुर सतनुआ सम्पर्क मार्ग से कलक्टरगंज होते हुये खरगापुर तक क्षतिग्रस्त कच्चे मार्ग का निर्माण कराया जाना

09-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में नवियापुर सतनुआ सम्पर्क मार्ग से कलक्टरगंज होते हुये खरगापुर तक क्षतिग्रस्त कच्चे मार्ग का डामरीकरण व एक बड़ी पुलिया निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग एवं पुलिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-यू0पी0-63113 में रतोली (निबियापुर) से खरगापुर नाम से 2.200 कि0मी0 लम्बाई में स्वीकृत है। पैकेज पर अनुबन्ध गठन हेतु स्वीकृत पत्र दिनांक 21 जून, 2014 को निर्गत किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड-ब्रम्हपुर के अन्तर्गत छितहरी भरकछा बांध एवं इटौवा बांध के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जाना

10-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड-ब्रम्हपुर के अन्तर्गत छितहरी भरकछा बांध एवं इटावा बांध का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बांध का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने के पहले पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड-ब्रम्हपुर के अन्तर्गत छितहरी भरकछा नाम का कोई बांध नहीं है। इटौवा बांध पूर्व से निर्मित है, जो पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड-खोरावार के अन्तर्गत झँगहा चौराहे से तरकुलही देवी मंदिर तक अत्यन्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

11-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड-खोरावार के अन्तर्गत झंगहा चौराहे से तरकुलही देवी मंदिर तक की सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में केरूगंज से कचहरी तक, शाहजहांपुर से ग्राम शहवाजनगर होते हुये घुसगवां तक तथा मोहम्मदी रोड से वसिलिया ददिउरा तक क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराया जाना

12-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में केरूगंज से कचहरी तक, शाहजहांपुर से ग्राम शहवाजनगर होते हुये घुसगवां तक तथा मोहम्मदी रोड से वसिलिया ददिउरा तक की सड़कें जो अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण होकर क्षतिग्रस्त हो गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में एन0एच0-24 बाईपास के पास से मेजवान होटल के सामने से सी0डब्लू0सी0 गोदाम तक जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

13-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में एन0एच0-24 बाईपास के पास से मेजवान होटल के सामने से सी0डब्लू0सी0 गोदाम तक जाने वाली सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में परती एवं भूमि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में आच्छादित जिलों की संख्या की जिलेवार मूल्यांकन कर योजना तैयार करना

14-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या परती भूमि विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परती एवं भूमि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में कितने जिले आच्छादित हैं ? क्या सरकार ने उक्त योजना के अन्तर्गत जिलेवार मूल्यांकन की योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा वर्तमान में विश्व बैंक पोषित उ0 प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना का संचालन किया जा रहा है। यह परियोजना विश्व बैंक/प्रदेश सरकार के अनुमोदन से प्रदेश के 29 सोडिक बाहुल्य जनपदों (सन्तरविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, कौशाम्बी एवं बुलन्दशहर) में क्रियान्वित है।

जी हां। उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा वर्तमान में जिलेवार आन्तरिक स्तर पर मूल्यांकन निगम मुख्यालय से एवं वाह्य स्तर पर मूल्यांकन वाप्कोस संस्था से कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

15-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत कचहरी-केरूगंज सड़क कृष्णानगर के पास की पुलिया से जी0आई0सी0 पुलिया तक की रोड सकरी सड़क के चौड़ा कराये जाने का प्रकरण

16-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत कचहरी-केरूगंज सड़क कृष्णानगर के पास की पुलिया से जी0आई0सी0 पुलिया तक रोड अत्यधिक संकरी होने के कारण जाम लगता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन 4 पुलियों के बीच की सड़क को चौड़ा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग पर कभी-कभी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

पुलियों के चौड़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के शहीदों की स्थली पर एक अतिथि गृह बनाये जाने सम्बन्धी

17-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा शहीदों की स्थली कहे जाने वाले क्षेत्र में एक भी अतिथि गृह नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में एक अतिथि गृह का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चौरी-चौरा गोरखपुर मुख्यालय से मात्र 25 कि0मी0 की दूरी पर गोरखपुर-देवरिया राजमार्ग पर स्थित है, जहां आवागमन के लगभग सभी साधन उपलब्ध है। यहां पर स्थित शहीद स्मारक का अवलोकन करने वाले आगन्तुक गोरखपुर वापस आ जाते हैं अथवा अपने गन्तव्य को चले जाते हैं। गोरखपुर में आगन्तुकों की आवश्यकता के अनुसार आवासीय सुविधायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैंकों के विकास हेतु प्रभावी नियम बनाया जाना

18-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैंकों के विकास के लिये सरकार कोई प्रभावी नियम लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। समस्त जिला सहकारी बैंकों के विकास के लिये वैद्यनाथन समिति की संस्तुतियों के अनुसार उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एवं उ0 प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के अन्तर्गत नाबार्ड के दिशा-निर्देशानुसार जिला सहकारी बैंकों के विकास के लिये आवश्यक प्रभावी नियम लागू किये गये हैं।

सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में आवश्यक संशोधन शासनादेश संख्या-2548/79-वि-1-07-1(क) 62-2007 दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 एवं सहकारी समिति नियमावली, 1968 में शासनादेश संख्या-395/49-1-10-8(111)/08, दिनांक 24 मार्च, 2011 के माध्यम से किये जा चुके हैं।

प्रश्न नही उठता।

जनपद कुशीनगर में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्मित आवासों पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल का शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की मांग

19-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी कुशीनगर को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल विधान सभा उ0प्र0 का पत्र 88/ने0वि0द0/2014 दिनांक 05-02-2014, जो कि आवासों पर अवैध कब्जा कर लिये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में एक्स-रे टेक्नीशियन के सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की जानकारी तथा रिक्त पदों को भरा जाना

20-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार के अधीनस्थ चिकित्सालयों में एक्स-रे टेक्नीशियन के कितने पद सृजित हैं एवं उनके सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में एक्स-रे टेक्नीशियन के 934 पद सृजित हैं। वर्तमान में एक्स-रे टेक्नीशियन के 403 पद रिक्त हैं।

जी हां।

कतिपय शिकायतों की जांच के कारण लम्बित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग से सुल्तानपुर तक कच्चे मार्ग को लेपन स्तर तक बनाया जाना

21-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग से सुल्तानपुर तक का कच्चा मार्ग बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का लेपन स्तर तक निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

500 से अधिक आबादी वाली बसावटों को लेपित मार्ग से जोड़ने की कार्य योजना में मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 2013-14 में सम्मिलित किया गया है। अतः उक्त मार्ग को लोक निर्माण विभाग की किसी योजना में प्रस्तावित नहीं किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में खुदागंज का क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

22-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में खुदागंज का क्षतिग्रस्त मार्ग बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम बैदापुर में किसान गंगाराम की जर्जर विद्युत तारों की चपेट में आने से हुई मौत के कारण किसान परिवार का मुआवजा दिये जाने विषयक

23-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम बैदापुर में किसान गंगाराम की दिनांक 05-05-2014 को जर्जर विद्युत तारों की चपेट में आने से मौत हो गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त मृतक किसान परिवारों को मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

मृतक के परिजनों को विभागीय नियमानुसार कार्यालय ज्ञाप सं0-2145/ वि0वि0मं0शाह0/ए-7, दिनांक 25-6-2014 द्वारा 100000.00 प्रतिपूर्ति स्वीकृत की जा चुकी है तथा मांग-पत्र के अनुपालन में अनुग्रह धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम बैदापुर, ग्राम-मिश्रीपुर, ग्राम ढकिया तिवारी कबीरपुर, ग्राम-बरैचा ग्रामों की जर्जर विद्युत तारों को बदला जाना

24-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम बैदापुर, ग्राम-मिश्रीपुर ग्राम ढकिया तिवारी कबीरपुर, ग्राम-बरैचा ग्रामों में विद्युत तार अत्यन्त जर्जर होने के कारण दुर्घटनाएं होती है ? क्या सरकार उक्त ग्रामों के जर्जर विद्युत तारों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में बीसलपुर निगोही रोड पर सण्डा खास से वजीरपुर होते हुये टिकमापुर अजीजपुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण का प्रकरण

25-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में बीसलपुर निगोही रोड पर सण्डा खास से वजीरपुर होते हुये टिकमापुर अजीजपुर तक पक्के क्षतिग्रस्त मार्ग बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में ग्राम कौलक्खा में विगत वर्ष 2011 में 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन बनाया जाना

26-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ग्राम कौलक्खा में विगत वर्ष 2011 में 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य आरम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

वर्ष 2011 में ग्राम कौलक्खा में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र प्रस्तावित था। ग्राम कौलक्खा में जमीन उपलब्ध न हो पाने के कारण उपकेन्द्र के निर्माण हेतु कोई धनराशि निर्गत नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इसी क्षेत्र में एक नया 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र दिगनेर दिनांक 27-7-2012 को ऊर्जीकृत है। उक्त उपकेन्द्र के ऊर्जीकरण के फलस्वरूप 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र कौलक्खा के निर्माण की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

जनपद आगरा में देवरी रोड से कुशवाहा बस्ती तक, वाया खेड़ा पचगाई आदि क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराया जाना

27-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में देवरी रोड से कुशवाहा बस्ती तक, वाया खेड़ा पचगाई, एवं इरादत नगर रोड बीच गोदाम से पचगाई, वाया रोहता ग्वालियर रोड तक की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

देवरी रोड से कुशवाहा बस्ती तक वाया खेड़ा पचगाई मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

इरादत नगर रोड बीच गोदाम से पचगाई वाया रोहता, ग्वालियर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग स्वामित्व है जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में गांव मलपुरा परिक्रमा मार्ग से बरारा नहर की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

28-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में गांव मलपुरा परिक्रमा मार्ग से वरारा नहर की सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार उक्त सड़क की मरम्मत कराई जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद आगरा के ग्राम नगलाकली स्थित सैमरी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर से गुजरने वाले विद्युत तार को हटाने की मांग

29-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्राम नगलाकली स्थित सैमरी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर से होकर गुजरने वाले विद्युत तार को क्या सरकार दुर्घटना की दृष्टि को देखते हुये इसे हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद आगरा के ग्राम नगला कली स्थित सैमरी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर से होकर गुजरने वाली विद्युत लाइन को हटाये जाने के लिये प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय सैमरी बरौली अहीर, आगरा ने विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम आगरा के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कार्य को कराये जाने के लिये खण्ड कार्यालय द्वारा रुपये 303500.00 (रुपये तीन लाख तीन हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि का प्राकलन प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सैमरी, ब्लाक-बरौली, अहीर, आगरा को माह 11/2012 एवं 2/2013 में प्रेषित किया जा चुका है। लेकिन अभी तक उनके द्वारा उक्त धनराशि इस कार्यालय में जमा नहीं की गई है। प्राकलन की धनराशि जमा होने के उपरान्त ही लाइन शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कराना सम्भव हो सकेगा। किसी सम्भावित दुर्घटना को रोकने के लिये गार्डिंग का कार्य अगले 2 माह में किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में शमशाबाद से रजरई आदि क्षतिग्रस्त की सड़कों के निर्माण का प्रकरण

30-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में शमशाबाद से रजरई, नौवरी, वाया सैमरी इरादत नगर रोड तक घड़ी देवरी नहर की पुलिया से देवरी परिक्रमा मार्ग स्कूल तक की सड़के क्षतिग्रस्त हैं जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

शमशाबाद में रजरई नौवरी वाया सेमरी इरादत नगर रोड तक के मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

गढ़ी देवरी नहर की पुलिया से देवरी परिक्रमा मार्ग स्कूल तक के मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है और इसकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बवीना अन्तर्गत (वल्लमपुर) राजगढ़ वैदौरा मार्गों का निर्माण कराया जाना

31-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बवीना अन्तर्गत (वल्लमपुर) राजगढ़ वैदौरा मार्ग से मथुरापुरा, किल्ववांरा होते हुये खजुराहा खुर्द तक सम्पक्र मार्ग मरम्मत के अभाव में क्षतिग्रस्त हो चुका है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड मोंठ आण्डेर मार्ग से ग्राम-तालाड़ आदि मार्गों का निर्माण कराना

32-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड मोंठ अन्तर्गत मोंठ-आण्डेर मार्ग से ग्राम-तालाड़ तक तथा परीछा रेलवे क्रासिंग से रमैयापुर नहर की पुलिया से धरमपुरा तक सम्पक्र मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक पसगवां के अन्तर्गत गांवों के मार्गों का निर्माण

33-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक पसगवां के अन्तर्गत शंकरपुर, जंगबहादुरपुर गंज से छपौरा भूड़ा मार्ग पर काफी दिनों से पत्थर पड़ा है जिससे आये दिन उस मार्ग पर दुर्घटनाएं होती रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को लेपन स्तर तक बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई फेज-10, पैकेज संख्या-यू0पी0-4478 के अन्तर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन है। वर्तमान में मार्ग पर जी0एस0बी0 एवं जी-2 के पत्थर की कुटाई का कार्य किया गया है। अवशेष कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में कनपरा अल्पिका की पटरी पर गांव भीखमपुर आदि तक जाने वाले मार्गों का निर्माण

34-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में कनपरा अल्पिका की पटरी पर गांव भीखमपुर (वकैनिया तालुके रामपुर अमृत) से पसगवां तक जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार उक्त मार्ग की मरम्मत कराई जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी में गिरते भू-जल स्तर को उठाने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुनः झील को विकसित किया जाना

35-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के अन्तर्गत मथुरा आगरा सीमा से सटे क्षेत्र जोधपुर झाल में आगरा नहर के मुहाने पर स्थित सिंचाई विभाग की लगभग 125 एकड़ खाली जमीन है जिसका प्रयोग अंग्रेजी शासन काल में जल भण्डारण हेतु किया जाता था ? यदि हां, तो क्या सरकार फतेहुपर सीकरी में गिरते भू-जल स्तर को उठाने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये इसे पुनः झील के रूप में विकसित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव जनपद के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्रामों में लो-वोल्टेज की समस्या का निदान

36-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम राधानगरी, गोसाईखेड़ा, दऊ आदि सैकड़ों ग्रामों में लो वोल्टेज विद्युत समस्या व्याप्त होने के कारण क्षेत्रीय किसानों को अत्यधिक परेशानियां हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में लो वोल्टेज विद्युत की समस्या को दूर करने हेतु क्षेत्र में सब विद्युत पावर स्टेशन की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

असोहा ब्लाक में 10वीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मै0 ए0वी0बी0लि0 द्वारा एक 33/11 के0वी0 उपसंस्थान क्षमता 1x5 एम0वी0ए0 का निर्माण कराया जा रहा था। फर्म द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ देने के कारण प्रकरण मध्यस्थतावाद (आर्बिट्रेशन) में विचाराधीन है। निर्णय उपरान्त ही कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों के मार्गों की मरम्मत

37-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव विसैरी भाड से गांव पवावली तक मार्ग का शेष भाग मरम्मत हेतु बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया है जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष अधूरे कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम विसैरी भाड़ से ग्राम पवावली तक मार्ग की कुल लम्बाई 1.50 कि0मी0 है जिसमें 0.850 कि0मी0 भाग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है। शेष 0.650 कि0मी0 लम्बाई की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों की विद्युत आपूर्ति का प्रकरण

38-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव देवरी, मुड़हेरा, टयरा, महल, लखनपुर, विसारना, धमौटा, भोगलपुरा आदि गांव

में विद्युत तार जीर्ण-शीर्ण होने के कारण प्रायः विद्युत आपूर्ति बाधित रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर विद्युत तार बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व में ही जर्जर विद्युत तारों के स्थान पर नया तार डाल दिया गया है तथा जहां कहीं तारों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पाई गई, वहां तारों की मरम्मत कराई जा चुकी है। यह सतत् प्रक्रिया है कि जहां तार इत्यादि खराब होते हैं, मरम्मत/बदल दिया जाता है।

जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव अन्तर्गत ग्रामों में विद्युतीकरण कराया जाना

39-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव अन्तर्गत ग्राम-छिरौना में सिमथरी मार्ग से (महादेव मन्दिर होते हुये) शिवदयाल कोरी के मकान तक विद्युतीकरण न होने के कारण दुर्घटनायें होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सिमथरी मार्ग से (महादेव मन्दिर होते हुये) शिवदयाल कोरी के मकान तक विद्युतीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गांव विद्युतीकृत है। गांव को विद्युत आपूर्ति दो सक्रिट द्वारा की गयी है। प्रथम सक्रिट ग्राम के कछियाना मुहल्ला से शिवदयाल कोरी के घर तक ऊर्जीकृत है व दूसरी सक्रिट सिमथरी मार्ग से महादेव मन्दिर होते हुए शिवदयाल कोरी के मकान से 100 मी0 पूर्व तक ऊर्जीकृत है। इस प्रकार आवश्यकता नहीं है।

जनपद झांसी में आबादी क्षेत्र से स्टोन क्रेशरों को हटाया जाना

40-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में कई वर्षों पूर्व स्टोन क्रेशरों के संचालन हेतु शहर से दूर स्टोन क्रेशर स्थापित किये गये थे किन्तु अब झांसी महानगर के विस्तारीकरण एवं झांसी विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार के फलस्वरूप आबादी दूर-दूर तक फैल गयी है तथा झांसी-शिवपुरी मार्ग पर ग्राम डेली के पास स्टोन क्रेशर आबादी में संचालित हो रहा है। जिससे आम जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवासीय क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रेशरों को अन्यंत्र स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

झांसी विकास प्राधिकरण का विस्तारीकरण शासनादेश दिनांक 23-10-2013 द्वारा किया गया है, तद्क्रम में महायोजना-2021 की कार्यवाही गतिमान है। आबादी क्षेत्र से स्टोन क्रेशर हटाने के लिये सम्बन्धित विभाग को निर्देश दे दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी के नगर पंचायत टोडी फतेहपुर मे संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ की नियुक्ति का प्रकरण

41-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थायी चिकित्सक, फार्मासिस्ट, नर्स न होने से क्षेत्रीय जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में स्थायी चिकित्सीय स्टाफ की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

जनपद-झांसी के नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर मे संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सथायी चिकित्सक डा0 संतोष कुमार मोईया, फार्मासिस्ट, ए0एन0एम0 तथा वार्ड ब्वाय तैनात है, जो क्षेत्रीय जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दे रहे हैं। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्टाफ नर्स का कोई पद सृजित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

42-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[3सरे गुरूवार के अता0 प्रश्न सं0 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला गोरखपुर के वि0स0 क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत ऊसर एवं बंजर भूमि के सुधार के लिये सरकार की योजना

43-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या परती भूमि विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत ऊसर एवं बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में कोई योजना सरकार लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा वर्तमान में विश्व बैंक पोषित उ.प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना का संचालन किया जा रहा है। यह परियोजना विश्व बैंक के अनुमोदन से प्रदेश के 29 सोडिक बाहुल्य जनपदों में कार्यान्वित है, जिसमें जनपद-गोरखपुर अच्छादित नहीं है।

जनपद-गोरखपुर के विकास खण्ड-ब्रहमपुर के ग्राम सभा मिटठा बेल में लगे बांस के पोलों को हटवाकर विद्युत खम्भों को लगाया जाना

44-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड-ब्रहमपुर के ग्राम सभा मिट्ठा बेल में बांस के पोल बनाकर विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं जिससे कभी भी अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा में बांस हटवाकर विद्युत खम्भे लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

किसी भी उपभोक्ता को बांस-बल्ली के सहारे विभाग द्वारा बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है। जनपद-गोरखपुर के विकास खण्ड-ब्रहमपुर के ग्राम सभा मिट्ठा बेल में उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं अनियिमत ढंग से बांस-बल्ली के सहारे कनेक्शन हेतु लाइन खींची गयी है।

जिला-गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में सिंचाई हेतु नलकूपों को चालू कराया जाना

45-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में सिंचाई हेतु लगे नलकूपों में कितने चालू हैं एवं कितने बंद हैं ? क्या सरकार बंद नलकूपों को चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद-गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में 33 अदद राजकीय नलकूप लगे हैं। उक्त सभी नलकूप वर्तमान में चालू एवं सिंचाईरत हैं।

46-श्री रोशन लाल वर्मा-

[3सरे शुक्रवार के अता0 प्रश्न संख्या-46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-निगोही के कतिपय मार्गों का निर्माण कराया जाना

47-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में गुरूगवां पराझरना मार्ग से कजरी नूरपुर, कुदिरना कालेदेव कि

मठिया तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-निगोही में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकरनपुर से कुदिरना तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराना

48-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकरनपुर से कुदिरना तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग का निर्माण/मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-निगोही में महमदपुर से मदारीपुर होते हुए कजरी कुदिरना रोड के क्षतिग्रस्त होने से निर्माण की मांग

49-श्री रोशन लाल वर्मा

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में महमदपुर से मदारीपुर होते हुए कजरी कुदिरना रोड तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी के महिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती कराये जाने विषयक

50-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के महिला अस्पताल में जननी शिशु सुरक्षा योजना लागू होने के बाद भी बच्चों के डाक्टर की तैनाती नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार लखीमपुर महिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जिला मलि चिकित्सालय, लखीमपुर खीरी में 02 बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात हैं तथा 01 बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक संविदा पर तैनात हैं।

इस प्रकार जिला महिला चिकित्सालय, लखीमपुर खीरी में कुल 03 बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर 10 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना पर विचार

51-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर 10 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्तमान में प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत मा0 विधायकगण की संस्तुति पर 10 कि0मी0 सड़क बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में अधिशासी अभियन्ता को कार्य के सापेक्ष वित्तीय सीमा से अतिरिक्त पेमेन्ट किये जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

52-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधिशासी अभियन्ता को कार्य के सापेक्ष भुगतान हेतु वित्तीय सीमा रु0 40 लाख निर्धारित है ? यदि हां, तो निर्माण खण्ड/लो0नि0वि0, बस्ती में अनुबन्ध संख्या-71/ई0ई0, दिनांक 14-08-2008 के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक रु0 45 लाख का भुगतान किस आधार पर किया गया ? क्या सरकार इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

शासनादेश सं0-6738/23-7-2006-176(सा0)/06, दिनांक 05 जनवरी, 2007 मे उल्लिखित व्यवस्थानुसार टेण्डर को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने हेतु रु0 40.00 लाख तक की लागत वाले कार्यों के लिए अधिशासी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है।

अनुबन्ध संख्या-71/ई0ई0, दिनांक 14-8-2008 के सम्बन्ध में जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण के अन्तर्गत वन विभाग के काटे गये वृक्षों के समतुल्य पेड़ लगवाये जाने की जानकारी

53-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012-13 में प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा कितनी अनुमानित लागत के पेड़ काटे गये ? क्या वन विभाग द्वारा कटान के समतुल्य पेड़ लगवाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत प्रकरण में पातित वृक्षों की अनुमानित लागत रु0 783.37 लाख थी।

कटान के समतुल्य 1,75,747 पौधों का रोपण किया जाना था, जिसके विरुद्ध 72,536 पौधे लगवाये जा चुके हैं।

अवशेष पौधों का रोपण मार्ग चौड़ीकरण पूर्ण होने के उपरान्त उपलब्ध स्थलों पर आगामी वर्षों में किया जायेगा।

प्रदेश में किसानों का रु0 50,000.00 तक ऋण माफी के नियमानुसार जनपद-लखीमपुर खीरी के वि0स0 क्षेत्र धौरहरा में ऋण माफी करने की कार्यवाही

54-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों का रु0 50,000/- तक ऋण माफ करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में कितनी धनराशि की ऋण माफी सरकार द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

अभी नहीं।

ऋण माफी योजनान्तर्गत 05 जनपदों (लखीमपुर खीरी, फैजाबाद, बलरामपुर, उन्नाव एवं मिर्जापुर) हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही प्रचलित है।

जिला लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त आवासों से बेघर हुए लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाना

55-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत बाढ़ से कितने लोगों के आवास नदी से कट गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बाढ़ से बेघर हुये कितने लोगों को मुआवजा एवं आवास हेतु भूमि आवंटित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत विगत वर्ष बाढ़ से 726 लोगों के आवासीय मकान नदी से कट गये हैं।

बाढ़ से बेघर हुये 726 लोगों को गृह अनुदान के रूप में रु0 1,25,00,900/- तथा 395 व्यक्तियों को आवास हेतु भूमि आवंटित की गयी है। शेष 331 परिवार अपने निजी संसाधनों से बस गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आगरा की आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नौ मील से लाड़म मनकेड़ा नगलाकरों, आदि सड़कों के निर्माण का प्रकरण

56-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नौ मील से लाड़म मनकेड़ा नगलाकारें, नगला सावल तक तथा मलपुरा परिक्रमा मार्ग से बरारा नहर तक की सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत सड़कों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी में विभिन्न चीनी मिलों के गन्ना किसानों का वर्ष 2012-13 में पेराई सत्र के अवशेषों के भुगतान का प्रकरण

57-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में विभिन्न चीनी मिलों के गन्ना किसानों का वर्ष 2012-13 में पेराई सत्र का भुगतान अभी भी अवशेष है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका ब्याज सहित भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत पेराई सत्र 2012-13 में सहकारी क्षेत्र की 02 चीनी मिल यथा-बेलरायां एवं सम्पूर्णानगर तथा निजी क्षेत्र की 07 चीनी मिल यथा-गोला, पलिया, खम्भारखेड़ा, गुलरिया, कुम्भी, अजबापुर एवं ऐरा, कुल 09 चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई का कार्य किया गया। उक्त चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2012-13 के अन्तर्गत गन्ना मूल्य के मद मे कोई अवशेष नहीं है।

जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा क्षेत्र में अत्यन्त लो बोल्टेज के कारण नलकूपों को चलाने हेतु आवश्यक बोल्टेज की सप्लाई दिये जाने विषयक

58-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा क्षेत्र में अत्यन्त लो वोल्टेज विद्युत सप्लाई होने के कारण नलकूप नहीं चल पा रहे हैं ? यदि हां, तो समय सारणी अनुसार नलकूप चलाने के लिए आवश्यक वोल्टेज की विद्युत सप्लाई दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

ब्लाक असोहा क्षेत्र जनपद-उन्नाव में मौके पर नलकूप चलते पाये गये। अग्रिम और सुदृढ़ता हेतु निर्माणाधीन 1x5 एम0वी0ए0, 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में कार्यरत शोध सहायक/प्राविधिक सहायक कार्मिकों की वेतन विसंगति को दूर किया जाना

59-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में कार्यरत शोध सहायक/प्राविधिक सहायक के पद धारकों को ग्रेड पे-4200/- तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के एच0बी0टी0आई0 कानपुर में समकक्ष पद एवं समकक्ष अर्हता वाले कार्मिकों को ग्रेड-पे-4600/- दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में कार्यरत शोध सहायक/प्राविधिक सहायक कार्मिकों की वेतन विसंगति दूर की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (प्रो0 शिवाकांत ओझा)-

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर पालीटेक्निक संस्थाओं की गुणवत्ता विकास हेतु पाठ्यक्रमों का निर्माण, पुनरीक्षण के साथ ही प्रधानाचार्यों व अन्य शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर कर्मियों को प्रशिक्षण कार्य से सम्बन्धित है। संस्थान में कार्यरत शोध

सहायक/प्राविधिक सहायक के पदधारकों को शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान रु0 5000-8000 पुनरीक्षित वेतनमान रु0 9300-34800 ग्रेड पे-4200/- दिया जा रहा है। एच0बी0टी0आई0, कानपुर एक स्वायत्तशासी अनुदानित डिग्री स्तर की अभियंत्रण संस्था है जिसकी शोध विकास एवं प्रशिक्षण सस्थान कानपुर से कोई समकक्षता/समानता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पाठकपुर में सब विद्युत पावर स्टेशन की स्थापना कार्य पूर्ण कराकर चालू किया जाना

60-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पाठकपुर में सब विद्युत पावर स्टेशन की स्थापना की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सब विद्युत पावर स्टेशन को पूर्ण कराकर चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

असोहा ब्लाक में 10वीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत में ए0वी0बी0लि0 द्वारा एक 33/11 के0वी0 उपसंस्थान क्षमता 1x5 एम0वी0ए0 का निर्माण कराया जा रहा था। फर्म द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ देने के कारण प्रकरण मध्यस्थतावाद (आर्बिट्रेशन) में विचारधीन है। निर्णय उपरान्त ही कार्य पूर्ण कराया जाना संभव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-निगोही में रेलवे स्टेशन निगोही से कटैया उसमानपुर तक कच्चे मार्ग को डामरीकृत किया जाना

61-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में रेलवे स्टेशन निगोही से कटैया उसमानपुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण न होने से, मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जिला योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 में गन्ना विकास विभाग की अंशदायी आधार पर संचालित अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण कराने हेतु चयनित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-निगोही तिलहर रोड से दूल्हा ढकिया तक के मार्ग को निर्माण कराने विषयक

62-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही तिलहर रोड से दूल्हा ढकिया तक के मार्ग पर पत्थर डालकर अधूरे छूटे हुए कार्य पूर्ण न होने से बरसात में जल भराव हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनः निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग पर टाप कोट का कार्य प्रगति में है। जिसे वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्ण कराया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी के नगर पंचायत टोडी फतेहपुर मे संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ की नियुक्ति का प्रकरण

41-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थायी चिकित्सक, फार्मासिस्ट, नर्स न होने से क्षेत्रीय जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में स्थायी चिकित्सीय स्टाफ की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

जनपद-झांसी के नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर मे संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थायी चिकित्सक डा0 संतोष कुमार मोईया, फार्मासिस्ट, ए0एन0एम0 तथा वार्ड ब्वाय तैनात है, जो क्षेत्रीय जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दे रहे हैं। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्टाफ नर्स का कोई पद सृजित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

42-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[3सरे गुरूवार के अता0 प्रश्न सं0 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला गोरखपुर के वि0स0 क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत ऊसर एवं बंजर भूमि के सुधार के लिये सरकार की योजना

43-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या परती भूमि विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत ऊसर एवं बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में कोई योजना सरकार लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा वर्तमान में विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना का संचालन किया जा रहा है। यह परियोजना विश्व बैंक के अनुमोदन से प्रदेश के 29 सोडिक बाहुल्य जनपदों में कार्यान्वित है, जिसमें जनपद-गोरखपुर आच्छादित नहीं है।

जनपद-गोरखपुर के विकास खण्ड-ब्रहमपुर के ग्राम सभा मिटठा बेल में लगे बांस के पोलों को हटवाकर विद्युत खम्भों को लगाया जाना

44-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड-ब्रहमपुर के ग्राम सभा मिट्ठा बेल में बांस के पोल बनाकर विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं जिससे कभी भी अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा में बांस हटवाकर विद्युत खम्भे लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

किसी भी उपभोक्ता को बांस-बल्ली के सहारे विभाग द्वारा बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है। जनपद-गोरखपुर के विकास खण्ड-ब्रहमपुर के ग्राम सभा मिट्ठा बेल में उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं अनियिमत ढंग से बांस-बल्ली के सहारे कनेक्शन हेतु लाइन खींची गयी है।

जिला-गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में सिंचाई हेतु नलकूपों को चालू कराया जाना

45-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में सिंचाई हेतु लगे नलकूपों में कितने चालू हैं एवं कितने बंद हैं ? क्या सरकार बंद नलकूपों को चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद-गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में 33 अदद राजकीय नलकूप लगे हैं। उक्त सभी नलकूप वर्तमान में चालू एवं सिंचाईरत हैं।

46-श्री रोशन लाल वर्मा-

[3सरे शुक्रवार के अता0 प्रश्न संख्या-46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-निगोही के कतिपय मार्गों का निर्माण कराया जाना

47-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में गुरूगवां पराझरना मार्ग से कजरी नूरपुर, कुदिरना कालेदेव कि मठिया तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-निगोही में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकरनपुर से कुदिरना तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराना

48-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकरनपुर से कुदिरना तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग का निर्माण/मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-निगोही में महमदपुर से मदारीपुर होते हुए कजरी कुदिरना रोड के क्षतिग्रस्त होने से निर्माण की मांग

49-श्री रोशन लाल वर्मा

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में महमदपुर से मदारीपुर होते हुए कजरी कुदिरना रोड तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी के महिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती कराये जाने विषयक

50-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के महिला अस्पताल में जननी शिशु सुरक्षा योजना लागू होने के बाद भी बच्चों के डाक्टर की तैनाती नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार लखीमपुर महिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जिला महिला चिकित्सालय, लखीमपुर खीरी में 02 बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात हैं तथा 01 बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक संविदा पर तैनात हैं।

इस प्रकार जिला महिला चिकित्सालय, लखीमपुर खीरी में कुल 03 बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर 10 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना पर विचार

51-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर 10 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्तमान में प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत मा0 विधायकगण की संस्तुति पर 10 कि0मी0 सड़क बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में अधिशासी अभियन्ता को कार्य के सापेक्ष वित्तीय सीमा से अतिरिक्त पेमेन्ट किये जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

52-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधिशासी अभियन्ता को कार्य के सापेक्ष भुगतान हेतु वित्तीय सीमा रु0 40 लाख निर्धारित है ? यदि हां, तो निर्माण खण्ड/लो0नि0वि0,

बस्ती में अनुबन्ध संख्या-71/ई0ई0, दिनांक 14-08-2008 के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक रु0 45 लाख का भुगतान किस आधार पर किया गया ? क्या सरकार इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

शासनादेश सं0-6738/23-7-2006-176(सा0)/06, दिनांक 05 जनवरी, 2007 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार टेण्डर को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने हेतु रु0 40.00 लाख तक की लागत वाले कार्यों के लिए अधिशासी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है।

अनुबन्ध संख्या-71/ई0ई0, दिनांक 14-8-2008 के सम्बन्ध में जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण के अन्तर्गत वन विभाग के काटे गये वृक्षों के समतुल्य पेड़ लगवाये जाने की जानकारी

53-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012-13 में प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा कितनी अनुमानित लागत के पेड़ काटे गये ? क्या वन विभाग द्वारा कटान के समतुल्य पेड़ लगवाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत प्रकरण में पातित वृक्षों की अनुमानित लागत रु0 783.37 लाख थी।

कटान के समतुल्य 1,75,747 पौधों का रोपण किया जाना था, जिसके विरुद्ध 72,536 पौधे लगवाये जा चुके हैं।

अवशेष पौधों का रोपण मार्ग चौड़ीकरण पूर्ण होने के उपरान्त उपलब्ध स्थलों पर आगामी वर्षों में किया जायेगा।

प्रदेश में किसानों का रु0 50,000.00 तक ऋण माफी के नियमानुसार जनपद-लखीमपुर खीरी के वि0स0 क्षेत्र धौरहरा में ऋण माफी करने की कार्यवाही

54-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों का रु0 50,000/- तक ऋण माफ करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में कितनी धनराशि की ऋण माफी सरकार द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

अभी नहीं।

ऋण माफी योजनान्तर्गत 05 जनपदों (लखीमपुर खीरी, फैजाबाद, बलरामपुर, उन्नाव एवं मिर्जापुर) हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही प्रचलित है।

जिला लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त आवासों से बेघर हुए लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाना

55-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत बाढ़ से कितने लोगों के आवास नदी से कट गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बाढ़ से बेघर हुये कितने लोगों को मुआवजा एवं आवास हेतु भूमि आवंटित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत विगत वर्ष बाढ़ से 726 लोगों के आवासीय मकान नदी से कट गये हैं।

बाढ़ से बेघर हुये 726 लोगों को गृह अनुदान के रूप में रु0 1,25,00,900/- तथा 395 व्यक्तियों को आवास हेतु भूमि आवंटित की गयी है। शेष 331 परिवार अपने निजी संसाधनों से बस गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आगरा की आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नौ मील से लाड़म मनकेड़ा नगलाकरों, आदि सड़कों के निर्माण का प्रकरण

56-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नौ मील से लाड़म मनकेड़ा नगलाकारें, नगला सावल तक तथा मलपुरा परिक्रमा मार्ग से बरारा नहर तक की सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत सड़कों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी में विभिन्न चीनी मिलों के गन्ना किसानों का वर्ष 2012-13 में पेराई सत्र के अवशेषों के भुगतान का प्रकरण

57-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में विभिन्न चीनी मिलों के गन्ना किसानों का वर्ष 2012-13 में पेराई सत्र का भुगतान अभी भी अवशेष है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका ब्याज सहित भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत पेराई सत्र 2012-13 में सहकारी क्षेत्र की 02 चीनी मिल यथा-बेलरायां एवं सम्पूर्णानगर तथा निजी क्षेत्र की 07 चीनी मिल यथा-गोला, पलिया, खम्भारखेड़ा, गुलरिया, कुम्भी, अजबापुर एवं ऐरा, कुल 09 चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई का कार्य किया गया। उक्त चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2012-13 के अन्तर्गत गन्ना मूल्य के मद मे कोई अवशेष नहीं है।

जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा क्षेत्र में अत्यन्त लो वोल्टेज के कारण नलकूपों को चलाने हेतु आवश्यक वोल्टेज की सप्लाई दिये जाने विषयक

58-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा क्षेत्र में अत्यन्त लो वोल्टेज विद्युत सप्लाई होने के कारण नलकूप नहीं चल पा रहे हैं ? यदि हां, तो समय सारणी अनुसार नलकूप चलाने के लिए आवश्यक वोल्टेज की विद्युत सप्लाई दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

ब्लाक असोहा क्षेत्र जनपद-उन्नाव में मौके पर नलकूप चलते पाये गये। अग्रिम और सुदृढ़ता हेतु निर्माणाधीन 1x5 एम0वी0ए0, 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में कार्यरत शोध सहायक/प्राविधिक सहायक कार्मिकों की वेतन विसंगति को दूर किया जाना

59-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में कार्यरत शोध सहायक/प्राविधिक सहायक के पद धारकों को ग्रेड पे-4200/- तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के एच0बी0टी0आई0 कानपुर में समकक्ष पद एवं समकक्ष अर्हता वाले कार्मिकों को ग्रेड-पे-4600/- दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में कार्यरत शोध सहायक/प्राविधिक सहायक कार्मिकों की वेतन विसंगति दूर की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 शिवाकांत ओझा-

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर पालीटेक्निक संस्थाओं की गुणवत्ता विकास हेतु पाठ्यक्रमों का निर्माण, पुनरीक्षण के साथ ही प्रधानाचार्यों व अन्य शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर कर्मियों को प्रशिक्षण कार्य से सम्बन्धित है। संस्थान में कार्यरत शोध

सहायक/प्राविधिक सहायक के पदधारकों को शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान रु0 5000-8000 पुनरीक्षित वेतनमान रु0 9300-34800 ग्रेड पे-4200/- दिया जा रहा है। एच0बी0टी0आई0, कानपुर एक स्वायत्तशासी अनुदानित डिग्री स्तर की अभियंत्रण संस्था है जिसकी शोध विकास एवं प्रशिक्षण सस्थान कानपुर से कोई समकक्षता/समानता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पाठकपुर में सब विद्युत पावर स्टेशन की स्थापना कार्य पूर्ण कराकर चालू किया जाना

60-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पाठकपुर में सब विद्युत पावर स्टेशन की स्थापना की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सब विद्युत पावर स्टेशन को पूर्ण कराकर चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

असोहा ब्लाक में 10वीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत में ए0वी0बी0लि0 द्वारा एक 33/11 के0वी0 उपसंस्थान क्षमता 1x5 एम0वी0ए0 का निर्माण कराया जा रहा था। फर्म द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ देने के कारण प्रकरण मध्यस्थतावाद (आर्बिट्रेशन) में विचारधीन है। निर्णय उपरान्त ही कार्य पूर्ण कराया जाना संभव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-निगोही में रेलवे स्टेशन निगोही से कटैया उसमानपुर तक कच्चे मार्ग को डामरीकृत किया जाना

61-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में रेलवे स्टेशन निगोही से कटैया उसमानपुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण न होने से, मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जिला योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 में गन्ना विकास विभाग की अंशदायी आधार पर संचालित अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण कराने हेतु चयनित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-निगोही तिलहर रोड से दूल्हा ढकिया तक के मार्ग को निर्माण कराने विषयक

62-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही तिलहर रोड से दूल्हा ढकिया तक के मार्ग पर पत्थर डालकर अधूरे छूटे हुए कार्य पूर्ण न होने से बरसात में जल भराव हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनः निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग पर टाप कोट का कार्य प्रगति में है। जिसे वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण की मांग

63-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में पराझरसा बरैचा मार्ग से नवीपुर होते हुए हटा दलेलपुर तक तथा निगोही में बरैचा से बुढानपुर तक एवं निगोही में जिन्दपुरनहर की पटरी से नरामपुर तक क्षतिग्रस्त सड़क बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

1-पराझरसा बरैचा मार्ग से नवीनपुर तक का खड़न्जा मार्ग है। नवीनपुर से 1.00 कि0मी0 तक कच्चा मार्ग एवं 0.40 कि0मी0 तक खड़न्जा मार्ग है। मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

2-बरैच से बुढानापुर तक 1.50 कि0मी0 का कच्चा मार्ग है। मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

3-जिन्दपुर नहर की पटरी से नरामपुर तक की सड़क लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले भाग में मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के अन्तर्गत ग्राम डेली से पलीदा सम्पर्क मार्ग के अभाव में क्षतिग्रस्त होने कारण निर्माण कराने की मांग

64-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत ग्राम डेली से पलींदा सम्पर्क मार्ग मरम्मत के अभाव में पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 3.00 कि0मी0 है। डेली से पलीदा मोड़ तक (लम्बाई 1.900 कि0मी0) का भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का है जिसकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

65-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[3सरे सोमवार के अता0 प्रश्न सं0-117 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव अन्तर्गत ग्राम वमनुओं से यैरा तक सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त निर्माण कराया जाना

66-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विकास खण्ड चिरगांव अन्तर्गत ग्राम-वमनुओं से ग्राम यैरा तक सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पक्र मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के नारखी ब्लाक के ग्राम राजारामपुर में ग्राम प्रधान पेयजल योजना हेतु लगाये गये 10 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर को ठीक कराकर चालू कराया जाना

67-श्री राकेश बाबू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के नारखी ब्लाक के ग्राम राजारामपुर में ग्राम प्रधान पेयजल योजना को चालू करने के लिए 10 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाकर उर्जीकृत किया गया था ? कया सरकार को जानकारी है कि उक्त लाइन चालू किये जाने के 2 दिन बाद ही जमीन पर गिर गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त लाइन को पुनः बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

दिनांक 02-06-2014 को उपरोक्त लाइन को पुनः बनाकर चालू कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यवर कांशीराम शहरी गरीब आवास योजनान्तर्गत निर्मित कालोनी का विद्युतीकरण कराया जाना

68-श्री राकेश बाबू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में विकास प्राधिकरण फिरोजाबाद द्वारा मान्यवर कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत पचवान 2 फेस कालोनी का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कालोनी का विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त कालोनी का विद्युतीकरण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत पचवान 2 फेस कालोनी में विद्युतीकरण के कार्य के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यवर कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना अन्तर्गत निर्मित कालोनी में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना

69-श्री राकेश बाबू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में विकास प्राधिकरण फिरोजाबाद द्वारा मान्यवर कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत पचवान 2 फेस कालोनी में पेयजल योजना की टंकी का निर्माण जल निगम फिरोजाबाद द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार

को जानकारी है कि उक्त टंकी से पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त टंकी से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

कालोनी में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो जाने के पश्चात् निर्मित टंकी से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर के ग्राम राजे रायपुर में बरसात के दिनों में बाहर जाने के लिए एवं अन्य गांवों से जोड़ने हेतु डिप का निर्माण किया जाना

70-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर के ग्राम राजे रायपुर में वहां के निवासियों को बरसात के दिनों में गांव से बाहर जाने एवं अन्य गांवों से जोड़ने हेतु डिप बनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डिप का निर्माण किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां, डिप के स्थान पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य शासनादेश दिनांक 27-02-14 द्वारा स्वीकृत है।

कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में ग्राम कोला से मिर्जापुर व कलान होते हुए जनपद बदायूं जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त पक्का कराया जाना

71-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में ग्राम कोला से मिर्जापुर व कलान होते हुए जनपद बदायूं जाने वाला मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को पक्का बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में जलालाबाद खण्डहर मार्ग से चमचन्द्रसेन के मजरनीरा खलसा ब्लाक जाने वाला क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण किया जाना

72-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में जलालाबाद खण्डहर मार्ग से चमचन्द्रसेन के मजरनीरा खलसा ब्लाक जाने वाला मार्ग कच्चा व अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को पक्का बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर मजरनीरा खलसा की आबादी 40 है। वर्तमान में शासन की प्राथमिकता सिंगिल कनेक्टिविटी के आधार पर 500 से अधिक आबादी के ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में जलालाबाद के गांव दिडरनिया जाने के क्षतिग्रस्त मार्ग को बनाया जाना

73-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में जलालाबाद के गांव दिडरनिया जाने का मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त व कच्चा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को पक्का बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जलालाबाद में लिपुलेक भिण्ड मार्ग से ग्राम सिकन्दरपुर अफगान तक के भाग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का है, जिसकी दशा सन्तोषजनक है। सिकन्दरपुर अफगान से दिडरनिया ग्राम तक के भाग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

74-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

[दिनांक 01-07-2014 को अता0 प्रश्न संख्या-84 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के ग्राम बेलुआ, शकरपुर, रेड़ी व ग्राम-तिरकोबिया आदि में बन्दोबस्त कराया जाना

75-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में वर्ष 1962 के बाद से बन्दोबस्त नहीं हुआ है, जबकि अन्य तहसीलों में बन्दोबस्त हो चुका है ? यदि हां,

तो क्या सरकार ग्राम-वेलुआ, शकरपुर, रेड़ी व ग्राम-तिरकोबिया सिगावर, तहसील-धौरहरा में बन्दोबस्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में वर्ष 1962 के बाद बन्दोबस्त हुआ है।

ग्राम-रेड़ी का शुद्ध नाम मूडी है तथा तिरकोबिया ग्राम सिंगावर का मजरा है। ग्राम बेलुआ, शंकरपुर, मूडी व सिंगावर का बन्दोबस्त कराकर धारा-52(1) के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक 03-05-1980, 06-01-1979, 05-05-1979 व 05-05-1979 को प्रकाशन हो चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में वित्तीय वर्ष 2012-2013 में जिला योजना में स्वीकृत मार्गों का निर्माण कराया जाना

76-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला योजना में स्वीकृत सम्पर्क मार्गों की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में मात्र दो कार्यो नगरा एवं सोहक सम्पर्क मार्गो की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिनका निर्माण कार्य मार्च 2014 में पूर्ण करा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आगरा रौहता नहर वाईजेड़ा सिरौनी के बीच पुलिया का निर्माण कराया जाना

77-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आगरा रौहता नहर वाईजेड़ा सिरौनी के बीच पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्य पूर्ण कराया जाएगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गांव बजहेरा, बहेटा, सैमरी का ताल कौलक्खा नहर की क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण का प्रकरण

78-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव बजहेरा, बहेटा, सैमरी का ताल कौलक्खा नहर की पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिससे लोगों का आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिया का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार उक्त पुलिया का निर्माण कराया जाएगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आगरा रौहता नहर, नगला बसुआ एवं ठाकुरदास की घड़ी के सामने नहर पर पुलिया के निर्माण का प्रकरण

79-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आगरा रौहता नहर, नगला बसुआ एवं ठाकुरदास की घड़ी के सामने नहर पर पुलिया न होने के कारण जनता को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर पर पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार उक्त नहर पर पुलिया का निर्माण कराया जाएगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा के विकास खण्ड निगोही में क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण कराये जाने की मांग

80-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में ढकिया तिवारी से धरायू तक तथा निगोही में चमरूआ चौराहे से बरौरा होते हुए विक्रमपुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग जो बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण क्षेत्रीय

जनता को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

(अ) ढकिया तिवारी से धरायू तक कच्चा मार्ग है।

(ब) चमरूआ चौराहे से बरौरा होते हुए विक्रमपुर तक मार्ग की कुल लम्बाई 2.50 किमी0 है। यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है जिसमें से लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाला 800 मीटर (लेपित मार्ग) का भाग क्षतिग्रस्त है।

लोक निर्माण विभाग के अंश वाले मार्ग मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

81-श्री रोशन लाल वर्मा-

[3सरे शुक्रवार के अता0 प्रश्न सं0-47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सिन्धौली में क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण का प्रकरण

82-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सिन्धौली में पाता से नया गांव पल्हनापुर होते हुए खिरिया सम्पर्क क्षतिग्रस्त मार्ग जो बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में भाारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/ मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

विकास खण्ड सिन्धौली में नयागांव से पल्हनपुर होते खिरिया तक लेपित मार्ग है, जिसकी दशा संतोषजनक है। पाता से नयागांव तक (लम्बाई 1.40 कि0मी0) मार्ग कच्चा है। ग्राम पाता की आबादी 280 है। वर्तमान में 500 से अधिक आबादी के ग्रामों को जोड़ना ही शासन की प्राथमिकता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में विठरी एवं मुडेई के मध्य पहुंज नदी पर पुल बनाया जाना

83-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रदेश में 4500 करोड़ की लागत से 259 पुलों का निर्माण कराने का निर्णय लिया था ? यदि हां,

तो क्या सरकार जनपद झांसी में विठरी एवं मुडेई के मध्य पहुंज नदी पर पुल बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर में विसरात घाट हनुमत धाम और रेतीरोड के बीच पुल व एप्रोच रोड बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

84-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्रांक 725, दिनांक 10-12-2013 जो शाहजहांपुर नगर में विसरात घाट हनुमत धाम और रेतीरोड के बीच एक पुल व एप्रोच रोड के निर्माण के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या उसको भारत सरकार को भेजा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

जी हां।

पुल आदि बनाने का कार्य पर्यटन विभाग से सम्बन्धित नही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर ग्राम पंचायत कपेड़ कटका ब्लाक ददरौल का मजरा यादव गौंटिया में विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना

85-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर ग्राम पंचायत कपेड़ कटका (ब्लाक ददरौल) का मजरा यादव गौंटिया में विद्युतीकरण का कार्य न होने के कारण नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में यादव गौंटिया में विद्युतीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत कपेड़ कटका (ब्लाक ददरौल) का मजरा यादव गौटिया में विद्युतीकरण हेतु कोई योजना नहीं है। यदि भविष्य में कोई अन्य योजना विद्युतीकरण हेतु आती है, तभी उक्त मजरे का विद्युतीकरण कराना सम्भव हो सकेगा।

किसी योजना में चयनित होने के पश्चात्।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम जमुही से शाहजहांपुर को जाने वाले मार्ग के निर्माण का प्रकरण

86-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में ग्राम जमुही से शाहजहांपुर को जाने वाला मार्ग जीर्ण शीर्ण हालत में है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल के ग्राम निवाड़ी में टूटे खम्भे व जर्जर तारो को बदलने हेतु कार्यवाही की मांग

87-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल के ग्राम निवाड़ी में टूटे खम्भे व जर्जर तार के कारण नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में टूटे खम्भे एवं जर्जर तारों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

ग्राम निवाड़ी के जर्जर तार व टूटे खम्भों को बदलने का कार्य बिजनेस प्लान वित्तीय वर्ष 2013-14 में सम्मिलित कर माह मार्च, 2014 में पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में स्थित पारीछा थर्मल पावर कारपोरेशन की स्थापना के समय उ0प्र0 रा0वि0 के लागू नियमानुसार भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों की नियुक्ति का प्रकरण

88-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद झांसी में स्थित पारीछा थर्मल पावर कारपोरेशन की स्थापना के समय यह घोषणा/लिखित आश्वासन दिया गया था कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण में जिन कृषकों की जमीन अधिग्रहीत की जायेगी उस परिवार के एक वारिस को इसी प्लाण्ट में नौकरी प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जौरी बुजुर्ग, बेहटा, रिछौरा, बराटा, गुलारा, पारीछा गांवों के किसानों की भूमि अधिग्रहण के बावजूद सन् 1978-80 से अब तक इन परिवारों के किसी भी वारिस को नौकरी प्रदान नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घोषणा के अनुसार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

पारीछा तापीय परियोजना की स्थापना के समय तत्कालीन उ0प्र0रा0वि0 परिषद् में लागू नियमों के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले कृषकों/परिवारों को सेवायोजन दिये जाने का प्राविधान था।

जी नहीं।

तत्कालीन उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के आदेश सं0-1787 जी/राविप, दिनांक 27-06-1979 के अनुपालन में 50 प्रतिशत से अधिक भूमि अध्याप्ति किये जाने पर जौरी बुजुर्ग, बेहटा, रिछौरा, बराटा, गुलारा, पारीछा गांवों के किसानों के परिवार के मुखिया अथवा परिवार के सदस्य को परिषद् में सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, उनके परिवार के एक सदस्य को अर्ह पाये जाने पर सेवायोजन प्रदान किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी विकास खण्ड बबीना के गांवों के सम्पर्क मार्गों को बनवाया जाना

89-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी विकास खण्ड बबीना निर्वाचन क्षेत्र बबीना के ग्रा0 पंचायत सारवॉ के मजरा भुड़रा से छर्रा कसावरी तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण नागरिकों को आवागमन में अत्यधिक असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम पंचायत बैदोरा के मजरे छर्रो की आबादी 200 एवं कसावरी की आबादी 100 है। वर्तमान में शासन की प्राथमिकता 250 से अधिक आबादी को जोड़े जाने की है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

90-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[3सरे सोमवार के अता0 प्रश्न सं0-118 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत कतिपय गावों के विद्युत की जर्जर तारों को बदलवाने की मांग

91-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम रामपुर नवदिया, कुआडाडा, रूद्रपुर, बिहारीपुर मुडिया, ग्राम फिरोजपुर, मोहनपुर आदि में विद्युत तार अत्यन्त जर्जर एवं काफी नीचे हो जाने के कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियां हो रही हैं ?

यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ग्रामों के जर्जर विद्युत तारों को बदलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम रामपुर नवदिया, कुआडाहा, रूद्रपुर, बिहारीपुर मुडिया, ग्राम फिरोजपुर, मोहनपुर का निरीक्षण/चिन्हित कर कार्य का आंकलन कर किसी योजना/इस मद में धन की उपलब्धता अनुरूप कार्य कराया जाना प्रस्तावित होना सम्भव हो सकेगा।

जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत गांवों के अत्यन्त जर्जर विद्युत तारों को बदला जाना

92-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम राघुवपुर खुर्द, बरैचा, पिपरिया, खुशली, ग्राम हमजापुर आदि में विद्युत तार अत्यन्त जर्जर हैं तथा काफी नीचे आ जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ग्रामों के जर्जर विद्युत तारों को बदलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम-राघुवपुर खुर्द, बरैचा, पिपरिया, खुशली, ग्राम हमजापुर का निरीक्षण/चिन्हित कर कार्य का आंकलन कर किसी योजना/इस मद में धन की उपलब्धता अनुरूप कार्य कराया जाना प्रस्तावित होना सम्भव हो सकेगा।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत केमुआ नाला पर पुल का निर्माण

93-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर विसलपुर मार्ग पर स्थित कैमुआ नाला पर बना पुल अत्यन्त जर्जर एवं छोटा होने के कारण आए दिन क्षेत्रीय जनता के साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त कैमुआ नाला के पुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत स्थल पर स्थित पुल सकरा, परन्तु सही स्थिति में है।

उक्त सकरे पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में नारखी ब्लाक के ग्राम रैपुरा में 33/11 फीडर के अधूरे कार्य को पूर्ण कराया जाना

94-श्री राकेश बाबू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में नारखी ब्लाक के ग्राम रैपुरा में 33/11 फीडर का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त फीडर का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रैपुरा का निर्माण कार्य अधूरा है परन्तु 33 के0वी0 लाइन का का कार्य पूर्ण हो चुका है।

जी हां।

लगभग 02 माह के अन्दर कार्य पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम प्रधान पेयजल योजना के अन्तर्गत ब्लाक टूण्डला में निर्मित पानी की टंकियों को ऊर्जीकृत किया जाना

95-श्री राकेश बाबू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में ग्राम प्रधान पेयजल योजना ब्लाक टूण्डला के ग्राम से चिलासमी, कुतकपुर, कात्रिवी में निर्मित पानी की टंकियों को अभी तक उर्जीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त टंकियों को कब तक उर्जीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। माह जुलाई, 2014 में ऊर्जीकृत करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी के ग्राम चनौरा में आई आंधी से हुई क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन की पुनः मरम्मत कराने की मांग

96-श्री राकेश बाबू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी के ग्राम चनौरा मं आई आंधी मे कुछ समय पहले नई आबादी की विद्युत लाइन जमीन पर गिर गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त विद्युत लाइन को पुनः मरम्मत कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हों।

आंधी/तूफान एवं दैवीय आपदा से हुई विद्युत सामग्री की क्षतिपूर्ति हेतु क्षतिग्रस्त सामग्री सत्यापन जिला प्रशासन से कराने के उपरान्त लाइन की सामग्री प्राप्त कर पुनः मरम्मत/निर्माण का कार्य लगभग एक सप्ताह में पूर्ण होना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में 120 के0वी0 के निर्माणाधीन विद्युत फीडर उसायती का निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाना

97-श्री राकेश बाबू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में 120 के0वी0 के निर्माणाधीन विद्युत फीडर उसावती का निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है ? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त फीडर का निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद फिरोजाबाद में 132 के0वी0 के निर्माणाधीन उपकेन्द्र टूण्डला (उसायनी) एवं सम्बन्धित फीडर (लाइन) का निर्माण टर्नकी आधार पर किया जा रहा है। उपकेन्द्र का पोषण 132 के0वी0 फिरोजाबाद-शिकोहाबाद लाइन के लीलो द्वारा एवं 132 के0वी0 एकल पथ एत्मादपुर-टूण्डला लाइन के द्वारा किया जाना है। विगत लगभग एक वर्ष से फर्म द्वारा लाइनों का निर्माण नहीं किया जा रहा है जिसको संज्ञान में लेते हुए दिनांक 22-05-2014 को 132 के0वी0 फिरोजाबाद-शिकोहाबाद लाइन लीलो कार्य का अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया एवं कार्य पूर्ण करने हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की गई है।

इस कार्य हेतु पुनः आमंत्रित निविदा के निस्तारण पश्चात् लाइन (फीडर) का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी में जिला योजना में ग्रामीण अंचल की सड़कों की मरम्मत/पुनः निर्माण कराने विषयक

98-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी में जिला योजना में ग्रामीण अंचल की सड़कों की मरम्मत/पुनः निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने स्टीमेट द्वारा जिलायोजना 2012-13 के अन्तर्गत स्वीकृत के उपरान्त स्थानीय समाचार पत्रों में ग्रामीण अंचल की सड़कों की मरम्मत/पुनः निर्माण कराने के टेण्डर आमंत्रित हो चुके है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि अभी तक लखीमपुर जिला योजना को लोक निर्माण विभाग मद में धन आवंटित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मद में धन आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में मरम्मत एवं पुनर्निमार्ण में जिला योजना के अन्तर्गत कोई स्वीकृति निर्गत नहीं की की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत विसलपुर शाहजहांपुर मार्ग पर स्थित कतिपय गांवों की सड़कें क्षतिग्रस्त निर्माण कराने की मांग

99-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-निगोही के अन्तर्गत विसलपुर शाहजहांपुर मार्ग पर स्थित ग्राम कजरीनूरपुर से ग्राम-अरेली इस्माइलपुर होते हुए ग्राम-पचदेवरा तक की सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-पुवायां के अन्तर्गत शाहजहांपुर पुवायां मार्ग पर स्थित कतिपय गांवों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराया जाना

100-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-पुवायां के अन्तर्गत शाहजहांपुर पुवायां मार्ग पर स्थित महुआ पाठक से वि0ख0-सिन्धौली के ग्राम दिवाली तक की सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

101-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बस्ती में प्रान्तीय खण्ड में कार्य करवाने हेतु आमंत्रित निविदा को निरस्त कर बिना निविदा कार्य कराने वाले दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही

102-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती मं प्रान्तीय खण्ड में कार्य करवाने हेतु दिनांक 04-04-2013 को निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसको दिनांक 15-04-2013 को निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या निरस्त निविदा को पुनः आमंत्रित किया गया था ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या बिना निविदा आमंत्रित किये कार्य करवाने के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस सम्बन्ध में जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला पर तैनात लेवेल-4 के डाक्टरों को नियमानुसार जिला चिकित्सालय में समायोजित किया जाना

103-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भय्या-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला पर तैनात लेवेल-4 के डाक्टरों का नियमानुसार जिला चिकित्सालय में समायोजन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला पर तैनात लेवेल-4 के चिकित्साधिकारी डा0 जगत नरायण तिवारी का समायोजन ई0एन0टी0 सर्जन के पद पर जिला चिकित्सालय हरदोई में कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर के विभिन्न मोहल्लों की गलियों में बिना खम्भों के लटक रहे विद्युत तारों को सुव्यवस्थित कराने विषयक

104-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में जो टूटे तार के गुच्छे लाइनों में लटक रहे है उनको सेट लाइट (व्यवस्थित) करने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या

सरकार शाहजहांपुर नगर के विभिन्न मोहल्लों की गलियों में बिना खम्भों के पेड़ पर दीवार आदि के सहारे अव्यवस्थित रूप से लटके तारों को व्यवस्थित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

शाहजहांपुर नगर के विभिन्न मोहल्लों की गलियों में बिना खम्भों के पेड़ पर दीवार आदि के सहारे अव्यवस्थित रूप से स्वयं भवन स्वामी (उपभोक्ता) द्वारा अनियमित रूप से केबिल/तार डाल लिया है। ऐसे प्रकरणों को ठीक करने की कोई योजना प्रचलन में नहीं है लेकिन ढीले तार टूटे पोल इत्यादि की मरम्मत सतत् प्रक्रिया में है तथा वर्तमान लाइनों एवं परिवर्तनों के सुदृढ़ीकरण आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है।

टूटे तार ढीले तार इत्यादि कार्य का सुदृढ़ीकरण सतत् प्रक्रिया के तहत कराया जाता है। आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण का कार्य मार्च, 2015 तक कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही के कतिपय मार्गों का निर्माण कराया जाना

105-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में बीसलपुर शाहजहांपुर रोड पर राघवपुर सिकन्दरपुर से छतैनी होते हुए ढकिया तिवारी तथा ढकिया तिवारी से घराम तक क्षतिग्रस्त मार्ग में बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

राघवपुर सिकन्दरपुर से छतैनी होते हुए ढकिया तिवारी तक मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

ढकिया तिवारी से घराम (धरायू) की आबादी 428 है। वर्तमान में 500 से अधिक आबादी के ग्रामों को जोड़ना ही शासन की प्राथमिकता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में बीसलपुर शाहजहांपुर रोड से बिछौली तक नहर पटरी के क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराया जाना

106-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में बीसलपुर शाहजहांपुर रोड से बिछौली तक नहर पटरी पर

क्षतिग्रस्त मार्ग में बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। बीसलपुर शाहजहांपुर रोड से बिछौली तक नहर पटरी पर स्थित 2.00 कि0मी0 मार्ग में से लगभग 0.50 कि0मी0 मार्ग क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्लाट नं0-20 रूस्तम बिहार कालोनी, निकट सीपेट इंस्टीट्यूट, नादरगंज, लखनऊ में 500 मीटर सड़क बनाने विषयक विधायक का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

107-श्री मनीष असीजा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्लाट नं0-20 रूस्तम बिहार कालोनी, निकट सीपेट इंस्टीट्यूट नादरगंज लखनऊ में 500 मीटर सड़क बनाने विषयक श्री जगन प्रसाद गर्ग, स0वि0स0 का संलग्नक सहित पत्र दिनांक 19-6-2013 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के एन0एच0 91 पर स्थित बाई पास मार्ग निर्माण के बाद पुराने अलीगढ़ गभाना आदि क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराया जाना

108-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0एच0 91 पर स्थित बाई पास मार्ग निर्माण के बाद पुराने मार्ग जैसे अलीगढ़ गभाना, चुहरपुर, खुर्जा, सिकन्दराबाद के मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

राजमार्ग सं0-91 पर बाईपास निर्माण के बाद पुराने मार्ग क्षतिग्रस्त होते रहते है, जिनकी मरम्मत होती रहती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

राजमार्ग सं0-91 पर बाईपास निर्माण के बाद पुराने मार्गों को भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा पुनः राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाना है। वर्तमान में उपरोक्त मार्ग के रख-रखाव (पैच/पॉट होल रिपेयर) का कार्य भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा नियुक्त रियायतग्राही द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में क्षतिग्रस्त सड़कों को डामरीकृत किया जाना

109-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में तिलहर निगोही रोड से कालेदेव की मठिया होते हुए महमदपुर तक तथा शाहजहांपुर बीसलपुर रोड पर हसौवा तिराहे से बझेड़ी होते हुए नेकापुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग पर बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की जिला योजना की प्रथम बैठक वर्ष 2012-13 में विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का प्रस्ताव

110-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की जिला योजना की प्रथम बैठक वर्ष 2012-13 में विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण हेतु प्रभारी मंत्री जी को प्रस्तुत प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला योजना अनुश्रवण समिति की बैठक में विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में किसी भी स्तर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को विकसित किया जाना

111-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को भी आगरा विकास प्राधिकरण विकसित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा साधारणतः उन गांवों को विकसित किया जाता है, जिन गांवों की भूमि प्राधिकरण की किसी योजना में अर्जित की जाती है। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा इनर रिंग रोड के सहारे चार गांवों में लगभग 900 हेक्टेयर भूमि अर्जित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त इन चारों गांवों क्रमशः रायपुर, रहनकलां, एत्मादपुर मदरा एवं बुढ़ाना मुस्त0 में प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराये जायेंगे। इसी प्रकार जैसे जैसे प्राधिकरण द्वारा भूमि का अर्जन किया जायेगा, ऐसे गांवों में प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य करवाये जायेंगें।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में कौलक्खा पुलिया नहर माइनर, सैमरी, पचगाई खेड़ा, रोहता नहर तक क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराया जाना

112-श्री काली चरन सुमन-

क्या संचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में कौलक्खा पुलिया नहर माइनर, सैमरी, पचगाई खेड़ा, रोहता नहर तक की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इसकी मरम्मत कराई जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में जगनेर रोड मलपुरा से नहर की सर्विस रोड वाया बरारा मिढ़ाकुर तक क्षतिग्रस्त सड़क को बनाया जाना

113-श्री काली चरन सुमन-

क्या संचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में जगनेर रोड मलपुरा से नहर की सर्विस रोड वाया बरारा मिढ़ाकुर तक क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सर्विस रोड की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार उक्त सर्विस रोड की मरम्मत कराई जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच विधानसभा क्षेत्र 288, कैसरगंज के देवलखा-कड़ौनी सम्पर्क मार्ग एवं कैसरगंज मनौला मार्ग पर सोनारी से महुरी कला के क्षतिग्रस्त सम्पक्र मार्गों के मरम्मत सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

114-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र 288, कैसरगंज बहराइच के देवलखा-कड़ौनी सम्पर्क मार्ग एवं कैसरगंज मनौला मार्ग पर सोनारी से महुरी कला क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गो को विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत मरम्मत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-5/326833 दिनांक 04-12-2012 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों का मरम्मत कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त सम्पक्र मार्गों का मरम्मत कार्य वित्तीय वर्ष 2014-15 में करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न में उल्लिखित कैसरगंज मनौला मार्ग पर सोनारी से महुरी कला सम्पर्क मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है। लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के देवलखा कुड़ौनी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नहीं हुई है।

मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच की विधानसभा क्षेत्र 288, कैसरगंज के 9 सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

115-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र 288, कैसरगंज बहराइच के 9 सम्पर्क मार्गों के मरम्मत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-5/186332 दिनांक 06-01-2014 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों का मरम्मत कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्गों का मरम्मत कार्य वित्तीय वर्ष 2014-15 में करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

बी0बी0बी0 से गोड़हिया नं0 4 सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 7.5 कि0मी0 है, जिसमें से 3.50 कि0मी0 भाग में आपदा राहत निधि से वर्ष 2012-13 में मरम्मत कर दी गई है।

पत्र में वर्णित मार्गों में से बी0बी0बी0 पर अइमा से सहवापुर सम्पर्क मार्ग, सोनारी मौलाना घाट मार्ग से महुरीकलां सम्पर्क मार्ग, नकौड़ा से परासनपुरवा सम्पर्क मार्ग तथा कडसर से बदरौली सम्पर्क मार्ग के 03 कि0मी0 पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है। बी0बी0बी0 से गोड़हिया

नं0 4 सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 7.5 कि0मी0 है, जिसमें से 3.50 कि0मी0 भाग में आपदा राहत निधि से वर्ष 2012-13 में मरम्मत कर दी गई है, इस मार्ग के अवशेष 04.00 कि0मी0 भाग, बरखुरद्वारापुर से सराय कनहर सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 5.200 कि0मी0) धवरिया से जैतोरा सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 3.50 कि0मी0), बी0बी0बी0 देवलखा से ठाकुर महतोपुरवा तक सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 4.00 कि0मी0), पी0एच0के0 सम्पर्क मार्ग पर चकपिहानी से गण्डारा बाजार तक सम्पक्र मार्ग (लम्बाई 4.700 कि0मी0) तथा कडसर से बदरौली सम्पर्क मार्ग के लोक निर्माण के स्वामित्व वाले 2 कि0मी0 भाग की मरम्मत सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नहीं हुई है।

मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधानसभा क्षेत्र 288, कैसरगंज के 8 सम्पर्क मार्गों की जिला योजना में वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

116-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र 288, कैसरगंज बहराइच के 8 सम्पर्क मार्गों को जिला योजना में वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-5/141207 दिनांक 08-06-2013 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों का निर्माण कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिला योजना के अन्तर्गत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

वर्ष 2013-14 में जिला अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रश्नगत 8 मार्गों को प्रस्तावित किया गया था। जिला अनुश्रवण समिति द्वारा 8 मार्गों में से 3 मार्गों का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, जिसके आगणन गठित कर वित्तीय स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया। सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत उक्त कार्य पर विचार किया जाना सम्भव नहीं पाया गया।

उपर्युक्तानुसार।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत उप नगर गोला बाजार से आजमगढ़ के रौनापार के बीच घाघरा नदी पर पीपे का पुल आवागमन हेतु बनाया जाना

117-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला अन्तर्गत उपनगर गोला बाजार से आजमगढ़ के रौनापार के बीच घाघरा नदी पर आवागमन को सुगम बनाने हेतु पीपे के पुल की मांग को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार जनहित में उक्त पीपे के पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पीपे के पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम वसिलिया ददिउरा जीर्ण-शीर्ण मार्ग के पुनर्निर्माण कराने विषयक

118-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम वसिलिया ददिउरा मार्ग जो जनपद शाहजहांपुर से मोहम्मदी (खीरी) जाने वाले मार्ग पर स्थित है, की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को देखते हुए सरकार उसका पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत की आपात कटौती से मुक्ति के आधार की नीति की जानकारी

119-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत की आपात कटौती से मुक्ति का आधार क्या है तथा कितने जनपद किन-किन कारणों से इससे मुक्त किये गये है ? क्या सरकार कृषि की पैदावार को आधार मानकर ऐसे जनपद जहां कृषि पैदावार (रबी व खरीफ की फसल) प्रदेश में पहले दूसरे या तीसरे नम्बर पर हैं, को विद्युत कटौती से मुक्त करने पर विचार करेगी ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में कोई जनपद आपात कटौती से मुक्त नही है। अपरिहार्य कारणों से एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये कभी-कभी कुछ जनपद अल्प समय के लिए विद्युत कटौती से मुक्त किये जाते हैं।

जी नहीं।

कृषि की पैदावार को आधार मानकर विद्युत कटौती से मुक्त करने की कोई नीति प्रचलन में नहीं है।

प्रदेश के गांवों एवं शहरों में विद्युत आपूर्ति की कार्य-योजना के विवरण की जानकारी

120-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गांवों एवं शहरों में कुल कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे एवं मण्डल मुख्यालयों पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु कोई कार्य-योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका सम्पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में प्रदेश में घोषित रोस्टर के अनुसार गांवों एवं शहरों में क्रमशः 10 घण्टे, जनपद मुख्यालय शहरों में 15 घण्टे, मण्डल स्तरीय शहरों में 18 घण्टे , महानगर स्तरीय शहरों में 20 घण्टे तथा ताज ट्रिपेजियम नोयडा, लखनऊ, वाराणसी इत्यादि क्षेत्र में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करना आदेशित है।

जी हां।

कार्य-योजना का विवरण मा0 सदस्यों के अवलोकनार्थ मा0 राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग के कार्यालय कक्ष में रख दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत घाघरा नदी की तेज धारा से हजारों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि एवं दर्जनों गांवो को बचाने हेतु ठोकर का निर्माण बनाने विषयक

121-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला अन्तर्गत घाघरा नदी की तेज धारा से लगभग 12 किमी0 की लम्बाई में नदी के समीप स्थित गांवों की हजारों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि एवं बल्थर, गोनघट, कोटियाडीह शाह, कोटिया निरंजन, नई बस्ती, बगहा पटाव आदि जलमग्न हो जाते है ? यदि हां, तो क्या सरकार हजारों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि एवं दर्जनों गांवों को बचाने हेतु ठोकर का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत गांव, रामजानकी सड़क मार्ग एवं घाघरा नदी के बीच फ्लड प्लेन जोन में बसे हुए है। यहां सिंचाई विभाग का कोई तटबंध निर्मित नहीं है। फ्लड प्लेन जोन में बसे ग्रामों व आबादी को बचाने की कोई नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 288, कैसरगंज बहराइच के 6 कच्चे सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

122-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 288, कैसरगंज बहराइच के 6 कच्चे सम्पर्क मार्गों का मिट्टी से लेपन स्तर तक का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-5/186333, दिनांक 06-01-2014 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में कुल 06 सम्पक्र मार्गों का लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने की अपेक्षा की गई है, जिसमें से क्र0सं0-1 पर अंकित मार्ग मरौचा-जैतापुर मार्ग से बिजौव्वा सम्पर्क मार्ग कच्चा है जिसमें विजौव्वा (विजौव्वापुर) की आबादी 2001 की जनगणना के आधार पर मात्र 240 है। वर्तमान में 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना शासन की प्राथमिकता है।

क्र0सं0-2 से 6 तक अंकित मार्ग क्रमशः बी0बी0बी0 से गुलरिहा, सन्तरी दास कुट्टी से ग्यारह सौ रेती, सन्तरीदास कुट्टी से गोड़हिया नं0-1 सेन्टर, बुढानपुर पेन्टेड रोड से हरचन्दा पेन्टेड रोड, गोड़हिया नं0-1 (बभननपुरवा) से मंगल मेला सम्पर्क मार्ग पूर्व में से ही सिंगिल कनेक्टिविटी के आधार पर पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं। वर्तमान नीति के अनुसार मार्गों को सिंगिल कनेक्टिविटी से ही जोड़ा जाना है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में जगनेर रोड नौमील से खाल खलौआ, सुतैड़री वाया गढसानी तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराया जाना

123-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में जगनेर रोड नौमील से खाल खलौआ, सुतैड़री वाया गढसानी तक सड़क क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी रोड पथौली से वाया नगला अक्के बिचपुरी तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराया जाना

124-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी रोड पथौली से वाया नगला अक्के बिचपुरी तक क्षतिग्रस्त है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग की कुल लम्बाई 2.30 कि0मी0 में प्रथम 850 मीटर भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है जिसकी दशा संतोषजनक है। मार्ग के शेष भाग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के जगनेर रोड नौमील से खाल खलऊआ गढसानी आदि क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण का प्रकरण

125-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के जगनेर रोड नौमील से खाल खलऊआ गढसानी सुतैडी तक कौलक्खा पुलिया से नहर की पटरी पंचगाई खेड़ा रोहता तक भोला डेयरी, रजरई, नौवरी, सैमरी, इरादतनगर रोड तक जगनेर रोड नगला परमाल से नहर की पटरी नगला कारे तक, फतेहपुर सीकरी पथौली से वाया नगला अक्के बिचपुरी रोड तक, नधौता कबीस रोड बरौली गूजर तक की सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत/निर्माण करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। यह मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जगनेर रोड नौमील से खाल खलऊआ गढसानी सुतैड़ी तक मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है।

कौलक्खा पुलिया से नहर की पटरी पंचगाई खेड़ रोहता तक के मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है।

भोला डेयरी रजरई, नौवरी, सेमरी इरादतनगर तक के रोड पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

जगनेर रोड नगला परमाल से नहर की पटरी, नगला कारे तक के मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

फतेहपुर सीकरी पथौली से वाया नगला अक्खे बिचपुरी रोड पर नगला अक्खे तक के मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है और मार्ग की दशा संतोषजनक है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में आने वाले मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के जगनेर रोड आगरा अजीजपुर से वाया टपरा, नैनाना ब्राह्मण ग्वालियर रोड तक की क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण कराये जाने विषयक

126-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के जगनेर रोड आगरा अजीजपुर से वाया टपरा, नैनाना ब्राह्मण ग्वालियर रोड तक की सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण

नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर के कतिपय ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराया जाना

127-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर के कलाल खेडिया से वाया महुआ खेड़ा, कबीस नगला सबला चौराहा तक एवं फतेहपुर सीकरी से सुचेता ग्राम तक की सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कबीस से कलाल खेड़िया के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा मार्ग पर आवागमन में कोई बाधा नहीं है।

फतेहपुर सीकरी से सुचेता मार्ग की सतह संतोषजनक है एवं आवागमन सुविधाजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ में वर्ष 1998 से मानदेय/ठेके पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों के विनियमितीकरण/समायोजन करने विषयक

128-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ में वर्ष 1998 से अब तक मानदेय/ठेके पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों के विनियमितीकरण/समायोजन के सम्बन्ध में रिजवी समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों का अनुपालन कब तक सुनिश्चित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ में कोई भी कम्प्यूटर आपरेटर मानदेय या ठेके पर कार्यरत नहीं है। कम्प्यूटर आपरेटर की सेवायें सेवा प्रदाता/ ठेकेदार के माध्यम से प्राप्त की जा रही हैं। ये कम्प्यूटर आपरेटर विभिन्न सेवा प्रदाताओं/ठेकेदारों के

कर्मचारी हैं तथा उन्हीं से वेतन/पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। रिजवी समिति (वेतन समिति 2008) द्वारा कार्मिक विभाग को सेवा प्रदाता के माध्यम से सेवायें प्राप्त करने के विषय पर सामान्य नीति बनाने का सुझाव दिया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा अभी तक इस पर कोई नीति नहीं बनाई जा सकी है। रिजवी समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में वर्ष 1998 से अब तक मानदेय/ठेके पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों के विनियमितीकरण/समायोजन के सम्बन्ध में संस्तुति नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम बालभीटी के पास तरैना नाले पर पुल बनने के बाद एप्रोच रोड बनाये जाने की मांग

129-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम बालभीटी के पास तरैना नाले पर उ0प्र0 सेतु निगम द्वारा पुल बनाकर बिना एप्रोच बनाये छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का एप्रोच बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है।

जी हां।

पहुंच मार्ग निर्माण हेतु बालमीटी साइड में 140 मीटर लम्बाई में भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण है। दूसरी तरफ महुनिया साइड में 260 मीटर लम्बाई में भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति में है। भूमि अध्याप्ति के फलस्वरूप पहुंच मार्ग का कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला अन्तर्गत निर्मित बांध का कार्य पूर्ण कराया जाना

130-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला अन्तर्गत निर्मित बांध के आगे राप्ती नदी पर आछीडीह से सरया खास तक बांध निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे बांध के निर्माण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

उक्त बांध के निर्माण हेतु एक परियोजना तकनीकी सलाहकार समिति की 179वीं बैठक दिनांक 29-11-2013 में स्वीकृत हुई है, जिसकी कुल लागत रु0 5251.78 लाख है। परियोजना के सक्षम स्तर से स्वीकृत होने के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद के तहसील गोला अन्तर्गत बेसहनी नाले पर दो वर्ष से स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य को कराया जाना

131-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला अन्तर्गत बेसहनी नाले पर दो वर्ष से स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य सरकार शीघ्र आरम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत जमीम शुक्ल होते हुए बाल भीटी से समय स्थान पडौली होते हुए कौवाडील तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का प्रकरण

132-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत जमीम शुक्ल होते हुए बाल भीटी से समय स्थान पडौली होते हुए कौवाडील तक सड़क पूर्णतयः क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनःनिर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सिन्धौली में बरौरा से अखित्यारपुर होते हुए पाता आदि मार्गों का डामरीकरण कराया जाना

133-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सिन्धौली में बरौरा से अखित्यारपुर होते हुए पाता तक तथा बरौरा से नथुआपुर होते हुए बचुइया तक क्षतिग्रस्त मार्ग में बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग बरौरा से अख्तियारपुर होते हुए पाता तक में बरौरा से अख्तियारपुर तक का भाग बरौरा से नथुआपुर होते हुए वचुईया तक मार्ग का ही एक भाग है तथा अख्तियारपुर से पाता के भाग में पाता ग्राम की आबादी 280 (500 से कम) है। वर्तमान में 500 से अधिक आबादी के ग्रामों को जोड़ना ही शासन की प्राथमिकता है।

बरौरा से नथुआपुर होते हुए वचुईया तक का निर्माण कार्य, लम्बाई 4.30 कि0मी0 लागत रु0 409.00 लाख का आगणन गठित किया गया है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही रोड पर डडिया बाजार से महमदपुर तथा हथगांव से नहर पटरी पर बिकरनपुर कुदिरना तक क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत किया जाना

134-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही रोड पर डडिया बाजार से महमदपुर तथा हथगांव से नहर पटरी पर बिकरनपुर कुदिरना तक क्षतिग्रस्त मार्ग में बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में ग्राम बुढानपुर से विकास खण्ड ददरौल के ग्राम उदयपुर कटैया तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

135-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में ग्राम बुढानपुर से विकास खण्ड ददरौल के ग्राम उदयपुर कटैया तक क्षतिग्रस्त मार्ग में बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

डबल कनेक्टीविटी के अन्तर्गत आने के कारण मार्ग का निर्माण कराया जाना शासन की नीति में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बुढ़ानपुर एवं ग्राम उदयपुर कटैया पूर्व से ही एकल मार्ग से जुड़े हैं इनको परस्पर जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

जिलाधिकारी बस्ती को रंगीलाल पुत्र दयाराम ग्राम बरूहुआ, पो0 जिनवा, वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर को दिये गये शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

136-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 31-08-2013 को जिलाधिकारी बस्ती को रंगीलाल पुत्र दयाराम ग्राम बरूहुआ, पो0 जिनवा, वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर के शिकायती-पत्र के सन्दर्भ में प्रेषित पत्र जिलाधिकारी बस्ती को प्राप्त हुआ है, जिसमें हल्का लेखपाल के द्वारा जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र के लिये धन उगाही का आरोप लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

137-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

[3सरे शुक्रवार के अता0 प्रश्न सं0-44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में त्वरित एवं पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

138-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में त्वरित एवं पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-11-2012 अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण प्रथम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जनपद के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में सरजू नहर से सटे ग्रामवासियों के आवागमन हेतु पुल निर्माण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

139-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में सरजू नहर से सटे ग्रामवासियों के आवागमन हेतु पुल निर्माण विषयक मा0 मुख्य मंत्री

को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5 नं0 225642, दिनांक 29-07-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत संदर्भित पत्र में की गई मांग के सम्बन्ध में सूचनीय है कि ग्राम देउरा जहां पर पुल निर्माण की मांग की गई है के अपस्ट्रीम में 550 मीटर दूर कि0मी0 21.450 पर तथा डाउन स्ट्रीम में 450 मीटर दूर कि0मी0 22.450 पर पूर्व से ही पुलिया निर्मित है। इसी प्रकार ग्राम असरहरा से कुतुबपुर पर जाने वाले पैदल मार्ग जो बस्ती नहर के कि0मी0 118.400 से होकर जाता है पर बांध स्थल के अपस्ट्रीम पर 550 मीटर की दूरी पर कि0मी0 117.850 तथा डाउन स्ट्रीम के 750 मीटर की दूरी पर कि0मी0 119.150 पर पहले से ही पुल निर्मित है। अतः मानक के अनुरूप न होने के कारण उक्त वांछित स्थानों पर पुल निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में बजाज शुगर मिल अठदमा के द्वारा फैल रहे प्रदूषण के कारण बढ़ रहे मच्छरों की रोकथाम हेतु पत्र पर कार्यवाही की मांग

140-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में बजाज शुगर मिल अठदमा के द्वारा फैले प्रदूषण के कारण आस पास के गांवों में मच्छरों का आतंक सा हो गया है जिसके लिये आस-पास के गांवों पुरवों में फागिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-07-2013 जिलाधिकारी बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

उक्त पत्र पर कार्यवाही के क्रम में सम्बन्धित क्षेत्रों में फागिंग का कार्य कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के ग्राम करमा के वार्ड नं0 6 की भूमि संख्या 658 में बन्द पड़े राजकीय चर्मशोधन केन्द्र की भूमि को अवैध कब्जे से बचाना

141-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के ग्राम करमा के वार्ड नं0 6 की भूमि संख्या 658 में बन्द पड़े राजकीय चर्मशोधन केन्द्र की सरकारी भूमि ग्राम सभा के नियंत्रण में है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अवैध कब्जे से बचाने हेतु ग्राम सभा के नियंत्रण में लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। राजकीय चर्मशोधन केन्द के नाम से गाटा संख्या-414/0.1030 हे0 व 415/0.1830 हे0 कुल 2 गाटा रकबा 0.2860 हे0 भूमि भू-अभिलेखों में आरक्षित है। मौके पर चर्मशोधन केन्द्र का कोई भवन स्थित नहीं है।

जी नहीं। गाटा संख्या 658 रकबा 0.1370 हे0 में से रकबा 0.114 हे0 पर निर्मला पत्नी लालजी, सुरेश कुमार पुत्र ननकऊ, पार्वती पत्नी स्व0 शम्भू, रामदुलार पुत्र कुटेश्वर, रामदुलारी पत्नी कल्लू, बहादुर पुत्र मंगरू, फूलचन्द्र पुत्र चैतू, राम कैलाश पुत्र रामसजीवन कुल 8 अनुसूचित जाति के व्यक्ति आबादी के रूप में अर्सा पूर्व से काबिज है। उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा-123 (1) के अन्तर्गत विनियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है। अवशेष रकबा 0.023 हे0 पर आंगनबाड़ी केन्द्र का प्रस्ताव ग्राम सभा करमा द्वारा किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

एलोपैथिक फार्मेसिस्टों के पदों के सृजन सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

142-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक फार्मेसिस्टों के पदों के सृजन सम्बन्धी स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक 4 डी/2588, दिनांक 27 जून 2011 एवं मा0 सुप्रीम कोर्ट के अवमानना आदेश दिनांक 29-04-2013 के अनुपालन में फार्मेसिस्टों की भर्ती कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29-4-2013 के अनुपालन में रिक्तियों के निर्धारण के उपरान्त मा0 न्यायालय के संज्ञान में लाते हुए प्राप्त आदेशों के क्रम में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में ककरऊ की कोठी से सकरौली तक जलेसर रोड के निर्माण का मामला

143-श्री राकेश बाबू-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में ककरऊ की कोठी से सकरौली तक जलेसर रोड अत्यधिक जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। मार्ग की मरम्मत करा दी गई है और मार्ग की दशा संतोषजनक है।

जी नहीं। मार्ग की दशा में संतोषजनक है। अनुरक्षण कार्य समय-समय पर किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में नारखी टूण्डला ब्लाक में कतिपय जर्जर सकरी रोडों को चौड़ीकरण/नवीनीकरण करने विषयक

144-श्री राकेश बाबू-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में नारखी टूण्डला ब्लाक में जसरथपुर से जारऊ मार्ग, जलेसर रोड से नगला जलुआ मार्ग तथा ठारपूढ़ा से भीकनपुर होते हुए जाती रोड जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनः चौड़ीकरण/नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। यह मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

यह सभी मार्ग ग्रामीण श्रेणी के हैं। इन मार्गों पर चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है। इन मार्गों का नवीनीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

145-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

[3सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा में ताजमहल के पास वी0आई0पी0 रोड पर मुगल होटल के पास 'मुगल की पुलिया' को पर्यटन के हिसाब से चौड़ी कराया जाना

146-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ताजमहल के पास वी0आई0पी0 रोड पर मुगल होटल के सामने स्थित 'मुगल की पुलिया' सकरी होने से पर्यटकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

कार्य स्वीकृत है और निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के साऊपुरा-सादुल्ला नगर गौरा चौकी मार्ग के कुवानों नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना

147-श्री कमाल युसुफ मलिक-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के साऊपुरा-सादुल्ला नगर गौरा चौकी मार्ग के कुवानों नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये

जाने का शासनादेश दिनांक 11-03-2006 को जारी किया गया था ? यदि हां, तो सेतु निगम द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सेतु के संरेखण में वन विभाग की भूमि आने के दृष्टिगत वन विभाग से अनापत्ति न प्राप्त होने के कारण निर्माण कार्य मार्च, 2007 से बन्द था। अब वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् सेतु का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील मुख्यालय डुमरियागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक तथा अन्य स्टाफ की तैनाती का प्रकरण

148-श्री कमाल युसुफ मलिक-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर की तहसील मुख्यालय डुमरियागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक, दन्त चिकित्सक, बाल रोग चिकित्सक, हृदय रोग चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक, फिजीशियन एवं अल्ट्रासाउन्ड-टेक्नीशियन के सृजित पदों के सापेक्ष तैनाती नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उक्त केन्द्रों पर चिकित्सकों की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेवा डुमरियागंज में दन्त चिकित्सक, हृदय रोग चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक, अल्ट्रासाउण्ड टेक्नीशियन के पद सृजित नहीं हैं। बाल रोग विशेषज्ञ एवं फिजीशियन की तैनाती प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के कारण नहीं हो पायी है।

चिकित्सकों के रिक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से संस्तुति प्राप्त होने पर चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र में स्थित 33/11 विद्युत सब-स्टेशन वित्तीय वर्ष 2012-13 में बिजनेस प्लान में सम्मिलित होने के फलस्वरूप तारों/पोलों को बदला जाना

149-श्री कमाल युसुफ मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के बैदौलागढ़ में स्थित 33/11 विद्युत सब-स्टेशन की क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2012-13 के बिजनेश प्लान में सम्मिलित किये जाने एवं 30 कि0मी0 जर्जर तार और 240 पोलों को बदले जाने का प्रस्ताव आपके अर्द्धशासकीय पत्र सं0-2407/24-पी-1-2012-91(नि0)/12, दिनांक 28 अगस्त, 2012 को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पावर कारपोरेशन को प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो अब तक इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

33/11 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशनों की क्षमता 2x5 से 1x5 एवं 1x10 एम0वी0ए0 व्यापार विकास निधि वर्ष 2013-14 में कर दिया गया है एवं 30 कि0मी0 जर्जर तार एवं 240 पोलों को बदलने की स्वीकृति बिजनेस प्लान वर्ष 2013-14 में कर दी गयी है। 30 कि0मी0 जर्जर तार बदल दिये गये हैं। अवशेष जर्जर पोल बदलने का कार्य का बिजनेस प्लान वर्ष 2014-15 में आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है, धन की उपलब्धता के अनुरूप कार्य करना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड मिढवल के ग्राम करमा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण को पूरा कराया जाना

150-श्री कमाल युसुफ मलिक-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड मिढवल के ग्राम करमा में वर्ष 2007-08 में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 पी0सी0एल0 से कराये जाने का अनुबन्ध/ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो समय के अन्दर निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 पी0सी0एल0 द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए निर्मित भवन जुलाई, 2011 में चिकित्सा विभाग को हस्तगत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के अन्तर्गत लगभग 20 गांवों में लकड़ी के लगे खम्भों एवं जर्जर तारों को बदले जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

151-श्री कमाल युसुफ मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत लगभग 20 गांवों में लकड़ी के लगे खम्भों एवं जर्जर तारों को बदलवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 12-6-12 को प्रेषित-पत्र के क्रम में आपके शासकीय पत्र सं0-सी0एम0-358/चौबीस-3-2012 उ0 प्र0 शासन, ऊर्जा अनुभाग-3 दिनांक 9 जून, 2012 को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो अब तक इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

डुमरियागंज में जर्जर पोल एवं तार बदलने हेतु गांवों का निरीक्षण कर प्राक्कलन स्वीकृत कर दिया गया है/किया जा रहा है। इस कार्य को बिजनेस प्लान 2014-15 में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। धन की उपलब्धता के उपरान्त कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय के अन्तर्गत ग्राम सभा परमानन्दपुर बजहां तथा ग्राम सभा गौरी बिन्दपुरवा में गड़ई नदी पर पुल निर्माण का प्रकरण

152-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा परमानन्दपुर बजहां तथा ग्राम सभा गौरी बिन्दपुरवा में गड़ई नदी पर पुलिया न होने के कारण ग्रामवासियों को बबुरी होकर लगभग 12 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलिया का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थल से अपस्ट्रीम में लगभग 5 कि0मी0 तथा डाउन स्ट्रीम में लगभग 5 कि0मी0 पर पुलिया निर्मित हैं। सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में 10 कि0मी0 अपस्ट्रीम अथवा डाउनस्ट्रीम में पूर्व से पुलिया निर्मित होने की स्थिति में नये सेतु/पुलिया का निर्माण नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय के अन्तर्गत रेगुलेटर, छलका, क्षतिग्रस्त नाली माइनरों की सफाई एवं निर्माण सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की मांग

153-श्री बब्बन सिंह चौहान

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय के अन्तर्गत रेगुलेटर, छलका, क्षतिग्रस्त नाली माइनरों की सफाई एवं निर्माण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-5 एन0-321565, दिनांक 21-2-14, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित बगया सेंगर माइनर पर हिन्दवारी अनुसूचित जाति बस्ती के सामने क्षतिग्रस्त माइनर की पुलिया का निर्माण करा दिया गया है तथा माइनर की पुलिया के दोनों तरफ कटान भी ठीक कर दिया गया है। इस माइनर पर पुलिया के साथ ही छलका का भी निर्माण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद के गोला तहसील अन्तर्गत तरैना नाले पर बालभीटी के पुल का एप्रोच रोड के निर्माण कराये जाने विषयक

154-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के गोला तहसील अन्तर्गत तरैना नाले पर बालभीटी में पुल का एप्रोच निर्माण का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त एप्रोच निर्माण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। कार्य आरम्भ है।

जी हां।

पहुंच मार्ग निर्माण हेतु बालभीटी साइड में 140 मीटर लम्बाई में भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण है। दूसरी तरफ कहुनिया साइड में 260 मीटर लम्बाई में भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है। भूमि अध्याप्ति के फलस्वरूप पहुंच मार्ग का कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में माइनर नहर तक की पटरियों के जर्जर होने के कारण ठीक कराया जाना

155-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी, जनपद खीरी में माइनर नहर तक की पटरियों की सड़कें तथा पटरियों के जर्जर होने के कारण नागरिकों को आवागमन में काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों व पटरियों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार उक्त सड़कों व पटरियों को ठीक कराया जाना।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के एन0एच0 से वधोरा पंचमपुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण का प्रकरण

156-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड-बबीना के एन0एच0 से वधोरा पंचमपुर तक का सम्पक्र मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है जिससे क्षेत्र व गांव के लोगों को आने-जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सम्पक्र मार्ग को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड मोठ के ग्राम पंचायत भुलगहना से परनाया तक सम्पर्क मार्ग के बनाये जाने का प्रकरण

157-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड मोठ के ग्राम पंचायत भुलगहना से परनाया तक सम्पर्क मार्ग न होने की वजह से काफी दूरी तय करके जाना पड़ता है जिससे क्षेत्र के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग को बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न में वर्णित ग्राम पुलगहना एवं ग्राम वरनाया पूर्व में ही अलग-अलग लेपित मार्गों से सिंगिल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत जुड़े हैं। सम्प्रति इन्हें आपस में जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जालौन में विकास खण्ड कोच के ग्राम पंचायत वसोप से पिन्डारी मार्ग को बनाया जाना

158-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में विकास खण्ड कोच के ग्राम पंचायत वसोप से पिन्डारी मार्ग कच्चा होने की वजह से नागरिकों को आने-जाने में भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पक्र मार्ग को पक्का बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम बसोप व ग्राम पिण्डारी दो अलग-अलग पक्के सम्पर्क मार्गों से जुड़े हैं। सम्प्रति दोनों ग्रामों को आपस में जोड़ा जाना शासन की प्राथमिकता में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जालौन विकास खण्ड कोच में स्थित पहाड़गांव से कोच मार्ग के बीच से ग्राम कौशलपुर तक क्षतिग्रस्त रोड का निर्माण कराया जाना

159-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन विकास खण्ड कोच में स्थित पहाड़गांव से कोच मार्ग के बीच से ग्राम कौशलपुर तक सम्पर्क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन विकास खण्ड कोच में स्थित पिरौना से बसोप होते हुए कोच तक क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण का प्रकरण

160-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन विकास खण्ड कोच में स्थित पिरौना से बसोप होते हुए कोच तक का मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के रूधौली क्षेत्र में लगाये गये ट्रांसफार्मरों के जल जाने के बाद ठीक होने में अधिक समय लगने की शिकायत

161-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में लगाये गये विद्युत ट्रान्सफार्मरों के जल जाने के बाद ठीक करवाने अथवा बदले जाने हेतु समय-सीमा निर्धारित न होने से दो अथवा तीन महीना लग जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदलने हेतु क्रमशः 72 घण्टे तथा 24 घण्टे की समय-सीमा निर्धारित है। वर्तमान में भण्डार में परिवर्तक की उपलब्धता तथा क्षतिग्रस्त परिवर्तक के ले आने एवं मरम्मत परिवर्तक ले जाने (निजी नलकूप उपभोक्ताओं के परिसर पर लगे परिवर्तकों को छोड़कर) के लिये वाहन की व्यवस्था प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर होने के कारण परिवर्तक समय-सीमा के अन्दर बदले जा रहे हैं।

ओपेक चिकित्सालय कैली, बस्ती में अनियमित व बिना टेण्डर के औषधि खरीदारी में अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

162-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओपेक चिकित्सालय कैली, बस्ती में अनियमित व बिना टेण्डर के औषधि खरीददारी में अनियमितता करके तत्कालीन निदेशक ने अपने सेवानिवृत्ति के ठीक पहले माह जून व जुलाई, 2013 में दवा क्रय कर लाखों रुपये घोटाला करने सम्बन्धी श्री संजीव राय का शिकायती-पत्र दिनांक 03-06-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी हां। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता श्री संजीव राय ने शपथ-पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया है कि दिनांक 03-6-2013 के शिकायती-पत्र पर उनका हस्ताक्षर नहीं है। उनके द्वारा प्रकरण को निक्षेपित करने का अनुरोध किया गया है, परन्तु शिकायतें अत्यन्त गम्भीर है। इसकी जांच करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में कोला घाट पुल पर मा0 मुख्य मंत्री द्वारा लोकार्पित शिलालेख के तोड़े जाने से पुनःस्थापित करने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

163-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में कोला घाट पुल पर मा0 मुख्य मंत्री द्वारा लोकार्पित शिलापट को अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार नया शिलापट लगवाकर तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

शिलापट् लगाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है। दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही पुलिस प्रशासन द्वारा की जानी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की आशियाना कालोनी कानपुर रोड योजनान्तर्गत प्रस्तावित ई0डब्लू0एस0 टाइप के निर्मित मकानों को आवंटित किया जाना

164-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी लखनऊ की आशियाना कालोनी कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ई0डब्लू0एस0 टाइप के मकान बनकर तैयार हो गये हैं ? यदि हां, तो आवंटियों को रजिस्ट्री और कब्जा कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दी गयी भूमि पर मे0 अंसल हाउसिंग एण्ड कान्सट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा ले-आउट प्लान के अनुसार 2834 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण किया जाना था, जिसके विपरीत मेसर्स अंसल द्वारा 1601 भवनों का निर्माण किया जा चुका है और 1601 भवनों में से 1571 भवनों का आवंटन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1996 में 20 वर्षों की मासिक किश्तों में किया गया था, किश्तों की देयता वर्ष 2016 तक है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सभी 1571 आवंटियों को भवनों का कब्जा दिया जा चुका है। आवंटियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर 583 भवनों का निबन्धन किया जा चुका है। वर्तमान में 31 भवनों का पूर्ण भुगतान हो चुका है जो निबन्धन हेतु शेष है, इन भवनों की औपचारिकताएं पूर्ण होने पर इनके निबन्धन की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

वर्तमान में मेसर्स अंसल द्वारा 711 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके आवंटन हेतु दिनांक 27-2-2009 को मेसर्स अंसल द्वारा पंजीकरण खोला गया, जिसे तत्कालीन उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 19-11-2009 द्वारा निरस्त करते हुए मेसर्स अंसल द्वारा किये गये आवंटनों को अमान्य कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध मेसर्स अंसल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-9580/एम0बी0/2009 योजित की गयी, जिसमें 09-10-2009 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पुनः आवंटन करने से निषिद्ध कर दिया गया है तथा पूर्व में किये गये आवंटनों को निरस्त करने से रोक दिया गया है। इस प्रकार मेसर्स अंसल द्वारा आवंटित भवन का मा0 उच्च न्यायालय की निषेधाज्ञा से प्रभावित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिधौली में शाहजहांपुर-पुवायां रोड से महानन्दपुर से ताहरपुर लिंक मार्ग, महुआ पाठक से दीवाली को जाने वाला क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराया जाना

165-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिधौली में शाहजहांपुर-पुवायां रोड से महानन्दपुर से ताहरपुर लिंक मार्ग, महुआ पाठक से दीवाली को जाने वाला मार्ग व अनावा से पसिया खेड़ा मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत/पुनर्निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

शाहजहांपुर पुवायां रोड से महानन्दपुर से ताहरपुर लिंक मार्ग व अनावा से पसिया खेड़ा मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

महुआ पाठक से दीवाली को जाने वाले मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है। यह ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जो क्षतिग्रस्त है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड पुवायां में शाहजहांपुर-पुवायां रोड पर महुआ पाठक से विकास खण्ड सिन्धौली के ग्राम दिवाली तक क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराया जाना

166-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड पुवायां में शाहजहांपुर-पुवायां रोड पर महुआ पाठक से विकास खण्ड सिन्धौली के ग्राम दिवाली तक पक्के क्षतिग्रस्त मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली में ग्राम खिरिया पाठक चौराहे से चांदा होते हुए उपरिया नहर पुल तक क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराया जाना

167-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली में ग्राम खिरिया पाठक चौराहे से चांदा होते हुए उपरिया नहर पुल तक पक्के क्षतिग्रस्त मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम खिरिया पाठक चौराहे से चांदा होते हुए जमदुइया तक के मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

जगदुइया से उमरिया नहर पुल तक मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड पुवायां रोड पर महुआ पाठक से ग्राम सकुलिया तक तथा डुगरौची मोड़ से बगडेर तक क्षतिग्रस्त मार्ग को डामरीकरण कराया जाना

168-श्री रोशन लाल वर्मा

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड पुवायां में शाहजहांपुर-पुवायां रोड पर महुआ पाठक से ग्राम सकुलिया तक तथा डुगरौची मोड़ से बगडेर तक पक्के क्षतिग्रस्त मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। शाहजहांपुर पुवायां रोड पर महुआ पाठक से ग्राम सकुलिया तक मार्ग की लम्बाई 2.00 कि0मी0 है, जिसका लगभग 0.80 कि0मी0 का भाग क्षतिग्रस्त है।

डुगरौची मोड़ से बगडेर तक के मार्ग की लम्बाई 1.30 कि0मी0 है, जो क्षतिग्रस्त है। मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-7384/2013 राजेश कटियार बनाम सरकार में पारित आदेशानुसार अनुपालन में कार्यवाही किये जाने की मांग

169-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-7384/2013 राजेश कटियार बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 08-02-2013 के अनुपालन हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08-02-2013 के अनुपालन में शासन के पत्र दिनांक 22-7-2013 के द्वारा याची का प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के ग्राम गड़ेर, तहसील बरहज के खसरा संख्या-588 का नक्शा राजस्व अभिलेख के अनुसार सही कराये जाने विषयक

170-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गड़ेर, तहसील बरहज, जनपद देवरिया के खसरा संख्या-588 का नक्शा राजस्व अभिलेख के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजस्व

अभिलेख के अनुसार नक्शा सही कराकर अभिलेख त्रुटि को सही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ग्राम गड़ेर तप्पा-रायपुरा, परगना सलेमपुर मझौला, तहसील बरहज, जनपद देवरिया में स्थित आराजी संख्या-588 रकबा 0.324 हे0 के सम्बन्ध में अभिलेखीय जांच में पाया गया कि बन्दोबस्ती भू-चित्र में अराजी संख्या-588 की आकृति खतौनी में दर्ज रकबे से अधिक थी। न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देवरिया में संचित वाद संख्या-660/2001 अन्तर्गत धारा-28 भू-राजस्व अधिनियम नवल किशोर बनाम रामनेरश ग्राम गड़ेर में पारित आदेश दिनांक 06-01-2005 द्वारा उसी सेक्टर के अन्तर्गत अन्य नम्बरों के कमी रकबे की पूर्ति करते हुए भू-चित्र का संशोधन कर दिया गया है। अब अराजी संख्या-588 की आकृति राजस्व अभिलेख (खतौनी) में दर्ज रकबे के अनुसार है।

त्रुटि को सही कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर में बदायूं-फर्रुखाबाद मार्ग से गांव पहाड़पुर के खड़न्जा युक्त सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक बनाया जाना

171-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर में बदायूं-फर्रुखाबाद मार्ग से गांव पहाड़पुर के खड़न्जा युक्त सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

ग्राम पहाड़पुर से ही जिला पंचायत शाहजहांपुर द्वारा निर्मित आर0सी0सी0 मार्ग से सिंगिल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत जुड़ा है अतः उक्त मार्ग को दूसरी तरफ से जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के मेजा क्षेत्र की ग्राम पौसिया चौहान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य पूरा, चिकित्सक तथा स्टाफ आदि की तैनाती कर कार्य प्रारम्भ किया जाना

172-श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा की ग्राम पौसिया चौहान में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण वर्ष 2004 में हो गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में चिकित्सकों/पैरा-मेडिकल स्टाफ की तैनाती कर चिकित्सकीय कार्य प्रारम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण हो गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया का मुसैला-भागलपुर मार्ग के चौड़ा करके मरम्मत कराया जाना

173-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया का मुसैला-भागलपुर मार्ग जर्जर व गड्ढायुक्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका चौड़ीकरण एवं मरम्मत का कार्य कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। मार्ग का चौड़ीकरण वर्तमान यातायात गणना के अनुसार अनुमन्य नहीं है। पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है जो सन्तोषजनक है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित स्मारकों/पार्कों में कार्यरत कर्मियों को अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति डी0ए0 आदि सुविधा दिया जाना

174-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ स्मारकों/पार्कों के हजारों कर्मियों का वेतन भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है तथा अन्य राजकीय कर्मियों की भांति नियमानुसार इनके वेतन मे डी0ए0 एवं वेतन वृद्धि नहीं लगायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों की भांति सभी सुविधाएं प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

स्मारकों/पार्कों के कर्मचारियों को वेतन भुगतान समय पर नियमित रूप से किया जा रहा है, परन्तु स्मारक समिति के कार्मिकों को राज्य कर्मचारी का स्तर प्राप्त नहीं है। अतः स्मारकों/पार्कों में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति वार्षिक वेतन वृद्धि एवं डी0ए0 का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में इन्हें 45 प्रतिशत डी0ए0 का भुगतान किया जा रहा है।

स्मारकों/पार्कों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति वार्षिक वेतन वृद्धि एवं डी0ए0 दिये जाने के प्रकरण में विचार किया गया, परन्तु इन्हें राज्य कर्मचारी का स्तर प्राप्त न होने के कारण अभी इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत घुरियापार सहकारी चीनी मिल को पुनः चालू किया जाना

175-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत घुरियापार सहकारी चीनी मिल जो वर्तमान में बन्द पड़ी है, को सरकार पुनः चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

2500 टी0सी0डी0 पेराई क्षमता की धुरियापार सहकारी चीनी मिल की स्थापना 1996-97 में की गई थी। उक्त मिल क्षेत्र में गन्ने की अनुपलब्धता के कारण मिल को प्रारम्भ से ही पेराई हेतु अपेक्षित गन्ना न मिलने और तत्समय भारी संचित हानि रु0 43.57 करोड़ हो जाने के कारण वर्ष 2007-08 से इस मिल को नहीं चलाया गया तथा मिल बन्द कर दी गयी। चीनी मिल के समस्त कर्मचारियों को वी0आर0एस0 का भुगतान किया जा चुका है तथा वर्तमान में मिल में कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सभा नसीरपुर कुसुम्हा में शारदा नहर से निकलने वाली माइनर पर पुल का निर्माण कराने विषयक

176-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सभा नसीरपुर कुसुम्हां में शारदा नहर से निकलने वाली माइनर नहर पर पुल का निर्माण न होने से ग्रामवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर नहर पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नगत ग्राम नसीरपुर कुसुम्हां में नत्थूपुर रजवहा पर उक्त ग्राम के अपस्ट्रीम में कि0मी0 13.800 पर तथा डाउनस्ट्रीम में कि0मी0 14.612 पर पहले से पुल निर्मित है। इन दोनों निर्मित पुलों के मध्य मात्र 0.752 कि0मी0 का अन्तर है। अस्तु ग्राम नसीरपुर कुसुम्हां पर पुल निर्मित किया जाना विभागीय मानक के अनुरूप नहीं है।

जनपद मऊ के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा गोफा के पूर्व स्थित शारदा सहायक नहर के जर्जर होने से हो रहे रिसाव को रोकने हेतु नहर का निर्माण कराने विषयक

177-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा गोफा के पूर्व स्थित शारदा सहायक नहर जर्जर हो जाने से किसानों की सैकड़ों

एकड़ भूमि जलमग्न हो जाने के कारण प्रतिवर्ष आस-पास के किसानों की पूरी फसल नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार डगरा पुल से समाधी बाबा के स्थान से बाहा तक लगभग 3 कि0मी0 तक नहर की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जलभराव की समस्या नहर के कारण नहीं है। अपितु दोहरीघाट समानान्तर नहर एवं ग्राम गोफा में स्थित गोफा ताल के मध्य अधिक वर्षा होने पर कुछ समय के लिये कभी-कभी सीमित क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परन्तु इसके कारण फसलें नष्ट नहीं होती हैं।

जिला मऊ के ब्लाक फतेहपुर मण्डाव के अन्तर्गत जर्जर मार्गों का निर्माण कराया जाना

178-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक फतेहपुर मण्डाव के अन्तर्गत मधुवन-बेल्थरा सड़क मार्ग पर गागेबीर दलित बस्ती, खीरी कोठा राजभर बस्ती चौराहा होते हुए तालरतोय में स्व0 जंगी चौहान के खेत तक लगभग 3.5 कि0मी0 सड़क अत्यन्त जर्जर अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 3.50 कि0मी0 है जिसके प्रारम्भ से 0.500 कि0मी0 तक ईंटसोलिंग का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है। ईंट खड़न्जा स्तर तक निर्मित मार्ग टूट गया है। शेष 3.00 कि0मी0 कच्चा मार्ग है। मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के मधुबन क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभा की विद्युतीकरण तथा विद्युत आपूर्ति कराने विषयक

179-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के अन्तर्गत ग्राम सभा कोरौली के मौजा के उसरा, भैरोपुर के मौजा बलुआ, रसूलपुर के मौजा मोर्चा, टेसूपार दक्षिणी तथा दरियाबाद में मथुरा राम की अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र मधुबन के अन्तर्गत ग्राम सभा कोरौली के मौजा के उसरा, भैरोपुर के मौजा बलुआ, रसूलपुर के मौजा मोर्चा, टेसूपार दक्षिणी तथा दरियाबाद में मथुरा राम के लगभग 10 प्रतिशत ग्रामों की अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण है तथा विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शेष ग्रामों की बस्तियों में विद्युतीकरण आर0जी0जी0वी0वाई0 योजना के द्वितीय चरण (12वीं योजना) में सम्मिलित है। (आर0जी0जी0वी0वाई0) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम भारत सरकार से उक्त योजना में धन की उपलब्धता के अनुसार विद्युतीकरण का कार्य कराना सम्भव हो सकेगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम भारत सरकार से धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जिला मऊ के विकास खण्ड दोहरीघाट में स्थित भैरवपुर इण्टर कालेज के सामने बन्धे से बाल किशुन इण्टर कालेज, बखरिया होते हुए नुरूलाहपुर तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

180-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विकास खण्ड दोहरीघाट में स्थित भैरवपुर इण्टर कालेज के सामने बन्धे से बाल किशुन इण्टर कालेज, बखरिया होते हुए नुरूलाहपुर तक लगभग 5 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 4.700 कि0मी0 है जिसके सापेक्ष भैरोपुर इण्टर कालेज के सामने बन्धे से बाल किशुन इण्टर कालेज तक लम्बाई 3.50 कि0मी0 मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित है। जिसकी दशा सन्तोषजनक है। बाल किशुन इण्टर कालेज से नुरूलाहपुर तक के भाग में 0.700 कि0मी0 मार्ग कच्चा है जो किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। उसके आगे नुरूलाहपुर तक 0.500 कि0मी0 मार्ग लो0नि0वि0 द्वारा लेपित है। जिसकी दशा सन्तोषजनक है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में स्थित होटलों में कमरे का किराया में प्रति एक हजार में 10% टैक्स आफ सीजन में करने विषयक

181-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश पर्यटन के विकास के लिए होटलों में लिये जाने वाले सुख साधन कर एक हजार रुपये पर 5 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है और ऑफ सीजन में कोई छूट नहीं है ? क्या यह सही है कि पड़ोसी राज्य राजस्थान में तीन हजार रुपये पर 10 प्रतिशत टैक्स और ऑफ सीजन में 5 प्रतिशत टैक्स व मध्य प्रदेश में दो हजार रुपये पर 10 प्रतिशत और ऑफ सीजन में टैक्स माफ किया जाता है जिसके कारण पर्यटक जिला भरतपुर राजस्थान में रुकते हैं जो उत्तर प्रदेश से मात्र 20 कि0मी0 की दूरी पर है जिससे प्रदेश में राजस्व की हानि होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऑफ सीजन में राजस्थान व मध्य प्रदेश की भांति कर मुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

प्रदेश में स्थित होटलों में जिन कमरों का किराया 1000/- रुपये अथवा उससे अधिक प्रतिदिन वसूल किया जाता है उस पर 5 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है और आफ सीजन में किसी प्रकार की छूट का प्राविधान नहीं है।

राजस्थान में रु0 3000/- एवं इसके ऊपर के कमरे के किराये पर 10 प्रतिशत, 10 प्रतिशत सुख साधन कर निर्धारित है तथा आफ सीजन (अप्रैल से जुलाई तक) में 5 प्रतिशत सुख-साधन कर की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में रु0 2000/- एवं इसके ऊपर के कमरे के किराये पर 10 प्रतिशत सुख-साधन कर निर्धारित है तथा आफ सीजन में कर देय नहीं है।

उत्तर प्रदेश का सुख-साधन कर राजस्थान द्वारा आफ सीजन में लागू सुख-साधन कर की दर के समान है इस प्रकार प्रदेश के पर्यटकों के ठहराने में सुख-साधन कर की दर का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

जी नहीं।

होटलों में आफ सीजन में कर में छूट का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत स्थित एल0के0एस0 राज्य सम्पत्ति कालोनी के आवास सं0-85 से आवास सं0-100 तक क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक कराया जाना

182-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अलीगंज के अन्तर्गत स्थित एल0के0एस0 राज्य सम्पत्ति कालोनी के आवास सं0-85 से आवास सं0-100 तक सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। लगभग 40 मी0 लम्बाई में जलभराव के कारण यातायात में असुविधा है। सामान्यतः मार्ग की स्थिति ठीक है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 02-07-2014 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 56 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से 16 सूचनायें स्वीकार की गई :-

पहली सूचना श्री सुरेश राणा की नवसृजित जनपद शामली में दो नई तहसीलें बनाये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना डा0 अजय कुमार की जनपद इलाहाबाद की बारा तहसील अन्तर्गत जर्जर

से भारतगंज-प्रतापपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद कौशाम्बी अन्तर्गत कौशाम्बी-हिनौता मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री ललितेशपति त्रिपाठी की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान की बालिकाओं के सुदूर स्थानों पर किये गये विवाह की सूचना सम्बन्धित थानों में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री गयादीन अनुरागी की उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन में कार्यरत संविदा/ठेका कर्मियों का वेतन बढ़ाये जाने एवं नियमित किये जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री अविनाश कुशवाहा प्रदेश के जनपदीय तथा आउट लाईन न्यायालयों में महिला कांस्टेबलों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु नई नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के स्वीकृत विद्युत कार्यों पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री सतीश कुमार निगम की अनुपस्थित है। नौवीं सूचना श्री गोरख पासवान की, अनुपस्थित है। दसवीं सूचना श्री गजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की, अनुपस्थित है। बारहवीं सूचना श्री गया चरण दिनकर की जनपद बांदा के कतिपय ग्रामों में व्याप्त पेयजल संकट का निवारण किये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या की प्रदेश के मदरसों के शिक्षकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री आलमबदी की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री राम शरन की लखनऊ शहर की मलिन बस्ती, डूडा कालोनी की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू की जनपद सीतापुर के ग्राम पंचायत रेउसा में ग्राम सभा की जमीन से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में।

आज नियम-301 में जिन 16 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयी थीं, उनमें से 3 सदस्य अनुपस्थित हैं, इसलिये इनके स्थान पर हम जिन सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत की गयी थी, उनमें से क्रम से 3 सदस्यों की सूचनाओं को स्वीकार कर ले रहे हैं।

इसमें पहली सूचना है श्री गेंदालाल चौधरी की जनपद हाथरस के सासनी ब्लाक में व्याप्त पेयजल संकट के को दूर करने के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री ममतेश शाक्य जनपद कासगंज में गंगा किनारे के ग्रामें में स्थापित मानकों के विपरीत लगाये गये हैण्डपम्पों की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में और तीसरी सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर महानगर स्थित महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत हंसपुरम् की आवास विकास कालोनी में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :-

1-श्री सुरेश कुमार खन्ना, 2-श्री रवि शर्मा, 3-श्री अगयश राम सरन वर्मा, 4-श्रीमती सीमा, 5-श्री राम चन्द्र यादव, 6-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, 7-डा0 अरुण कुमार, 8-श्री इरफान सोलंकी, 9-श्री विजय कुमार दुबे, 10-श्री जियाउद्दीन रिजवी, 11-श्री राधेश्याम सिंह, 12-श्री जय प्रकाश अंचल, 13-श्री अनिल कुमार, 14-श्री गुटियारी लाल दुबेश, 15-श्री बब्बन सिंह

चौहान, 16-श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन, 17-श्री उमा शंकर, 18-श्री भगवान सिंह कुशवाहा, 19-श्री राजबली जैसल, 20-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, 21-डा0 धर्म सिंह, 22-श्री महावीर सिंह राणा, 23-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, 24-श्री सुशील सिंह, 25-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, 26-श्री दलवीर सिंह, 27-श्री जय प्रकाश निषाद, 28-श्री उमेश पाण्डेय, 29-श्री अवस्थी बाला प्रसाद, 30-श्री राधेश्याम जायसवाल, 31-श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, 32-श्री मदन चौहान, 33-श्री प्रदीप चौधरी, 34-श्री प्रभुदयाल, 35-श्री सुनील कुमार लाला, 36-श्री राकेश बाबू और 37-श्री राजेश त्रिपाठी।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

नवसृजित जनपद शामली में दो नई तहसीलें बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा-

[महोदय, जनपद शामली के निर्माण को लगभग 04 वर्ष हो गये हैं लेकिन यह जनपद आज तक अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जहां लोगों को आज तक जिला मुख्यालय पर बैठने वाले अधिकारियों के कार्यालयों की जानकारी नहीं है वहीं न्याय पाने के लिये लोग एक लम्बी दूरी की यात्रा तय कर रहे हैं। मान्यवर, जनपद शामली में दो तहसीलें हैं जबकि जनपद का एक लम्बा क्षेत्र हरियाणा बार्डर से मिलता है। साधनों का अभाव होने के कारण लोगों को कैराना तहसील पहुंचने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार जो लोग जनपद सहारनपुर से सटे हुए हैं उन्हें तहसील शामली तक पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

जनहित में जनपद में दो तहसील को बढ़ाकर चार तहसीलों का निर्माण कराना नितान्त आवश्यक है। जिससे लोगों को सस्ता न्याय उपलब्ध हो सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद शामली में चार तहसीलें बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद की बारा तहसील अन्तर्गत जर्जर सेभारतगंज-प्रतापपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अजय कुमार-

[महोदय, जनपद इलाहाबाद के बारा तहसील से भारतगंज प्रतापपुर मार्ग निकलती है। इस मार्ग पर नगर पंचायत शंकरगढ़ व झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय मार्ग को जोड़ती है। इलाहाबाद रीवा राष्ट्रीय मार्ग के नारी बारी से लेकर शंकरगढ़ से शिवदासपुर तक पूरी सड़क ठेकेदार ने उखाड़ के रख दिया था। जिसकी वजह से पूरी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। न आने-जाने लायक नहीं रह गई। आये दिन घटनायें-दुर्घटनायें होती रहती हैं और आदमी मर रहे हैं।

क्या माननीय लोक निर्माण मंत्री समय-सीमा निर्धारित करके इस मार्ग को बनवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कौशाम्बी अन्तर्गत कौशाम्बी-हिनौता मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्द्रजीत सरोज-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र 252-मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत कौशाम्बी-हिनौता मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत अनुदान संख्या-58 से रु0 311.67 लाख की स्वीकृति किया गया था, जिसके सापेक्ष रु0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। अवमुक्त धनराशि से निर्माण कार्य कराया गया, परन्तु अवशेष धनराशि की स्वीकृति जारी न होने के कारण निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। जिससे आम जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनता आन्दोलित हो रही है। जनहित में मार्ग का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः उक्त मार्ग के निर्माण हेतु सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान की बालिकाओं के सुदूर स्थानों पर किये गये विवाह की सूचना सम्बन्धित थानों में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललितेशपति त्रिपाठी-

[महोदय, अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा मड़िहान अति पिछड़ा व नक्सल प्रभावित व कमजोर निरीह लोगों का क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र के अधिकतर लोग मजदूरी करके अपना व पूरे परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। शिक्षा का काफी अभाव है। मेरे क्षेत्र में विगत दो वर्षों से गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिये दूसरे प्रदेशों व दूर के जनपदों से आते हैं और गरीब परिवार की लड़कियों से शादी करके चले जाते हैं। उस गरीब परिवार की लड़की इतनी दूर चली जाती है कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे जाके अपनी बेटी से मिल सके। महोदय ऐसा विवाह काफी संख्या में मेरे क्षेत्र में हो रहा है। ऐसी स्थिति में चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो भी शादी दूसरे प्रान्त व दूर के जनपद में होती है उसकी सूचना सम्बन्धित थानों की पुलिस को अवगत कराकर उनके पूरे पते की जानकारी कर ली जाय कि कही गलत प्रवृत्ति के लोग गरीबीवश आर्थिक रूप से कमजोर लोग अपनी बेटी की शादी ऐसे लोगों से न कर दें। यह प्रकरण जनहित में लोकमहत्व का है।

अतः जनहित एवं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन में कार्यरत संविदा/ठेका कर्मियों का वेतन बढ़ाये जाने एवं नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गयादीन अनुरागी-

[महोदय, वर्तमान में प्रदेश में ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वाह्य एजेन्सीज के माध्यम से तथा संविदा/ठेका कर्मचारियों जिनकी संख्या लगभग 50 हजार है, से विद्युत सम्बन्धी कार्य करवाया जा रहा है। उक्त कर्मचारियों में कुशल आई0टी0आई0 उत्तीर्ण नवयुवक से लेकर लाइन मैन एवं सहायक के पद पर कार्य करने वाले निष्ठावान युवक सम्मिलित हैं। उक्त संविदा कर्मचारियों को वर्तमान मंहगाई के सापेक्ष बहुत ही कम वेतन दिया जा रहा है। इनकी मांग है

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कि अन्य विभागों जैसे कि नगर निगम, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा मित्र इत्यादि में जिस प्रकार संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसी प्रकार इनको भी समायोजित कर स्थायी नौकरी प्रदान की जाय। इस सम्बन्ध में उ0 प्र0 बिजली कर्मचारी संघ एवं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ0 प्र0 द्वारा कई बार ज्ञापन एवं धरना-प्रदर्शन किया जा चुका है, किन्तु सरकार द्वारा इस विषय पर समुचित ध्यान न देने के कारण इन 50,000 संविदा कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। इसलिये सरकार विद्युत विभाग के अधीन वर्षों से कार्यरत ऐसे आई0टी0आई0 उत्तीर्ण एवं कुशल संविदा कर्मचारियों एवं अन्य संविदा पर कार्यरत अकुशल किन्तु अनुभवी कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान कर अन्य विभागों की भांति स्थायी किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शासन द्वारा शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश के जनपदीय तथा आउट लाइन न्यायालयों में महिला कांस्टेबलों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु नई नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अविनाश कुशवाहा-

[महोदय,

उत्तर प्रदेश के अन्दर आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायालयों में महिला आरोपियों की भी सुनवाई होती है। गम्भीर आरोपों में आरोपित महिला अभियुक्तों को महिला कांस्टेबलों की अभिरक्षा में न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं, परन्तु अन्य मामलों में जिसमें पुलिस आरोप पत्र न्यायालय भेज देती है अथवा मामला परिवाद पर संस्थित होता है और अदालती नोटिस पर महिलाओं को अदालत के अन्दर समपर्ण करना है। वहां महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति नहीं हो पायी है, न ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस दिशा में विचार ही किया गया। उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत जनपदीय अथवा आउटलाइन न्यायालय जो दण्डिक वाद की सुनवाई करते हैं, वहां महज पुरूष कांस्टेबलों की नियुक्ति है। जबकि प्रदेश में प्रतिदिन हजारों महिलायें न्यायालय के समक्ष समर्पण करती है और दिन भर अदालती प्रक्रिया के दौरान पुरूष कांस्टेबलों की अभिरक्षा में रहती हैं। इस दौरान महिलाएं अपने नित्य कर्म अथवा व्यक्तिगत समस्याओं के लिए पुरूष कांस्टेबलों से कहने और उनकी अभिरक्षा में सम्पन्न करने के लिए बाध्य हैं। यह एक काफी गम्भीर समस्या है, जिसे संज्ञान में लेकर सभी जनपदीय तथा आउट लाहन कोर्टों में महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की कृपा करें।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के स्वीकृत विद्युत कार्यों पर शीर्घ कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[महोदय,

मैं आपका ध्यान निम्न विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता, विद्युत, फैजाबाद क्षेत्र के पत्रांक 515 दिनांक 15-03-2013 द्वारा पुरैना बाजार में 25 केवीए के एक परिवर्तक की स्थापना, खुटेहना फीडर का

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जर्जर तार व पोल बदलने, पुरैना मोड़ में 100 केवीए के 250 केवीए, कांधीकुइंया में 63 केवीए से 100 केवीए, लौकाही में 63 केवीए से 100 केवीए, बिन्द्रा बाजार में 63 केवीए से 100 केवीए, पटिहान चौराहा में 25 केवीए से 63 केवीए, बस स्टाप बिशेश्वरगंज में 63 केवीए से 100 केवीए, के परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि, पत्रांक सं0-1357, दिनांक-10-07-13 द्वारा ग्राम नउवनपुरवा में 63 केवीए, कुसभौना में 16 केवीए, दपौली परसिया में 10 केवीए का एक तथा 16 केवीए के तीन परिवर्तकों की स्थापना तथा लाइन निर्माण, गंगवल बाजार में जर्जर तार व पोल बदलने का कार्य पयागपुर में 25 केवीए, एच0टी0एल0टी0 लाइन निर्माण, पत्रांक 1356 दिनांक 10-07-13 द्वारा दपौली में 25 केवीए से 63 केवीए के परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि, पंडितपुरवा सुहेलवा में 25 केवीए लाइन निर्माण, लोनियनपुरवा सुहेलवा में 25 केवीए, कल्लूपुरवा में 25 केवीए, सहसरावा में 16 केवीए का एक तथा, 25 केवीए का दो परिवर्तकों की स्थापना एवं लाइन निर्माण, पत्रांक सं0-513 दिनांक 13-03-13 द्वारा कोट बाजार में 100 केवीए से 250, भूपगंज बाजार में 100 केवीए से 250 केवीए, गंगवल बाजार में 100 केवीए से 250, गंगवल बाजार भोलापुरवा में 100 केवीए से 250 केवीए, पयागपुर पश्चिमी में 100 केवीए के परिवर्तकों की क्षमना वृद्धि, पत्रांक सं0-554 दिनांक 18-03-13 द्वारा मधनगरा में 16 केवीए परिवर्तक स्थापना कार्य, मोक्ष द्वारा इण्टर कोलज एवं इमरती में 25 केवीए उपकेन्द्र लाइन निर्माण, भूपगंज बाजार में जर्जर तार बदलकर ए0बी0सी0 बंच केबुल लगाने का कार्य, मछली मंडी पयागपुर में जर्जर तार बदल कर ए0बी0सी0 बंच केबुल लगाने का कार्य, पत्रांक 514 दिनांक 18-03-2013 द्वारा श्रीनगर में 25 केवीए से 63 केवीए, सेमरियावां में 25 केवीए से 63 केवीए, बरगदही में 25 केवीए से 63 केवीए के परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि कार्य, पत्रांक सं0-406 दिनांक 25-02-13 द्वारा सोहरियावां में 25 केवीए के एक परिवर्तकों की स्थापना, पत्रांक 1356 दिनांक 10-07-13 द्वारा पल्टनपुरवा (पयागपुर) में 16 केवीए के दो परिवर्तकों को स्थापना तथा लाइन निर्माण कार्य, पत्रांक सं0-1355 दिनांक 10-07-13 द्वारा प्रजापतिपुरम जानकीनगर रोड गोण्डा में 100 केवीए परिवर्तक स्थापना कार्य, स्वीकृत है परन्तु अभी तक उपरोक्त सभी कार्य शुरू नहीं कराये गये हैं जिससे आम जनमानस को विद्युत सम्बन्धी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रहीं हैं।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनपद बहराइच के विधानसभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत के ग्रामों में स्वीकृत विद्युत कार्यों का जल्द पूरा कराने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजेन्द्र सिंह-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत आने वाले नगर जहांगीराबाद जिसकी आबादी लगभग 1 लाख से अधिक है। जहां पर उ0प्र0 की बड़ी

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मण्डियों में जहांगीराबाद की मण्डी धान व गुड़ की बड़ी मण्ड़ियों में शामिल हैं। जहां पर कई जिलों के किसानों व व्यापारी धान व गुड़ के अन्य सामान बेचने व खरीदने आते हैं। इसी के साथ-साथ यहां पर चीनी मिल भी स्थित है। जहां पर सीजन में किसान अपना गन्ना ले आते हैं। जहांगीराबाद को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले दो सड़क हैं। जो जहांगीराबाद से भईपुर दोराहा जिसकी लम्बाई लगभग 2.25 कि0मी0 व जहांगीरागाद से चौदव दोराहा लम्बाई लगभग 2.50 कि0मी0 जो अत्यन्त क्षतिग्रस्त गढ्ढ़ो में तब्दील हो गये हैं। इन सड़कों जर्जर हालात में होने के कारण यहां की क्षेत्रीय जनता को आने जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों मार्गों का पी0डब्लू0डी0 द्वारा स्टीमेट तैयार कर शासन में भेज रखा है। इसके सम्बन्ध में पूर्व में भी कई बार लिखित सूचना भी दी गयी है। लेकिन इसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है। क्योंकि मा0 मुख्य मंत्री भी इस मार्ग पर लोकसभा चुनाव में जा चुके हैं।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उपरोक्त सड़क बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के कतिपय ग्रामों में व्याप्त पेयजल संकट का निवारण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गया चरण दिनकर-

[महोदय,

जनपद बांदा की तहसील नरैनी क्षेत्रान्तर्गत राजस्व ग्राम किला कालिंजर व तरहटी कालिंजर की 44.9 हेक्टेयर भूमि के जल भराव का भण्डारण कर 10 किमी0 नहरें बनाकर दर्जनों ग्राम को सिंचाई जल सुलभ कराने व शुद्ध पेयजल सुलभ कराने के उद्देश्य से माडलाइजेशन आफ सगरा डैम परियोजना प्रस्तावित की गयी है। इस परियोजना के निर्माण से एक मात्र कृषि पर आधारित कृषि क्षेत्रीय कृषकों को भरपूर कृषि उपज का लाभ मिलने से आर्थिक स्तर से सुधार आयेगा एवं क्षेत्रीय ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल संकट से निजात मिलेगी। कई दशक पूर्व बने सगरा बांध शत प्रतिशत निष्प्रयोज्य हो जाने से कृषि भूमि को सिंचाई जल न मिल पाने से कृषि उत्पादन में भीषण गिरावट से कृषकों की स्थिति बदतर हो गयी है। उ0प्र0 व मध्य प्रदेश आदि प्रान्तों के लाखों लोग प्रतिवर्ष यहां आते हैं जो यहां की आर्थिक व सामाजिक विषमता की तस्वीर लेकर मनोरंजन व उपेक्षा की कहानी लिखते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति से जूझ रहे दर्जनों ग्रामों के वाशिन्दों को इस दीर्घकालिक व लाभ वाली परियोजना के निर्माण से उनके आर्थिक सामाजिक व व्यावसायिक उन्नयन में सहायक होगा। यह लोक महत्व का विषय है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि माडलाइजेशन आफ सगरा डैम को प्रस्तावित धनराशि रुपया 58.00 करोड़ आवंटित किये जाने हेतु सरकार को आदेशित करने की कृपा करें।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के मदरसों के शिक्षकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

[महोदय,

कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि प्रदेश में मदरसों के शिक्षकों की वर्तमान समय में स्थिति दयनीय है। शासन द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण नहीं किया जा रहा है, सरकार द्वारा मदरसों के शिक्षकों के मानदेय बढ़ाकर दिये जाने को कहा गया था तथा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को प्रतिमाह वेतन भी दिये जाने को कहा गया परन्तु अभी तक उक्त वादों पर अमल नहीं किया गया है, सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 1993 से कार्यरत शिक्षकों को अभी नियमित नहीं किया गया है। मदरसों के शिक्षकों को उक्त लाभ न दिये जाने से उनमें अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है। उक्त शिक्षकों द्वारा समय-समय पर उक्त वादों को पूरा किये जाने हेतु सरकार से कई बार अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक मदरसों के शिक्षकों को उक्त लाभों से वंचित किया जा रहा है।

अतः जनहित में इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित सड़कों का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी-

[श्रीमान्,

मैं आप द्वारा मा0 लोक निर्माण मंत्री उ0प्र0 सरकार का ध्यान उपरोक्त के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की निम्नलिखित सड़कें ग्रामीण स्तर की मार्ग हैं यद्यपि उन पर यातायात ज्यादा है, जिससे जनता को 12 महिने कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

जनहित में मेरा आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित ग्रामीण स्तर की सड़कों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण कराने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं और मेरे क्षेत्र की जनता आपका आभारी रहेंगे।

1. सरायमीर बाजार से नन्दाव जाने वाला मार्ग 10.5 कि0मी।
2. खपड़ा गांव से बीनापारा होते हुए सरायमीन तक 6.5 कि0मी0।
3. खण्डवारी नहर की पटरी का मार्ग शेरवा गांव तक 5 कि0मी0।]

लखनऊ शहर की मलिन बस्ती डूडा कालोनी की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम शरन-

मान्यवर,

मैं सदन के माध्यम से सदन का ध्यान पूर्व में नियम-301 के अन्तर्गत लगायी गयी सूचनायें जिसे दिनांक 10.12.2013 एवं दिनांक 26-02-2014 को स्वीकृत किया गया था, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, लखलऊ में हंस खेड़ा में पारा से कृष्णानगर जाने वाली रोड एवं हंस खेड़ा

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से मुन्नू के चौराहे के पास बगल में ही बनी मलिन बस्ती जो डूडा कालोनी के नाम से जानी जाती है, में बिजली के तार एवं खम्भे लगे हैं, परन्तु न ही अभी तक बिजली के कनेक्शन उन तारों में जोड़ा गया है एवं न ही स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की गयी है। जबकि दिनांक 26-02-2014 को नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना अर्द्ध शा0प0सं0-259/चौबीस-पी-3-2014 दिनांक 17.04.2013 ऊर्जा अनुभाग-3 द्वारा उत्तर में यह कहा गया है कि "उक्त विद्युतीकरण के नियमितीकरण कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह डूडा के अधिकारियों से सम्पर्क कर उसे नियमितीकरण कराने की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।" फिर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है इससे सरकार के आदेशों की अवहेलना हुई है एवं सदन की गरिमा को अत्यन्त ठेस पहुंची है। जनहित को दृष्टिगत रखते हुए हस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही सम्पन्न कराने एवं दोषी कर्मचारी/अधिकारी को दण्डित कर सदन को अवगत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के ग्राम पंचायत रेउसा में ग्राम सभा की जमीन से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे जनपद सीतापुर के तहसील बिसवां में ग्राम पंचायत रेउसा के गाटा संख्या-548 नवीन परती एवं गाटा संख्या-987 बंजर भूमि पर एवं तहसील महमूदाबाद के ग्राम पंचायत बांसुड़ा के गाटा संख्या-1501 नवीन परती पर कुछ लोगों के द्वारा उक्त ग्राम समाज की भूमि पर छप्पर रखकर अवैध रूप से जबरन कब्जा कर लिया गया है, जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारीयों को निर्देशित करने के बावजूद ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जा अभी तक हटाया नहीं गया है जबकि माननीय न्यायालय के निर्देशों एवं शासनादेशों के अनुसार ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण की सराकर से उक्त ग्राम समाज की भूमि गाटा सं0- उपरोक्त पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने हेतु सरकार से निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद हाथरस के सासनी ब्लाक में व्याप्त पेयजल संकट के निवारण हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की स्थापना कराये जाने एवं पहले से स्थापित हैण्डपम्पों की रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गेंदालाल चौधरी-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद हाथरस के सासनी ब्लाक में व्याप्त पेयजल संकट की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उल्लेखनीय है कि जनपद हाथरस के सासनी ब्लाक में व्याप्त पेयजल संकट के निवारण हेतु जनहित में इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की स्थापना एवं पूर्व स्थापित हैण्डपम्पों का रि-बोर किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जनहित में लोक महत्व के इस विषय पर मैं जनपद हाथरस के सासनी ब्लाक में व्याप्त संकट के निवारण हेतु जनहित में इंडिया मार्का हैण्डपम्पों की स्थापना एवं पूर्व स्थापित हैण्डपम्पों का रि-बोर किये जाने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र कासगंज के तहसील सहावर समेत गंगा नदी के किनारे के ग्रामों में स्थापित मानकों के विपरीत लगाये गये हैण्डपम्पों की जांच कराये जाने एवं पेयजल आपूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद कासगंज में गंगा किनारे के ग्रामों में स्थापित मानकों के विपरीत लगाये गये हैण्डपम्पों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

उल्लेखनीय है कि जनपद कासगंज के गंगा किनारे के ग्रामों में स्थापित किये गये सरकारी हैण्डपम्पों की स्थापना में व्यापक अनियमिततायें की जा रही हैं। हैण्डपम्पों की स्थापना में न तो दूरी के मानक और न ही गहराई के मानक का अनुपालन किया जा रहा है। ठेकेदारों की सांठगांठ से व्यापक स्तर पर घोटाला कर सरकारी धन का गबन किया जा रहा है। मौके पर कासगंज में गंगा किनारे के ग्रामों में स्थापित किसी भी हैण्डपम्प को उखड़वाकर यदि जांच कर ली जाय तो निश्चित रूप से ही पाइपों की संख्या मानक के अनुसार कम होगी, जिस कारण नल गड़ने के बाद 02 माह के अन्दर ही नल काम करना बन्द कर देता है तथा नल के साथ बनी सीमेंट का चबूतरा भी कतिपय स्थानों पर नहीं बनाया गया है। जिस कारण पेयजल की समस्या यथावत बनी हुई है। यदि किसी नल से पानी भी आ रहा है तो वो इतना दूषित है कि कई तरह की बीमारियों का भय बना रहता है। तहसील सहावर में उक्त समस्या अत्यधिक में पायी जा रही है।

अतः जनहित में लोक महत्व के इस विषय पर मैं उपरोक्त स्थानों पर स्थापित किये गये हैण्डपम्पों की स्थापना में किये गये घोटाले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच किये जाने एवं समुचित पेयजल आपूर्ति हेतु उचित प्रबन्ध किये जाने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

कानपुर महानगर स्थित महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत हंसपुरम् आवास विकास कालोनी को विकास परिषद् तथा नगर निगम द्वारा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना-

[महोदय,

कानपुर महानगर स्थित महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत हंसपुरम् की आवास विकास कालोनी में कालोनी बनने के कई वर्षों पश्चात् भी आज तक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गयी। कदाचित आवास विकास एवं नगर निगम के बीच द्वंद होने के कारण न तो अभी तक कालोनी का हस्तान्तरण हो सका है और न ही विकास हो सका है। अभी सैद्धांतिक सहमति बनी है कि उक्त क्षेत्र का नगर निगम में आवास परिषद् द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे करने के पश्चात् जो विकास कार्य परिषद् द्वारा अवशेष छूट गये हैं उनके हेतु संयुक्त आगणनानुसार नगर निगम उन कार्यों को करायेगा। ऐसी स्थिति में उक्त आगणनानुसार धनराशि विकास परिषद् द्वारा नगर निगम को अवमुक्त की जाये एवं केवल हंसपुरम् को विकसित करने के लिए ही खर्च की जाये।

अतः लोकमहत्व के इस अवलिम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 02 जुलाई, 2014 को नियम-300 के अन्तर्गत 01 सूचना प्राप्त हुई है- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के दुरूपयोग को रोकने के लिए जांच समिति बनाये जाने के सम्बन्ध में- यह नियम-300 का कोई मामला नहीं है, विधायक लोग नाराज हो जायेंगे, यह पोषनीय नहीं है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के वित्तीय वर्ष 2008-2009, 2009-2010 एवं 2010-2011 के आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्ययक खाता †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के वित्तीय वर्ष 2008-2009, 2009-2010 एवं 2010-2011 के आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-63(5) (क) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का वर्ष 2011-2012 (01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च 2012 तक) के वार्षिक लेखे†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का वर्ष 2011-2012 (01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक) के वार्षिक लेखे को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभी की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 30 जून, 2014 को पारित किया

† छापा नहीं गया।

गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 01 जुलाई, 2014 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 05 में इसमें कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2013-2014) का इक्तालिसवां प्रतिवेदन †

श्री राम लाल अकेला-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2013-2014) का इक्तालिसवां प्रतिवेदन जो जनपद कुशीनगर के समाज कल्याण विभाग में लिपिक द्वारा करोड़ों रूपये के घोटाले की जांच करने से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7, 8, 9, में कुछ भी नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज महत्वपूर्ण बजट है, सिंचाई भी है, कल भी ऐसे पी0डब्ल्यू0 डी0 पर नहीं हो पाया था, सिंचाई और राजस्व दो हमारे प्रदेश के महत्वपूर्ण बजट है, इसलिये आज हम नियम-56 तो लिये है, लेकिन निवेदन करेंगे कि दो-एक ले लिया है, जिसका छूट जायेगा, वह बाद में दे देंगे, लेकिन आज इस पर बहस करा दी जाय, क्योंकि कल पी0डब्ल्यू0डी0 पर मा0 सदस्य नहीं बोल पाये थे किन्हीं कारणों से या ऊर्जा पर जितना बोलना चाहते थे नहीं बोल पाये हैं, तो उनके एक तरह से विचार नहीं आ पाते हैं, इसलिये आज नियम-56 को संक्षेप में करते हुए जिसका बच जायेगा, फिर दे देंगे, मैंने केवल दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुने जाने के लिये लिया है और दो सूचनाओं पर ध्यान आकृष्ट किया है और शेष सभी मैंने अस्वीकार कर दिया है। आप जानते हैं आज नियम-56 में 28 सूचनायें आई थीं और नियम-51 में 95 सूचनायें हैं तो कितना लिया जा सकता है, अगर इसी को ले लें तो बजट की चर्चा ही खत्म हो जायेगी, इसलिये हमने ऐसा किया है।

आज दिनांक 02-07-2014 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री दलजीत सिंह की प्रदेश में पर्यटक स्थलों के सौन्दर्यीकरण व मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराकर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में है।

---

† छापा नहीं गया।

आप इस पर बोलें न, हम इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करे लेते हैं, बात आ जायेगी, मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

दूसरी सूचना श्री अखिलेश प्रताप सिंह की प्रदेश में हो रही सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना में मसौदा सूची के दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण निर्धारित प्रारूप पर ग्राम सभा की खुली बैठक में कराये जाने के सम्बन्ध में है।

मा0 सदस्य, इस पर ध्यान आकृष्ट कर लें या आप इस पर कुछ कहेंगे ? अगर कुछ कहना हो तो सिर्फ 02 मिनट में कह दें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें नियम-56 में अपनी बात रखने का अवसर दिया हम कृतज्ञ हैं, आपके मान्यवर, जो गरीबी की जनगणना होती है, 10-10 वर्षों पर होती है और उत्तर प्रदेश हालांकि पिछड़ गया, कई और प्रदेश भी पिछड़ गये हैं, लेकिन इस जनगणना में जो पात्र लोग आ जाते हैं, उन्हीं को अगले 10 वर्षों तक सरकारी की, प्रदेश सरकार की या केन्द्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिलता है और यह जनगणना उत्तर प्रदेश में अपने अन्तिम पड़ाव पर है, मसौदा सूची तैयार हो चुकी है, मसौदा सूची तैयार हो जाने के बाद नियम यह है कि उस ग्राम सभा में उस सूची का प्रकाशन किया जाये, समस्त लोगों को इसकी जानकारी हो, उसमें आपत्ति आये और जो पात्र लोग छूट गये हों, उनका नाम जुड़ जाय और जो तमाम अपात्र लोग आ गया हों, उनका नाम कट जाय, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस कारण से जो लोग छूट जायेंगे, फिरा 10 साल तक हम लोगों से कहेंगे कि हमारा नाम नहीं आया, हमकों इन्दिरा आवास नहीं मिल रहा है, हमको पेन्शन नहीं मिल रही है, तो हमारा सिर्फ संक्षेप में यही कहना है कि सरकार समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित करे कि ग्राम सभाओं में मसौदा सूची का प्रकाशन करायें और मुनादी डुगडुगी जिसे कहते हैं बजवा करके यह सुनिश्चित करवायें कि सब लोग इसे जानें, इसे देखें और एक फुलप्रूफ सूची बने क्योकि जो मकसद है सरकार का गरीबों को लाभ पहुंचाने का, जब तक वह सूची सही नहीं बनेगी और गरीब छूट जायेंगे तो फिर फायदा क्या उन योजनाओं का। हम सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार जिला प्रशासन को ताकीद करे कि यह करें और उसके बाद एक प्राब्लम और है कि तीन-तीन ब्लाक बी0डी0ओज के पास एक-एक ब्लाक है। वे नहीं कर रहे हैं, ऐसा न हो कि ब्लाकों में रख के मिलीभगत कर लें। कृपया सरकार को निर्देशित करें।

श्री अध्यक्ष-

अब मा0 मंत्री जी, इस पर कुछ कहेंगे, ध्यान आकृष्ट कर लेता हूं बस। तीसरी सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद-कानपुर के अन्तर्गत चमनगंज क्षेत्र में दिनांक 28-6-2014 को सार्वजनिक सुलभ शौचालय में गैस सिलेण्डर से हुये अग्नि काण्ड में 6 लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लेता हूं। आपने कहा था कि हम बोलेंगे नहीं, ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं बस।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मा0 अध्यक्ष जी, जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत चमनगंज क्षेत्र में दिनांक 28 जून, 2014 सार्वजनिक सुलभ शौचालय में प्रातः सिलेण्डर से गैस लीकेज के कारण हुयी अग्नि-दुर्घटना में 6 लोगों

की मृत्यु हो गयी तथा 5 लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं। उक्त सभी लोग समाज के कमजोर तबके से सम्बन्धित थे जिनकी आर्थिक दशा अत्यन्त दयनीय थी। इस सन्दर्भ में पीड़ितों के परिजनों को तत्काल मृतकों को 5 लाख एवं घायलों को दो लाख मुआवजा दिलाये जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

चौथी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) जी की जनपद वाराणसी में थाना भेलूपुर के सामने महाराजा विजय नगरम की जमीन पर स्वामी विवेकानन्द की आदम कद मूर्ति लगाये जाने के सम्बन्ध में है, इस पर भी ध्यान आकृष्ट और सब निरस्त। अब मा0 सिंचाई मंत्री जी अपना बजट प्रस्तुत करें।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) एवं अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

*लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,09,02,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,44,77,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,33,69,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मा0 अध्यक्ष जी, यह सिंचाई विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और मैं आज आपकी अनुमति से सदन में सिंचाई विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश कि सिंचाई व्यवस्था एक दीर्घ कालीन व्यवस्था है और इतिहास में बहुत पुरानी व्यवस्था है। पूर्वी यमुना नहर की स्थापना वर्ष 1823 तथा अपर गंगा नहर का निर्माण 1854 में हुआ था। प्रदेश में 74 हजार कि0मी0 नहर प्रणाली, 31000 ट्यूबवेल, 275 लिफ्ट कैनाल तथा 65 बड़े जलाशय हैं तो यह बहुत पुरानी सिंचाई योजना है। प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती, गण्डक, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा आदि नदियां भी हैं। मा0 अध्यक्ष जी, सरकार बनने से पूर्व सिंचाई के लिये जो वादे हमने किये थे, उन वादों को हमने पूरा किया है। पूर्वांचल में सरयू परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 9 जनपद हैं पूर्वाचंल के बहराइच, गोण्डा, महराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, बस्ती,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोरखपुर ये सरयू परियोजना के अन्तर्गत 9 जिले हैं, जिसमें 1200 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा है और हमने इसे राष्ट्रीय परियोजना इसे घोषित कराया है और इस परियोजना पर बहुत तेजी के साथ काम भी चल रहा है और इस वर्ष जब से हमारी सरकार बनी है हमने पूरे उत्तर प्रदेश में 14 लाख हेक्टेयर सिंचन सुविधा उपलब्ध करायी है । और जो सरयू परियोजना है यह 14 लाख हेक्टेयर सिंचन सुविधा उपलब्ध करायेगी। और जो अति पिछड़े क्षेत्र हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, इसमें एक कनहर परियोजना थी। यह योजना बहुत पुरानी योजना थी, यह योजना वैसे तो 1781 करोड़ की योजना आज की डेट में पहुंच चुकी है। बहुत पहले शुरू की गयी थी लेकिन हमने इस पर 155 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है और यह योजना जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बुन्देलखण्ड के सोनभद्र जिले में ये बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई थी, तो इसमें हमने जो बजट का प्राविधान किया है, उससे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसको लाभ पहुंचेगा और इसके साथ-साथ एक योजना है, इलाहाबाद और मिर्जापुर में बाण सागर योजना है और यह बहुत ही पुरानी योजना है, बहुत पहले इसे पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन इसमें पुरानी सरकार ने 4 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना के केवल ठेके बांटे हैं, उस पर काम नहीं किया है, 4 हजार करोड़ रुपये के ठेके देकर के उसमें केवल 5 प्रतिशत काम कराया गया था और हमने दो साल के अन्दर इस योजना को शुरू करारकर 70 प्रतिशत इस योजना को पूरा किया है। (मेजों की थपथपाहट) इसके साथ-साथ जो बुन्देलखण्ड में एक है जबरार बांध परियोजना फेज-2 इस हेतु मैंने 65.70 करोड़ प्राविधान किया है, पहाड़ी बांध हेतु 85.74 करोड़, बन्दई बांध हेतु 55.30 करोड़, बहावनी बांध हेतु 100 करोड़, लहचुरा बांध के लिए 30 करोड़, पथरई बांध हेतु 25 करोड़, अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 100 करोड़, उटारी बांध हेतु 30 करोड़, कचनौधा बांध हेतु 30 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में हमने की है, तो जब इतना बुन्देलखण्ड का हिस्सा जो बहुत सूखे से ग्रस्त है। बुन्देलखण्ड में पानी की दिक्कत रहती है, पीने के पानी की दिक्कत रहती है, सिंचाई के लिए रहती है, तो हमने इन बाधों पर काम किया है। बहुत पहले इन योजनाओं को शुरू किया था, ये अधूरे पड़े हुए थे बांध इन पर भी बहुत तेजी के साथ काम शुरू करा दिया है। इसके अलावा आपको अवगत कराना है कि भौरक बांध परियोजना पिछले कई सालों से लंबित थी, जिसकी डिजायन पिछली सरकार के द्वारा गलत तरीके से बना दी गयी थी हमने उस डिजायन को तैयार करा लिया है और इसे स्वीकृत कराकर शीघ्र इस पर भी कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा और बुन्देलखण्ड में पानी पीने के लिए झांसी जिले में एक बबीना तहसील में 15 गांवों को पानी की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है।

मान्यवर, साथ ही जनपद बांदा में बाघेन नदी पर बीयर बनाकर जनपद बांदा को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिससे कि वहां की पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सके। मान्यवर, झांसी के एरच में बेतवा नदी पर नया बैराज बनाने की परियोजना शीघ्र ही स्वीकृत कर दी जायेगी, जिससे इस क्षेत्र को पीने के पानी की सुविधा सुलभ हो सकेगी।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद झांसी, महोबा एवं बांदा के ग्रामीण क्षेत्र के पानी की समस्या के निदान हेतु पुराने बड़े तालाबों के पुनरोद्धार हेतु तथा प्रदेश के अन्य जनपदों यथा-सोनभद्र,

बरेली, रामपुर आदि में उपलब्ध बड़े तालाबों के पुनरोद्धार हेतु आर0आर0आर0 आफ वाटर बाडीज योजना के अन्तर्गत रु0 100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्राविधानित है।

मान्यवर, विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना-द्वितीय चरण के अन्तर्गत 16 जनपदों बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, ललितपुर, एटा, फिरोजाबाद, कासगंज, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरेया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर तथा कौशाम्बी की नहरों की क्षमता वृद्धि हेतु इस वर्ष रु0 200 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है। हाल ही में नरौरा बैराज से नहर के अतिरिक्त एक हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।

मान्यवर, जनपद मुरादाबाद, संभल, अमरोहा में निर्माणाधीन मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण हेतु रु0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

बरेली एवं बदायूं जनपदों में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु निर्माणाधीन बदायूं सिंचाई परियोजना के लिए रु0 151 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, जनपद बदायूं में ही सिंचाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए बदायूं लिफ्ट कैनाल इरिगेशन की परियोजना प्रस्तावित की गयी है, जिसके लिये रु0 करोड़ की व्यवस्था प्राविधानित है। मान्यवर, जनपद फिरोजाबाद में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु जसराना नहर परियोजना हेतु रु0 53.51 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, पूर्वांचल के गोरखपुर, कुशीनगर आदि जनपदों में सिंचाई की सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए गण्डक नगर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना हेतु रु0 79 करोड़ की व्यवस्था प्राविधानित की गयी है।

हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में पहली बार अभियान चलाकर प्रदेश की नहरों की खरीफ एवं रबी दोनों फसलों के पूर्व सिल्ट सिंचाई का कार्य कराया गया है, जिससे सिंचन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जिसकी व्यापक प्रशंसा हुई है। विश्व बैंक द्वारा भी इस प्रयास की सराहना की गयी है। विगत दो वर्षों में कुल 37983 कि0मी0 नहरों की सफाई कराई गयी। इस प्रकार नहरों की सिल्ट सफाई के पश्चात् लगभग 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई में वृद्धि हुई है। इसकी वजह से खाद्यान्न समस्या भी बहुत हल हुई है और हमारा उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में नम्बर एक, जब सिंचाई की सुविधा अच्छी हुई है तो हमारा उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में नम्बर एक पर आ गया है।

अध्यक्ष जी आपको पता ही है कि इसके साथ-साथ भयानक बाढ़ से भी हमारे प्रदेश को जूझना पड़ता है तो हमारी सरकार ने संवेदनशील बंधों को बचाने के लिए पड़ेसी देश नेपाल से भी वार्ता प्रारम्भ की थी। आपको पता है आप भी साथ में थे, नेपाल में भी वार्ता की गयी थी। मान्यवर, अतिसंवेदनशील स्थानों को चिन्हित करके इस वर्ष अप्रैल माह में ही रु0 450 करोड़ अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गयी जिससे बाढ़ से पूर्व मौके पर कार्य हो सके हैं। और बाढ़ से बचने के लिए नदियों पर जहां-जहां संवेदनशील जगह हैं वहां पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। वाराणसी जनपद में गंगा नदी पर मालवीय घाट, राजनारायण घाट व लोहिया घाट के निर्माण की परियोजनाओं हेतु क्रमशः

10-10 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके 30 करोड़ की व्यवस्था कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त मथुरा-वृन्दावन तथा गढ़मुक्तेश्वर के घाटों का व्यापक सर्वेक्षण कराकर नये घाटों के निर्माण आदि की योजना तैयार करायी जा रही है। जनपद रामपुर में कोसी नदी पर नया बैराज बनाकर सिंचाई की परियोजना बनाया जाना प्रस्तावित है। डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत इस वर्ष 749 नये नलकूपों के निर्माण हेतु रु0 250 करोड़ 2137 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण हेतु रु0 68 करोड़, 369 राजकीय नलकूप पुनर्निर्माण हेतु रु0 68 करोड़ का प्राविधान वर्ष 2014-15 में कर दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं के अन्तर्गत जनपद इटावा में 50, सम्भल में 25, चित्रकूट में 10 तथा बांदा में 75, इस प्रकार कुल 160 नये राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु रु0 9.00 करोड़ की बजट व्यवस्था प्राविधानित है। माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में गडई नदी पर महदेउर नवीन पम्प नहर, कर्मनाशा नदी पर स्थापित पम्प नहरों को स्वतंत्र फीडर से जोड़ने की परियोजना एवं बलुआ पम्प नहर क्षमता वृद्धि परियोजना हेतु बजट में रु0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

जनपद रायबरेली में डलमऊ बी पम्प नहर की पुनर्स्थापना हेतु रुपया 13.67, जनपद मऊ में स्थापित चौधरी चरण सिंह दोहरी घाट पम्प नहर के पम्पों व अन्य उपकरणों की पुनर्स्थापना तथा नहर की क्षमता पुनर्स्थापना हेतु 13 करोड़ तथा जनपद बलिया में स्थापित दोहरी घाट में स्थापित सहायक पम्प नहर की क्षमता पुनर्स्थापना हेतु 3 करोड़, जनपद बस्ती में स्थापित चौधरी चरण सिंह कुवानों पम्प नहर की लाइनिंग हेतु रु0 4 करोड़, जनपद बलिया में स्थापित सुरहाताल पम्प नहर की पुनर्स्थापना हेतु रु0 85 लाख, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद महोबा में निर्मित चौ0 चरण सिंह चरखरी पम्प नहर के सेवा मार्ग को पक्का करने व लाइनिंग हेतु कुल 250 करोड़ रुपये एवं जनपद कानपुर देहात में स्थापित उमरहट पम्प नहर हेतु रु0 58.79 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार जनपद कौशाम्बी में जोगापुर पम्प नहर (नवीन) हेतु रु0 55 लाख, जनपद इलाहाबाद में टुडियार पम्प नहर (नवीन) हेतु रु0 1.02 करोड़, जनपद चन्दौली में कोठीघाट पम्प नहर (नवीन) हेतु रु0 1.35 करोड़ चन्दौली में ही सोगाई पम्प नहर (नवीन) हेतु रु0 1.99 करोड़, चन्दौली में धन कुंवारी पम्प नहर हेतु रु0 7.53 करोड़, जनपद कानपुर नगर में छतरापुर लिफ्ट पम्प नहर की क्षमता वृद्धि हेतु रु0 34 लाख, जनपद चन्दौली में बहुआ पम्प नहर परियोजना हेतु रु0 1 करोड़, जनपद सोनभद्र में बसुहारी पम्प नहर परियोजना हेतु रु0 2.2 करोड़ एवं कार्यरत लघु लिफ्ट नहरों के आधुनिकीकरण हेतु रु0 9.3 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

प्रदेश की लघु डाल नहरों के आधुनिकीकरण हेतु 10 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रावधानित की है। और कमांड एरिया के विकास पर अभी तक ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था, इस कारण इस विभाग द्वारा जो गूलों के निर्माण से सम्बन्धित कार्य कराया गया, उसमें 60 से 70 फीसदी गूलें टूटी हुयी हैं। इसका कोई भी उपयोग सिंचाई के लिये नहीं हो पर रहा था। अतः सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुये कमान्ड एरिया विभाग को सिचिंत विभाग में मर्ज कर दिया है ताकि सिंचाई विभाग द्वारा विकसित की गयी सिंचन क्षमता का महत्तम उपयोग करते हुये गूलों के माध्यम से कमान्ड एरिया के प्रत्येक किसान तक पानी पहुंचे। इस वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कमाण्ड एरिया डेवलमेंट जल प्रबन्धन हेतु केन्द्रीय सहायता सम्मिलित करते हुये 300 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार पूरे

उत्तर प्रदेश में अधिकांश सभी जिलों में सिंचाई की व्यवस्था के लिये पीने के पानी के लिये, सिंचाई के लिये, कहीं पर भी बाढ़ से और बाढ़ के साथ-साथ सूखे से भी बचने के लिये पानी के प्रबन्ध का इस बजट में प्रावधान किया गया है तो मुझे भरोसा है कि यह इतना अच्छा बजट उत्तर प्रदेश के लिये आया है, इससे पहले कभी पूरे प्रदेश के लिये सिंचाई में इतना अच्छा बजट नहीं आया। सिंचाई की वजह से हमारे प्रदेश की खाद्यान्न समस्या बहुत कुछ हल हुयी है। हमने दो साल के अन्दर लगभग 12 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता को बढ़ाया है। इसलिये हमारा उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में नं0 एक है। इसलिये इतने अच्छे बजट को लाकर मुझे यह भरोसा है कि इसे आप सर्वसम्पत्ति से पास करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

श्री अजय कुमार लल्लू जी एक चीज ध्यान रखियेगा कि अपने महत्वपूर्ण विचारों को आप कम समय में रख दें जिससे तमाम सदस्य भी चर्चा में हिस्सा ले सकें क्योंकि जब इसमें बहुत ज्यादा समय चला जाता है तो माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलता। इसलिये 15 मिनट में आप अपनी बात रख दें।

*श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष-

तीसरा जो है, भूमि विकास एवं जल संसाधन, वह माननीय नेता प्रतिपक्ष ने श्री राजेश त्रिपाठी जी को कटमोशन के लिये रखा है, उसे वह रखेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय लल्लू जी उसको भी रख दें, बाकी लोग अपने विचार रख देंगे।

*पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसको भी साथ में रखवा दें, बाकी चर्चा साथ-साथ चलती रहेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये सिंचाई विभाग, निर्माण कार्य के परिव्ययों को चुकाने के लिये 55,09,02,97,000 रु0 मात्र धनराशि की व्यवस्था की गयी है। साथ ही साथ सिंचाई विभाग, अधिष्ठान के परिव्ययों को चुकाने के लिये 21,44,77,31,000 रुपये धनराशि की मात्र व्यवस्था की गयी है और यह भूमि विकास एवं जल संसाधन के लिये 3,33,69,62,000 रुपये मात्र धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, इतनी धनराशि का सदुपयोग तभी हो पायेगा जब विभाग त्वरित एवं समयबद्ध कार्य करायेगा। मा0 मंत्री जी ने बहुत अच्छे बजट की चर्चा की है और ढेर सारी परियोजनाओं का हम सभी लोगों के बीच में गिनती किया। मा0 अध्यक्ष जी, योजनायें तो बनती हैं लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन अगर ठीक ढंग से हो जाये और समयबद्ध तरीके से हो जाये तो शायद उन योजनाओं से किसानों को, आम लोगों को भारी राहत मिले और जो किसानों को नहरों से लाभ मिलना चाहिए या बाढ़ से जो बचाव होना चाहिए उसका समुचित उपाय न कर पाने के कारण शायद यह स्थिति बनी रहती है कि बाढ़ से सही समय से बचाव न होने के कारण तमाम बन्धे कभी-कभी टूट जाते हैं बाढ़ से तमाम गांव विभीषिका को झेलने के लिए मजबूर होते हैं। जो मा0 मंत्री जी ने चिन्ता व्यक्त की तो मैं मा0 मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विश्वबैंक के सहयोग से यू0पी वाटर सेक्टर रिसर्च क्राचिंग परियोजना प्रस्तावित थी। इसमें जो स्थिति है वह है 3526 करोड़ रुपये की यह परियोजना थी और आज इससे करीब घाघरा, गोमती बेसिन से बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और जौनपुर और बुन्देलखण्ड के बांदा, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर जिले शामिल हैं।

मान्यवर, यह योजना वर्ष 2015 तक पूरी होनी थी और जिस गति से काम चल रहा है मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि वर्ष 2020 तक यह परियोजना पूरी नहीं हो पायेगी। आप जानते हैं कि बुन्देलखण्ड में सूखे की मार कितनी तेजी से किसान झेल रहा है। रोज आप मीडिया के माध्यम से जिसका संज्ञान यहां नहीं लिया जाता, टी0वी0 के माध्यम से जिसका संज्ञान यहां नहीं लिया जाता है लेकिन देखने को मिल रहा है कि किसान किस तरह से आत्महत्या करने पर मजबूर है। मान्यवर, मैं इसी क्रम में एक चिन्ता व्यक्त कर रहा हूं मा0 मंत्री जी ने अभी बताया कि राप्ती बेसिन जो निर्माणाधीन है 1978 से, बहराइच बैराज से वह पानी निकलता है, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती, अम्बेडकर नगर, सन्तकबीर नगर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर को इससे लाभ होता है। मान्यवर, 1978 से इस नहर का निर्माण कार्य चल रहा है और अब तक यह निर्माणाधीन है और यह कब तक पूरा होगा यह मैं जानना चाहता हूं। मान्यवर, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो योजना 1978 से अब तक पूरी नहीं हो पाई सरकार इसे कब तक पूरी करेगी यह सरकार की दृढ़ता और उसके निश्चय पर निर्भर करता है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर प्रणाली, जिसकी मा0 मंत्री जी ने चर्चा की, उन्होंने 79 करोड़ रुपये का प्रावधान सदन में रखा। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 2008 से यह परियोजना स्वीकृत है, 1 करोड़ रुपया भारत सरकार ने वर्ष 2008 में दिया और यह किलोमीटर 81.0 से लेकर 131 तक बाल्मीकि नगर बैराज से

निकलती है। बाल्मीकि नगर बैराज जो नेपाल में पड़ता है लेकिन जब नेपाल का बंधा टूटता है तो उसको भी हमारा इरीगेशन डिपार्टमेंट ही ठीक करता है। यहां पर स्थिति यह है कि यह परियोजना उस समय 233 करोड़ रुपये की थी और यह रिवाइज पर रिवाइज होती जा रही है और यह परियोजना अब 375 करोड़ रुपये की हो गयी है। मान्यवर, 79 करोड़ रुपये मे इस परियोजना का मुझे नहीं लगता कि ढेर सारा काम हो पायेगा। जब कि आज की डेट में नहरों का 35 सौ किलोमीटर का जाल हमारे पूरे कुशीनगर जनपद में है। महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर, 35 सौ किलोमीटर नहरों के क्षेत्र में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मा0 अध्यक्ष जी, रेगुलेटरों का हाल आप जा करके देख लीजिए, रेगुलेटर पूरी तरह से टूटे हुए हैं। जो मा0 मंत्री जी ने हेड से टेल तक सफाई की बात की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष जी कि आप वहां चले जाईये, कोई भी सदस्य या अधिकारी चला जाए उसका हेड पूरी तरह से सिल्ट से पटा हुआ है। उसका जो गेट है, गेट की स्थिति यह है कि वह उठता ही नहीं है, गेट को उठाने का प्रयास किया जाता है तो वह उठता ही नहीं हैं इतना ही नहीं अगर उसकी रेलिंग देख लेंगे, पुलों की स्थिति पूरी तरह से खराब पड़ी हुई है, पुलों की स्थिति के साथ-साथ रेलिंगें टूटी पड़ी हुई हैं कुशीनगर और महराजगंज क्षेत्र में। मान्यवर, स्थिति यह है कि रोज घटनायें होती हैं अगर कोई व्यक्ति रात में साइकिल से पुल पार करता है तो साइकिल समेत वह गिर जाता है और दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि इस बजट में उसका भी प्राविधान मजबूती से होना चाहिए। जो मेन कैनाल की रेगुलेटर या उसका हेड है उसकी रेलिंग है, पुल है उसकी भी मरम्मत होनी चाहिए। इस सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष जी, इनका जो मुख्य पश्चिमी गण्डक कैनाल है, कैनाल, शाखा और माइनर ये तीन चीजें होती हैं, कैनाल से शाखा में पानी निकलता है और शाखा से माइनरों में जाता है। कैनाल की स्थिति यह है कि उस समय 03 फीट शिल्ट जमा था वह आज 06 फीट हो गया है।

अध्यक्ष जी, अगर सरकार इसको साफ नहीं करा सकती, यह तो बालू ही है। मेन कैनाल में जो बालू है, जब नहरें बन्द होती हैं तो उस समय उसका टेण्डर दे दीजिए, किसान ही उसकी सफाई कर देगा और आपकी बालू भी बिक जायेगी और आपको राजस्व भी मिल जायेगा और उस कैनाल की सफाई भी हो जायेगी। अगर ऐसा हो सकता है तो इसको भी करने की जरूरत है, कम से कम वह मेन कैनाल साफ हो जाय और मेन कैनाल में अधिक पानी होने के नाते स्थिति यह होती है कि चार सौ क्यूसेक, पांच सौ क्यूसेक पानी जब आता है तो पानी के अधिक होने के साथ-साथ जब खारिज किया जाता है पानी के खारिज करने की स्थिति यह होती है कि जो इनका स्केप होता है वह स्केप से खारिज होने के बजाए उस पर कोई प्राविधान नहीं है, लोगों की खेती को बर्बाद करता है, उनकी खेती को काटना और गांव भी प्रभावित होते हैं। मेरे संज्ञान में है कि मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर से मैं दावे के साथ कह सकता हूं उससे अब तक हजारों किसानों की खेती कटकर पानी में विलीन हो गयी है। क्योंकि नहर तो सीधा है दोनों तरफ उसका बैंक बना है, वह मिट्टी का है काटते-काटते किधर चली जायेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मैं मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि शारदा नहर, शारदा नहर की बात हुई है, शारदा नहर की पोषक नहरों से जो पानी निकलता है आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर ये सारे जिले इससे कबर होते हैं इसकी भी सफाई पिछले कई वर्षों से नहीं हुई है इसकी भी

स्थिति जीर्ण-शीर्ण अवस्था में बनी हुई है। मैं आपका ध्यान बाढ़ की तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगा, प्रदेश में बाढ़ की परियोजनायें बनती हैं हाई-फ्लड लेबिल कमीशन की टीम आती है दिल्ली व पटना से और जगह-जगह जाती है परियोजनाओं को देखती है, इनके विभाग के अधिकारी जाते हैं, स्वीकृत करती है, स्वीकृत करने के बाद स्थिति यह होती है कि इनकी टी0ए0सी0 टीम की मीटिंग होती है टी0ए0सी0 टीम की मीटिंग होने के बाद इसकी स्वीकृति की जाती है तब जाकर धन कर आवंटन होता है। मा0 मंत्री जी मैं पिछले तीन वर्षों से जो स्थिति देख रहा हूं हालत यह है कि बाढ़ पर इनका नियंत्रण हाई फ्लड कमीशन की टीम 15 जून से 15 अक्टूबर बाढ़ का समय होता है और अक्टूबर के बाद हाई फ्लड कमीशन की टीम आती है वह प्रस्तावित करती है वह चिन्हित करके कि अस्टड बनाना है स्पर बनाना है या रिबेटमेंट करना है उसकी जो परियोजना बनाती है उसके बाद इनकी मीटिंग होती है उन परियोजनाओं को स्वीकृत करने के बाद उस पर धन आवंटन किया जाता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपने दो तीन बार उल्लेख किया हाई फ्लड कमीशन शायद आप कुछ दूसरा कहना चाहते होंगे मैं सिर्फ आपकी मदद के लिए कहना चाहता हूं आलोचना के लिए नहीं कहना चाहता इस तरीके का कोई कमीशन या इस तरीके की कोई कमेटी है नहीं किसी कमीशन का उल्लेख करना चाहते हों तो ठीक कर लें मैंने इसको ठीक करने के लिए कहा है टोकने के लिए नहीं कहा है।

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

सरकार को दो साल हुए हैं यह तीन साल की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह नए सदस्य हैं बाढ़ वाले क्षेत्र से आए हैं इनको कह लेने दें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

हाई फ्लड लेविल की टीम अधिकारी जानते हैं वह आते हैं जब तक वह स्वीकृति नहीं देते हैं अध्यक्ष जी पटना से टीम आती हैं।

श्री अध्यक्ष-

दूसरा कहा जाता है उसमें सभी विभाग शामिल होते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

वह जब तक स्वीकृति नहीं देती तब तक आगे की कार्यवाही नहीं की जाती। परियोजनाओं में पैसा समय से आवंटित हो जाये मैं दूसरे प्रदेश बिहार की बात कर रहा हूं बंगाल की स्थिति यह है कि अप्रैल, मई तक सारे काम कर लिये जाते हैं। पिछले साल भी माननीय मंत्री जी ए0पी0 तटबन्ध पर गए थे मैं इनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं इन्होंने वहां की स्थिति को देखा अध्यक्ष जी पिछले साल हम लोगों को धरने पर बैठना पड़ा तब जाकर काम शुरू हुआ। सात दिन नदी के किनारे मैं धरने पर बैठा यहां से ई0एन0सी0 गए उन्होंने देखा तब जाकर किसी तरह से वहां काम शुरू करवाया। स्थिति यह है कि अब जाकर उसकी स्वीकृति मिली है। मेरा कहना सिर्फ यह है कि अगर बन्धे का मरम्मतीकरण, अस्टड, स्पर जो भी बनाना हो सरकार जानती है कि क्या करना है। अध्यक्ष जी जैसे बिहार में 10 मई तक सारी परियोजनाओं को बनाकर पूरा कर लिया जाता है इनके यहां तो

अप्रैल में विचार होता है। तो जैसे अक्टूबर खत्म होगा इनको चिन्ता होनी चाहिए कि बन्धे पर चले बन्धे की स्थिति इनके अधिकारी देखें जो भी वहां से रिपोर्ट आए उस पर इनके विभागीय लोग बैठें चिन्तन करें, मंथन करें और उस पर जितना बजट एलाट करना हो वह तत्काल एलाट करके समय सीमा में उन बंधों को पूरी तरह से ठीक किया जायेगा तो जब बाढ़ आती है उस समय फ्लड फाइट के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपयों का अधिकारियों द्वारा बंदरबांट किया जाता है इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए पिछली साल सन्तकबीर नगर का बंधा टूटा था अध्यक्ष जी यह आपके संज्ञान में होगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आपको दो मिनट और दिया जाता है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी मैं चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, सन्तकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर, रामपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर ऐसी तमाम जगहें जो बंधे से घिरी हुई हैं माननीय मंत्री जी पिछली बार गये थे। और उसके पहले साल भी गये थे जिस साल हम लोग नया-नया चुन कर आये थे। तत्काल में सरकार का गठन हुआ था। और मंत्री जी वहां गये थे इन्होंने कहा था अधिकारियों से कि इसका पक्का निर्माण क्यों नहीं करा देते, हर साल बन्धा टूटता है और हमको बोल्डरिंग का काम करना पड़ता है। अगर इस तरह का प्राविधान मंत्री जी ने सोचा है तो उसको करना चाहिए। एक अंतिम बात माननीय अध्यक्ष जी, अंतिम बात यह कि बन्धे और गांव की आबादी के बीच में कुछ हिस्सा होता है। स्थिति यह है हम ए0पी0 तटबन्ध की बात कर रहे हैं हमारे नरवा जोत में इस समय कटान बड़ी तेजी से है। स्थिति यह है कि बन्धे और आबादी के बीच में कुछ हिस्सा बचा हुआ है वह आज बड़ी तेजी से कटान हो रहा है। इनके विभागीय अधिकारियों का यह पब्लिकी वक्तव्य है जिलाधिकारी कुशीनगर से पूछ सकते हैं। उनका यह कहना है कि आबादी कट जाये मुझे इससे कोई चिन्ता नहीं हम बन्धे को बचाने के बारे में सोचेंगे। मान्यवर, बन्धे और आबादी के बीच का वह हिस्सा जहां करोड़ों रुपये का बोल्डर जा रहा है अध्यक्ष जी, अगर 50 लाख एक करोड़ रुपये में उस सड़क को बचाकर जिससे आप बोल्डर को उस रास्ते ले जाते हैं अगर उसको बचाकर वहां काम कर सकते हैं और इनके विभाग के अधिकारी सीधे यह कहें कि बन्धा भले बच जाय, आबादी भले कट जाय। मुझे लगता है ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि आबादी से ही बन्धा है और हम लोगों से यह काई भी व्यवस्था है तो मैं आपके माध्यम से इस पर भी ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से मांग करूंगा। आपने मुझे मौका दिया, पहली बार कटौती प्रस्ताव रख रहा हूं शायद कोई कमी हो तो हमें क्षमा करें। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिंचाई विभाग के इस बजट पर जो माननीय मंत्री जी द्वारा रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंचाई विभाग न केवल किसानों की मदद का सहारा है बल्कि सिंचाई के संसाधनों से हमारे मानव प्रगति के साथ-साथ जीव-जन्तु जानवर और पेड़ों का भविष्य भी जुड़ा है। जहां तक हमारे देश में पानी के संसाधनों का सवाल है, मान्यवर, हमारे देश में आने वाले बादल जो समुद्र से पानी को उठाकर हमारे देश के कोने-कोने तक पहुंचाने का काम करते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाले बादलों के कारण हम अपने पूरे हिन्दुस्तान में पानी के स्रोत्र के रूप में पाते हैं।

मान्यवर, चिन्ता का विषय यह है कि जो प्रकृति ने हमें साधन दिये उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाये जिसके कारण हमारी आज सबसे बड़ी परेशानी है कि समुद्र का पानी बढ़ रहा है और जमीन का पानी लगातार घटता जा रहा है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बना देश में, जिसने प्रयास किया है कि हम सिंचाई के साधन केवल किसानों की मदद के लिये नहीं बढ़ायेंगे बल्कि जलस्तर को कैसे साथी जो कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे वह चर्चा में समझाने का प्रयास कर रहे थे कि बुन्देलखण्ड में कुछ योजनायें चल रही हैं, उन पर ठीक से काम नहीं हो रहा है। हमारे साथी को कुछ जानकारी का अभाव है। हम बताना चाहते हैं कि इस सरकार के फैसले ने और हमारी पुरानी सरकार के फैसले ने जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में बनी थी उन फैसलों के कारण आज बुन्देलखण्ड ऐसा क्षेत्र है कि मान्यवर, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि एशियाई क्षेत्रों में इतने बांध कहीं नहीं बने हैं जितने बांध आज अकेले बुन्देलखण्ड के अन्दर बनाये जा रहे हैं (मेजे थपथपाई गईं) मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिनकी योजनाओं की बुनियाद हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने बनाई थीं, उन योजनाओं को आगे बढ़कार पूरा करने का जिम्मा अपने कन्धों पर लिया और बजट का प्राविधान किया और लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का प्रबन्ध करने का प्रयास किया है। चाहे तो कचनौदा बांध ललितपुर का हो, चाहे अर्जुन सहाय परियोजना हमीरपुर की हो, चाहे चौधरी चरण सिंह लहचूरा बांध झांसी का हो, चाहे केवरारी बांध परियोजना महोवा, पहुंच नदी बांध परियोजना झांसी, भउनी बांध परियोजना ललितपुर, उटारी बांध परियोजना ललितपुर, भड़ौत बांध ललितपुर, पहाड़ी बांध झांसी, जमनार बांध ललितपुर, लोहारी रोहाड़ी बांध ललितपुर, चौधरी चरण सिंह सरिल बांध चित्रकूट आदि जितना काम आजादी के बाद सारी सरकारों ने मिलकर नहीं किया। उससे तीन गुणा काम माननीय मंत्री जी की योजनाओं के द्वारा लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचिंत करने का प्रबन्ध किया गया है।

(इस समय 1 बजकर, 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा पीठासीन हुईं।)

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अपने इस बजट के माध्यम से जहां एक बड़े क्षेत्र को सिंचित करने का प्रयास किया है। वहीं पानी लोगों तक पहुंचे, किसान के खेत तक पहुंचे। टेलों की सफाई वर्षों से नहीं की गयी। हमारे कटौती रखने वाले साथी बता रहे थे, वह जाकर देख लें, मान्यवर, आप जानकारी कर सकते हैं, जितना टेलों की सफाई का काम पिछले 15 सालों में नहीं हुआ, उतना कुल 2 वर्षों के अन्दर किया गया। हजारों कि0मी0 नहरों की सफाई पहली बार हुई और जनता के बीच में एक विश्वास जमा, पहली बार एक प्रयास हुआ, किसान ने महसूस किया कि किसानों की सरकार है, वह सिंचाई के साधन ही नहीं बढ़ा रही है बल्कि पानी उसके खेत तक कैसे पहुंचे उसका प्रबन्ध भी कर रही है। सिल्ट सफाई का मसला हो, चाहे नई नहरों के निर्माण का मसला

हो, मान्यवर, यह सारे कामों में माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट में संसाधन बनाये गये हैं, उन पर काम करने का प्रयास किया गया है। मैं और लम्बी बात नहीं खींचना चाहता, लेकिन मैं एक बात अपने साथियों से कहना चाहता हूं, जो और भी साथी आगे बोलने वाले होंगे, अपनी-अपनी बातें से कहना चाहता हूं, अपनी-अपनी बातें करेंगे, मैं उनको भी एहसास कराना चाहता हूं क्योंकि वह बोल नहीं पाये हैं, उनको मौका हमारे पास आने वाला है। मैं याद कराना चाहता हूं उनकी सरकार के आखिरी बजट की धनराशि देख लें, वह धनराशि थी 5451 करोड़ रुपये और 2014-15 के बजट में प्राविधान है, 7587 करोड़ रुपये का। मान्यवर, विभिन्न योजनायें बनायी हैं, उसके साथ-साथ लघु सिंचाई विभाग की योजनाएं बनी हैं, बाढ़ नियंत्रण जल निकासी की योजनाएं बनी है, इसके लिए करोड़ों रुपये की व्यवस्था की गई है। यह चिन्ता की गई है कि बाढ़ से किसान को कैसे बचायें और पानी को रोक कर खेतों तक कैसे पहुंचाये। इसलिए मैं अपनी बात पर बल देता हूं और मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गए शानदार बजट का समर्थन करता हूं और आपने मुझे मौका दिया इसलिये धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद।

*श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे सिंचाई विभाग का बजट जो मा0 मंत्री जी ने रखा है, उस पर हमारे कांग्रेस पार्टी के मा0 अजय कुमार 'लल्लू' जी द्वारा जो कटौती रखी गयी है, उसी पर मैं बल देने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। महोदया, प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 240.96 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 165.62 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल है। जिसमें वास्तविक सिंचित क्षेत्र 134.35 लाख हेक्टेयर है। महोदया, यह सिंचित क्षेत्र नहर के द्वारा सिंचाई करने के लिए अन्य साधनों के द्वारा सिंचाई करने के लिए किसानों को उनकी फसलों में पानी देने के लिए यह एक योजना बनायी जाती है। उस योजना में नहरों का संचालन होता है, नहरों की सिल्ट सफाई होती है, नहरों का देखरेख किया जाता है, छोटी नहरें बनायी जाती हैं। जिसमें माध्यम से इसका मेन उद्देश्य यह होता है कि किसानों को उनकी सिंचाई व्यवस्था में काफी सहयोग किया जाए। महोदया, मुझे आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि हमारे लखीमपुर खीरी जनपद से जितनी भी नदियां चाहे वह बलिया तक जायें, चाहे गोण्डा में जायें, चाहे बहराइच में जायें, घाघरा, शारदा, सरयू आदि जो भी प्रमुख नदियां हैं, यह नेपाल से निकल कर लखीमपुर खीरी में आती हैं। टनकपुर से शारदा निकलकर लखीमपुर खीरी में जाती हैं, सरयू नदी लखीमपुर खीरी में जाती हैं। इन नदियों से ही शारदा सहायक परियोजना जो सबसे बड़ी नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की है जो लखनऊ होते हुए जौनपुर, सुल्तानपुर तक सिंचाई करने का काम करती है, अधिष्ठाता महोदया, वह लखीमपुर खीरी से निकलती है। अक्सर हमारे सिंचाई मंत्री जी हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी शारदा नगर जाते हैं और शारदा नगर में इस सिंचाई व्यवस्था का हालचाल देखते हैं। अक्सर नहरों के जो तटबन्ध बने हुए हैं, जो आज से नहीं 10-12 साल से उनका बनना शुरू हुआ है। शारदा सहायक तटबन्ध, शारदा नदी के किनारे पर जो तटबन्ध बना है, वह पूर्ण स्थिति में नहीं है। घाघरा नदी के किनारे जो तटबन्ध बना है, वह भी अभी तक अधूरा है। अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं चूंकि एक बहुत बड़ा पैसा उस पर काफी सालों से खर्च होता आ रहा है, इसलिए उस तटबन्ध को शारदा और घाघरा के तटबन्ध को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूर्ण कराने हेतु कोई योजना बनाये और उसे पूर्ण कराये जिससे नदियों के तटबन्ध सुरक्षित रहें। अक्सर तटबन्ध टूटने की बात होती है। हमारे कांग्रेस के भाई सदस्य ने भी बताया है कि लखीमपुर-खीरी में भी अधिकारियों की लापरवाही से तटबन्ध टूटा था। लखीमपुर खीरी में भी अधिकारियों की लापरवाही से तटबन्ध टूटा था और उसमें जिलाधिकारी तक को दण्डित किया गया था, महोदया मैं यह बताना चाहता हूं कि उन तटबन्धों पर जो खड़न्जा लगा हुआ था, जहां तक जो बने हैं नहरों के किनारे, जो नहर से शारदानगर से एक झण्डी मार्ग जा रहा है, उस पर पक्की रोड बनी हुई है, वह पक्की रोड अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हालत में हो गई है, आधी रोड को सही कराने का काम हुआ है और आधी रोड इसलिए नहीं सही हुई है कि वह किसी दूसरे खण्ड में आती है। सबसे ज्यादा बाढ़ की शुरूआत लखीमपुर-खीरी में होती है और प्रमुख नदियां हमारे यहां हैं चूंकि उन नदियों में बाढ़ आने की वजह से कटान होने की वजह से, जब कटान गांव का शुरू होता है, तब उसमें अधिकारी लोग जाते हैं कि हां गांव का कटान रोका जाय। 4-6-8-10 गांव नहीं बल्कि पूरे तहसील क्षेत्र में 15-20 गांवों में कटान हुआ और लोग घरों से बेघर हुए जब उनके पुनर्वास की बात की गई तो उत्तर में यह मिला कि कुछ लोगों को बसाया गया है और कुछ लोग स्वेच्छा से बसे हैं। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि वह वहीं उन्हीं बंधों पर बसे हुए हैं, क्योंकि उनको जमीन नहीं उपलब्ध कराई गई, उनके पास जमीन नहीं थी। मान्यवर, बस दो-तीन बातें कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, पहली मांग मेरी कि शारदा और घाघरा के तटबन्धों को पूर्ण कराया जाय और तटबन्धें पर जो रोड बनी हुई है, उन रोडों को बनाया जाय। मंत्री जी ने कहा कि खड़न्जा लगवाने की भी बात हो रही है, पिछली बार के बजट में भी कहा गया था कि जो बांध बने हुए हैं उन पर रोड बनाई जायेगी, बाढ़ के बचाव हेतु उपाये किये जायं समय से गांव को रोकने के लिए योजना बना कर उनको रोका जाय और एक महत्वपूर्ण घटना जो अभी हिमाचल प्रदेश में हुई है कि हमारे छात्र कुछ गये थे वहां बैराज के पास, पिकनिक के उद्देश्य से गये थे, लेकिन एकदम से पानी आया और छोड़ दिया गया। हमारे यहां भी गिरजापुरी बैराज बना हुआ है, गिरजा बैराज और शारदानगर से जब पानी छोड़ा जाय।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करें, पांच मिनट से ऊपर हो गया, कृपया संक्षिप्त करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

अधिष्ठाता महोदया बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे यहां पर हुई थी, बाढ़ से लोग फंसे थे, यहां शासन द्वारा हेलीकाप्टर जब भेजा गया है, तब जाकर बाढ़ से वह लोग निकले थे, इसके लिए मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। तो यह कहना चाहता हूं कि जब पानी वहां से छोड़ा जाय तो वहां के पास-पड़ोस के गांव को लाउड-स्पीकर के माध्यम से उनको सूचित कराया जाय जिससे कि वहां पर जनहानि न होने पाये और कटान प्रभावित लोग जो तटबंधों पर आकर बसे हैं, जल्द से जल्द उनके लिए भूमि की व्यवस्था की जाय, उनको बसाने की व्यवस्था की जाय। यह कहकर न टाला जाय कि वह लोग अपनी स्वेच्छा से बस गये हैं, जैसा कि एक प्रश्न के उत्तर में मुझे यहां मिला। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और है कुछ कटान में जिन लोगों ने काम किया है, उनके भुगतान सम्बन्धी कुछ बातें रहती हैं, तो अधिष्ठाता महोदया मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सही काम किया है, उनको उनका सही भुगतान मिलना चाहिये और जिन लोगों ने गलत किया है, उनके खिलाफ

कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे कटमोशन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री सुशील सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे सिंचाई विभाग के इस बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मा0 मंत्री जी ने अपने बजट में तमाम योजनाओं को, परियोजनाओं को बताया है और दिखाया भी है, लेकिन मैं अपने जनपद की बात बताना चाहता हूं, हमारे यहो एक भपौली पम्प नहर क्षमता वृद्धि परियोजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद चन्दौली के लिए है। पर यह लगभग 2003-2004 में स्टार्ट हुई थी, 2006-2007 में इसको पूर्ण करा लिया जाना था, लेकिन आज भी इसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। उक्त कार्य के साथ ही इसमें 132 के0वी0ए0 का सबस्टेशन बनना था, लेकिन आज तक उसकी जमीन का भी मामला तय नहीं हो पाया है कि सब स्टेशन कैसे बनेगा। वहां सबस्टेशन बनना है तभी सिंचाई विभाग का पम्प चल पायेगा। तो वहां पर अभी जमीन का मामला ही तय नहीं हो पाया है, वहां के किसानों को जो उनका मुआवजा है वह भी नहीं मिला है, इसकी वजह से समस्या अभी बनी हुई है कि वह सबस्टेशन नहीं बन पाया है और वह सबस्टेशन बनने में लगभग एक साल लगेंगे। तो यह परियोजना कैसे पूर्ण मान ली जाय। क्योंकि इसमें लिखा गया है कि 2014-15 में इस परियोजना को पूर्ण कर लिया जायेगा लेकिन 2014-15 में इसमें कोई भी धन आवंटित नहीं किया गया है और इसमें अभी बिजली का काम होने की स्थिति भी नहीं लग रही है इसलिये मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो नहर है हमारे जनपद चन्दौली के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें 750 क्यूसेक क्षमता की जो वृद्धि परियोजना बननी है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में 480 क्यूसेक क्षमता वाली नहर है और 750 इसको बनना है लेकिन जो वर्तमान में नहर की स्थिति है और इसकी स्थिति काफी खराब है। इसके कार्य के लिये मूसाखाड़ प्रखण्ड वाराणसी में मुख्य नहर की रिमाडलिंग के लिये मिट्टी का काम तो हुआ है लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत बुरी स्थिति है। मैं इसमें मा0 मंत्री जी से चाहता हूं कि इसके बजट में लाइनिंग का कुछ प्रावधान करके क्योंकि बहुत मुख्य नहर है और पूरे जनपद की सिंचाई के लिये मुख्य नहर है तो इसमें लगभग 20 कि0मी0 लाइनिंग का प्रावधान डाल करके इस परियोजना को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाये, यह मेरा निवेदन है दूसरा विषय है मेरे क्षेत्र में मारूपुर क्षेत्र है, जनपद चंदौली के सकलडीहा विधान सभा क्षेत्र में मारूपुर क्षेत्र है और टाण्डाकला क्षेत्र है। जहां गंगा के किनारे यह बसा हुआ है और यह क्षेत्र पिछड़ा भी है।

उक्त जगहों के किसानों की कई सौ हेक्टेयर भूमि सिंचाई से असिंचित रह जाती है। अतः उक्त जगहों में से किसी भी स्थान पर अगर पम्प कैनाल अधिष्ठापित कर दिया जाये तो यह मेहरबानी होगी। तीसरा विषय है, मैं जनपद चंदौली के नरवल क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। जहां पर किसानों की ही जमीन है और वहां पर उस जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है। सिंचाई हेतु नरायनपुर पम्प कैनाल है वहां से नरवल क्षेत्र को पानी जाता है और नरायनपुर पम्प कैनाल का जो नरवल क्षेत्र है वह लास्ट छोर होता है इसलिये वहां पानी कभी पहुंच नहीं पाता है। मेरा सिर्फ मंत्री जी से निवेदन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि नरवल क्षेत्र के लिये जो जमुनिया पम्प कैनाल है वहां से काफी नजदीक है। वहां पर सरकार ने कोई परियोजना, अपना प्रोग्राम भी बनाया था। उसकी लिस्ट भी आपके पास होगी लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्य नहीं शुरू किया गया है। मेरा मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि इस परियोजना को अगर शामिल करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, कृपा होगी वहां के किसानों के लिये।

अधिष्ठाता-

जरा संक्षिप्त करें।

श्री सुशील सिंह-

2 मिनट मैडम। ऊषाकार बांध और नौगढ़ बांध, वर्तमान स्थिति में बहुत ही जर्जर हैं। दोनों बांधों से कई हजार भूमि सिंचित होती है लेकिन जर्जर होने की वजह से पानी का रिसाव वही पर हो जाता है और किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। दूसरा चन्द्रप्रभा बांध है वहां पर पुनरोद्धार परियोजना का कार्य हो रहा था और जिसमें कार्य अधूरा छूटा हुआ है, मैं चाहता हूं कि उसको भी पूरा कराने की कृपा करें। चौथा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि सिंचाई विभाग में रजवाहा वगैरह की खुदाई का कार्य भी होता है। जब बाढ़ की वजह से पानी वहां भरता है तो किसानों को दिक्कतें होती हैं। मेरे क्षेत्र मे एक बड़वलडीह रजवाहा है उस पर चाहता हूं कि माती गांव के पास एक रेगुलेटर अगर इस परियोजना में डाल दिया जाये तो मेहरबानी होगी।

अधिष्ठाता-

मा0 सुशील सिंह, अब समाप्त करें।

श्री सुशील सिंह-

हमारे वहां बड़वलडीह गहुरिया नाला है कादिराबाग के पास अगर वहां भी एक रेगुलेटर लगा दिया जाये तो मेहरबानी होगी। एक विषय परियोजना में है मैं उसके विषय में कहना चाहता हूं, मा0 मंत्री जी की परियोजना में है बलुआ पम्प नहर बी0पी0 परियोजना जो कि अभी 50 क्यूसेक की क्षमता से चल रहा है लेकिन इसको 100 क्यूसेक परियोजना में मा0 मंत्री जी ने डाला है और लगभग इसका दो साल से काम चल रहा है लेकिन वर्तमान स्थिति में इसका 10 परसेण्ट भी काम नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि अगर इसके कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा हो जाये तो जरूर वहां के किसानों को इसका फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात मैंने पहली बार में कहा कि भोपौली पम्प कैनाल है वहां जनपद की सबसे बड़ी सिंचाई की समस्या है। मेरा कहना है कि जो भोपौली पम्प कैनाल की परियोजना है उसमें पैसे को भेज करके उसके कार्य को जल्द से जल्द कराया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी,

मुझे वर्ष 2014-15 के सिंचाई विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र रूदौली की कुछ गम्भीर समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके निराकरण के लिए सरकार से मांग करता हूं।

1. घाघरा नदी के किनारे बसी ग्राम पंचायतें यथा-समय नासिर, खैरी, परसहूं, ऐथर, मानपुर बिचाला, जैथरी, उधरौरा, पस्ता, बरई, नयेपुरा, महंगू का पुरवा, पसइयचा, मुतौली, शहवाजपुर, शहवाजवक, शंकरगढ़, हाता भेजलसर, अलहवाना सहित कई ग्राम पंचायतों की खेती घाघरा के किनारे बने रौनाही तटबंध से दक्षिण तरफ बरसात के दिनों में हर वर्ष जलभराव के चलते नष्ट हो जाती हैं। किसानों की इस समस्या के समाधान के लिये मैंने पिछले वर्ष रौनाही तटबंध पर नये पुरा के पास पम्पिंग स्टेशन की स्थापना कराये जाने की मांग किया था। इसी क्षेत्र में घाघरा नदी के किनारे नूरगंज व मंहगू का पुरवा नदी के कटान से सैंकड़ों किसानों की उपजाऊ भूमि कट गयी व मकान बह गये। हर वर्ष बरसात के दिनों में होने वाली इस तबाही को रोकने के लिए सरकार से कार्ययोजना बनाकर इस समस्या का निदान करने हेतु पिछले वर्ष भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था।
2. क्षेत्र की दो लघुडाल नहरें नैरोजपुर बघेड़ी व डीह नौगवां लो-वोल्टेज की समस्या के चलते विगत तीन वर्षों से सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। जिसके कारण क्षेत्र के किसानों का सिंचाई कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है। इन दोनों लघु डाल नहरों के अविलम्ब सुचारु रूप से चलाये जाने के लिए मैंने पिछले वर्ष भी मांग किया था परन्तु अभी तक सरकार का ध्यान इस गम्भीर समस्या की तरफ नहीं गया है। जिसके कारण क्षेत्र के किसानों में गम्भीर आक्रोश है।
3. क्षेत्र की दो बड़ी नहरें सुल्तानपुर शाखा नहर व फैजाबाद शाखा नहर दोनों की पटरियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। विगत दो वर्षों से किसी तरह का कोई मरम्मत कार्य दोनों नहरों पर नहीं कराया गया। जिसके कारण नहर की पटरियों पर बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें घटीं। इन दोनों नहरों से निकलने वाली माइनरों व रजवाहों के सफाई का कार्य भी विगत दो वर्षों से नहीं कराया गया है जिसके कारण क्षेत्र के किसानों का सिंचाई कार्य बाधित हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र में माइनरों व रजवाहों की सफाई के लिए तत्काल प्रभावी निर्देश दिये जायें जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके।

मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री रामलाल अकेला-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिंचाई विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, मा0 मंत्री जी ने सिंचाई विभाग से सम्बन्धित जो बजट प्रस्तुत किया है, वह अपने आपमें एक शानदार बजट है, पहले सरकार बनते ही मा0 मंत्री जी ने जो संकल्प लिया था कि नहरों में हेड से टेल तक पानी पहुंचाकर किसानों के मुरझाये हुए चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे और आज दो साल के अंदर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कोन-कोन में सिल्ट सफाई ऐतिहासिक स्तर पर कराकर और किसानों को पानी पहुंचाने का काम किया गया, पैदावार बढ़ी और सबसे बड़ा काम हमारे सिंचाई विभाग ने यह किया कि किसानों की चाहे नहरों की

सिंचाई हो और चाहे सरकारी नलकूपों की सिंचाई हो उन सबको माफ करके किसानों को बड़ी राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है। महोदया समय कम है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता अपने क्षेत्र के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बछरावां जनपद रायबरेली के अंतर्गत शिवगढ़ एवं महराजगंज ड्रेन में अत्यधिक जल भराव के कारण बरसात के दिनों में शिवगढ़ विकास खण्ड का आधा हिस्सा समुद्र के टापू की तरह नजर आता है। बरसात में एक माह तक क्षेत्र की यही स्थिति बनी रहती है लगभग 5 हजार हेक्टेयर भूमि सीपेज व जल-भराव से प्रभावित रहती है। उस क्षेत्र के किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। शिवगढ़ ड्रेन पर जनपद बाराबंकी का भी पानी आता है। इसी में बदावर ड्रेन भी गिरती है, वेडारू झील को शिवगढ़ ड्रेन में गिरने के कारण बहुधा, लालगंज, वाजिदपुर, देहली मवैय्या पिण्डौली, बैती, बेडारू, पिपरी, ढैकुआ रानीखेड़ा आइमापुर, गुमावा, बसन्तपुर, सकतपुर रीमा, दरियावागंज आदि का पूरा इलाका इस ड्रेन के जल-भरव से पीड़ित है।

यही शिवगढ़ ड्रेन आगे महाराजगंज ड्रेन में मिलती है और फिर महाराजगंज ड्रेन महाराजगंज ब्लाक के सैकड़ों गांवों को प्रभावित करने का काम करती है। महोदया आपसे अनुरोध है कि शिवगढ़ ड्रेन तथा इसमें मिलने वाली छोटी ड्रेनें तथा नालों की पर्याप्त सफाई कराकर शिवगढ़ ड्रेन को शताब्दी ड्रेन से जोड़कर क्षेत्र को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की कृपा की जाये, यह शिवगढ़ ड्रेन बढ़ाकर ड्रेन में मिलती है, मवैय्या पिण्डौली यह सारा इलाका किसानों को, किसानों की हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो रही है, और इसमें बाराबंकी का हैदरगढ़ का भी आधा हिस्सा बर्बाद हो रहा है और कई बार हमारे मा0 मंत्री जी ने विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों का सूचित किया और घोषणा में भी रायबरेली में जाकर जो मा0 मंत्री जी ने किया है कि तत्काल इन ड्रेनों की सफाई का काम किया जाये। 6 महीना बीत जाने के बाद भी वहां के अधिकारियों ने वहां पर हमारे ए0सी0 महोदय ने देखा, प्रमुख सचिव के कहने पर ए0सी0 महोदय वहां पर तीन दिन पहले गए, एक-एक प्वाइंट उन्होंने जाकर देखा लेकिन इसके पहले जब मा0 मंत्री जी ने निर्देश दिया, तो जो वहां छोटे अधिकारी बैठे हैं अधिशासी अभियंता लेविल के अधिकारी उन्होंने प्रोजेक्ट बनाना मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने क्षेत्र में जाना मुनासिब नहीं समझा, ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए और आपके माध्यम से हम मांग करते हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी से कि यह बड़ी कठिन समस्या है। हमारे क्षेत्र का आधा हिस्सा, हमारे क्षेत्र के आधे किसान जमीन होने के बाद भी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मा0 मंत्री जी ने निर्देश दिया है बहुत जल्द उन ड्रेनों की सफाई का काम किया जायेगा और जो बजट प्रस्तुत किया है हमारे मा0 मंत्री जी ने, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत-बहुत, धन्यवाद।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मा0 अधिष्ठाता जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद मैं मा0 श्री अजय कुमार लल्लू जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं, वैसे तो हमारे पश्चिम में ज्यादा नदियां नहीं हैं लेकिन जो किसानों के नहरों की सिंचाई की माफी की जो घोषणा की उसके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं साथ में मैं यह बात भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री जी से कि हमारे क्षेत्र में जो नहरें हैं, बम्बे हैं और माइनर्स हैं उनके बगल से कोई-न-कोई नाला

इत्यादि हैं, इस तरह के नालों की सफाई की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है और मैं चाहूंगा कि हजारों एकड़ जमीन की चाहे वह हमारा लहतोई नाला हिसारा से निकलता हो और खुर्जा नाला मतकोला से इसी तरह थोरे, मुररे, आगलपुर से निकलने वाले नाले की सफाई काफी समय से नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक बैठक सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ हुई और उसमें लगभग 225 करोड़ रुपया बाढ़ नियंत्रण के लिए और नालों की सफाई के लिए चर्चा हुई और उसका बंदरबांट हुआ कोई उस पर काम नहीं हुआ, उसकी जांच करायी जाये ओर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्रवाई हो और नालों की सफाई करायी जाये। साथ में मैं यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के द्वारा जो पूर्व की भांति नहरों पर बम्बों पर और माइनर्स पर जो सड़क बनाये गए थे, वह सब क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनकी मरम्मत तक नहीं करायी जा रही है। भारी-भरकम बजट सिंचाई विभाग का है मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उन सड़कों की मरम्मत भी करायी जाये। धन्यवाद।

श्री राकेश बाबू-

मा0 अधिष्ठाता महोदया आपने मुझे सिंचाई विभाग के अजय कुमार लल्लू विधायक जी द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अधिष्ठाता महोदया, मैं जनपद-फिरोजाबाद के अपनी टूण्डला विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक-टूण्डला, ब्लाक-नारखी फिरोजाबाद में किसानों की खेती सिंचाई फिरोजाबाद रजवाहा से होती थी, इसकी समस्या को मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, 30 साल पूर्व फिरोजाबाद रजवाहा से नारखी, टूण्डला, फिरोजाबाद ब्लाक के किसानों की खेती की सिंचाई हुआ करती थी लेकिन 30 साल से फिरोजाबाद रजवाहा में पानी की कमी के कारण, कभी-कभी पानी आता है, वैसे तो आता ही नहीं है, फिरोजाबाद रजवाहा में पानी की कमी के कारण इन ब्लाकों में सिंचाई न होने के कारण ये डार्क एरिया घोषित हो गया है। इनका जलस्तर नीचे चले जाने के कारण ये डार्क एरिया घोषित हो जाने के कारण किसानों को नलकूप एवं सिंचाई के कनेक्शन भी मिलने बंद हो गए हैं। माननीया मैं, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि फिरोजाबाद रजवाहा में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए समानान्तर नहर का काम काफी समय से अधूरा पड़ा हुआ है। उस नहर का निर्माण इसीलिये कराया गया था पूर्व सरकार में कि समानान्तर हाथरस नहर के बनने के बाद फिरोजाबाद रजवाहा में टेल तक पानी पहुंच जायेगा, जिससे इस रजवाहा के बम्बा सकरोनी, आंतेपुर, सिकरारी, बरहन, जरौली, कार्तिकी, नगला महादेव जो बम्बा चलते हैं, उमें टेल तक पानी पहुंचने से किसानों को सिंचाई का फायदा होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाते हुए बजट में इस समानान्तर नहर के कार्य को पूर्ण कराने के लिए प्रावधान कराने की मांग करता हूं और कटौती प्रस्ताव पर मैं बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र भड़ाना-

माननीया अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बल देने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। पानी से हमारा जीवन भी चलता है और किसानों की जो फसलें हैं, उसके लिये पानी अत्यंत आवश्यक है। मा0 अधिष्ठाता महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार को कुछ बिन्दुओं से अवगत कराना चाहता हूं और उन पर प्रकाश डालकर यह बताना चाहता

हूं कि हो सकता है कि सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया हो सिंचाई विभाग पर लेकिन कुछ समस्यायें इस प्रकार की हैं, जो अत्यंत आवश्यक हैं और सरकार के संज्ञान में आना बहुत जरूरी है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, नहरों, बम्बों और नालियों में जिस प्रकार से सरकार के द्वारा उसको पक्का कराने का काम किया गया साइडों को और उनके नीचे से, उनके तल पक्का होने के कारण यह सीपेज की समस्या आयी है, और सीपेज के कारण जल स्तर बहुत नीचे पहुंच गया है। मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब पानी इतना नीचे पहुंच गया है तो पीने के पानी की भी समस्या उत्पन्न हो गयी है। बोरिंगों में पानी नहीं आ रहा है, बहुत सारे डार्क जोन हो गये हैं तो मैं यह सरकार को कहना चाहता हूं कि इस सीपेज पर विशेष ध्यान दिया जाये। मान्यवर, नालों की, रजवाहों की और नदियों की साज-सफाई नहीं होती है। सरकार उस ओर कतई ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। फसलों को पानी ठीक तरह से मिले। नहरों में पानी असमय जब किसानों को जरूरत होती है तो उसके बम्बों में और नालियों में पानी नहीं छोड़ा जाता है और जब फसलों को आवश्यकता नहीं होती है तो उसमें पानी छोड़ दिया जाता है। मेरा कहना है कि किसान के आवश्यकतानुसार बम्बों में और नालियों में पानी छोड़ दिया जाय। पटरियां कटी हुई हैं। उससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और उससे किसान बर्बाद हो जाता है, उनके पटरियों को ठीक कराया जाय। खनन की समस्या है। खनन हो रहा है। खनन पर रोक लगाकर के, जो खनन के कारण जो नदियों का बहाव परिवर्तित हो जाता है और स्थल परिवर्तित कर लेती हैं नदियां। कई जनपदों में मेरे आस-पास के जनपदों में यह समस्या है जब नदी स्थल परिवर्तित कर लेती हैं तो वहां के किसानों से झगड़ा होता है, कि यह जगह तो मेरी थी। उसके कारण बहुत सारे झगड़े होते हैं। सरकार इस ओर ध्यान दे।

नदियों का प्रदूषण हमारे यहां काली नदी है मेरठ के अन्दर इतनी प्रदूषित होकर के चलती है। गंगा नदी में प्रदूषित जल छोड़ा जा रहा है। केमिकल व कमेलों व अन्य फैक्ट्रियों का जल उसमें छोड़ जा रहा है। यह बन्द होना चाहिए। नदियों का कटान बन्द हो और बाढ़ के कारण जो भयावह स्थिति है उससे सरकार ने निपटने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किये हैं। नदियों से नदियों को जोड़ने का कार्य यह बाढ़ के विभीषिका को कम कर सकता है। मा0 अटल बिहारी बाजपेयी जी की योजना थी कि नदी को नदी से जोड़ा जाये ताकि जब बाढ़ आये तो बाढ़ आने से एक नदी के पानी को दूसरी नदी में छोड़ा जा सके। नदियों और नहरों के किनारे यूकेलिप्टिस के पेड़ लगा दिये गये हैं यह पेड़ नदियों के नीचे गहराई तक जाकर पानी को सोख लेते हैं। इनके स्थान पर शीशम आदि के पेड़ लगवायें जायें ताकि पानी को बचाया जा सके। आज पानी का बचाया जाना नितान्त आवश्यक है। किसानों के सिंचाई सुविधा के लिए जरूरी है कि जो नलकूप बन्द पड़े हैं उन्हें चालू कराया जाये। जो कुलाबे लगे हैं उन कुलाबों को भी ठीक कराया जाय। धन्यवाद।

*श्रीमती रूबी प्रसाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों मजदूरों और गांव

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में रहने वाले 80 प्रतिशत जनता की चीजों का ख्याल रखते हुए यह सिंचाई का बजट रखा। उनकी यह मंशा है कि जो गरीब किसान सिंचाई से वंचित रहते हैं उन्होंने इस बजट में सभी जनपदों का ख्याल रखा मैं अपने जनपद की कनहर परियोजना के बारे में कहना चाहती हूं । जनपद सोनभद्र आजादी के बाद से जंगलों और पहाड़ियों से घिरा नक्सल प्रभावी क्षेत्र हमेशा पिछड़ा रहा है। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण 1976 में कनहर परियोजना जो हमारे विधान-सभा दुधी में है, लम्बित पड़ी थीं हम अपने माननीय मुख्य मंत्री और अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। उसको नाबार्ड से पैसा ले करके आगे बढ़ाने का काम किया है। ताकि जनपद सोनभद्र के इस परियोजना कनहर परियोजना के चालू होने से 108 गांव के किसान सिंचाई के क्षेत्र में लाभान्वित होंगे दूसरा मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहती हूं कि सिंचाई कमाण्ड क्षेत्र 26075 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।

हम अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार को बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद देना चाहती हूं कि इसने 1976 से जो परियोजना लम्बित थी और वहां किसान भगवान भरोसे बेचारे सिंचाई करते थे आज इस परियोजना के लागू हो जाने से वहां के जितने भी किसान हैं जनपद सोनभद्र ब्लाक-दुधी और ब्लाक-चौपल्ला के लाभान्वित होंगे। दूसरी बात, हम यह भी बताना चाहते हैं कि इस परियोजना के बन जाने के कारण वहां जो पेयजल की भारी किल्लत है समस्या है अब वाटर पाइप लाइन सप्लाई के द्वारा पेयजल की सप्लाई होगी शुद्ध पानी मिलेगा वहां कि किसानों को, गरीब मजदूरों को इसके लिए भी हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है। दूसरी बात हमेशा हमारे यहां कनहर परियोजना जब पिछली बसपा की सरकार थी तो उन्होंने शिलापट लगाने का काम किया पर मुझे दुःख के साथ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बसपा सरकार ने सिर्फ शिलापट लगाने का काम किया उस परियोजना में कोई काम नहीं किया इससे साबित होता है कि पिछली बसपा सरकार किसान विरोधी सरकार थी और समाजवादी पार्टी सरकार किसान के हितों में काम करती है। मैं अपनी तरफ से और अपने जनपद की जनता की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि इन्होंने इतनी लम्बी परियोजना का शुभारम्भ किया और 50 करोड़ रुपया तुरन्त रिलीज किया उस पर काम चालू है। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्रीमती अराधना मिश्रा ''मोना''-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मुझे सिंचाई विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। एक कृषि प्रधान देश होने के कारण आज यहां 80 प्रतिशत किसानों की आय का प्रमुख स्रोत कृषि है और यहां की अर्थ-व्यवस्था कृषि पर आधारित है कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई होती है। सिंचाई के अभाव में कृषि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समय से कृषि कार्य सम्पादित न होने के कारण इसका प्रतिकूल असर पूरे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर भी पड़ता है। वहीं किसानों के सामने भुखमरी बच्चों की शिक्षा का अभाव आदि गम्भीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। उनके सामने विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं। मानसून में विलम्ब के कारण पूरे प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। खरीफ की फसल किसानों की प्रमुख फसल है खरीफ की फसल में बेहन डालने का समय निकल गया पानी नहीं बरसा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर रोपाई आदि का कार्य शुरू हो गया है किन्तु सिंचाई के अभाव से बेहन की भी धान की फसल बोने का समय भी निकला चला जा रहा है जिसका प्रतिकूल असर धान की रोपाई पर पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि आज अगर सबसे बड़ी समस्या सिंचाई के अभाव में है तो दो हैं एक जो नहरें हैं, रजबहे हैं इनमें टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है और जो पानी दिया भी जा रहा है पूरी क्षमता से इन नहरों में नहीं दिया जा रहा है। मैं बधाई भी देना चाहती हूं मंत्री जी को कि बहुत बड़ा बजट का हिस्सा उन्होंने नहर की सफाई के लिए दिया है और हो भी रही है सफाई, पर इसका संज्ञान लेना होगा कि यह जो सफाई हो रही है यह 100 प्रतिशत होनी चाहिए ताकि किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके। दूसरा नहरों की क्षमता की बात है जिस क्षमता से पानी छोड़ा जा रहा है बहुत कम है और इस गम्भीर विषय पर ध्यान देना होगा।

(इसी समय 1 बजकर 52 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और पूरे प्रदेश में मात्र 30,133 सरकारी नलकूप हैं, जिसमें बड़ी संख्या में नलकूप खराब पड़े हुए हैं और इनमें विद्युत यंत्र की खराबी के कारण यह प्रयोग में नहीं लाये जा पा रहे हैं और उनका रख-रखाव भी नहीं हो पा रहा है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इनके खराब रहने की सबसे बड़ी वजह क्या है, आपरेटर जो इन नलकूपों पर हैं, इनकी भारी कमी है। कम से कम 3 या 4 नलकूपों पर एक आपरेटर कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आपरेटर हर नलकूप पर पर्याप्त हों ताकि उनका रख-रखाव भी हो सके और सिंचाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा सके। मैं एक ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी-बड़ी नहरें हैं और इन नहरों का काम सिंचाई सुनिश्चित करना है, इनमें सिल्ट बैठ जाता है। अगर इन बड़ी नहरों का इस्तेमाल हम जल परिवहन के लिये भी करें तो इससे कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा और परिवहन का एक आल्टरनेटिव भी हमारे सामने मौजूद होगा। आज जो बजट में डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना है, डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप आधुनिकीकरण परियोजना है, डा0 राम मनोहर लोहिया नलकूप पुनर्निर्माण योजना प्रस्तावित की गयी है इन योजनाओं का हम सब स्वागत करते हैं। पर मेरा एक सुझाव है आधुनिकीकरण तो किसी तरह इन नलकूपों का हो जायेगा, लेकिन हमारे प्रदेश में बिजली का जबरदस्त अभाव है अगर हम आधुनिकीकरण इन योजनाओं का करते भी हैं तो बिजली की कमी के कारण हम इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पायेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से हम इनका इस्तेमाल इनमें करते हैं तो इसका प्रभाव पड़ेगा जैसे सौर ऊर्जा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो विद्युत आपूर्ति की वजह से जो योजनायें इस्तेमाल नहीं हो पाती, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से किसान उसका लाभ उठा पायेंगे। इसके साथ-साथ जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं वहां अटहा रजबहा, टकहा रजबहा, उदयपुर रजबहा, जायस रजबहा, शीतलमऊ अल्पिका सहित कई नहरें हैं जो जनपद के मुख्य सिंचाई के स्रोत हैं और इनमें समयबद्ध ढंग से पानी न आने के कारण और सिल्ट की वजह से टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, मैं अनुरोध करूंगी कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाय और इनकी सफाई हो ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही मैं श्री अजय कुमार जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देती हूं। धन्यवाद।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया')-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस ऐतिहासिक बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सामान्य बजट प्रस्तुत किया था, उस बजट की जो मूल भावना थी गांव, गरीब और किसान की। आज उस भावना को माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जमीन पर उतारने का काम किया है जिस तरह से आपने सिंचाई के बारे में एक गंभीर कार्य योजना बनाकर इस बजट को सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया है, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, सरयू नहर परियोजना, जो हम लोग शुरू से अपने शैशवकाल से इसका नाम सुना करते थे, वर्ष 1962 से यह परियोजना मात्र 13-14 करोड़ की लागत से शुरू हुयी थी और आज यह परियोजना, जबकि हम लोग इसकी आशा छोड़ चुके थे, मान्यवर, आपका भी जनपद, हमारा भी जनपद और पूर्वांचन के 9 जनपद इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले थे कई बार प्रयास किया गया लेकिन यह परियोजना पूर्ण नहीं हो पाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मा0 मंत्री जी को कि आपने सरयू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराया है इसके लिए मैं पूरे पूर्वांचल की ओर से मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं मान्यवर, इसी तरीके से इलाहाबाद में बाणसागर परियोजना जो 16 वर्षों से एक बूंद पानी के लिए तरस रही थी। मा0 मंत्री जी का ध्यान उधर भी गया और आपने गम्भीर प्रयास किया और 16 वर्षों के बाद उस परियोजना में पानी आना शुरू हुआ है। अभी हमारी सम्मानित विधायिका श्रीमती रूबी प्रसाद ने इसके लिए मा0 मंत्री जी को धन्यवाद दिया है। महोदय, इसी तरह वाटर रि-स्ट्रक्चरिंग योजना का जो द्वितीय चरण 16 जनपदों में लागू होने जा रहा है इसके लिए दो सौ करोड़ रुपये का प्रावधान अपने बजट में किया है इससे 16 जनपदों की सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी, यह भी मा0 मंत्री जी की तरफ से अच्छा प्रयास है। शुरू में जब मंत्री जी आपने कार्यभार ग्रहण किया था तो आपने घोषणा की थी कि नहरों की सफाई कराकर हेड से टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और उसके लिए आपने 37 हजार 983 किलोमीटर नहरों की सिल्ट सफाई कराई है और उससे 12 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई है और वह किसान जो केवल नहरों का मुंह देखा करते थे जिनके खेतों में नहरें निकलती थीं लेकिन उनके लिए सिंचाई की सुविधा नहीं मिलती थी उन्हें नहरों को देखकर कुण्ठा होती थी आज वह किसान अपने खेत तक पानी पहुंचता हुआ देख करके गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

मान्यवर, हम लोग पूर्वांचल से आते हैं जैसा कि अभी हमारे बसपा के मा0 सदस्य ने कहा कि लखीमपुर से बाढ़ शुरू होती है, लखीमपुर, बहराइच, फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर यह सारे जनपद बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। मा0 मंत्री जी ने उसके लिए साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कहीं न कहीं बाढ़ से मुक्ति देगा। राम मनोहर लोहिया नवीन नलकूप निर्माण योजना आपने लागू की है। इस परियोजना में 749 नलकूपों के लिए आपने 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है वह भी ऐसे क्षेत्रों में जहां नहरें नहीं हैं वहां किसानों के लिए सिंचाई का अच्छा माध्यम बनेगा। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र सरयू, घाघरा और टेढ़ी तीन नदियों के बीच में बसा हुआ है। मा0 नेता जी की पूर्व सरकार में मैं सिंचाई राज्य मंत्री था उस समय मैंने एल्गिन ब्रिज चरसडी तक का 45 किलोमीटर लम्बा बांध बनवाया था, सकरौर से लेकर भिखारीपुर तक का

16 किलोमीटर लम्बा बांध बनवाया था। मान्यवर, वह बांध बना और बांध से पूरा क्षेत्र सुरक्षित था वर्ष 2007 में जब बसपा की सरकार आ गई तो शासन के द्वारा उस बांध के साथ उपेक्षा का भाव रखा गया और वर्ष 2009 में वह सकरौर भिखारीपुर का बांध टूटा। वर्तमान मुख्य मंत्री जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे वह उस समय चरसडी में गये थे और उन्होंने पानी में घुसकर विभीषिका को देखने का काम किया था। 2010 में एल्गिन ब्रिज चरसडी बांध टूटा तो मा0 सिंचाई मंत्री जी उस समय नेता विरोधी दल थे हमने आपको सूचना दी और आप स्वयं मौके पर गये थे और मौके पर जा करके विभीषिका को देखने का काम किया था उस समय आपने भी घोषणा की थी और मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था और 2012 में मा0 नेता जी ने भी कहा था कि वह बांध पक्का किया जायेगा। परियोजना वहां से बनकर आ गई है और मा0 मंत्री जी के आदेशों की प्रतीक्षा में है। मैं मा0 मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस योजना को कहीं न कहीं आगे बढ़ाया जाए। मान्यवर, इसी के साथ जो हमारा सकरौर भिखारीपुर बांध था वह जब बसपा के समय में टूटा था तो काफी लोग बेघर हो गये थे आज भी वह पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं, मैं मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि उनको पुनर्वासित किया जाए। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सिंचाई विभाग के बजट पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, हमारी तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर दबंगों द्वारा बीसों किलोमीटर की नहरें काट दी गई हैं और अपने खेतों में मिला ली गई हैं। उदाहरण के तौर पर अन्डखेडा, शहजादपुर, भर्री बसन्तपुर, ऊनकला अनेक जो हमारी नहरें हैं उनको दबंग लोगों ने काटकर अपने खेतों में बराबर करा लिया है। इसी क्रम में माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कई बार सम्बन्धित अधिकारियों से इसकी शिकायत की, अनेकों बार लिखित में जिला स्तर पर दिया लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो मैंने तिलहर विधान सभा के गांव संक्षिप्त में बताये हैं उनकी जांच कराकर उस नहर की जमीन को छुड़वाकर पुनः नहरें जनहित में बनायी जाएं। इसी तरीके से हमारा ईंटगांव रजबहा है, उदरिया व अन्य कई गांवों के लिए वहां से नहर गुजरती है उस पर टेल तक पानी तभी आता है जब काश्तकारों को जरूरत नहीं होती है। जब जरूरत होगी तो पानी नहीं आयेगा और जब जरूरत नहीं होगी तो इतने बड़े पैमाने पर पानी आयेगा कि ओवर-फ्लो हो जायेगा और स्थिति यह हो जाती है कि नहर कट करके वहां के किसानों की सैकड़ो हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा तिलहर विधान सभा क्षेत्र तीन-चार नदियों से घिरा हुआ है, कठना, देवहा, कैमुआनाला और गर्रा। वर्ष 2011-2012 में भयंकर बाढ़ आयी थी उस बाढ़ के कारण जो नदियों के किनारे सैकड़ों गांव बसे हुए हैं चकबरैचा, वरहा मोहब्बतयत आदि सैकड़ों गांवों के किसानों की जमीनें कट गयी थीं, जमीन कटने के कारण जो पानी बहा है बड़े पैमाने पर मिट्टी और बालू भर गयी है जिससे जो कृषि योग्य जमीन थी वो सारी जमीनें, सैकड़ों हेक्टेयर हजारों किसानों की जमीनें मिट्टी पट जाने

के कारण कृषि योग्य नहीं रह गयी हैं हमारी सरकार से मांग है कि वहां की जांच कराकर उसको कृषि योग्य जमीन बनाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरीके से....

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निगोही से तिलहर तहसील मुख्यालय का एक मात्र रास्ता है वह भी 2011-2012 में भयंकर बाढ़ आयी थी उसमें 20-20 फुट के गड्ढ़े हो गये हैं और तहसील मुख्यालय जाने के लिए जो रास्ता 8 कि0मी0 का है वह 30 कि0मी0 तक घूमकर जाना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मांग करता हूं कि किसानों के हित में उसका भराव कराया जाए। अध्यक्ष जी, आपने सिंचाई विभाग के कटौती प्रस्ताव पर मुझे बल देने का अवसर दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती इन्द्राणी देवी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मा0 सिंचाई मंत्री जी के बजट पर बोलने का जो शुभ अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे समाजवादी पार्टी के नेता मा0 मुलायम सिंह जी की सोच और सपना इस बजट के माध्यम से हमको देखने को मिला, वह पूरा हुआ। हमारे नेता जी की सोच थी कि मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई और मुफ्त दवाई। एक किसान की बेटी होने के नाते सिंचाई बजट पर मुझे बोलने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ इसको मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को और विशेषकर पूर्वांचल के नव जनपद में हमारा जनपद श्रावस्ती का विधान सभा क्षेत्र भिनगा आता है। मेरा जनपद श्रावस्ती, विधान सभा भिनगा आता है। आज मैं अपने किसान समाज को एक संदेश देना चाहता हूं। सिंचाई बजट पर हमारे सिंचाई मंत्री जी ने हमारे जनपद श्रावस्ती पर जो बजट और हमारे जिले को पूर्वांचल में सम्मिलित करने का जो अवसर है इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। हमारा जनपद नेपाल बार्डर श्रावस्ती का जिला है यह पहाड़ी जंगलों, नालों से घिरा हुआ है। आज मैं सिंचाई मंत्री जी से विशेष कर अपने क्षेत्र की समस्या को बताना चाहती हूं। हमारा जमुनहा ब्लाक मजरा हसनापुर राप्ती नदी के किनारे गांव हैं मैं मंत्री जी से मांग करती हूं कि हमारे जमुनहा ब्लाक का जो हसनापुर गांव है वह नदी के किनारे हैं उसको इस बजट में सम्मिलित करके उस गांव के बचाव की व्यवस्था करें। हरिहरपुर रानी में हमारा तिलकपुर रेवरया भगंहा सुजानडिहुआ और मनकापुर गांव नदी के किनारे आता है जो राप्ती नदी से घिरे हुए गांव हैं उसके बचाव की हम मांग करते है। अध्यक्ष जी, हमारा ब्लाक सिरसिया भिनगा क्षेत्र का गांव है बेजीडिहवा समग्रगाम नदी के किनारे है मैं सिंचाई मंत्री जी से उसके बचाव की मांग करती हूं। हमारे सिंचाई मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र की नहर की परियोजना बहुत अर्से से पड़ी थी लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में जैसे आई जनता ने पूर्ण विश्वास के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई हमारे मुख्य मंत्री जी, हमारे सिंचाई मंत्री जी ने हमारे किसानों को प्राथमिकता देते हुए हमारी नहर परियोजनाओं को शुरू कराने का काम किया है। इसके लिए मैं अपने सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

अध्यक्ष जी, मैं किसान परिवार से जुड़ी हूं आज हमें बड़ी खुशी होती है कि राम मनोहर लोहिया के अन्तर्गत आज हमारे क्षेत्र हमारे जनपद में ट्यूबवेल लगती है तो हमारा किसान परिवार बड़े फख्र से उन योजनाओं का लाभ लेता है। अध्यक्ष जी, आज हमारी सिंचाई की परियोजना हमारे किसानों को जो हमारे नेता की सोच थी उसको हमारे सिंचाई मंत्री जी ने देने का काम किया है हमें बड़ी खुशी है। पूर्ववर्ती बसपा की सरकार थी लेकिन हमारे जनपद में किसान आज गुहार करते हैं कि जिस तरह समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय सिंचाई मंत्री ने किसानों का दर्द समझा है उसे पूर्ववर्ती बसपा सरकारों ने नहीं समझा। आज कानून व्यवस्था के नाम पर भाजपा के सदस्य कभी वेल में आते हैं कभी जाते हैं सदन चल रहा था मैं भी बैठी थी मैं भाजपा के लोगों को बताना चाहती हूं कि आपने विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा दिया है। आज जनता समझ चुकी है आपको [xxxx] टी0वी0 पर कहते है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है इनको सवा महीने सरकार बनाए हुआ आप जिस तरह से जनता को धोखा देकर केन्द्र की कुर्सी पर बैठे हैं आज आपको बोलने का मौका मिला है कि आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है आज जनता समझ चुकी है कि आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है आप केन्द्र में अपना सांसद चुनवाकर प्रदेश की जनता को जो धोखा दिया है आने वाले 2017 के चुनाव में जनता आपको सबक सिखाएगी। अध्यक्ष जी, मैं इन कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने जनता के साथ विश्वासघात किया है 2014 के चुनाव में भाजपा, बसपा, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी है इन तीनों पार्टियों को मैं बताना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है समाजवादी पार्टी के नेता हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसे नेता हैं जो अकेले दम पर चुनाव लड़े हैं और प्रदेश की जनता ने बहुमत की सरकार बनाई है।

(इसी समय 02 बजकर 07 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए।)

अब मैं अपने मंत्री और विधायक भाइयों से बताना चाहती हूं कि आज केन्द्र में भाजपा पार्टी की सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र की कुछ ऐसी समस्याएं हैं, आज आपके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सदन नहीं हैं मैं बताना चाहती हूं कि जबसे 2014 में आपका सांसद भाजपा का बना है हमारे जनपद श्रावस्ती लोक सभा में चारों तरफ झगड़े विवाद फंसाने का काम करते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से मांग करती हूं कि हमारे क्षेत्र भिनगा से जो चिनहरिया सिरसिया के थाने पर जाते हैं तो चिनहरिया मोड़ पर एक सहजराम दलित परिवार बसता है। उस दलित परिवार को मारने के लिये भाजपा के तथाकथित कार्यकर्ता रवि प्रकाश त्रिपाठी उदय त्रिपाठी ने मारा और एस0ओ0 से कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बावजूद आपका सांसद सपा कार्यालय पर सरकार विरोधी नारे लगाता है और हमारे मुख्य मंत्री का पुतला फूंकने के लिये तैयार हो जाता है। मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि एक कमेटी बनाई जाय। कमेटी में आपका भी सांसद रहे और हमारे सपा के मंत्री या सांसद रहें और इस तथ्य की जरूर जांच कराई जाय। भाजपा सांसद बहराइच से जाता है इलेक्ट्रानिक मीडिया को तय करता है और जब मैं जान पाती हूं दद्न मिश्रा। मैं इलेक्ट्रानिक मीडिया से अनुरोध करती हूं कि भाई साहब आप हमारे क्षेत्र में तथ्यों के लिये आ रहे हैं जरा हमारी बात भी सुन लीजिये। मैं इलेक्ट्रानिक मीडिया को धन्यवाद देना चाहती हूं कि जब हमारी बात सुनते हैं, और दूसरी पीड़ित पक्ष

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

महिला की बात सुनते है, तो आपके सांसद को दुत्कार कर चले जाने का काम करते हैं। मैं इस सदन को बताना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में इस घटना की जरूर जांच कराई जाय और ऐसे सांसद पर इस सदन से निन्दा प्रस्ताव जारी होना चाहिए और मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से इस सदन की तरफ से मांग करती हूं कि अपने सांसदों पर लगाए हमारे किसान परिवारों ने आपको बहुमत दिया है, हमारी जनता ने। धोखे में, आपको सांसद बनाया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें।

श्रीमती इन्द्राणी देवी-

मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री जी तक इन बातों को जरूर पहुंचाया जाय। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। महिला विधायक हैं, अच्छा बोल रही हैं, सम्भवतः पहली बार आई हैं। बड़े उत्साह के साथ बोल रही हैं। आपसे एक आग्रह है माननीय अधिष्ठाता जी कि उन्होंने एक सांसद का नाम लिया है। मान्यवर, नियम है कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसका नाम नहीं लिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री तेजपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बजट सिंचाई मंत्री जी ने पेश किया है और इस बात को माननीय मंत्री जी भी जानते हैं क्योंकि खेती बाड़ी और किसानों से उनका सीधा सम्बन्ध है और सिंचाई खेती बाड़ी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मैं चाह भी रहा था कि तब ही मेरा नम्बर आये जब माननीय मंत्री जी आ जायं। मेरे दो तीन सुझाव हैं और चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस पर निगाह डाल लें और उसको जरूर करायेंगे क्योंकि जन हित की बातें हैं। जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने किसान से सम्बन्धित, खेती से सम्बन्धित यह बजट लाये हैं। इसी बजट में जो खेती के, किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह के नाम से आपकी नेता जी की सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी नहर पटरी पक्की करने की। उसी सिंचाई विकास योजना में कई जनपदों में नहरों की पटरी पक्की हुई। बाद में वह योजना बन्द कर दी गई। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा, यह सुझाव देना चाहूंगा अधिकारी सभी बैठे हैं। यह सुझाव देना चाहूंगा, अधिकारी बैठे हैं कि योजना तो बन्द कर दी जो चौधरी चरण सिंह के नाम से थी लेकिन उसमें जो सड़कें बन गयी थी, जिन पटरियों को पक्का कर दिया गया था, अब उनकी इतनी बुरी हालत है कि वह कच्ची से भी बदतर हो गयी हैं, उनसे निकला नहीं जाता है। मान्यवर, उनकी कम से कम मरम्मत करा दें जिसके लिए व्यवस्था हमने इस बजट में नहीं देखा है। इसमें तकलीफ इस बात की है, अम्बिका जी, आज

समझते हैं, जिस महापुरुष के पीछे हम लोगों ने राजनीति सीखी है, जो किसानों के मसीहा कहलाये, उनके नाम से आपकी ही सरकार ने, नेता जी ने यह योजना चलाई और उसी योजना में पटरियां पक्की हुईं और पटरियां पक्की होने के बाद वह योजना बन्द हो गयी। लेकिन चूंकि जो सड़कें बन गयी थीं, जो पटरियां पक्की हो गयी थीं, उनकी हालत यह है, उनमें गिट्टे निकल आए हैं, उन पर पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है तो कम से कम उनकी मरम्मत कराने की जरूरत है, उसके लिए जरूर कोई व्यवस्था करा दें।

दूसरा मेरा सुझाव है, हमारे यहां आगरा कैनाल है, आगरा कैनाल हरियाणा से निकलती है, उससे हमारे मथुरा और आगरा दोनों जिलों में सिंचाई होती हैं, मंत्री जी से एक सुझाव के रूप में आग्रह करूंगा, आगरा कैनाल से सबसे ज्यादा पानी की चोरी हरियाणा में होती है। हरियाणा वाले पानी की चोरी कर लेते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यह हो रही है, राजस्व की जितनी वसूली उनसे होनी चाहिए, करोड़ों रुपये उन पर बकाया है, उनसे वसूली भी नहीं हो पाती है, वह पानी की चोरी भी कर रहे हैं, अण्डरग्राउण्ड पाइप लाइन डाल रखी है। इतनी बड़ी मुसीबत हो गयी है जो आगरा कैनाल में 4 हजार, 5 हजार क्यूसेक पानी चला करता था, आज 1-1 हजार क्यूसेक पानी के लिए तरस रहे हैं और इसमें दोनों जिलों के सिस्टम भी हैं, चैनल भी हैं तो मेरा आपको एक सुझाव है और अनुरोध भी है कि इसमें जो हरियाणा में चोरी हो रही है, उस पर पाबन्दी हो जाए और पाबन्दी के साथ-साथ जो उन पर राजस्व बकाया है, उसे सख्ती के साथ वसूल किया जाय। जो अण्डरग्राउण्ड पाइप लाइन हरियाणा वालों ने डाल रखे हैं, उन्हें भी सख्ती के साथ निकलवाया जाय, नहीं तो पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा। तीसरा मेरा सुझाव है मान्यवर, बहुत खुशी हुई थी, पिछली बार जब आपने घोषणा की थी कि हमने सिंचाई माफ कर दिया है, आबपासी किसानों की माफ कर दी है, बहुत अच्छी बात थी, हमें भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन किसानों के साथ एक भेदभाव हो रहा है। भेदभाव इस तरह का हो रहा है कि जिसकी नहरी पानी मिल रहा है, वह भी किसान है, जिसको नहरी पानी नहीं मिल रहा है, वह भी किसान है।

कल मा0 मंत्री जी, जब बिजली के बारे में बोल रहे थे तो मैं अपनी बात रखना चाहता था लेकिन सोचा कि चलिए सिंचाई विभाग का जब बजट आयेगा, तब बात कर लेंगे तो उसमें मेरा एक सुझाव है और अनुरोध है, मंत्री जी से कि जिस तरह से आपने आबपासी माफ किया है, उसी तरह से जो किसान बिजली से पानी लेते हैं, बिजली से सिंचाई करते हैं, उसकी भी कोई ऐसी व्यवस्था कर दें। कम से कम उसकी बिजली माफ कर दें। तो उस किसान को ऐसा नहीं लगे कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जहां नहर की व्यवस्था है, वहां के किसान नहरों से पानी ले रहे हैं जो ट्यूबवेल वाले किसान हैं, वह ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, उसको बिल देना पड़ रहा है तो वह महसूस करता है कि जो नहरों से सिंचाई करते हैं, उनके लिए तो सरकार ने काम किया है उनका यह भी एक दुर्भाग्य है कि उनको नहरी पानी नहीं मिल रहा है और दूसरा भेदभाव उनके साथ यह हो रहा है कि उन्हें बिजली के बिल देने पड़ रहे हैं। तो इस पर मैं चाहूंगा कि इस पर मंत्री जी कोई व्यवस्था देंगे।

मान्यवर, एक और महत्वपूर्ण बात है, नहर की आबपासी तो माफ कर दी लेकिन एक और दिक्कत पैदा हो गयी है, जो पहले हुआ करता था और उससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पर हो रहा है, किसानों पर तावान लगाने की। मैं समझता हूं सभी जिलों में यह समस्या आ रही होगी। फर्जी तावानों

में, जो डीआरओ होते हैं, जो राजस्व के मुकदमें सुनते हैं, सींचपाल से डीआरओ बनते हैं, डीआरओ और सींचपाल की आपस में सांठगांठ हो गयी है, सींचपाल वहां से तावान लगा कर भेज देता है, वह दोनों मिल लेते हैं और किसानों के फर्जी वारण्ट जारी हो जाते हैं और किसान हड़बड़ा कर 2 हजार में, 4 हजार में, 6 हजार में समझौता कर लेता है और उसे डीआरओ और सींचपाल आपस में बांट लेते हैं। इस प्रकार से किसानों की लुटाई हो रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर जरूर अंकुश लगायें क्योंकि सींचपाल से डीआरओ बन रहे हैं और यह जो डीआरओ बन कर आ रहे हैं, उनका सींचपाल से सीधा सम्बन्ध है और वह कह करके किसानों पर तावान लगवाता है। मान्यवर, एक-एक गांव में 20-20, 25-25 किसानों को नोटिस आ रही है, उनकी बुलाया जाना है, फिर सौदेबाजी की जाती है तो इस पर जरूर ध्यान देंगे। मान्यवर, जो आप नहरों की सफाई करा रहे हैं, बहुत जगह की समस्याएं आ रही हैं। आपने बम्बे की सफाई कराई, आपने रजवाहे की सफाई कराई, ठेकेदार ने सिल्ट और मिट्टी का ढेर उसी पटरी पर डाल दिया। आपने एक बहुत अच्छी योजना चलाई थी कि जिन नहर की पटरियों पर किसान जाता है, वह अपनी बैलगाड़ी भी उन पर निकालेगा, अपना ट्रैक्टर भी निकलेगा। अब करते क्या हैं, बहुत जगह ऐसी समस्याएं हैं, मेरे सामने भी समस्याएं हैं इस तरह की कि वह ढेर के ढेर पड़े हैं पटरियों पर, न ट्रैक्टर निकल पा रहा है, न बैलगाड़ी निकल पा रही है और सिंचाई विभाग वालों ने कहा कि हमारा कार्य पूरा हो गया है, नहर की खोदाई हो गई है, उस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इन ढेरों को हम समतल करें, जिससे पटरियों पर आने-जाने का रास्ता बन जाय, इस पर मान्यवर, मेरा सुझाव है, इस पर जरूर आपका निर्देश जाना चहिए, यह बहुत जगह बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। दूसरे, टेलगूल की बहुत बड़ी समस्या है, मा0 मंत्री जी मैं आपसे चाहूंगा टेलगूल खत्म हो गये, टेलगूल किसानों ने तोड़ कर आपने खेतों में मिला लिये अब समस्या क्या आती है किसी नहर में रजवाहे में, बम्बे में आपका पानी ज्यादा चला गया और टेलगूल है नहीं तो पता लगा खेतों में पानी फैल गया जिसकी वजह से हाय-हाय होनी लगती है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां पर टेलगूल खत्म हो गये हैं वहां टेलगूलों की व्यवस्था पुनः लागू कराई जाय, जिससे किसानों की जो फसल बर्बाद हो जाती है, वह फसल बर्बाद होने से रोकी जाय। दूसरी चीज मैं कहूंगा, हमारे बगल में हमारा विधान सभा क्षेत्र हरियाणा और राजस्थान दोनों से लगा हुआ है, राजस्थान में भरतपुर फीडर और डीग स्केव है, दोनों आपकी नहरें हैं राजस्थान को पानी देती हैं, हमारा पानी राजस्थान के दोनों फीडरों में जा रहा है भरतपुर में भी जाता है और कामां में भी जाता है हमारा किसान तरसता रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना पानी देने के बावजूद भी राजस्थान पर कितना आपका राजस्व वसूली बकाया पड़ा है, इस बात को कोई पूछने वाला नहीं है। तो उनसे भी कम से कम सख्ती से राजस्व की वसूली होनी चाहिए कि वह पानी आपसे ले रहे हैं तो उस पानी का कम से कम राजस्व वसूली तो हों।

आगे मैं सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे यहां यमुना में पानी कम है, इसलिए आपकी पिछली सरकार में व्यवस्था हुई थी कि जानी स्केव से आप हिण्डन नदी में पानी लाते थे और हिन्डन से गंगा का पानी आप ओखला में लेते थे और ओखला पर जब पानी लेते थे तो वह गंगा का पानी भी मिलता था आगरा कैनाल को, ये योजना खत्म कर दी गई है, इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि जानी स्केव से जो पानी की व्यवस्था गंगा से हो रही थी कम से कम ज्यादा नहीं तो उस समय पहले 5000

क्यूसेक पानी आप देते थे अब उसमें आप पूरा नहीं तो कुछ कम ही दे दें ताकि आगरा कैनाल को पर्याप्त पानी मिल जाय। दूसरा मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि नालों की समस्या सबसे ज्यादा हमारे यहां है, हमारा वाटर लॉकिंग इलाका है, पानी भर जाता है, नालों की सफाई हो नहीं पाती है, उसमें कई नाले ऐसे हैं जिनके किनारे टूट-टूट कर गिरते हैं, तो उनमें जरूरी है कि उनकी लाइनिंग करायें, अधिकारियों से कहते है तो एक ही जवाब मिलता है कि साहब हमने तो प्रस्ताव बना कर भेज दिया है, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा है तो हम कहां से क्या करें। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जिन नालों के ढाये टूट रहे हैं और ढाये टूटने से नाले चोक हो जा रहे हैं, उनकी लाइनिंग जरूर करा दें, यह बहुत जरूरी है। एक हमारे यहां उझीना ड्रेन है जो हरियाणा और यू0पी0 के बार्डर से निकलता है और सबसे बड़ी समस्या आती है जब आपके यहां वाटर लॉकिंग होती है और वहां पर आपने जो कटान दे रखे हैं, हरियाणा वाले उस उझीना ड्रेन में उन कटों पर पानी नहीं आने देते हैं, इतना बड़ा ड्रेन है, हमसे आधा पैसा लिया है हरियाणा वालों ने और आधी जमीन उत्तर प्रदेश की ली और उसके बावजूद जब हम पानी में डूब रहे हैं और उझीना में पानी देना चाहते हैं तो उझीना ड्रेन वाले हमारी ड्रेनों का पानी नहीं ले रहे हैं। तो मान्यवर, ये मेरे कुछ सुझाव ऐसे है, जिनके सम्बन्ध में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस सम्बन्ध में सरकार को निर्देशित करें, अधिकारियों को निर्देशित करें कि इन पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि किसानों से सम्बन्धित सभी समस्यायें हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे मा0 सिंचाई मंत्री जी के द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं 1996 से लगातार इस विधान सभा में आता रहा हूं और इससे पूर्व भी इस विधान सभा से तमाम जनप्रतिनिधि चुन कर जाते रहे, मेरा पहले बेहटा विधान सभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, परिसीमन के बाद सेबता विधान सभा हुआ। हमारा क्षेत्र नदियों और नालों का क्षेत्र है, शारदा, घाघरा, सरयू, किवानी, ककरहिया, गोबरहिया, इस तरीके के नदियों के नामों से और दूसरी नदियों के नालों के बीच में बसा हुआ पूरा यह क्षेत्र, यह लखीमपुर बार्डर से शुरू होकर बाराबंकी के बार्डर तक जाता है। महमूदाबाद और बिसवां तहसीलें इससे प्रभावित रहती हैं। बाढ़ से इतनी भयंकर त्रासदी होती थी तो अधिष्ठाता महोदय वहां की हालत देखते ही बनती थी। सारी फसलें नष्ट हो जाती थीं। तमाम मवेशी मर जाते थे, लोग भूख से तड़पते थे। आजादी के बाद से लेकर आज तक तमाम सरकारें बनी, तमाम जनप्रतिनिधि हुये, तमाम मंत्री हुये, मुख्य मंत्री हुये लेकिन आज इस इतिहास में पहली बार उस क्षेत्र के लिये अगर किसी ने सोचा है और ध्यान दिया है तो समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के सिंचाई मंत्री मा0 शिवपाल यादव जी ने। 170 करोड़ रुपये से बांध बनाने का काम किया है जिससे 50 किलोमीटर की दूरी में बांध उस नदी के किनारे बनाया जायेगा। सीतापुर जनपद और बाराबंकी जनपद की महमूदाबाद और बिसवां तहसील सहित, रामनगर, फतेहपुर तहसील के हजारों हजार गांव और हजारों हजार एकड़ भूमि जो बाढ़ से प्रभावित होती थी, नदियों के द्वारा काट दी जाती थी, किसान तबाह हो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता था, मवेशी परेशान हो जाते थे, आज उनको बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और दिल से बधाई देना चाहता हूं, वहां की जनता आज खुशी मना रही है। यह कह रही है कि पहली बार हम लोगों को कोई देखने वाला, जनता को देखने वाला, गरीब को देखने वाला, किसान को देखने वाला, मजदूर की मुसीबत को देखने वाला कहीं कोई है तो वह यह सरकार है। उसके मुख्य मंत्री हैं और उनके सिंचाई मंत्री है। मैं बार-बार उनको बधाई देता हूं और नमन करता हूं जिन्होंने यह ऐतिहासिक काम करके हमारी क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ था, आपने अवसर दिया बोलने का, मैं इस पर बल देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस सिंचाई विभाग के कटौती प्रस्ताव जो कि श्री अजय कुमार लल्लू जी ने रखा है, उस पर बल देने के लिये बोलने का मौका दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह सिंचाई विभाग का बहुत बड़ा बजट है और उस बजट में हमारे झांसी जनपद के बबीना विधान सभा क्षेत्र की बहुत सारी समस्यायें हैं, मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बजट के माध्यम से जो हमारी सिंचाई विभाग से सम्बन्धित समस्यायें हैं। जैसे बकुआं की पुलिया तक जो नहर की पटरी है, जो अभी मा0 सदस्य बता रहे थे कि श्री चौधरी चरण सिंह की योजना के अन्तर्गत वह पटरियां बनायी गयी थीं जिससे किसान अपने खेत तक पहुंचता है, बाजार भी पहुंचता है। ऐसी ईसागढ़ से मवई होते हुये रनवां तक की हमारी नहर की पटरी है जो पूरी तरह से उखड़ गयी है। किसान उस पटरी पर निकल नहीं पा रहा है। ऐसे ही हमारी पारीक्षा केवल क्रासिंग से पचार रोड तक जो हमारी बड़ादा पम्प कैनाल है। उस पंप कैनाल की जो पटरी है, मा0 मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि ये जो हमारी पंप कैनाल है सिनथरी तक है लेकिन वास्तव में ये पंप कैनाल केवल पचार तक है। पचार से सिंथरी तक जो हमारी 3 किलोमीटर की पम्प कैनाल थी उसको दबंगों ने मिटा दिया है, वहां तक पानी नहीं पहुंचता है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बड़मऊ माइनर है, उसका पानी केवल भोरामछिया तक पहुंचता है। दौनदुनारा और भूपनगर तक जिसका पानी पहुंचना चाहिये था, वहां तक पानी नहीं पहुंचता है, वहां तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाये।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, लेवां, करगुवा के बीच में जो हमारी पहुंच नहर है, वह नहर लेवां और रनगुवा के बीच में कई महीनों से कटी पड़ी है जिससे किसानों के खेत भर जाते हैं और उनकी फसल नष्ट हो जाती है उस माइनर को बंद कराने का काम करें। साथ ही, जो हमारी करगुवा बरलबन्दी है उसमें जो पानी की निकासी का सुगूल बना है वो ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां भराव था पहले जिस समय इसे बनाया गया था लेकिन अब भराव दूसरी तरफ आ गया है जिससे किसानों की जमीन खाली नहीं हो पाती है और किसान अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पाते हैं।

मान्यवर, करगुवां एवं बरल के बीच पर जल भरावन के लिए बन्धी का निर्माण कराया गया था। इससे बन्धी खाली कराने के लिए एक गेट बनवाया गया था। जो आज भराव क्षेत्र से हटकर, बना हुआ है। इससे किसानों की जमीन पर गेट के माध्यम से पानी नहीं निकलने की वजह से किसानों की जमीन पर हमेशा पानी भरा रहता है। जिससे किसान खेती नहीं कर पाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है

कि उस गेट को भराव क्षेत्र में बनवाकर जल निकासी की व्यवस्था की जाय। जिससे किसान अपनी जमीनों पर खेती कर सकें। मान्यवर बेतवा नहर पर नांद गांव की तरफ जो पुल बना हुआ था वह दो साल से टूटा पड़ा है। जिससे उस क्षेत्र के लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है। इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द उस पुल को बनवाया जाय। मान्यवर, बरुवा सागर तालाब में पानी का भराव क्षेत्र कम हो गया है। जिसकी वजह से किसानों की सुविधा के लिए जो तालाब से माइनर निकलती है उस माइनर में सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उस तालाब से बरुआ सागर, नगर पालिका क्षेत्र को पीने का पानी उपलब्ध होता है।

मान्यवर, बरुआ सागर तालाब में बरसात का पानी आता था। पिछले साल मध्य प्रदेश शासन ने अपने क्षेत्र में एक चेक-डैम बना दी है। जिससे ऊपर से आने वाला पानी रुक गया है। लेकिन उस तालाब में पानी न होने की वजह से नगरपालिका क्षेत्र के लोगों के समक्ष पीने के पानी का संकट पैदा हो रहा है। मान्यवर, वबीन काफ, बरुआ सागर में एक भी नहर न होने की वजह से पूरा ब्लाक असिंचित है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि सुकमा बांध पर लिफ्ट कैनाल बनवाई जाय। बवीना ब्लाक में एक माइनर बनवाई जाय जिससे बबीना ब्लाक के सत्तर-अस्सी गांव जो असिंचित है। उन्हें नहर के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जाय। मान्यवर, बराठा पम्प कैनाल जो सिमथरी तक पहुंचता है लेकिन आज वास्तव में वह पचार गांव तक ही है। पचार से सिमथरी तक माइनर को दबंगों ने काट दिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। उसको सिमथरी तक बनवाया जाय। मान्यवर, गड़मऊ एवं जो गोरामछिया होते हुए दुनारा दौन भूपनगर तक पानी नहीं पहुंचता है। अतः आपसे अनुरोध है कि गड़मऊ माइनर का पानी भूपनगर तक पहुंचाया जाय तथा बराठा पम्प कैनाल का पानी सिमथरी तक पहुंचाया जाय जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, यह बजट अधिक महत्वपूर्ण है। मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और पूरी अर्थ-व्यवस्था इसी के ऊपर निर्भर है। मान्यवर, यदि सिंचाई साधनों का निरन्तर विकास नहीं होता रहेगा, नहरों की लगातार सफाई नहीं होगी, सिंचित क्षमता प्रभावित होगी। माननीय सिंचाई मंत्री जी के कार्यकाल में उन्होंने अपनी कुशलता से अपने कुशल नेतृत्व से यह सिद्ध करके दिखाया है कि जो उत्तर प्रदेश सिंचन क्षमता के लिहाज से तीसरे नम्बर पर आता है, पंजाब के बाद था, उत्तर प्रदेश की कुल सिंचित क्षमता 80 प्रतिशत दर्शायी गयी थी। मान्यवर, यह आंकड़ा 2010-11 का है। पिछले दो वर्षों में सिंचन क्षमता में 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है इस कारण 32 हजार क्षेत्रफल में नहरों का पुनरोद्धार हुआ है। इससे मान्यवर, हमारी सिंचित क्षमता लगभग 86 प्रतिशत हो गयी है। मान्यवर, इससे हमें विश्वास है कि आगे आने वाले वर्षों में हमारा प्रदेश सिंचित क्षमता के मामले में पंजाब के बराबर होगा। मान्यवर, नहरों की सिल्ट सफाई पर भी ध्यान दिया गया है। जो यह कहा जाता है कि नहरों की टेलों तक पानी नहीं पहुंच पाता है तो यह गुजरे हुए जमाने की बात करते

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। मान्यवर, पिछले ढाई सालों में 10 हजार, 5 सौ पचपन नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य किया गया। जिसमें से 9 हजार तीन सौ चौबिस नहरों के टेलों तक पानी पहुंच गया। आज सच्चाई यह है कि 9,851 टेलों तक पानी पहुंच चुका है। यह अपने चश्में से इसको देखने का काम करते हैं। अगर आप सब कुछ देखने के आदी हैं कि निगेटिव है तो मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप लखनऊ से बाराबंकी की तरफ चलें और बाराबंकी ही नहीं वहां आप सुदूर पूर्व की तरफ चले, गाजीपुर तक चलें तो कोई एक नहर आपको नहीं मिलेगी जिसमें नहर की सिंचाई का कार्य माननीय सिंचाई मंत्री के कार्यकाल में न किया गया हो और इसी का नतीजा था कि 32000 कि0मी0 नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य हुआ है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, बाढ़ नियंत्रण के बारे में कहा जा रहा है मैं केवल इतना कहूंगी इधर बैठे हुए साथियों से कि वह भी जमाना याद कीजिएगा जब पूरा प्रदेश विशेषरूप से पूर्वान्चल जहां के आप लोग बैठे हुए हैं बाढ़ की विभीषिका से जूझने के लिए मजबूर था। याद कीजिए वह दिन जब बाढ़ में डूबे हुए लोग पेड़ों के ऊपर सहारा लेने के लिए तरसते रहते थे उनका जीवन खतरे में पड़ा रहता था और तत्कालीन सरकार ने कभी भी सहानुभूतिपूर्वक, उदारतापूर्वक बाढ़ के अनुरक्षण के लिए पैसा देने का कार्य नहीं किया था। लेकिन समाजवादी सोच की सरकार ने माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में न केवल 2012-13 में न केवल 2013-14 में बल्कि मैं यह कहूंगी कि सतत यह बढ़ता रहा है। 2012-13 में 600 करोड़ रुपये बाढ़ अनुरक्षण के मद में आपने दिये थे जिसके सापेक्ष पूरे 600 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इसके अतिरिक्त 2013-14 में भी 600 करोड़ रुपये बाढ़ अनुरक्षण मद में दिये गये थे जिसके सापेक्ष लगभग 550 करोड़ रुपये खर्च हुए और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 में 690 करोड़ रुपये बाढ़ अनुरक्षण के मद में देने का कार्य हमारी सरकार ने करके यह दिखाया है कि हम लोग जनता के सुख दुख को देखने का काम करते हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहती हूं कि पूर्वान्चल हमेशा आखिर में होने के कारण कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं रहता था इधर उसके लोग बैठे हुए हैं मा0 स्व0 चौधरी सिंह जी की बात कर रहे थे आपको यह जानकर हर्ष होगा कि चौधरी चरण सिंह पम्प जो देवकली पम्प कैनाल है उसके टेल से निकली हुई बिरनो माइनर, बिरनो रजबहा जो तबाही ले करके आती थी गाजीपुर की कई विधान सभाओं में क्योंकि वह जहां से गुजरती है वह जल भराव का क्षेत्र है ऊसर का क्षेत्र है। जब कटान होता था तो लोग उसमें डूब जाते थे लोगों के खेत डूब जाते थे लेकिन उन्होंने उसके ऊपर सीसी लाइनिंग के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में करके न केवल गाजीपुर बल्कि पूरे पूर्वान्चल को उपकृत करने का काम किया है। मैं हृदय से आभारी हूं माननीय सिंचाई मंत्री जी की। धन्यवाद।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता जी, लगभग 3 घण्टे होने को आये इस चर्चा को, बहुत महत्वपूर्ण है सिंचाई। इसके बाद मान्यवर, राजस्व और आवास जैसे बड़े विभागों का बजट भी है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा कि इसको देख लें।

श्री अधिष्ठाता-

बस दो-दो मिनट।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अभी कटौती प्रस्ताव रखने वाले भी स्पष्टीकरण पूछेंगे, माननीय मंत्री जवाब देंगे। मान्यवर, इसे देख लें।

*श्री विजय कुमार दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं आपका ध्यान अपनी खड्डा विधान सभा क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। खड्डा विधान सभा क्षेत्र वह क्षेत्र है जो नैपाल की सीमा से लगा हुआ है। इस देश के किनारे के विधान सभाओं में से एक विधान सभा है। यही कारण है कि अधिकारी हो या माननीय मंत्रीगण हों विकास के दृष्टिकोण से इस किनारे के विधान सभा के क्षेत्र पर उनकी नजर कम हो जाती है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के उन प्रमुख कुछ मुद्दों की तरफ ले जाना चाहता हूं। ग्राम सभा सौरोला हो, सोनवर्षा हो, सिसवा गोपालपुर के दक्षिण का वह क्षेत्र जो खेती के लिए उत्तम जमीन का क्षेत्र होते हुए भी हजारों एकड़ जमीन जो साल भर में 6 माह पानी में डूबी होती है वहां जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले के समय में रेल लाइन के नीचे एक साइफन था जो आज बन्द है सबसे बड़ा कारण है कि एक उत्तम खेती योग्य जमीन कुशीनगर जनपद का क्षेत्र है लेकिन महाराजगंज जनपद के अधिकारी उस क्षेत्र की जमीन होने के कारण खेती योग्य इस जमीन को जो 6 माह पानी में डूबी रहती है, उस ओर ध्यान नहीं देते। इसी तरह माघी भगवानपुर बंधे पर एक साइफन की आवाज कई वर्षों से उठाई जा रही है लेकिन ह्यूम पाइप के जरिये केवल जल निकासी की व्यवस्था सम्पूर्ण न होने के कारण आज हजारों एकड़ जमीन जलमग्न है। मैं सबसे प्रमुख मुद्दे की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं नेपाल से शुरू होकर 50 किमी0 हमारे विधान सभा क्षेत्र से गुजरने वाली इस देश की ऐतिहासिक नहर मुख्य पश्चिमी गंडक नहर जो लाखों किसान परिवारों की सिंचाई का मुख्य स्रोत है, सन् 1962 में स्वर्गीय मंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी और सन् 1972 में स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया। एक महान विभूति वह थे जो लाखों किसान परिवार की सिंचाई की व्यवस्था करने वाली इस नहर का उद्घाटन करके उन्होंने दिया था। आज किसानों की मसीहा बनने वाली सरकार ऐसी ऐतिहासिक नहर में जमा सिल्ट की सफाई तक नहीं करवा पा रही है, गिरी हुयी दीवाल की मरम्मत नहीं करा पा रही है, रेगुलेटर के बंद फाटक को खोलने की व्यवस्था नहीं करवा पा रही है, टूटे हुये फाटकों की मरम्मत तक नहीं करवा पा रही है। किसानों के मसीहा तो वह कांग्रेस के महान विभूति थे।

आज माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मैं प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मिथ्या को तोड़ते हुये माननीय मंत्री जी इस ऐतिहासिक नहर को केन्द्र शासन के हवाले न छोड़कर, कुछ इस पर धन आवंटित करके और विशेष निगरानी करके इस नहर को पूर्ण करायें ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। अभी हमारे दल की महिला सदस्या आराधना मिश्र जी कह रही थीं कि नहरों में पूर्ण क्षमता से पानी नहीं छोड़ा जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जीर्ण-शीर्ण नहरें, रजबहे हों चाहे माइनर हों, इनमें पूर्ण क्षमता से पानी छोड़ा ही नहीं जा सकता, यदि इनमें पूरी क्षमता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से पानी छोड़ दिया जाय तो निश्चित है कि नहहर के बैंक टूट जायें और गांव का गांव जलमग्न हो जाय। इसलिये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इन रजबहो और माइनर और नहर के बैंकों की मरम्मत, रेगुलेटर के फाटकों की मरम्मत, जमा सिल्ट को साफ करके सिंचाई की व्यवस्था की जाय ताकि किसानों को पूर्ण रूप से इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री उदयराज-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभारी हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े महत्वपूर्ण विभाग जो इस प्रदेश के किसानों से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है, इस पर माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया, मैं उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, अगर इतिहास को उठाकर देखें तो इस प्रदेश में जब भी समाजवादी पार्टी की सोच की सरकार बनी है या समाजवादी पार्टी के लोगों की सरकार बनी है तो हमेशा इस प्रदेश में उसने उन लोगों के बारे में सोचने का काम किया है, जिनके कम से कम 85 प्रतिशत खर्चे किसानी से जुड़े हैं। सबसे पहली बात आपको भी बहुत अनुभव होगा कि इससे पहले हम लोग लगातार नहरों की सफाई की बात करते थे और शायद हम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के माननीय सिंचाई मंत्री जी ने किसानों की उस समस्या को देखा कि किसानों को पानी मिले, वह खुशहाल हों, उनकी खेती तरक्की के रास्ते पर जाये उसको सोचकर केवल एक साल के अन्दर दोनों फसलों के समय रबी के समय और खरीफ के समय इस प्रदेश में दो बार नहरों की सफाई करा करके किसानों को पानी देने का काम किया। हमारे जो साथी यह कहते हैं कि किसानों को नहरों में पानी नहीं मिला। मान्यवर, मुझे भी इस विधान सभा के अन्दर 18-19 वर्ष हो गये, मैंने देखा है कि जब हम लोग नहरों में पानी की बात करते थे तो हमेशा यह होता था कि पानी नहीं मिल पा रहा है। यह पहला अवसर रहा कि पानी को लेकर हमको लोग फोन करते थे कि नहर फट गयी है, आप नहर को बंद कराने का काम करें।

(इस समय 02 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तमाम ऐसे मौके आये कि हम लोगों ने नहरों को बन्द कराने का काम किया। मान्यवर, किसी ने भी किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान देने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मा0 मंत्री जी ने पहली बार सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब उत्तर प्रदेश के अन्दर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूं मा0 मंत्री जी को कि उन्होंने पहली बार फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश के जो किसान नहरों के माध्यम से खेतों की सिंचाई करने का काम करते हैं, वह किसान जो सरकारी ट्यूबवेलों से खेती सींचने का काम करते हैं उनको मुफ्त पानी देने का निर्णय हमारे सिंचाई मंत्री जी ने करने का काम किया। उन लोगों की तरफ ध्यान देने का काम किया गया जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं था, नहरें नहीं थीं वहां बड़े पैमाने पर डॉ0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप निर्माण कराने का निर्णय लिया और उसका लक्ष्य निर्धारित किया।

श्री अध्यक्ष-

इस पर अब बहुत चर्चा हो चुकी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उदयराज-

मान्यवर, केवल दो मिनट हुए हैं, अधिष्ठाता जी, पांच मिनट कह कर गये थे। मान्यवर, एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर बड़े पैमाने पर जहां नहरों से सींच का कोई साधन नहीं है, किसानों की सींच के लिए डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना स्वीकृत करके तमाम नलकूप लगवाने का काम किया। तमाम नलकूप जो पिछले 20-25 वर्ष पहले लगाये गये थे उसमें से ज्यादातर खराब पड़े थे। उन नलकूपों को पुनः बनाने का निर्णय लिया और मा0 मंत्री जी ने उन्हें बनवाने का काम भी किया है। मान्यवर, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं बार-बार आप इंगित कर रहे हैं। मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 2007 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और नेता जी मुख्य मंत्री थे तो तीन ऐसी नहरें थीं, एक हरदोई से निकलकर हमारे क्षेत्र से होकर रायबरेली जाती थी, आसीवन ब्रान्च के नाम से नहर जानी जाती है। दूसरी नहर थी पूर्वा ब्रान्च वह भी हरदोई से निकल कर उन्नाव पुर्वा होकर रायबरेली जाती थी। मान्यवर, उस समय 107 करोड़ रुपये की परियोजना उन नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृत करने का काम किया गया था। सरकार जाने के बाद जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, दूसरी सरकार आई तो उसके टेण्डर ऐसे लोगों को दिये गये, उनको इस तरह से दिया गया कि उन्होंने बांदा से आकर उन्नाव में काम नहीं किया और पूरा पैसा लूटने का काम किया। जिस उद्देश्य से 107 करोड़ रुपया देने का काम किया गया था उन नहरों का सुदृढ़ीकरण का काम नहीं किया गया। मैं मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि उन नहरों की सुदृढ़ीकरण की कोई योजना बनाकर सुदृढ़ीकरण कराने का काम कर दें। हमारे एक साथी ने कहा था कि बड़े पैमाने पर किसानों की लूट सींचपालों के द्वारा की जा रही है। यह सही था जब सींचपाल, किसानों की खेती में पानी गया, उसको लिखने का काम करते थे उस समय गड़बड़ी करने का काम करते थे आज उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब मा0 मंत्री जी ने सींच मुफ्त कर दी है तो किसानों को लूटने का कोई औचित्य नहीं बनता है। एक अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, हमारे उन्नाव में एक लोन नदी है जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार सम्पर्क भी करने का काम किया, उसके सुदृढ़ीकरण कराने का काम कर दें। अन्त में मैं मा0 सिंचाई मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर में हमारा विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह गंगा के किनारे बसा हुआ है, वहां बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाती है। गंगा किनारे हमारे कुछ गांव हैं, सिरोरा, आहार, मेहम्मदपुर, कल्यानपुर, हसनपुर, रूढ़ शेरपुर, तारई, बच्चा खेड़ा इन गांवों में पानी भर जाने से बरसात के दिनों में वह वहां रह नहीं पाते हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर बाढ़ आने से पहले व्यवस्था करा दें ताकि इन गांवों के लोगों को परेशानी न हो। इसके साथ ही अगौता ब्लाक का एक गांव खेड़ी पड़ता है वहां पर तीन से चार हजार बीघा जमीन मात्र 500 मीटर नाले की वजह से जलमग्न हो जाती है। माननीय मंत्री जी, उसका आगणन निर्माण खण्ड-10 से बन करके आया हुआ है और मात्र

500 मीटर नाला बनना है उसकी वजह से तीन से चार हजार बीघा जमीन जलमग्न हो जाती है, अगर वह 500 मीटर नाला बना दिया जाए तो इससे उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें, श्री अगयश राम सरन वर्मा जी आप बोलिये।

श्री गजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे क्षेत्र की नहर है उनकी पटरियां, सड़क टूटी हुई हैं, उन टूटी पटरियों को ठीक करा दिया जाए, नहर की सफाई करा दी जाए और टेल तक पानी पहुंचा दी जाए। माननीय मंत्री जी हमारे क्षेत्र की बंधों, बम्बों व रजवाहे एवं नहरों को ठीक कराने का काम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अगयश राम सरन वर्मा जी, तीन मिनट है बोल लीजिए उसके बाद मंत्री जी बोलेंगे।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने सिंचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के 2014-2015 के आय-व्ययक पर विचार रखने का अवसर प्रदान किया है।

श्री अध्यक्ष-

केवल अपने क्षेत्र के बारे में संक्षेप में कहियेगा और ज्यादा भूमिका बनायेंगे तो समय लग जायेगा।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। जल ही जीवन है, निश्चित रूप से यह बात कह सकते हैं कि अगर आगे कोई विश्व युद्ध होता है तो उसका कारण जल का बंटवारा ही होगा, अन्य कोई कारण नहीं होगा। इसलिए जल का कितना महत्व है यह अच्छी प्रकार से हम सब लोग जानते हैं। मान्यवर, आय-व्ययक 2014-2015 में सिंचाई और बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर केवल 7587 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो बहुत ही कम है। मान्यवर, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है जहां पर 80 प्रतिशत जनता खेती-बाड़ी का काम करती है, उसमें भी उत्तर प्रदेश एक ऐसा भू-खण्ड है जो उत्पादकता की दृष्टिकोण से श्रेष्ठ और उत्तम प्रदेश है जहां पर इस समय धान की रोपाई और गन्ने जैसी आर्थिक फसल की सिंचाई का कार्य चल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

लेकिन उत्तर प्रदेश की नहरों में पानी नहीं है, राजकीय नलकूप बंद पड़े हैं वैसे तो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 13996.74 कि0मी0 लम्बी नहरें हैं....

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये, जो आप कह रहे हैं यह कट मोशन में कह दिया गया है। वर्मा जी, अब बैठिये। माननीय सदस्य देवेन्द्र अग्रवाल जी।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

जिनका विस्तार 1106 कि0मी0 पड़ोसी राज्यों में है। इसमें से 1103 कि0मी0 नहरों की सफाई खरीफ की फसल में की गयी और 3874 कि0मी0 रबी की फसल में की गयी।

(मा0 सदस्य देवेन्द्र अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर भी श्री अगयश राम सरन वर्मा जी अपने स्थान से बोलते रहे लेकिन माइक आफ होने की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।)

*श्री देवेन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों की खुशहाली के लिए सिंचाई जैसे बड़े बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। पहले तो मैं आपने आदरणीय सिंचाई मंत्री जी को और मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो किसानों के लिए नहर व सरकारी ट्यूबवेल से किसानों की सिंचाई की फ्री में व्यवस्था की है वह ऐतिहासिक व्यवस्था है। नेता जी का यह सपना था कि प्रदेश का जब किसान खुशहाल रहेगा तो यह देश खुशहाल रहेगा। मैं इस बड़े बजट के लिए भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं सिंचाई मंत्री जी को कि उन्होंने टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या से सदन को अवगत कराना चाहता हूं मांट ब्रांच से गुरसण्डा, धनैटा, मनसा, मागा जो चार रजबहा निकलते हैं मैं चाहूंगा कि जो इनके बीच कहीं थोड़ी जगह में सफाई नहीं हुई है उनकी सफाई कराने का काम करें दूसरा जो गांव उस बम्बे और नहर के सहारे बसते हैं उनके पुल टूट गए हैं उन पुलों को बनवाने का काम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

राजेश त्रिपाठी जी केवल दो मिनट में अपनी बात रखें। बाकी लोग बैठ जाएं आप लोग समय पर रहते नहीं हैं उस समय जब नाम पुकारा गया तो उपस्थित नहीं थे अब नहीं 301 में सूचना दे देते हैं फिर उपस्थित नहीं रहते। इस पर सवा तीन घण्टे से ज्यादा हो गए।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मैं केवल दो मिनट लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। गोरखपुर जनपद में जो कोठा से आछीडीह का बंधा है उस 45 कि0मी0 के बंधे में पांच कि0मी0 बंधा ऐसा है जो बना नहीं है। छूटा हुआ है यह अरबों रुपये का बंधा बना चुके हैं यह पांच कि0मी0 रुका हुआ है यह पत्रावली मंत्री जी आपके पास लम्बित है अगर आप मेहरबानी करेंगे तो 45 कि0मी0 बंधे का उपयोग होगा। वरना पूरा का पूरा बंधा बेकार रहेगा। दूसरा हम आपसे यह अनुरोध करना चाहते हैं कि वहां पर जो घाघरा सरयू नदी बह रही है लगभग डेढ़ दर्जन गांव ऐसे हैं जो उसकी धारा में कट रहे हैं सैकड़ों हेक्टेयर भूमि कट रही है जो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि आप गांव नहीं बचा सकते लेकिन गांवों के समूह को बचा सकते हैं। इन गावों के समूहों को बचाने के लिए इसमें ठोकर लगवा दिया जाय दूसरा मैं आपसे अनुरोध करना चाहता था कि तराना नाले की खुदाई कराकर इसके दोनों तरफ तटबंध बना दिए जाएं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। माननीय सदस्य लिखकर दे दें वह कार्यवाही का अंग मान लिया जाएगा†।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप कुछ नाराज लग रहे है।

श्री अध्यक्ष-

नाराज नहीं हैं कितना देर हो गया है तीन बज गया है और बजट है। जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं वह लिखकर दे दें प्रोसीडिंग्स का अंग बन जाएगा आप हमें दे दें और प्रेस को भी ले जाकर दे देना वह छप जाएगा। 23 लोग इस पर बोल चुके हैं कालीचरन जी लिखकर दे दें।

आप लोग अभी राजस्व विभाग का बजट है उस पर बोल लीजिए।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इतने लोग बोल चुके हैं। अब और नहीं। लल्लू जी आप अपनी बात कहें। अरे आप लोग जो नहीं बोल पाये हैं लिखकर दे दीजिये कार्यवाही का अंग बन जायेगा। जो नहीं बोल पा रहे है राजस्व पर बोल लीजियेगा।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, सारे बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के सभी सम्मानित सदस्य, लोकदल के सम्मानित सदस्यों के क्षेत्रवार पीड़ा को अपने आपसे सम्बद्ध करते हुए उन लोगों की समस्याओं पर बल देते हुए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जो बजट का प्राविधान किया गया है वह काफी कम है।

श्री अध्यक्ष-

अरे वर्मा जी बैठ जाओ। आप लिखकर दे दो, प्रोसीडिंग का अंग बन जायेगा। आप लोग भी लिखकर दे दो। मैं उसको जुड़ा दूंगा। आप लोग विधान सभा की गम्भीरता को नहीं समझते है। इसी तरह से जब नाम बुलाया जाता है तो गायब रहते है। 301 में सूचना दे देंगें और रहते नहीं है। बाद में घूमकर आयेंगें और फिर बोलने के लिये खड़े होते है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

साथ ही साथ अपर गंगा कैनाल में सिल्ट सफाई के नाम पर जो धन देना चाहिए शायद सरकार ने अपनी मर्जी से कदम नहीं उठाया है और उधर बजट में भी कम धन का प्राविधान किया है। इलाहाबाद में नगर के बाधौं, बक्शी बांध, त्रिवेणी बांध, देख-रेख सिंचाई बांध प्रखंडकर्ता पिछली बार बाढ़ में बक्शी बांध क्षतिग्रस्त हो गया था उसकी मरम्मत के लिए 9 करोड़ उपलब्ध कराये जाने की मांग, इसके साथ नागबास्की मंदिर दारागंज से शिवपुरी मंदिर बांध का निर्माण जिसमें बाढ़ और कटान

† (देखिये माननीय सदस्यों के लिखित भाषण नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-234-246 पर)।

से इलाहाबाद को बचाया जा सके। अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं जो बात नलकूप की आई। नलकूप के सन्दर्भ में हमारी विधायिका आदरणीय अराधना मिश्रा जी ने बड़ी मजबूती से रखा कि तीन-चार नलकूप जो जगह जगह पर है वहां आपरेटरों की कमी के कारण उसका संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं नलकूप पहले प्रस्ताव से जो गांव चिन्हित किये जाते थे उन गांवों में लगता था। पिछले दो वर्ष से मुझे याद है कि एक भी गांव जिलावार की बैठक में किसी भी विधायक से नहीं मांग की गई कि कहां-कहां नलकूप की स्थापना की जाय, जिससे खेतों में ठीक ढंग से सिंचाई कराई जाय और माननीय अध्यक्ष जी, एक चखनी ड्रेन जो 1950 में निर्माण हुआ था उसमें किसानों की जमीन ली गई और उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा और तमाम बन्धों और नहर के निर्माण के बारे में अभी हमारे अकेला जी एक विधायक है सत्ता पक्ष के उन्होंने एक अधिकारी पर आरोप लगाया कि हम लगातार कहते रहे और अधिशासी अभियंता और उनके विभाग के कर्मचारी कोई प्रोजेक्ट नहीं बना पाये और बाद में मुझे मंत्री जी से कह कर हस्तक्षेप कराना पड़ा। तो सत्ता पक्ष के विधायकों की यह स्थिति है तो विपक्ष के विधायकों की स्थिति क्या होगी। यह गम्भीर विषय है इस पर विचार करना चाहिए और माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि जन प्रतिनिधि यदि कोई शिकायत करता है चूंकि वह जनता से जुड़ा हुआ होता है और अगर किसी भी विषय को कहता है तो उस पर आप मजबूती से कार्यवाई करें ताकि कोई भी व्यक्ति हो। वैसे आपका नेचर ऐसा है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सब विधायकों का आप सम्मान करते है और उनकी बात को ज्यादा से ज्यादा सुनते है। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अरे मंत्री जी बोल लें तो आप स्पष्टीकरण के रूप में पूछ लेना।

*श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमने अजय कुमार लल्लू जी से कटौती के प्रस्ताव के रूप में उनकी पूरी बात सुनी और सभी विधायकों को सुना। बहुत से सुझाव भी आये। वैसे तो हमने प्रदेश के सभी जिलों में सिंचाई का कार्य तेजी के साथ प्रारम्भ किया है। मान्यवर, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है और हमने 7500 करोड़ का विकास कार्य भी शुरू कर दिया है और पूरे प्रदेश में काम भी हो रहा है। नहरों में पानी भी आ रहा है और नलकूपों का जहां तक सवाल है, हमारी सरकार बनने से पहले नलकूपों की स्थिति अच्छी नहीं थी, 75 परसेण्ट से भी ज्यादा ट्यूबवेल खराब थे और आज 95 परसेण्ट से ज्यादा ठीक होने चाहिए, उससे भी ज्यादा होंगे, काम कर रहे हैं और जो गण्डक परियोजना के बारे में अजय कुमार जी ने बात रखी है, वैसे तो इस परियोजना की लागत है 319 करोड़, रेगूलेटर हैं, गेट हैं, पुलों का निर्माण है, पुलों की रेलिंग का निर्माण का निर्माण है, उसके लिए मैंने 79 करोड़ रुपया रखा है और जो बात अभी गंगा फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड के बारे में मा0 सदस्य, अजय कुमार जी ने रखी थी, उसमें बाढ़ परियोजना की स्वीकृति के लिए गंगा फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड से 12.5 करोड़ तक की परियोजना को मुख्य अभियन्ता समिति (तकनीकी) की जो सलाह होती है, उस पर पास होता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और 12.5 से 25 करोड़ की जो परियोजना होती है, उसे गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड उसे स्वीकृत करता है और 25 करोड़ से अधिक की परियोजना जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृत होती है। तो इस प्रकार से हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है और सरकार ने बाढ़ पर नियन्त्रण किया है। ढाई साल के अन्दर हमने बाढ़ पर नियन्त्रण भी किया है और हमने इसके लिए 450 करोड़ स्वीकृत करके अप्रैल में ही जहां-जहां संवेदनशील है, वहां भेज दिया है तो इस तरीके से बाढ़ है, पानी है सबकी व्यवस्था करा दी है और।

मान्यवर, जितने भी सुझाव आए हैं, बहुत से सुझाव आए हैं, सदस्यों ने बहुत सी बातें भी रखी हैं, सदस्यों ने जो बातें रखी हैं, उससे तो लगता है कि कोई न कोई तकनीक की खोज करनी पड़ेगी। उसे लिए शायद एक प्रतिनिधि मण्डल को बाहर जाना पड़ेंगा। जितने सुझाव मा0 सदस्यों ने दिए हैं, नई तकनीकी के लिए, वैसे जो आन्ध्र प्रदेश में जिस तकनीक पर आधारित पम्प कैनाल है, उस योजना में पायलेट प्रोजेक्ट बनाये गये हैं तो इस पर विचार करके शीघ्र लागू करेंगे और जैसा आराधना जी ने सुझाव दिया है, नहरां की पटरियों पर सोलर ऊर्जा का अच्छा सुझाव है, इस पर हम विचार करेंगे और वैसे तो मैंने सोचा है कि लखनऊ में गोमती नदी में भी पानी रहे, कहीं-कहीं लखनऊ के आसपास गोमती में पानी नहीं रहता है। तो हर समय गोमती में पानी उपलब्ध रहे, इसकी भी योजना बनाई जा रही है, बंधों के बीच में जहां पर नदी है, बंधों और नदी के बीच में यदि कोई बसावट बसती है तो बंधे निर्माण के समय ही भारत सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में उन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बाहर हटाने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा कर लिया जाना चाहिए। बंधे और नदी के बीच में अगर कहीं बसावट है तो जिला प्रशासन द्वारा उसे हटाने का कार्य कर लेना चाहिए। गण्डक नहर परियोजना के अतर्गत नहरों के टेल तक के लिए पानी की व्यवस्था गण्डक नहर प्रणाली के रिमॉडलिंग कर नहरों की क्षमता वृद्धि की भी व्यवस्था कराई जा रही है। बुन्देलखण्ड में विश्वबैंक के अन्तर्गत कार्य हो रहा है, वह कार्य समय पर पूरे हो जायेंगे। राप्ती का कार्य राष्ट्रीय प्रोजेक्ट जो आपने बताया है कि राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बहुत लम्बे समय से था, यह जो नौ जिले इसमें हैं यह 30 साल से नहीं हुए थे, यह सरयू योजना तीस साल की योजना थी, अब यह 16 तक पूरी करा ली जायेगी। जहां तक बालू की नीलामी की व्यवस्था है किसानों के माध्यम से, सुझाव अच्छा है, प्रजापति जी का कोई दखल नहीं होगा, तो इसकी नीति बनायेंगे, इसके लिए नीति बनाना पड़ेगी, अगर नहरों में बालू है, सिल्ट है तो इसकी नीलामी के लिए नीति बनाई जायेगी, यह अच्छा सुझाव है। वैकल्पिक ऊर्जा के सम्बन्ध में जो सुझाव आया है, वह अच्छा सुझाव है, इसका परीक्षण करा कर इस पर कार्यवाही कराई जायेगी। जहां तक जनपद लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षा देने के लिए शारदानगर से एरापुर, जालिमनगर तथा जालिमनगर से अम्बरपुर तक तटबन्ध निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे लखीमपुर-खीरी को शारदा एवं घाघरा नदी की बाढ़ से बचाया जा सके।

इसके अलावा सीतापुर-बाराबंकी क्षेत्र को बचाने के लिए 54 किलोमीटर लम्बा बंधा भी बनाया जा रहा है, जिससे सीतापुर, बाराबंकी जनपदों में लाभ होगा। लखीमपुर के बचाव के लिए 35 करोड़ की व्यवस्था कर दी गई है। मा0 सदस्य सुशील सिंह जी ने जो भूपाली पम्प कैनाल के बारे में कहा है, भूपाली पम्प कैनाल के लिए पक्के पम्प हाऊस का निर्माण किया जा चुका है, बिजली के सबस्टेशन के लिए बिजली विभाग को धन भी दिया जा चुका है, सिंचाई विभाग के पास उपलब्ध जमीन

पर ही यह सबस्टेशन बनाया जाना है। सिंचाई विभाग की जमीन पर यह बनाया जायेगा, प्रयास कर लेना, नहीं तो मुझे बता देना। रवीन्द्र भड़ाना जी ने सरकार बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने, नहरों की सफाई करा कर कृषकों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। कार्य भी कराये गये हैं तथा कराये भी जा रहे हैं। फिरोजाबाद रजबहा व नारकी रजबहा की लाइनिंग के लिए दो करोड़ की व्यवस्था की गई है तथा इसी वित्तीय वर्ष में कराये जाने वाले प्रस्ताव प्रस्तावित है। इसके अलावा फिरोजाबाद के क्षेत्र को पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा हेतु जसराना नहर बनाई जा रही है, जिसके लिए इस वक्त 53 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है। रोशन लाल जी द्वारा जनपद शाहजहांपुर, तिलहर विधान सभा क्षेत्र में जिन नहरों पर अवैध कब्जे का प्रश्न उठाया गया है। इस तरीक से बहुत सी जगह पर कब्जे हुये हैं। सिंचाई विभाग की जमीन पर बहुत जगह कब्जे हैं, मकान भी बन गये हैं। कहीं कहीं नहरों को भी समाप्त कर दिया गया, पाट दिया गया है उनको तत्काल हटाये जाने की कार्यवाही करायी जायेगी। इस तरीके से इस बजट पर जो सुझाव आये हैं और हमने भी पूरे प्रदेश के लिये जो बजट रखा है। चाहे बाढ़ हो, चाहे नहरों में पानी का सवाल हो, चाहे ड्रेनेज का सवाल हो, चाहे कटान का हो, तटबन्ध से लेकर सभी के लिये है। बलिया में भी तटबन्ध का काम शुरू है।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, हम यह पूछना चाहते हैं कि जो पीड़ा आपकी 2008 में थी, वही पीड़ा आज भी है। सरयू पम्प नहर जो 1977 में शुरू की गयी थी 222 करोड़ से अब 3000 करोड़ पहुंच गयी है। केवल एक बार 92, 97 में 132 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 438 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता हुयी थी। केवल इस कारण हुई थी कि ओम प्रकाश सिंह सिंचाई मंत्री थे उन्होंने केवल 10 कि0मी0 में नहर बनाकर काम को पूरा कया था। क्या इस प्रकार से सरकार की कोई योजना है कि इसकी सिंचन क्षमता इस नहर को पूरा करके इसकी सिंचन क्षमता बढ़ायेंगे। पूरी करें जो 2016 कहा है क्या 2016 तक उसको पूरा कर देंगे। दूसरा जो यह कहा कि नलकूप 524 नलकूप बहराइच में काम कर रहे हैं अभी जब उस दिन बात हुयी थी। हम लोगों की समिति सिंचाई वाली बैठी थी उसमें 400 कुछ नलकूप बताये थे, बाकी कहा था खराब हैं। इस समय 524 ठीक हैं, पता नहीं चल पर रहा है कि यह सही है कि वह सही है। ऐसे ही बहराइच बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है, उसमें जब बाढ़ आ जाती है तक सुध आती है। बनहा, बहरौली बांध हर बार कटता है, मा0 मंत्री जी स्वयं वहां हेलीकाप्टर से जाते हैं व्यवस्था करने बाढ़ के समय। हम यह आग्रह कर रहे हैं कि यह व्यवस्था बाढ़ आने पर न की जाये उसके पहले की जाये।

*श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष, पूरे प्रदेश में एक मात्र नहर ऐसी है। माठ ब्रांच एम0डी0एफ0, अलीगढ़, बुलन्दशहर और मथुरा तक जाती है जिसके अनुरक्षण के लिये इस बजट में पैसे का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सीजन की नहर है 4 महीने चलती है, इसी नहर से धान लगाये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं मा0 मंत्री जी से क्या उन्होंने नहर के अनुरक्षण के लिये व्यवस्था की है। एम0डी0एफ0, माठ ब्रांच ये मथुरा तक चलती है इसके अनुरक्षण के लिये एक पैसे की व्यवस्था नहीं की है। एक नहर पूरे प्रदेश में ऐसी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माठ ब्रांच मे मेंने पहले से ही इसमें पानी की व्यवस्था करा दी है और नहीं तो दिखवा लेंगे। जहां तक अभी मा0 सदस्य बोल रहे थे सरयू नहर परियोजना पर, पहले बहुत कम काम हुआ था इस सरयू नहर परियोजना पर। शायद विधायक जी को आभास नहीं है कि अबकी बार कितना बड़ा काम हो रहा है अब तक। पहले तो यह बहुत पुरानी योजना है और इस वर्ष हमने इस पर 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट) और राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवायी है, अब इनको पता ही नहीं है और इसे 2016 तक पूरा कराने जा रहे हैं। इसमें 9 जिलों को फायदा होगा और इसमें लगभग 14 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष-

(श्री प्रदीप कुमार के खड़े होने पर) आप तो पहले वहीं जाकर बात कर लेते हो फिर यहां भी पूछते हैं, आप बैठो।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि प्रदेश की प्रदूषित होती हुई नदियां चाहे गंगा हो या यमुना हो, उसमें नाले जो गिर रहे हैं, उनको उन नालों को उन नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या समानान्तर नाले बनाने की जो परियोजना है उसके लिए क्या बजट में प्राविधान करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ये सिंचाई से क्या मतलब है।

श्री प्रदीप माथुर-

दूसरी बात यह है कि नदियों में इतनी सिल्ट जमा हो गई है कि वह उथली हो गयी हैं, उसकी वजह से बहुत बाढ़ आती है, उसकी डिसिल्टिंग का कार्य हेतु इस बजट में प्राविधान करेंगे। तीसरी बात आपने जो घोषणा करी है अपने भाषण की शुरुआत में कि मथुरा वृन्दावन में घाटों को निर्माण कराया जायेगा, आपने बजट में उसका प्राविधान नहीं किया। इसी तरह वृन्दावन में बैराज निर्माण की बात करी, पर बजट में उसका प्राविधान नहीं किया, इस पर स्पष्टीकरण लेना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब वह नहीं दे रहे हैं तो आप बैठिए। अब वह मंत्री जी का काम है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति

के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,09,02,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,44,77,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,33,69,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, हमें स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

अब मंत्री जी ने जबाव नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूं। भई ये नहीं उठे तो मैं क्या करूं ? मंत्री जी को जबाव देना था, आप मुझसे क्यों उलझ रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

आप उन्हें स्पष्टीकरण के लिए कहते।

श्री अध्यक्ष-

मैं नहीं कहता, आप बैठिए। आप मिलकर बात कर लीजिएगा, इसमें अब कोई बात नहीं होगी। आप बैठिए।

श्री प्रदीप माथुर-

आप हमेशा उपेक्षा करते हैं, बैठिए कहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपको बोलने का अवसर दिया गया, अब मंत्री जी ने खड़े हुए तो मैं क्या करता, मैं क्या करूं। बैठिए, बैठिए।

(श्री प्रदीप माथुर अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन कर गये)

आप क्या बर्हिगमन कर रहे हैं, जाइये, जाइये।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिल प्रशासन) अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) तथा अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, में आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,20,72,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री राज्यपाल के सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,46,54,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री राज्यपाल के सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,99,01,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं अपने राजस्व विभाग की प्रगति एवं उपलब्धियों के बारे में आपके माध्यम से सदन को जानकारी चाहता हूं। मैं आपकी अनुमति से राजस्व विभाग के वर्ष 2014-15 के बजट को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध कर रहा हूं कि :-

राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का समुचित रख-रखाव भूमि विवादों के निपटारे, मुख्य देयों तथा विविध देयों की वसूली, अवैध कब्जेदारों को हटाकर वास्तविक पट्टेदारों का कब्जा दिलाया जाना, कृषि, आवास, मत्स्य पालन, कुम्हारी कला एवं वृक्षारोपण हेतु पट्टों का आवंटन, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, भूमि अधिग्रहण, चकबन्दी, जिला गजेटियर एवं आपदा राहत सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है। राजस्व विभाग के कार्यों का संक्षेप में विवरण निम्नवत् है:-

1-भूमि सुधार कार्य-

कृषि भूमि आवंटन, ग्रामीण आवास स्थल आवंटन, मत्स्य पालन हेतु ताल पोखरों का आवंटन, कुम्हारी कला एवं मूर्ति कला के प्रोत्साहन हेतु कुम्हार जाति एंव इस व्यवस्था में लगे व्यक्तियों

को मिट्टी उपलब्ध कराये जाने हेतु मिट्टी का आवंटन, वृक्षारोपण हेतु भूमि का आवंटन, विकलांगों के लिए आवासीय पट्टा आवंटन एवं सीलिंग से प्राप्त भूमि का आवंटन शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को किया जा रहा है।

2-कृषक दुर्घटना बीमा योजना-

उ0प्र0 के 2.5 करोड़ खातेदार/सहखातेदार कृषकों जिनकी आयु न्यूनतम 12 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष हो, के लिए कृषक दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। सरकार द्वारा कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा आवरण राशि अधिकतम 05 लाख रुपये किया गया है।

इस बीमा योजना का लाभ उन खातेदार/सहखातेदार कृषकों को अनुमन्य होता है, जिनकी मृत्यु यदि आग, बाढ़, बिजली गिरने, करन्ट लगने, सांप काटने एवं जीव जन्तु द्वारा काटने/मारने, नदी, तालाब, पोखर व कुंए में डूबने, मकान गिरने वाहन दुर्घटना, डकैती, दंगा, मारपीट तथा आतंकवादी घटना आदि अप्राकृतिक कारणों से होती है, उसे बीमा का लाभ अनुमन्य होगा।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-52 में प्रीमियम हेतु भुगतान मद में धनराशि रुपये 395 करोड एवं अनाच्छादित अवधि के दावों का भुगतान मद में रुपये 200 करोड़ तथा अनुदान संख्या-83 में अनाच्छादित अवधि के दावों का भुगतान मद में रु0 200 करोड़ एवं प्रीमियम हेतु भुगतान में रुपया 1,000 का बजट प्राविधान किया गया है।

3-आम आदमी बीमा योजना-

आम आदमी बीमा योजना प्रदेश में 01 नवम्बर, 2008 से लागू है। इस योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष तक की आयु के मुखिया सदस्य ही बीमा के लिए पात्र हैं। यदि किसी परिवार के मुखिया की आयु 59 वर्ष से अधिक है, तो वहां उस परिवार के मुख्य आय अर्जित करने वाले सदस्य को बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाना है।

बीमा का आवरण प्राकृतिक मृत्यु की दशा में रु0 30,000/- तथा दुर्घटनावश मृत्यु की दशा में रु0 75,000/- देय है। पूर्णतया अपंग होने पर रु0 75000/- तथा आंशिक अपंगता की दशा में रु0 37,500/- देय होता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु योजना के क्रियान्वयन के लिये रु0 50 करोड़ की मांग की गयी है।

4-राजकीय देयों की वसूली-

संग्रह सम्बन्धी कार्य जनपदों में जिलाधिकारियों के नियंत्रणाधीन संग्रह अमीनों द्वारा सम्पादित किया जाता है संग्रह अमीनों द्वारा मुख्य देय एंव विविध देयों की वसूली की जाती है।

शासन द्वारा रु0 एक लाख तक के बाकीदारों पर उत्पीड़ानात्मक कार्यवाही पर रोक लगायी गयी है तथा रु0 दो लाख तक के कृषि उपकरणों से सम्बन्धित ऋणों की वसूली पर भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगाई गई है।

5-राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण-

राजस्व न्यायालयों में बड़ी संख्या में लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण का कार्य शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। शासन के निर्देशानुसार परिषद् द्वारा ''न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन

प्रणाली'' नाम से एक नये पोर्टल का विकास कराया गया है। प्रदेश में तहसील, जनपद, मण्डल एवं राजस्व परिषद् स्तर पर राजस्व न्यायालय स्थापित एवं कार्य कर रहे हैं।

राजस्व परिषद् द्वारा प्रदेश के नायब तहसीलदार से लेकर प्रवर राजस्व न्यायालयों तक के कम्प्यूटरीकरण का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। इस कार्य हेतु साफ्टवेयर एन0आई0सी0 राज्य एकक, उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित किया गया है इस साफ्टवेयर में आम जनता/अधिवक्ता, पीठासीन अधिकारी, पेशकार व प्रवर न्यायालयों के अवलोकन एवं कार्य दिवसवार कार्यों के कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था है।

6-सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया-

सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया कराने हेतु प्रदेश में सृजित 6 सर्वेक्षण इकाइयों के माध्यम से सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं का कार्य कराया जा रहा है। सर्वेक्षण इकाइयों के मुख्यालय जनपद सोनभद्र, फैजाबाद, उन्नाव, बलिया, मिर्जापुर तथा गोरखपुर में स्थित हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया सम्बन्धी कार्य कराने हेत सर्वेक्षण इकाई मिर्जापुर का स्थानान्तरण जनपद गाजियाबाद को किया गया था।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रस्ताव-शासन की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवन तथा आवासीय भवनों के चालू कार्यों हेतु क्रमशः रु0 134.3797 करोड़ व रु0 48.2584 करोड़ तथा प्रदेश की पूर्व में नवसृजित 14 तहसीलों जिनके अपने कार्यालय तथा तहसील स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासीय भवन नहीं हैं उनके निर्माण के प्रस्ताव के साथ ही 20 अन्य जीर्ण-शीर्ण तहसीलों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु नयी मांगों के अन्तर्गत अनावासीय भवनों के पुनर्निमाण हेतु तथा अन्य विधिक कार्यों अनावासीय मद में रु0 91.0378 करोड़ तथा आवासीय नये कार्यों के मद में रु0 45.8264 करोड़ का बजट अनुमान प्रेषित किया गया है। इस प्रकार अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत कुल रु0 354.5023 करोड़ की आवश्यकता का अनुमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए किया गया है।

अनुदान संख्या-52 के अन्तर्गत राजस्व परिषद् लखनऊ मुख्यालय भवन के जीर्णोद्धार के चालू कार्यों हेतु रु0 7.1266 करोड़ तथा राजस्व परिषद इलाहाबाद व लखनऊ के अनावासीय एवं आवासीय नये कार्यों हेतु रु0 0.3638 करोड़ तथा लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय बिजनौरा तथा मऊ के अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु रु0 1.5181 करोड़ एवं राजस्व परिषद् इलाहाबाद में निर्माणाधीन श्रेणी-4 के चार आवासों का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु रु0 0.2587 करोड़ इस प्रकार कुल रु0 9.2672 करोड़ का अनुमान है।

मान्यवर, प्रदेश के समस्त कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश के 99,949 ग्रामों की खतौनियों के अभिलेखों को वर्ष 2005 में कम्प्यूटरीकृत कर लिया गया है। 30 अप्रैल, 2014 तक प्रदेश में लगभग 13.46 करोड़ कम्प्यूटरीकृत खतौनी उद्धरण निर्गत किये जा चुके हैं। जनसमस्याओं के निस्तारण, प्रमाण पत्रों/चेकों/अन्य सुविधाओं के वितरण केन्द्र के रूप में प्रत्येक तहसील में प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार तहसील दिवस आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-609/1-4-12-111बी-4/2012, दिनांक 16-05-2012 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्गत किये गये हैं। इसके अनुपालन में प्रदेश के सभी जनपदों में

तहसील दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जन सामान्य की सुविधा के लिये शासन द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत राजस्व विभाग की 6 सेवायें आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, किसान बही मूल, किसान बही डुप्लीकेट एवं भूमि का अविवादित नामान्तरण को सम्मिलित किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण की समय सीमा निर्धारित करते हुये तहसीलदार/उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी को एवं मण्डलायुक्त को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है।

भारत सरकार द्वार भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकर अधिनियम, 2013 लागू किया गया है जो दिनांक 01-01-2014 से प्रभावी है। नये अधिनियमों के प्राविधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा अग्रेत्तर आवश्यक व्यवस्थायें करने की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1957 में जिला गजेटियर विभाग की स्थापना के साथ इस योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा केन्द्र सरकार द्वारा पोषित इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा अब तक प्रदेश के तत्कालीन सभी 54 जिलों के जिला गजेटियर्स एवं 08 जनपदों के पूरक अंक सप्लीमेन्टरी वाल्यूम्स अंग्रेजी भाषा मे तैयार कर प्रकाशित कराये गये। जिला गजेटियर्स विभाग ने प्रदेश का प्रथम वृहद राज्य गजेटियर पांच खंडों में तैयार कर प्रकाशित कराया है।

उत्तर प्रदेश आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील राज्य है। भारत सरकार द्वारा तेरह प्रकार की आपदाओं बाढ़, भूकम्प, सूखा, अतिवृष्टि, चक्रवात, शीतलहरी, अग्निकांड, कीट आक्रमण, हिमस्खलन, ओलावृष्टि, बादल फटना, भूस्खलन, लू प्रकोप, आकाशीय विद्युत प्रभाव को अधिसूचित किया गया है। इन्हीं आपदाओं से प्रभावित परिवारों को रहत प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा कुल रु0 468.44 लाख की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि के लिये प्रस्तावित है। जिसमें भारत सरकार का केन्द्रांश रु0 351.33 करोड़ एवं राज्यांश रु0 117.11 करोड़ होगा।

प्रदेश में चकबन्दी योजना वर्ष 1954 से प्रारम्भ की गयी। इस योजना का भूमि सुधार हरित क्रान्ति एवं ग्राम विकास से सीधा सम्बन्ध है। चकबन्दी का उद्देश्य कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्वि कर कृषकों का जीवनस्तर ऊंचा करना है। इस योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत बिखरे हुये खेतों को इकजाई करके चक प्रदिष्ट किये जाते हैं तथा चकमार्ग, सम्पर्क मार्ग, सिंचाई की नाली, सामान्य आबादी, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिये आबादी एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु भूमि आरक्षित की जाती है।

इस तरीके से मान्यवर, यह राजस्व विभाग का बजट मैंने रखा है, हमें उम्मीद है कि सभी सदस्य बिना कटौती के हमारे बजट को पास करायेंगे।

*श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(इस समय 03 बजकर 41 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मदन चौहान पीठासीन हुए)

मान्यवर, मा0 राजस्व मंत्री जी ने अपने विभाग में सुधार के लिए बहुत सी बातें कहीं और भारी भरकम राशि की मांग सदन से की है। इसमें दो राय नहीं कि इस विभाग के लिए बहुत भारी भरकम राशि की आवश्यकता है जो जिला प्रशासन के अन्तर्गत उन्होंने मांगी है। मान्यवर, इसके अलावा मा0 मंत्री जी ने अपने विभाग के लिए बहुत सी बातें कही हैं। जो उन्होंने नीति बनाई जो उन्होंने साधन दिये मान्यवर, सिर्फ उससे काम चलने वाला नहीं है। पूरा सदन बैठा हुआ है, विधायकगण बैठे हुए हैं। मान्यवर, यह सिर्फ राजस्व विभाग का बजट नहीं है। इससे कानून-व्यवस्था इतने जबर्दस्त तरीके से जुड़ा हुआ है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर राजस्व विभाग को ठीक कर दिया जाए तो 70 प्रतिशत कानून-व्यवस्था अपने आप ठीक हो जायेगी। अड़चन कहां से आती है, परेशानी कहां से आती है इसे मा0 राजस्व मंत्री जी अच्छी तरह से जानते होंगे। हमारे पूर्व राजस्व मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मा0 अम्बिका चौधरी जी, पिछले बजट में बहुत ही गम्भीरता से उन्होंने इन बातों को रखा था और संज्ञान में लेने की बात की थी और कार्रवाई से उन्होंने इन बातों को रखा था और संज्ञान में लेने की बात की थी और कार्रवाई कराने की भी बात की थी। मेरी समझ से वह मेरी बात से सहमत होंगे, मैं सबसे पहले इस बात पर आता हूं कि हमारे मा0 मंत्री जी ने पहली बात कही है कि कृषि, भूमि, पट्टों में गरीबों की वरीयता का मामला। मान्यवर, इसी दिग्दर्शन को उठाकर देख लिया जाए जो आंकड़े इसमें दिये गये हैं, वर्ष 2009-10 में जब बी0एस0पी0 की गवर्नमेंट थी तो 8 हजार हेक्टेयर लक्ष्य था उस लक्ष्य के सापेक्ष में 12 हजार 3.130 हेक्टेयर उपलब्धि हासिल हुई यह लक्ष्य से 150 परसेंट अधिक है। मान्यवर, 2010-11 में 5 हजार के मुकाबले 8 हजार 292 समथिंग यानी कि 138। वर्ष 2011-12 में 6 हजार हेक्टेयर के मुकाबले 6 हजार 118 यानी कि 101 परसेंट। मान्यवर, 2012-13 में 105 परसेंट हो गया और वर्ष 2013-14 में 113 परसेंट। मान्यवर, सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए, ग्राम समाज की भूमि पर गरीबों का पट्टा कृषि का पट्टा देने की अगर दृढ़ इच्छाशक्ति रहती तो इस परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए था, घटना नहीं चाहिए था। ग्रामीण आवास स्थल के आवंटन के मामले में 2009-10 में 6 हजार के मुकाबले 8223, 136 परसेंट। 2010-11 में 30 हजार के मुकाबले में 51901, 259 प्रतिशत की वृद्धि। मान्यवर, 2011-12 में 35 हजार के मुकाबले 43452, 124 परसेंट। मान्यवर, 2012-13 122 परसेंट चला गया और 2013-14 में बढ़ करके 170 परसेंट हो गया। इसी तरह से मत्स्य पालन हेतु। मान्यवर, तीन हजार हेक्टेयर के मुकाबले में 2009-2010 में 5079, 175 प्रतिशत से ज्यादा, 2010-11 में 2000 के मुकाबले में 3900, 183 प्रतिशत से ज्यादा, वर्ष 2011-2012 के 1800 के मुकाबले में 3400, 190 प्रतिशत ज्यादा, 2012-2013 में 1800 के मुकाबले 4248, 236 प्रतिशत, लेकिन लक्ष्य को कम करके

प्रतिशत को ज्यादा दिखाने का काम किया गया है यह इसमें होशियारी की गयी है। 2013-2014 में 5000 के मुकाबले 1423, 108 प्रतिशत चला आया। मान्यवर, इसी तरह से कुम्हारी कला में आप देखेंगे कि 2009-2010 2500 की तुलना में 3414, 126 प्रतिशत, 2010-2011 में 1000 की तुलना में 2316, 231 प्रतिशत, 2011-2012 में 1400 के मुकाबले, 2274 162 प्रतिशत, 2012-2013 में 168 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह सराहनीय रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आपकी उपलब्धि अच्छी रही है।

वृक्षारोपण हेतु पट्टे में 2009-2010 में 2500 के मुकाबले में 3242, 129 प्रतिशत, 2010-2011 में 1000 के मुकाबले 1802, 180 प्रतिशत, मान्यवर, इसी तरह से मेरे कहने का अर्थ यह है मैं डाटा कहां तक पढ़ूं सरकार को बहुत दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ गरीबों को पट्टा दिलाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी तभी गरीबों को न्याय मिल सकेगा, मैं इसके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं। इसके अलावा विकलांगों को आवासीय पट्टा देने की बात कही गयी है लेकिन मान्यवर, इसमें डाटा क्यों नहीं आया ? यह डाटा देख करके शर्म महसूस होती कि प्रदेश के विकलांगों को हम पट्टा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे सके इसलिए यह डाटा नहीं प्रस्तुत किया गया। मान्यवर, इस सरकार ने कृषि दुर्घटना बीमा योजना को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मा0 मंत्री जी को आपने इसको बढ़ा करके किसानों को, गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इससे जो वंचित हो गये, आम आदमी के लिए जो दुर्घटना बीमा चलाने का काम किया उसमें थोड़ा प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है। अभी आम जनता उसको जान नहीं पायी है और अपना बीमा करवाने का काम आम जनता कर नहीं पा रही है, इस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। मान्यवर, मैं जिला प्रशासन की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जहां से व्यवस्था खराब हो रही है, सबसे बड़ा कारण है जब जनता अपने जमीनों का काम ले करके जा रही है एस0डी0एम0 के पास, मा0 मंत्री जी इस पर जरूर ध्यान देंगे यह सबसे जुड़ा हुआ है। जब जनता एस0डी0एम0 के पास जाती है तो वह कहता है कि एस0ओ0 के पास चले जाओ मैं लिख दे रहा हूं, एस0ओ0 कहता है कि तहसील दिवस में जाओ, तहसील दिवस में कह दिया जाता है कि थाना दिवस में जाओ, वह कम से कम एक महीना चक्कर लगाता रहता है। इसी नाते आप अखबार में पढ़ते होंगे कि मामला आया 600 और निस्तारण हुआ 16 का। यही कारण है जिसकी वजह से जब निस्तारण नहीं होता है तो गांव में मारपीट शुरू हो जाती है, जमीन का मामला फिर कन्वर्ट हो जाता है मारपीट में, फिर 323, 504, 506 में एफ0आई0आर0 दर्ज होता है उसमें जमानत कराओ, सारा ध्यान सबका इधर-उधर हो जाता है। इसलिए मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लाइबिलिटी और एकाउण्टबिलिटी फिक्स करें जिस अधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिया जाए जिलाधिकारी द्वारा उसका संज्ञान लेते हुए उससें जवाब-तलब होना चाहिए कि 15 दिन के अन्दर इसमें क्या कार्रवाई की गयी और क्यों जनता मारी-मारी फिर रही है। अगर आप इसको सुधार दें तो बहुत बड़ा काम हो जायेगा। दूसरी बात, माननीय मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं कि दफा 41 जन-जन में व्याप्त है। उसके जो जटिल मामले हैं कहा जाता है कि उसमें पैमाइश करा दिया जायेगा पर बड़े मुश्किल से कई महीना दौड़ने के बाद, हालांकि सरकार का निर्देश है कि जल्दी निस्तारण किया जाए लेकिन कई महीना दौड़ने के बाद दफा-41 का निस्तारण

अगर किसी हिसाब से हुआ तो उसके बाद वह कहता है कि हमें फोर्स चाहिए तो एस0ओ0 कहता है कि वहां झगड़ा हो गया है मैं वहां जाऊंगा, मैं कहां से जमीन के चक्कर में पड़ूं। मोटी रकम जब तय होती है तब फोर्स लेकर एस0ओ0 मौके पर जाता है या अपना सिपाही भेजता है तब तक दफा 41 के चक्कर में गांव में फिर मार हो जाती है। मान्यवर, बड़ी भारी समस्या है फोर्स उपलब्ध न होना...

फोर्स उपलब्ध न होने के कारण मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पुलिस भर्ती के अलावा राजस्व पुलिस की भर्ती आप कर दीजिए जो एस0डी0एम0 के अधीन हो और एस0डी0एम0 अपनी पुलिस को आर्डर करे कि तुमको साथ जाना है। किसान को जनता को पुलिस के लिए परेशान न होना पड़े। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप राजस्व पुलिस की भर्ती शुरू करवाइए। अगर यह कर देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। आपने सहज सेवा केन्द्र खोला जनता को सुविधा देने के लिए निश्चित रूप से जनता जा रही है वहां पर एप्लीकेशन दे रही है उसके लिए एक महीने का टाइम निर्धारित है लेकिन जनता दौड़ती है वह समय से नहीं दे पाते हैं कहते हैं कि हमको अभी कागज नहीं मिल पाया। जहां पर शुरुआत हुआ वहीं पर जनता खड़ी हो गई। जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में मंत्री जी जरूर आदेश करें कि जाति प्रमाण-पत्र लेटेस्ट क्या होता है अगर मैं जन्म से कुर्मी पैदा हुआ हूं तो क्या 10 साल बाद मैं ठाकुर हो जाऊंगा या दूसरी जाति का हो जाऊंगा। कहा जाता है कि लेटेस्ट जाति प्रमाण-पत्र ले आओ जाति प्रमाण-पत्र एक बार होना चाहिए। आय प्रमाण-पत्र के बारे में राजस्व विभाग कहता है कि 6 महीने में आय परिवर्तित हो जाता है 6 महीने में दूसरा आय प्रमाण-पत्र बनवाना पड़ेगा इतना ही नहीं अलग-अलग बच्चों का अलग-अलग प्रमाण-पत्र मान्यवर, पिता का आय प्रमाण-पत्र बनता है तो बच्चे का आय प्रमाण-पत्र को कोई मतलब नहीं है। एक ही आय प्रमाण-पत्र हर बच्चे के ऊपर लागू कर दिया जाय। माननीय मंत्री जी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं और भी मुद्दों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चकबन्दी में इकजाई करने के लिए आपने बहुत से नियम बनाए बहुत से आप काम किए अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि 10 साल में एक गांव का चकबन्दी नहीं हो पाती है। हमारे पूर्वज एक कहावत कहते थे कि जिस गांव में चकबन्दी हो जाए उस गांव में डकैती डालने की जरूरत नहीं है चोरी करने की जरूरत नहीं है। वह अपने आप कंगाल हो जाएंगे चोरों की हिम्मत नहीं है कि चकबन्दी वाले गांव में जाकर चोरी करें। सी0ओ0 से लेकर एस0ओ0सी0बी0डी0सी0 इतना मुकदमें में दौड़ाते हैं इतना पस्त कर देते हैं कि गरीब आदमी त्रस्त हो जाता है इसके लिए कोई ठोस नियम निकालें पालिसी बनाएं तब जाकर कुछ होने वाला है।

श्री अधिष्ठाता-

अब बहुत हो गया।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

मैं बस खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, मैं सीलिंग की जमीन की बात कहना चाहूंगा मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। जो टेक्निकल बात है जिस कांस्पीरेसी से जमीन हड़पा जा रहा है मैं दो उदाहरण देकर इसे समझने का प्रयास करूंगा हमारे विधान सभा में एक बड़हरा फार्म है वहां 20 एकड़ जमीन सीलिंग में निकली उसका पट्टा कराकर किसानों को कब्जा करा दिया गया लेकिन मालिक ने इतनी होशियारी की कि कमिश्नर के यहां मुकदमा किया पहले मुकदमा उसके फेवर में हो गया कि जमीन

वापस ली जाती है सीलिंग की उसके बाद जब सरकार का दबाव पड़ा आपके विभाग का दबाव पड़ा कि कैसे तुम जमीन किसान को वापस कर दिये तो उसने अपनी गलती को स्वीकार करते हुये दूसरा फैसला कर दिया कि नहीं गलती हो गयी और जमीन किसानों को लौटाई जाती है। इस कानून का फायदा उठाकर जो पक्ष था जो जमींदार था वह कोर्ट में चला गया और वहां कहा कि कमिश्नर ने एक माह में दो आदेश कर दिये। इसलिये एक आदेश पर स्टे कर दिया जाय और उस आदेश पर स्टे हो गया जिस आदेश के अन्तर्गत किसानों को जमीन वापस हो रहा था हाई कोर्ट के स्टे आदेश का फायदा उठाकर फिर जमीन हड़प लिया गया और प्रशासन द्वारा जाकर उसको कब्जा करा दिया गया मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं 40 साल में गोरखपुर के पुरुषोत्तम दास 1900 एकड़ पर कब्जा किये हुये है सीलिंग का मुकदमा चल रहा है 40 साल से मुकदमें का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। सीलिंग विभाग की कांसीपिरेसी जमींदारों के साथ आज भी चल रही है। उस जमीन को सींलिंग में नहीं निकाला जा रहा है आप पता करवा लीजिये गोरखपुर के डी0एम0 को जांच दे दीजिये उस 1900 एकड़ जमीन में से कम से 500 करोड़ की जमीन बेच दी गई है और सीलिंग में प्रभावी जमीन को बेच दिया गया। मैंने शिकायत किया है, प्रमुख सचिव भी बैठे है। मैंने शिकायत किया अधिकारियों से, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। यहां से कार्रवाई करने के लिये प्रभावी निर्देश गया मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, प्रभावी निर्देश गये लेकिन उसको इस तरह से घुमा रहे हैं ताकि जल्दी-जल्दी प्लाटिंग करके जमीन बेची जाय और मान्यवर, अगर इसमें दो महीना लेट कर देंगे तो 100 करोड़ की जमीन बेच दी जायेगी। मान्यवर, इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, विभिन्न मुद्दों पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये उम्मीद है कि मैंने कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं किया है। मैंने जनता से जुड़ी हुई जो समस्या थी उस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराया है। अगर आप इसको अपने संज्ञान में लिये होते तो मैं कटौती प्रस्ताव नहीं रखता। लेकिन आपने इसका संज्ञान नहीं लिया इसलिये मैं कटौती प्रस्ताव रख रहा हूं। आपका ध्यान आकृष्ट हो। धन्यवाद।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं राजस्व जैसे महत्वपूर्ण बजट पर माननीय राजस्व मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट के समर्थन पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि राजस्व विभाग में बहुत ही क्रान्तिकारी परिवर्तन आपके द्वारा लाया गया है और आपने राजस्व विभाग के कार्यों को जहां चुस्त-दुरुस्त किया वहीं पर कृषक दुर्घटना बीमा योजना जिसकी राशि बढ़ा करके आम किसानों को आपने लाभान्वित किया वहीं पर आम बीमा योजना चलाकर जो अत्यन्त निर्धन परिवार था, जो गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिन्दगी बसर करता था, उस परिवार की तरफ किसी ने आज तक नहीं देखा था, वहां आपकी नजर गई और आपने उन निर्धन परिवारों को आम बीमा योजना से जोड़ने का काम किया। यह सच्चाई है कि इसका प्रचार नहीं हो रहा है। हम अपने तहसील में एक दिन गये तो हमने तहसीलदार से पूछा कि आम बीमा योजना का आपने यहां पर कोई पोस्टर नहीं लगाया तो उसने कहा कि नहीं। हमने कहा कि लगाना चाहिये क्योंकि इतनी जनता आती है तहसील दिवस पर। तहसीलों पर अपने कामों के लिये आती है। यह एक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है, इतनी अच्छी योजना हो ही नहीं सकती जो आम आदमी तक सरकार का ध्यान गया और आम आदमी को इसमें बीमा का लाभ मिल रहा है। यह एक निःशुल्क बीमा है। एक पैसा किसान से नहीं लिया जाता और किसान को राहत दी जाती है। अगर उसके पास कोई भूमि नहीं है तो उसको भी आप 75 हजार रुपये से लेकरर 95 हजार 1 लाख रुपये तक सहायता देने का काम कर रहे हैं। न्याय पंचायत स्तर पर आपने जन सेवा केन्द्र खोलकर बहुत सारी समस्याओं का निराकरण गांव स्तर पर कर दिया क्योंकि लोगों को दौड़कर आना पड़ता था तहसीलों में। एक आय और निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के चक्कर में कई दिन कट जाता था और तब तक कहीं न कहीं से अभ्यर्थी का नुकसान हो जाता था। यह काम आपने करके एक बहुत बड़ा काम आम आदमी के लिये किया जो सराहनीय है और आम आदमी को उसकी राहत मिली। आपने अभी घोषणा किया है नौकरी में या शपथ-पत्र के लिये लोगों को दौड़ना नहीं पड़ेगा और अभ्यर्थी स्वयं अपना शपथ-पत्र बनाकर दे देगा तब भी मान लिया जायेगा। इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा लोगों ने प्रदेश में की है। यह सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार ने इतना क्रांतिकारी कदम उठाया है जो आज तक किसी सरकार ने नहीं उठाया था। इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम यह समाजवादी पार्टी की सरकार ने उठाया है। इसलिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। चकबन्दी प्रक्रिया को थोड़ा सरल करने की जरूरत है क्योंकि चकबन्दी आयुक्त हैं नहीं यहां, हमारे बलिया जनपद में दो गांव सभा ऐसे हैं, जो बहुत बड़ी ग्राम सभा है, एक पूर गांव सभा है जिसकी चकबन्दी आज 38 साल हो गया है, नहीं पूरी हो पाए और एक सीसो गांव सभा है, यह दोनों गांव मेरी ही विधान सभा क्षेत्र में पड़ते हैं और उसकी चकबन्दी भी 40-42 साल से हो रही है और पूरी नहीं हो पायी केवल कुछ तथाकथित लोग गांव में होते हैं जो लोगों को मुकदमा लड़ा करके और अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने वस में करके आम आदमी को लाभ से वंचित करते हैं और इसको लिंगर करते हैं और इसकी प्रक्रिया ऐसी है कि उसके मुकदमों की सुनवाई नहीं होती है। जहां चकबन्दी प्रक्रिया शुरू होती है और धारा-9 की पर्ची बंटने लगती है, वहीं पर एसीओ स्टेज और सीओ स्टेज का कैम्प लगा करके हफ्ता भर के लिये, 10 दिन के लिये, 15 दिन के लिये व्यवस्था कर दी जाए और वहीं पर सारी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाए। जब सारी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जायेगा तो बहुत सारी समस्याएं उस गांव में ही हल हो जायेंगी और डी0डी0सी0 तक भी नहीं आयेगी और बहुत जल्दी चकबन्दी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी, मगर अभी तक पूरी नहीं हुई है।

हमारे यहां जो पूर गांव सभा है, मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, मैं आपसे मिला भी था और लिखकर भी दिया था। मान्यवर, अभी मैं लोक सभा चुनाव में घूम रहा था, करीब 200 गरीब परिवार चौहान, राजभर, मल्लाह, यादव, कुशवाहा, राई आदि छोटी जाति के लोग उनके चकों को नाले में भेज दिया गया और उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा चक कहां है। जहां बिजली के ट्रांसफार्मर लगे हुये हैं, उनको पर्ची थमा दिया कि तुम्हारा चक यहां है। जब वह गरीब आदमी वहां जाता है तो वह देखता है कि यहां तो ट्रांसफार्मर है, यहां तो कुंआ है, यहां तो नाला है, इस तरीके से अनियमितता की गयी है। पूरे गांव सभा की चकबन्दी में कुछ बड़े लोग, पैसे वाले लोग अधिकारियों पर दबाव डालकर चकबन्दी प्रक्रिया में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था कि श्रीमान् जी, वहां पर चकबन्दी आयुक्त के स्तर के अधिकारी को वहां भेज दीजिये। वहां पर चन्द्रशेखर जी के नाम से

मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्पोर्ट कालेज बनाने की घोषणा की है, वहां पर जमीन भी छूटी हुई है। मा0 राजस्व मंत्री जी ने बलिया जनपद के लिये बहुत बड़ा काम किया हे, इसके लिये बलिया जनपद की जनता आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रही है। मगर वहां के पूर गांव और सीसो गांव की चकबन्दी 38 साल से पड़ी हुई है, विशेष रूप से पूर गांव में मैं कहूंगा कि वहां पर एक उप संचालक चकबन्दी अधिकारी या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी का 15 दिन का एक कैम्प लगवा दीजिए और वहीं मौके पर जितनी भी आपत्तियां डीडीसी और एसओसी स्तर की हैं और जहां आबादी की जमीन नहीं छूटी है, खलिहान की जमीन नहीं छूटी है, कब्रिस्तान की जमीन नहीं छूटी है और उन सारी जमीनों को कुछ बड़े लोगों ने हड़प कर लिया है और अपना चक बनवा लिया है। अपने चक की मालियत तो बहुत ज्यादा लगवा लिए और गरीब के चक की मालियत कम लगवा करके उसको नाले में फेंकवा दिया है।

वहां काफी लोग परेशान हैं, किसान, गरीब, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि बलिया जनपद के पूर गांव की चकबन्दी प्रक्रिया को जरूर पूरा करा दें, चकबन्दी आयुक्त को वहां भेज करके, कैम्प लगवा करके। मैं चाहूंगा कि जो आपने क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है, कब्रिस्तानों को लोग लूट लिया करते थे, हिन्दू नहीं लूटते थे, मुसलमान ही बहुत ज्यादा जगहों पर मैंने देखा है, कब्रिस्तानों को लूटने का काम, बुल्डोजर चलवा करके कब्रिस्तानों पर और वहां पर 10 मंजिला इमारत बनवा करके हड़पने का काम किया है। गांवों में भी हड़प लिए, अपने लोगों ने हड़पा, उसके सीमांकन करने के आदेश हमारी सरकार ने जारी किया और उसमें काफी लोगों को राहत मिली और इससे लोगों में एक सन्देश गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार जबसे बनी है, गंभीरता से कब्रिस्तानों की बाउन्ड्री का काम और उसके सीमांकन कराने का काम कर रही है। हम एक निवेदन करना चाहेंगे, अभी हमारे एक साथी जो कटौती प्रस्ताव रख रहे थे, कह रहे थे कि जो पैमाइशें होती है, इसमें किसानों को तहसीलों में दौड़ाया जाता है और इसमें कई तरह के वाद-विवाद भी खड़े होते हैं और इसमें झगड़े-लड़ाई हो जाती है, अगर निचले स्तर पर ही, नायब तहसीलदार या तहसीलदार के स्तर पर इसका समाधान कर दिया जाए।

...यह कमी है कानूनगो की कमी है, नायब तहसीलदार की कमी है, इस पर भी विशेष आपका ध्यान जाय, क्योंकि आपके रहते अगर इसमें परिवर्तन नहीं होगा तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, हमारा दावा है कि आपके रहते, आपके पी0डब्ल्यू0डी0, सिंचाई, राजस्व, बिजली ये महत्वपूर्ण विभाग हैं, बहुत महत्वपूर्ण आप नेता है, हमारे शानदार अभिनेता हैं, आपने हमेशा परिवर्तन किया है और परिवर्तन करके लोगों को दिखाया है कि जो गलत अधिकारी रहे हैं, उनको आपने सजा देने का कभी काम किया है। आपने ऐसे गलत अधिकारियों को दण्डित करके उनकी सोच को बदला है, उनमें सुधार पैदा हुआ है। श्रीमन् जो तालाब और कुएं हैं, उन पर लोग कब्जा कर लिये हैं, उनका अस्तित्व मिट रहा है, तालाब की आवश्यकता है हमारे पशुओं के लिए, हमारे और तमाम संसाधन के लिए। पहले तालाब से आबपाशी का काम होता था, मगर ठीक है आबपाशी का भी काम हो रहा है, मगर तालाब को सुरक्षित रखना गांव में बहुत आवश्यक है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि कहीं भी तालाब है, लोग उन पर कब्जा न करें उसको सुरक्षित रखें और उसको और गहरा करके कुंओं और तालाब की हम सुरक्षा करें, यह हम आपसे मांग करते हैं और बजट का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद

देने के साथ ही मैं पुनः बलिया जनपद के पूरगांव सभा में विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि वहां पर चकबन्दी आयुक्त को भेज करके मौके पर निस्तारण करके गरीबों के खेत जो नाले में डाल दिये गये हैं, उनको पुनः वापस दिलवाया जाय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सन्त प्रसाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने राजस्व विभाग जैसे प्रमुख विभाग पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, मा0 अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान राजस्व विभाग के गोरखपुर जनपद की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, बहुत सारी समाज से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान राजस्व विभाग द्वारा होता है। सभी जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्व विभाग द्वारा सम्पादित होती हैं और आज राजस्व निरीक्षकों का पूरे प्रदेश में बहुत ही अभाव है, लेखपालों की बहुत ही कमी है, गोरखपुर जनपद के खजनी तहसील में मात्र एक राजस्व निरीक्षक है और आज यह जुलाई का महीना चल रहा है, बच्चों को तमाम प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए उसकी विशेष आवश्यकता होती है और एक-एक लेखपाल को 8-8, 10-10 गांवों के चार्ज मिले हुए हैं, जिससे वह काम सही से सम्पादित नहीं हो पा रहे हैं। हमारा मंत्री जी से आग्रह है, मा0 अधिष्ठाता महोदय हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहते हैं कि तत्काल खजनी तहसील में राजस्व निरीक्षक और लेखपालों की जो कमी है, उसे तत्काल पूरा कराया जाय, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान हो सके जैसे, समाजकल्याण विभाग द्वारा सम्पादित विधवा पेन्शन, विकलांग पेन्शन और छात्रवृत्ति की जो भी योजनाएं हैं, यह राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के बगैर प्रमाण-पत्र दिये नहीं पूरा किये जाते हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि तत्काल इस जुलाई के महीने में इनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, मान्यवर, कुछ लेखपाल ऐसे हैं, जिन्हें कानूनगो का प्रमोशन हुआ है, लेकिन उन्हें चार्ज नहीं दिया गया है, हमारा आपसे आग्रह है कि इस जुलाई के महीने में विशेष कार्यभार दे करके बच्चों के हित के लिए समाज के हित के लिए, उन्हें ऐसा चार्ज दिया जाये जिससे कम से कम वह यह प्रमाण-पत्र तत्काल ले सकें और उन्हें आसानी हो जाय छात्रों को इस जुलाई महीने में एडमीशन लेने के लिए, पढ़ने के लिए और अन्य योजनाओं को पूरा करने के लिए। मान्यवर, आपने जनसेवा केन्द्र खोले, इससे बहुत सारी समस्याओं का निदान होगा, लेकिन जब तक राजस्व निरीक्षक नहीं रहेंगे तब तक यह काम पूरा नहीं हो सकता। दूसरी समस्या यह है मान्यवर, धारा-41 में जो पैमाइश का काम होता है, इसमें राजस्व निरीक्षक और लेखपाल मुंहमांगा पैसा मांगते हैं जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है, लोग पैसा दे नहीं देते हैं, तब तक वह काम पूरा नहीं किया जाता है। मान्यवर, हमारे यहां खजनी तहसील में इस तरह की बहुत सारी समस्यायें हैं जो वैसे ही विचाराधीन पड़ी हुई हैं। आपसे हमारा अनुरोध है, खजनी तहसील में कम से कम राजस्व विभाग के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि इसमें दफा-41, मान्यवर आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान इधर आकृष्ट करना चाहता हूं...

दफा-41 में समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिये कि 30 दिन से लेकर 45 दिन चकों की पैमाइश कर दी जाये जिससे बड़े से बड़े विवाद होने से टल सकते हैं। आज इस तरह की बहुत सारी समस्यायें हैं। भूमि की चकबंदी की भी बहुत समस्या है। बहुत से ऐसे गांव हैं जो 40, 40 वर्ष से चकबन्दी में लिये गये हैं लेकिन अभी तक खजनी तहसील के द्वाबा क्षेत्र के बहुत सारे गांव चकबंदी में

पड़े हुये हैं और जिनकी चकबंदी भी हुयी है उन गरीब किसानों को ले जा करके नदी के किनारे चक दे दिये गये हैं और जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्हें गांव के किनारे दे दिया गया है। हमारा मा0 मंत्री जी से आग्रह है कि इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिये जिससे बहुत सारे विवाद हल हो सकते हैं। आज इस राजस्व विभाग के प्रमुख विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

पंचायती राज (राज्य मंत्री) (श्री कमाल अख्तर)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। ये सही बात है कि हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी 80-95 फीसदी लोग कृषि के जरिये अपना जीवन-यापन करते हैं। बहुत सारी डिपेण्डेंसी, निर्भरता राजस्व विभाग के ऊपर है। जहां तक सवाल है तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि राजस्व विभाग कृषि से जुड़ा सीधा विभाग है। बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य जैसे अभिलेखों का रख-रखाव, चकबन्दी के जरिये भूमि को इकट्ठा करना, कृषि दुर्घटना बीमा योजना, विवादों का निपटारा, राजस्व की वृद्धि कर विकास करना। ये सारे काम राजस्व के जरिये होते हैं। जहां तक ग्राम समाज की भूमि का आवंटन है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज वो गरीब आदमी जिसका कोई सहारा नहीं है जिसका कोई जरिया नहीं है उस गरीब आदमी के आवास के लिये राजस्व विभाग से पट्टा उपलब्ध करा दिया जाता है और उसको एक नयी जिंदगी दे दी जाती है। जहां तक सवाल यह है कि हमारे एक बसपा के साथी ने आंकड़े पढ़ कर सुनाये तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि उस समय पर आवंटन किये जाते थे तो आवंटन का मानक उसकी गरीबी नहीं होती थी। आवंटन का मानक कुछ और होता था लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने राजस्व मंत्री जी को आज अगर आवंटन का जरिया उत्तर प्रदेश में गरीबों को पट्टे आवंटित किये जा रहे हैं तो उसमें उनकी गरीबी को देखा जा रहा है। उनकी जाति बिरादरी या किसी पार्टी को नहीं देखा जा रहा है बल्कि यह देखा जा रहा है कि वह आदमी उसके लिए जरूरतमंद है या नहीं है। दूसरा जहां तक गरीब आवास आवंटन का मामला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज इस 65-66 साल की आजादी के बाद वे लोग आज भी ऐसी जगह पर रहते हैं कि उनके सर पर छत नहीं है। खुले आसमान के नीचे सोकर, जमीन पर सोकर जिंदगी बिताते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्व मंत्री जी को उन्होंने व्यवस्था करके ऐसे लोगों के लिये आवास की व्यवस्था कराई है। आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, आज कुम्हारीकला के पट्टे देकर दूसरे पट्टे देकर उन लोगों को रोजगार देने का काम किया है। जहां तक सवाल है वृक्षारोपण का तो आज वृक्षारोपण यह जो ग्लोबल वार्मिंग का जमाना है। जलवायु परिवर्तन का जमाना है, आज बड़ी-बड़ी कैम्पेन हम लोग चलाते हैं कि हम लोग आज तरह-तरह के परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं। उसका जरिया सिर्फ यह है कि अगर हम लोग पेड़ नहीं लगायेंगे, अगर हम लोग पेड़ों की हिफाजत नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर इस हिन्दुस्तान को और इस उत्तर प्रदेश को बहुत बुरा समय देखना पड़ सकता है। मैं बधाई दूंगा मुख्य मंत्री जी को, वन विभाग के जरिये राजस्व मंत्री को बधाई दूंगा कि उन्होंने पट्टे दिलवाकर, वृक्षारोपण के पट्टे के जरिये पेड़ लगाकर लोगों को वह जरिया पैदा किया है कि पेड़ उगेंगे तो निश्चित तौर पर पेड़ लगाने से जो जलवायु में होने वाले परिवर्तन हैं, वह रुकने का कार्य करेंगे। साथ में अपने मुख्य मंत्री जी को, इस

सरकार को, राजस्व मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा उस योजना के लिये जो दुर्घटना बीमा योजना है। वो गरीब आदमी जिसके घर पर जवान बेटियां बैठी हुयी हैं, वो गरीब आदमी जिसके मरने के बाद उसके बच्चों को कोई पढ़ाने वाला नहीं है उसके मकान पर छत नहीं है।

दुर्घटना के अंदर एक्सीडेंट के अंदर उसकी मौत हो जाती है, कुएं में डूबने से, तालाब में डूबने से मौत हो जाती है, उसके आंसू पोछने वाला कोई नहीं था। मा0 नेता जी की सरकार बनी, उन्होंने दुर्घटना बीमा योजना के तहत 1 लाख रु0 धनराशि करने का काम किया लेकिन मान्यवर, में आपसे कहना चाहता हूं मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने जब देखा कि 1 लाख रुपये के अंदर हम लोग किसी का भला नहीं कर सकते, तो इस मंहगाई के जमाने के अंदर तो पांच लाख रुपये उस राशि को देने का काम किया।

आज जहां उत्तर प्रदेश के अंदर, उन गरीब किसानों के घर पर, जब उनके घर पर दुर्घटना होकर उनको पालने वाला, उनको सहारा देने वाला कोई आदमी जब इस दुनिया से चला जाता है, तब समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा समाजवादी पार्टी के नेता के उस आदेश को लेकर 5 लाख रुपये उसके परिवार को चलाने के लिए उसके घर पर दे जाने का काम करता है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा मान्यवर, अभी हम लोगों ने यह जरूर स्वीकारा कि हम इन योजनाओं का प्रसार-प्रचार नहीं कर पाये लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज मुख्य मंत्री राहत कोष का एक लाख रुपये का चेक अगर कहीं पर मिलता है तो उस क्षेत्र का तहसीलदार या डी0एम0 उस क्षेत्र के विधायक या जनप्रतिनिधि के साथ ले जाकर उसके घर पर देने का काम करता है।

ये बात सही है कि आज कम्प्यूटर का जमाना है लेकिन यह 5 लाख रुपये जब किसान के यहां स्वीकृत कर दिये जाते हैं, वह पैसा सीधे बैंक के खाते से उसके घर पर पहुंचता है, उसको यह पता नहीं चलता कि यह सरकार ने उसकी किसान बीमा योजना के तहत मिला है, वह सोचता है कि सीधे भगवान जी यहां से हम लोगों के पास 5 लाख रुपये आ गए। मैं राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि आप इस योजना के अंदर इतना परिवर्तन जरूर करा दें कि जिस क्षेत्र के अंदर किसान बीमा योजना के अंतर्गत किसी किसान की मृत्यु के बाद 5 लाख रुपये जन-प्रतिनिधि, विधायक, उस क्षेत्र का एस0डी0एम0 या जो भी अधिकारी हैं, वह अधिकारी उसके घर पर जाकर पूरे गांव के सामने उसको सौंपने का काम करेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका परिवार, उसके लोग यह जरूर समझेंगे कि मा0 मुलायम सिंह यादव, मा0 अखिलेश यादव और मा0 शिवपाल यादव के कामों से उनकी इस योजना के तहत परिवार को चलाने के लिए 5 लाख रुपये देने का काम किया है।

जहां तक सवाल है, इस बात की मा0 अध्यक्ष जी मैं, आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज चाहे कोई भी कर्मचारी हो, वह नेतागर्दी हम लोगों से ज्यादा करता है। हम छोटे नेता उसके सामने हो जाते हैं और वे बड़े नेता हो जाते हैं। बहुत सारे लेखपाल ऐसे हैं जो आज 15-15 साल, 20-20 साल से एक क्षेत्र के अंदर जमे बैठे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने आदेश दिये कि 10 साल तक एक ही जगह पर जो भी लेखपाल है, उनको उनकी तहसीलों से बदला जाए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वह आपके आदेश का पालन बहुत ढ़िलाई के साथ कर रहे हैं, आपके आदेश पर वहां से चले तो जाएंगे लेकिन 3 महीने बाद किसी न किसी से सिफारिश करके फिर उस जगह चले आएंगे, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं ऐसे लेखपालों को जो

15-15, 20-20 सालों में कहीं जमे बैठे हैं, उन लेखपालों को आप हटाकर कम से कम दूसरे जिलों में जरुर पहुंचवायेंगे। अगर वो लोग पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों की भलाई होने का काम करेंगे। मैं आपकी अपनी सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं, जन सूचना केन्द्र के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, तहसील में जाकर गरीब आदमी को पता नहीं होता था। पहले वकील उसकी लुटाई करता था, फिर लेखपाल फिर कानूनगो फिर तहसीलदार उसको आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र बनाये जाने के लिए तंग करते थे, लेकिन जन सूचना केन्द्र बनाने के बाद यह समाप्त हुआ। इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं।

दूसरा मैं मा0 शिवपाल जी से मा0 राजस्व मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर तहसील हसनपुर है, उस तहसील की बिल्डिंग 100 साल पुरानी है। हालत यह है कि पता नहीं किस बरसात में वह गिर जाये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तहसील के अंदर, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, जो उस तहसील के अंदर व्यापारी लोग हैं, उस क्षेत्र के लोग हैं, वह चाहते हैं कि उस तहसील की नई बिल्डिंग बन जाये, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसी बजट के अंदर ऐसा प्रावधान कर दें और एक चीज सबसे आवश्यक चीज है कि हम लोगों के पास 4 बीघे जमीन बीच शहर में जहां तहसील है, वहां उपलब्ध है। मैं आपसे सिर्फ यही अनुरोध करते हुए और आपके इस शानदार बजट के रखने के लिए बधाई देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस तहसील के निर्माण के लिये आपकी कृपा होगी तो निश्चित तौर पर उस तहसील का ढांचा बदलेगा, जो लोगों की जनता की वहां पर मांग है वह पूरी करने की कृपा करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, आज मा0 राजस्व मंत्री जी ने बजट रखा है वह बहुत अच्छा है, और जितना प्रयास कर सकते थे वह उन्होंने किया है और सब व्यवस्थायें इसमें हैं। मान्यवर, कुछ विसंगतियां ऐसी हैं जिनको दूर करना आवश्यक है। मान्यवर, यहां बहुत से विधायक देहात और किसानों के बीच से आते हैं। आपने एक किसान बीमा योजना बनाई है। अभी हमारे यहां का एक किसान खेत पर खत्म हो गया। वह जब खेत पर गया तो उसे खेत पर बम्बा खुला रह गया था और पानी था जिसको देखकर, उसको हार्ट-अटैक पड़ गया और उसकी डेथ हो गयी। मैंने जब अपने अलीगढ़ के जिलाधिकारी से पूछा कि क्या किसान बीमा योजना से इसे परिवार को आर्थिक सहायता मिल सकती है, तो उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक का इसमें कोई प्राविधान नहीं है। इसलिए इसमें सहायता नहीं मिल पायेगी। मान्यवर, खेत में काम करते हुए चाहे किसान को सांप काट ले तो वह इस योजना से आच्छादित होता है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि हार्ट अटैक को भी इसमें शामिल किया जाय, यदि वह किसान को खेत में काम करते समय पड़ जाये। मान्यवर, हम सबको जानकारी है कि जो [XXX] के लोग हैं उनको प्लाट आदि तो आवंटित हुए हैं, परन्तु कब्जा नहीं मिला है।

श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर यह [x x x] उपयुक्त नहीं है।

नोट :-[x x x] यह अंश मा0 अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

हम देख लेंगे।

श्री दलबीर सिह-

मान्यवर, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको पट्टा आवंटित हुआ है, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं मिला हैं। और वह यदि अपनी जमीन को बेंचना चाहें, तो उसकी परमीशन नहीं मिलती है। लेकिन दूसरे लोग तिकड़मी लोग 143 धारा का फायदा उठाकर उस जमीन को सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। मेरा कहना है कि उनको पट्टों पर कब्जे का अधिकार दिलाया जाय और उनको बेचने का भी अधिकार दिया जाय। इसमें परिवर्तन कराकर सुविधा दी जाय। मान्यवर, पूरे प्रदेश के लोगों की यह इच्छा है। मान्यवर, लेखपालों के संबंध में यह कहना है कि 15-20 सालों से वह एक ही स्थानों पर जमा हैं और अपने गांव और अपनी तहसील में नियुक्त हैं। और मनमाने ढंग से काम करते हैं। और लोगों को प्रभावित करते हैं। उनकी तैनाती उस गांव व तहसील से दूर होनी चाहिए। मान्यवर, हमारे अलीगढ़ जनपद में नगर में लेखपाल 15-15 सालों से जमे हुए हैं। और वह माफियागिरी और प्रापर्टी डीलिंग का काम करते हैं। और वह आज पचास-पचास, सौ-सौ करोड़ के मालिक हैं। उनको उस शहर और तहसील से और आस-पास से हटाकर, दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाय।

श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, कुछ ज्यादा न कहते हुए कुछ सुझाव आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने यह निर्णय लिया कि एक लाख से पांच लाख रुपये किसानों को बीमा योजना देने का काम किया। मान्यवर, इसमें एक त्रुटि है जो इसकी एक समय-सीमा बांध दी गयी। 3 महीने समय-सीमा के अन्तर्गत अगर उस लाभार्थी को चेक नहीं मिला तो उसकी पात्रता को अवैध मान लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब किसी किसान के घर में मृत्यु होती है तो वह कोई जानकार नहीं होते, उनको इस बात का संज्ञान नहीं होता इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद वह लेखपाल और एस0डी0एम0 को सूचना देते हैं उसके बाद जिम्मेदारी अधिकारियों की होनी चाहिए। उसके बाद 3 महीने के अन्दर उनकी राशि को उपलब्ध कराना चाहिए। मैं ऐसा सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कहीं आग लग जाती है राजस्व विभाग उन्हें चेक बांटने जाता है। गरीबों के घर में जब आग लगती है शादी का माहौल होता है गरीब एक-एक रुपया जोड़कर जमीन बेचकर उस दहेज के सामान को इकट्ठा करके अपने घर में रखने का काम करता है। मान्यवर, उसी वक्त उसके घर में आग लग जाती है तो सरकार पूरी ताकत से जो वहां पर अधिकारी हैं उनके माध्यम से उन्हें अगर राहत मुहैया कराने की कोशिश करती है तो मात्र साढ़े चार हजार रुपये की ही राहत उपलब्ध कराई जाती है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों को विशेष तौर से दिखवाकर इस नियम को बदलवा कर जिनके घर में शादी हो जिनके सामान की क्षति लाखों

रुपयों की हो गयी हो उन्हें अलग से मुआवजा दिया जाय। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए ज्यादा कुछ न कहते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं।

मो0 इरफान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा बजट हमारे मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ जरूरी सुझाव देना चाहूंगा। जेड0ए0एल0आर0 एक्ट की जो प्रक्रिया है उसमें 2 खास बाते हैं 176 और 229 बी इन दोनों धाराओं में इजरा की प्रक्रिया है। जबकि इजरा भी वही कोर्ट करे जिसमें मुकदमा चले, 176 में मुकदमा लड़ने के बाद आदमी दुबारा मुकदमें से गुजरता है इजरा के लिए इसलिए जो अदालत जिस कोर्ट से जिस तरह से वाद तय हो वही अदालत इक्जीक्यूट करें उसके लिए अलग से इजरा की फाइल नहीं चलना चाहिए। वही 229 बी में जब अमलदरामद की प्रक्रिया हो तो उसमें भी इजरा की कार्यवाही पूरी तौर पर खत्म की जानी चाहिए इससे उस लिटीगेन्ट का शोषण होता है और उसके साथ डबुल नुकसान होता है। मान्यवर, जब अदालत भी वही है, इजरा भी वही है, फाइल भी वही है तो 229 और 176 में इजरे की कार्यवाही अलग से नहीं चलना चाहिए।

मान्यवर, एक और खास बात कहना चाहूंगा दफा 34 का कोई भी मुकदमा खरीददार बेचावाला या फौतीवाला, जो मुकदमा तहसील स्तर पर साक्ष्य के अभाव में खारिज हो जाता है ऐसा कोई कानून नहीं है कि उसको साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाना चाहिए। ऐसा स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि कोई भी मुकदमा दाखिल खारिज का साक्ष्य के अभाव में खारिज नहीं होना चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा जहां तक चकबन्दी एक्ट का ताल्लुक है चकबन्दी एक्ट में धारा 9 के तहत, धारा 11 के तहत, धारा 48 के तहत जो मुकदमा तय होते हैं, ट्रायल होता है धारा 9 में, अपील होती है धारा 11 में और रिवीजन होता है धारा 48 में। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सालों और कई-कई साल लग जाते हैं लेकिन इसी दरम्यान जब धारा 52 होकर कागज तहसील में चले जाते हैं तो उस काश्तकार को, उस वादी को एक अन्य प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वह है रूल 109, रूल 109 की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसमें लेखपाल, कानूनगो, एसीओ, सीओ फिर दोबारा उसका शोषण करते हैं तो नियम 109 खत्म हो। जब अदालत वहां मौजूद है चकबन्दी दफ्तर वहां मौजूद है तो रुल 109 की प्रक्रिया को पूर्णतया बन्द किया जाना चाहिए वरना उसको कम से कम 8 मुकदमें लड़नें पड़ते हैं और उसका इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती है। उसका शोषण इतना 109 में किया जाता है कि धारा 48 के बाद जब चकों में यह काम होता है, जब चक सुनते हैं तो कानूनगो, एसीओ, लेखपाल, सब मौजूद होते हैं वहां तो जो अमलदरामद चक मे हो सकता है तो टाइटिल में भी अमलदरामद उसी स्टेज पर हरेक हालत में उसी स्टाफ से कराया जाय जिस अदालत में मुकदमा तय हुआ है। जिस अदालत में मुकदमा तय हुआ है और वही अदालत इसे अमलदरामद कराये, यह मैनडेटरी किया जाना चाहिये। एक बात और कहना चाहूंगा कि एल0आर0 एक्ट में ठियाबंदी की एक प्रक्रिया है, उसको कच्ची ठियाबंदी के नाम पर और पक्की ठियाबंदी के नाम पर इतना शोषण किया जाता है कि दो-दो बार फीस जमा करायी जाती है और दो-दो बार पहले फीस लगने के बहाने, उसके बाद फीस जमा करने के बहाने उसके पहले मेढ़ टूटी है और ना टूटी है, के

बहाने यह प्रक्रिया खत्म की जानी चाहिये। अगर किसी काश्तकार ने एप्लाई किया है कि उसकी मेढ़ टूटी है तो उससे फीस जमा कराने के बाद एक दिन की तनख्वाह कानूनगो की जमा करे और वह हर हालत में तीन महीने में ठियाबंदी का मुकदमा तय किया जाना चाहिये। यह मैनडेटरी प्राविजन होने चाहिये। मैं अपनी तरफ से कुछ और जरूरी सुझाव देना चाहूंगा कि चकबन्दी में कभी-कभी बहुत आवश्यक चीजों के बारे में मसलन चक रोड छोड़ दिया, चक रोड लापरवाही से स्टाफ ने छोड़ दिया तो ऐसी चीज को बहुत जरुरी तौर पर देखा जाना चाहिये कि किसी भी कीमत पर हर एक चकदार को चक रोड मिले, ऐसा मैनडेटरी प्राविजन लॉ में है, लेकिन कई बार ऐसी शिकायतें सुनने को मिली हैं कि धारा 52 के बाद उसको अगर चक रोड नहीं मिला था तो फिर एल0आर0 एक्ट मे या जेड में कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है जो किसी वजह से अव्वल तो चक रोड छूटना नहीं चाहिये यदि उसे चक रोड नहीं मिल पाया है तो फिर एल0आर0 एक्ट के प्रोविजन के तहत या 229B.2A. के प्रोविजन के तहत उसको चक रोड मिलना ही चाहिये और उसके लिये धारा 42ACHAct में संशोधन करके उसको चक रोड दिया जाना चाहिये। यह सारी चीजें बहुत जरुरी है। मैं अंत में एक बात के साथ, कि आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया बजट पेश किया है और बजट प्रस्तुत करके हम सबका मार्ग-दर्शन किया है, हम चाहेंगे कि जो हमने अपनी तरफ से सुझाव रखें हैं, उन पर अमल किया जाना चाहिये, धन्यवाद।

श्री कुंवर कौशल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राजस्व विभाग के बजट पर आपने हमको बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान अपने जिले महाराजगंज के नौतनवां तहसील की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां बगल की सरहद के उस पार नेपाल के लोग नेपाल के माओवादियों के दबाव में आये और हमारी नौतनवां तहसील के अंदर करोड़ों रुपये राजस्व की चोरी की गयी, लोग नेपाल से जब आये तो आने के बाद स्थिति यह उत्पन्न हुयी कि बिना बैनामा कराये लोगों ने मकान बनवा लिया और मकान बनवाने के बाद नगरपालिका में जाकर उस मकान को अपने नाम से दर्शा दिया, इस प्रकार सीधे उन्होंने स्टैम्प की चोरी की। ऐसे हजारों परिवार के लोग हैं जो एक देश से दूसरे देश के नागरिक बन रहे हैं। तो पहले तो एक चीज यह होनी चाहिये कि बिना स्टैम्प के अगर कोई भी मकान बनाया जा रहा है तो उस पर ऐसा कोई कानून बनना चाहिये जिससे राजस्व की चोरी रुके।

दूसरा मेरा कहना यह था कि थारू जनजाति के लोग हमारे विधान सभा में काफी हैं और जिनके पास पचासों पचास एकड़ जमीनें हैं, बिहार सरकार ने जनजाति लोगों को जमीन बेचने की नियमावली बना दी लेकिन हमारे यहां आज भी थारू जनजाति के लोग अपनी लड़कियों की शादी के लिये, बच्चों की पढ़ाई के लिये अपनी जमीनों को बेच नहीं पा रहे हैं। इसके लिये सरकार कोई ऐसी व्यवस्था बनावें जिससे कि वह अपनी जमीनों को बेच करके दुनिया की सुचारु व्यवस्था में चल सकें।

तीसरा मेरा यह कहना था और एक सुझाव था कि किसी भी आदमी की मृत्यु होती है और तहसील के अंदर यदि उसकी जमीन को वरासत करना है तो एक टाइम बना दिया जाय कि एक महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर लेखपाल उनकी जमीन को वरासत कर दे। मान्यवर, उस पर सौदे किये जाते हैं और मेरा एक सुझाव और था कि जहां इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है कि

सरकार ने किसान को जो 5 लाख रुपया देने की घोषणा की, इस घोषणा में एक स्थिति यह उत्पन्न होती है कि अगर आज कोई मरा तो 9-9 महीने तक फाइल पेन्डिंग पड़ी हुयी है। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि इस पर एक टाइम तय किया जाय कि ऐसे लोगों को 5 या 6 महीने के अंदर सरकार का यह लाभ पहुंच जाये। मान्यवर, तीसरा मेरा सुझाव यह था कि जिन लोगों की एक्सीडेंटल मौत होती है, जहां आप दैवीय आपदा में सबको लाभ पहुंचा रहे हैं वहीं उन नौजवानों के परिवार को राजस्व विभाग के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वह लाभ से वंचित न हो पायें वह भी सरकार का लाभ पायें। मेरी विधान सभा में तहसील नौतनवां में बहुजन समाज पार्टी के विधान सभा अध्यक्ष ने अधिष्ठाता महोदय अढ़ाई एकड़ खेती अपनी नाम से करा ली, मान्यवर, अगर कोई लेखपाल ऐसी जमीन किसी व्यक्ति के नाम गांव समाज की डायरेक्ट करता है तो उसके ऊपर 419, 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मान्यवर, उसी विधान सभा में एक एकड़ जमीन मंहगी जमीन पी0डब्ल्यू0डी0 की लेखपाल द्वारा 519 नम्बर की जमीन एक ताकतवर इंसान ने ले ली, हम चाहेंगे कि सरकार उसे खाली कराये, धन्यवाद।

श्रीमती सीमा-

मा0 अधिष्ठाता महोय, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें कटौती पर बोलने का अवसर दिया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, राजस्व विभाग एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जो जमीन से ले करके किसान तक, किसान से लेकर जितनी भी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं सबसे जुड़ा हुआ विभाग है। आप सभी महसूस करते होंगे कि हम सभी लोग गांव क्षेत्र में रहते हैं, सबसे ज्यादा शिकायत यदि कहीं से आती है तो राजस्व विभाग से प्राप्त होती है। मान्यवर, जमीन ऐसी जड़ है जो थाने में विवाद का कारण है और जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं वह थाने में जाकर गरीब जनता को परेशान करने का काम करते हैं। मान्यवर, मुझे याद है जब मा0 कल्याण सिंह हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, इसी समस्या का निराकरण करने के लिए उन्होंने थाना दिवस और तहसील दिवस का कार्य प्रारम्भ किया था। कोई भी सरकार इसे बदल न सकी इतनी अच्छी योजना है। अगर इसे अच्छे ढंग से चलाया जाए तो मुझे लगता है कि काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मान्यवर, इतनी भीड़ होती है थाना दिवस पर और तहसील दिवस पर लेकिन पुलिस और राजस्वकर्मी एक दूसरे के पूरक न होने के कारण समस्या ज्यों को त्यों बरकरार रहती है।

मान्यवर, हमने देखा है हमारा मकान रुक रहा है हम एस0डी0एम0 के यहां गये और एस0डी0एम0 ने हमारे पन्ने पर लिख दिया कि फलां एस0ओ0 किसी भी प्रकार से इनके निर्माण कार्य में बाधा न पहुंचाई जाए और जब अगला गया तो उसके लिए लिख दिया कि इनका निर्माण कार्य तत्काल रोक दिया जाए। मान्यवर, आप निर्देश दें राजस्व कर्मियों को एस0डी0एम0 को, जब तक दोनों पक्षों को सुन न लिया जाए और जब तक लेखपाल, कानूनगो से पैमाइश न करा लें और जब तक समुचित रिपोर्ट न आ जाए तब तक कोई निर्णय न दिया करें क्योंकि इस निर्णय से हम सबको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र सुजानगंज में एक गांव है रायपुर और एक गांव है रयां। एस0डी0एम0 कोर्ट में बाकायदा मुकदमा चला, गांव के एक दबंग व्यक्ति द्वारा एक मेन रोड को दीवार बनाकर बन्द कर दिया गया, मुकदमा हुआ, मुकदमें में एस0डी0एम0 ने आर्डर दिया कि एक सप्ताह के अन्दर यदि व्यक्ति स्वयं दीवार नहीं हटा लेता है तो पुलिस जा करके

दीवार को गिरवाये। पुलिस वहां गिरवाने गई और गिरवा नहीं पाई और मा0 न्यायालय के आदेश का पालन न हो सका और वह रास्ता अब भी अवरुद्ध पड़ा हुआ है। ठीक यही मामला रायपुर में था, रायपुर में भी रास्ते को बन्द कर दिया गया। वर्ष 2008 में एक गांव हमारे यहां दहेंव है, वहां पर लेखपाल और कानूनगो की मिलीभगत से एक ऐसे व्यक्ति को मछलीपालन का पट्टा कर दिया गया जो उस श्रेणी में आता ही नहीं था। जब लोगों ने इसकी शिकायत की तो जांच हुई और जांच में पाया गया कि यह पट्टा गलत हुआ है तो मा0 न्यायालय ने उस पट्टे को निरस्त कर दिया और निरस्त करने के बाद स्पष्ट निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से तालाब को खाली करा दिया जाए। वर्ष 2008 के आदेश के बावजूद भी, मा0 अधिष्ठाता जी, हाईकोर्ट भी कहती रही कि तालाब पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाए, मछुआ समुदाय के लोगों को पट्टा होना था लेकिन मिलीभगत से दूसरे को पट्टा हो गया। आज भी वह तालाब नहीं खाली कराया गया, इसको दिखवा लें, मंत्री जी, संज्ञान में ले लें। अगर दो-चार मामलों में आप संज्ञान ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत कमी आ जायेगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, चाहे आय प्रमाण-पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण-पत्र हो, चाहे खसरा खतौनी हो, ये हमें लेखपालों के माध्यम से तहसील से प्राप्त होती है लेकिन इतनी परेशानी इस काम में होती है, शादी अनुदान में फार्म भरना है, किसी परीक्षा का फार्म भरना है हमको आय का प्रमाण-पत्र चाहिए। लेखपाल बोली लगाता है कि इतने पैसे दोगे तो तुम्हारा आय प्रमाण-पत्र बनाउंगा नहीं दोगे, तो ज्यादे का बना दूंगा तुमको लाभ नहीं मिल पायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षिप्त करें।

श्रीमती सीमा-

मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपने कहा कि किसान दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपये हो गयी है इससे हम सभी लोग बहुत खुश हैं। लेकिन आप जांच करा लीजिए, आपकी इस योजना का लाभ मिला कितने लोगों को ? मेरे क्षेत्र में एक गांव है सैद्धनी वहां पर एक नवयुवक की मृत्यु हो गयी, आज 11 महीने हो गये उसकी विधवा को 05 लाख रुपये की बात तो छोड़ दीजिए 05 रुपया भी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया। अगर शासन ने पैसा देने की व्यवस्था की है और पैसा नहीं मिल रहा है तो इसमें कहीं न कहीं सरकार की ईमेज बहुत खराब होती है। आप जांच करवा लें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्या, अब समाप्त करें।

श्रीमती सीमा-

मा0 अधिष्ठाता जी, अभी हमने किसी काम को लेकर अपने एस0डी0एम0 मछलीशहर को फोन किया, क्योंकि आप देखते होंगे कभी-कभी हमारे पूरखे-पूर्वज अज्ञानतावश ग्राम समाज की जमीन में बस गये हैं, उनके घर बन गये हैं, बड़े-बड़े पेड़ हो गये हैं। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, हम यह कभी नहीं कह सकते कि हम ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करें लेकिन पूर्व राजस्व मंत्री जी आप जानते होंगे धारा 161 के तहत यह प्राविधान था कि अगर हमने गलती से राजस्व की जमीन पर कब्जा किया हुआ है तो हमें बदलने का अधिकार था, उतनी जमीन हम दे करके बदल सकते थे

लेकिन मान्यवर, अभी एक सप्ताह पूर्व आपने कोई ऐसा शासनादेश जारी किया है जिससे इसका लाभ हमें नहीं मिल सकता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सीमा-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि अगर हमारे पूर्वजों ने अज्ञानतावश अपने घर बनवा लिये हैं तो हमारे 50 साल के पुराने घर गिराये जायेंगे, यह कहीं से उचित नहीं होगा, यह अन्याय होगा।

श्री अधिष्ठाता-

आप वरिष्ठ सदस्या हैं, कृपया अब समाप्त करें।

श्रीमती सीमा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आपसे चकबन्दी के बारे मे भी कुछ कहना चाहेंगे। जहां तक मुझे याद है चकबंदी की योजना 1954 में प्रारम्भ हुई और इस योजना का मूल कारण यही था कि इससे हरित क्रांति होगी और गांवों का विकास होगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, न तो हरित क्रान्ति का कोई काम हुआ और न ही गांवों का विकास हुआ और चकबंदी जिस गांव में हो रही है, किस कदर हो रही है आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। हम मान्यवर, आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। सिकवारा ब्लाक में एक गांव है बलुआ लेखेसर वहां पर चकबंदी हो रही है जहां तक मेरी जानकारी है जिस गांव मे चकबन्दी हो अगर वहां पर किसी व्यक्ति ने आपत्ति लगायी हो तो जो भी अधिकारी हो मौके पर जा करके आपत्ति का निस्तारण करें।

श्री अधिष्ठाता-

सीमा जी अब कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सीमा-

मान्यवर, मैंने डी0डी0सी0 से अनुरोध किया, गांव वालों ने भी प्रार्थना-पत्र दिया कि हमारी शिकायत का निस्तारण कर दें, न तो शिकायत का निस्तारण किया गया, चकबंदी अभी वहां पर चल रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक उनकी शिकायत का निस्तारण न हो जाए चकबंदी प्रक्रिया रोक दें। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राजस्व के बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, राजस्व, गरीब जनता, कृषक, निर्बल वर्ग से जुड़ा हुआ विभाग है और मैं अपने मा0 मंत्री जी को और सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही अनछुए पहलुओं को जिनको पूर्ववर्ती सरकारें नहीं देखती थी उन अनछुए पहलुओं को और जनता के मर्म को बहुत ही संवेदनशीलता से समझते हुए हमारे मंत्री जी द्वारा गरीब कुम्हारों को जो मिट्टी के आवंटन की सुविधा दी गयी इसके लिए भी मैं

उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त विवाहित पुत्रियां जिनके साथ सम्पत्ति के विभाजन और बंटवारे में भेदभाव किया जाता था, उनको आपने पुत्र के समान अधिकार प्रदान किया है यह हमारी समाजवादी सरकार और हमारे मंत्री जी की संवेदनशीनता को स्वतः ही प्रदर्शित करता है। अधिष्ठाता महोदय, कृषक बीमा योजना के बारे में अभी हमारे पूर्व के साथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किये वह...

(इस समय 04 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

...बहुत ही शानदार योजना है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें जो कम से कम 5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को मिलता है उसमें कम से कम यह व्यवस्था की जाय कि जन प्रतिनिधि जाकर एक सांकेतिक शोक-पत्र दुख के साथ अपनी संवेदनाओं के साथ उनको उपलब्ध करा सकें कि समाजवादी सरकार ने आपके मुखिया के देहान्त पर यह राशि दी है इसके लिए हम दुख भी व्यक्त करते हैं। इससे पीड़ित परिवार को महसूस होगा कि समाजवादी सरकार उनके सुख-दुख के प्रति चिन्तित, संवेदनशील और पूरी तरह से उत्तरदायी है। मैं अपने क्षेत्र की एक दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हमारे सोरावं तहसील में करीब तीन वर्ष से कोई नायब तहसीलदार नियुक्त नहीं है इसलिए किसी न किसी की वहां नियुक्ति कर दें। जिससे तमाम बाधित कार्य सुचारु रुप से सम्पन्न हो सकें। मानचित्र और भू-अभिलेखन का जो आपने डिजिटाइजेशन का प्रयास शुरू किया है बहुत से जनपदों में वह अस्तित्व में आ रहा है मैं निवेदन करूंगा कि सोरांव विधान सभा के सभी भू-अभिलेख और मानचित्र का डिजिटाइजेशन हो जाए जिससे हमारी विधान सभा में जो तमाम भूमि सम्बन्धी विवाद रहते हैं उनका भी निस्तारण अच्छे से हो सके। अधिष्ठाता महोदय, आय प्रमाण-पत्र को लेकर भी बहुत सी समस्याएं रहती थीं जनहित गारण्टी योजना के अन्तर्गत मंत्री जी ने तमाम प्रमाण-पत्रों को सिंगल विंडो सिस्टम में कर दिया है जिससे बहुत ही सुविधा हो रही है लेकिन कभी कभी सर्वर डाउन रहता है और कभी कभी एक प्रमाण-पत्र निकालने में कोई त्रुटि आ गई तो अगले प्रमाण-पत्र नहीं निकल पाते हैं तो इस समस्या का भी संज्ञान लेकर इसके समाधान करने का प्रयास करें। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार इस बात के लिए व्यक्त करता हूं कि अभी दो तीन महीने पहले मार्च के अन्तिम सप्ताह मे बहुत भयानक ओलावृष्टि इलाहाबाद और प्रतापगढ़ में हुई थी। हमारी सोरांव तहसील इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थी माननीय मंत्री जी ने एक करोड़ साठ लाख की अहेतुक सहायता राशि पूरे तहसील के लिए दी है उससे सभी गरीब किसानों में बहुत हर्ष व्याप्त है। इसमें बस एक त्रुटि है जिसको दूर किया जाय कि लेखपालों के स्तर पर जो चेक वितरण किया जा रहा है वह एक व्यक्ति को न करके तीन-चार व्यक्तियों को सहखातेदार का नाम भी उसमें लिख दिया जा रहा है जब वह बैंक में लेकर जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि आपका ज्वाइंट एकाउंट नहीं हुआ है अतः आपके चेक का भुगतान नहीं कर सकते हैं। हमने एस0डी0एम0 सोरांव से भी बात किया है आपके माध्यम से भी आग्रह करना चाहता हूं कि किसी एक व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है अतः एक खातेदार को एक ही चेक उपलब्ध कराया जाय ताकि उसको उसका लाभ मिल सके। अन्त में मैं राजस्व के इस बजट पर माननीय मंत्री जी को और सरकार को बधाई देते हुए बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। (धन्यवाद)

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी आप इतना कट मोशन रखते हैं प्रश्नों पर इतना बोलते है आप रहने दें स्पष्टीकरण में पूछ लीजियेगा मैने सुरेश राणा का नाम पुकार लिया है।

*श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये आपने मुझे मौका दिया। मैं अपने क्षेत्र के एक मामले का माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र थाना भवन, जनपद शामली के सम्बन्ध में पूर्व राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चौधरी जी से भी निवेदन किया था वहां जलालाबाद नाम का कस्बा है और जलालाबाद देहात में खानपुर एक ग्राम पंचायत है मान्यवर, 79 में चकबन्दी का गजट हुआ था नक्शा पांच हुआ नक्शा 11 हुआ 2004 में सी0ओ0 एक रंगे हाथों पकड़ा गया कुछ घपले बाजी करते हुये उसके बाद 2012 में सीधे धारा 6 लगा दी गई कहा गया कि अब चकबन्दी नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग 200 एकड़ जमीन है पशु चरान की और 300 एकड़ भूमि है एम0एम0सी0 की मेरा आपसे आग्रह है और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जलालाबाद ग्राम सभा खानपुर में चकबन्दी की प्रक्रिया को दुबारा प्रारम्भ कराये यह सरकार की बहुत महत्वपूर्ण जमीन है बहुत मौके की जमीन है जो दिल्ली यमुमोत्री 4 लेन बनने जा रहा है। उसके आस पास की जमीन है। इस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि जैसी फर्स्ट लाइन हे कि 'भूमि विवादों से निपटारा' राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके सम्पर्क में किसान सबसे ज्यादा रहता है, या किसान को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। भूमि विवाद के नाम पर कूरेबंदी की बात अध्यक्ष जी मैं करूं। बहुत सामान्य सी बात है जैसे चार भाई है, चार भाइयों का बंटवारा है। यदि उनके बंटवारे में सब सहमति हो गई उसके बाद भी कूरेबंदी के मुकदमे एक-एक साल तक चलते है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि एस0डी0एम0 के पास जब जाते है एप्लीकेशन देते हैं तो वह एस0ओ0 के लिये मार्क करते है कि जांच करा कर आख्या दें। मैं कहना चाहता हूं कि जो बेलबंदी का मामला है, जहां पट्टे का विवाद है, वहां एस0ओ0 जांच करके क्या आख्या देगा।

जांच अधिकारी का, पटवारी का, या कानूनगो का और एस0ओ0 का आपस में कोई तालमेल नहीं है। जनपद मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ में 90 परसेन्ट हत्याओं का कारण यदि कुछ है तो जमीनी विवाद है, मैं आपके माध्यम से चूंकि समय भी कम है, माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि एक ऐसा सामंजस्य बैठे, पुलिस का और राजस्व अधिकारियों का एक तालमेल हो जिससे न्याय त्वरित हो और यह न्याय त्वरित मिलेगा। एक विषय और आया कि उत्पीड़न, 2 लाख से कम की देनदारी की बात हो तो उत्पीड़न नहीं होगा। मानसिक उत्पीड़न बहुत है। मानसिक उत्पीड़न यह है कि 40 हजार, 30 हजार, 20 हजार का भी कर्जा है तो लगातार वहां राजस्व वाले चक्कर लगाते है और कई बार तो अध्यक्ष जी हम तक सिफारिश आती है और बहुत मानसिक उत्पीड़न होता है। 2013 में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हाई कोर्ट की रूलिंग आई थी कि जो गन्ना किसान है, जो गन्ना क्षेत्र है यदि वहां एक रुपया भी बकाया है तो जब तक वह गन्ना किसानों का बकाया है तब तक किसी प्रकार के राजस्व की वसूली उन किसानों से नहीं होगी लेकिन लगातार माननीय अध्यक्ष जी उत्पीड़न वहां जारी है। माननीय अध्यक्ष जी इस ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अम्बिका चौधरी जी बैठे हैं, बहुत दमदारी के साथ एक अभियान की बात आई थी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, बस एक अन्तिम बात कह कर समाप्त करता हूं। तालाबों से अवैध कब्जे हटाने की बात थी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान चाहता हूं कि हरियाणा पास में है, हमारी बहुत सारी हिस्सेदारी माननीय अध्यक्ष जी हरियाणा में है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां बहुत शानदार तालाब न हो और तालाब के कारण जलस्तर भी ऊंचा है और पर्यावरण में भी सहयोग है इसलिये। आपके माध्यम से आग्रह है बहुत तेजी से जितने तालाब है अतिक्रमण है हटाने का काम सरकार करे। बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

राजेश त्रिपाठी जी दो मिनट में अपनी बात कहें उसके बाद मंत्री जी का उत्तर होगा। संक्षेप में कहें।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने कटौती प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने पर अवसर दिया। आपके माध्यम से मंत्री जी का, विभाग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। दैवी आपदा में जो धनराशि आप देते है जो बाढ़ पीड़ित हैं, बरसात में जिसका घर गिर गया या आगजनी हो गई 4 हजार रुपये उसको मिलते है। आज की तारीख में महंगाई की स्थिति में 4 हजार रुपये में कुछ नहीं होने वाला उसके पास कोई सामान नहीं बचता, उसका सब कुछ चला जाता है। हम आपसे आग्रह यह जरूर करना चाहते हैं कि सरकार विचार करे कि यह जो अहेतुक सहायता है दैवी आपदा में उसको बढ़ाया जाना चाहिये। पारिवारिक लाभ योजना सम्भवतः आपके विभाग से जुड़ा नहीं है फिर भी इस बात को इसलिये कहना चाहता हूं क्योंकि यह किसान से जुड़ा मामला है। एक तरफ दुर्घटना होती है किसान की तो 5 लाख रुपये दूसरी तरफ किसान के परिवार का कोई मुखिया मरता है तो बीस हजार रुपये देते है हम धन्यवाद इसलिये जरूर देना चाहेंगे आपको कि आपने इस धनराशि को बढ़ाया है। मगर इममें आपको थोड़ा सा अपना हृदय और बड़ा करना चाहिये था और इसको और बढ़ाना चाहिये था। बाढ़ से नदियों से जो गांव कट गये है उनको तो आप जमीन देते है। उदाहरण के लिये गोरखपुर के गोला तहसील में जो कोटिया कोल खास गांव है जगदीश गांव है आपने जमीन तो दे दिया मगर जो जमीन आपने एक्वायर किया वह लो लैड एरिया में है। किसान कहता है थोड़ी सी बारिश होती है तो घुटने तक पानी भर जाता है हम उसमें जायेंगे कैसे। हम यह चाहेंगे कि अगर लो लैड जमीन आपने एक्वायर किया है तो उसके पटान के लिये कुछ ऐसा करें क्योंकि किसान को तो

आपने साल भर से दे दिया वह जा रही नहीं रहे है वहां। सड़क किनारे बसा है कहता है कि लो लैड में कैसे जायेंगे। पहले सरकार यह व्यवस्था करती थी कि पटान के नाम कुछ धनराशि जाती थी। मैं चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाय। बस आखिरी बात कह कर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक हमारे जनपद गोरखपुर में गोला तहसील में 30 साल पहले दलित परिवार को पट्टा मिला था दबंगों ने उस पर पूरा कब्जा कर लिया। मकान उसका गिरा दिया, जनता दरवार में राजस्व मंत्री के दरवाजे पर वह पहुंचे थे, अपनी बात कही थी और आपने आदेश भी किया था, कहीं कुछ हुआ नहीं। यह जो जनता दरबार आप लगाते हैं, उसका भी आइना होगा और आपके आदेशों का अधिकारी पालन नहीं करते हैं, वह बेघरर है, उसकी जमीन कब्जा हो चुकी है। 30 साल पहले का वह पट्टा है, जरूर आप इसको देखेंगे। मान्यवर, एक और अनुरोध करना चाहता हूं, लेखपालों की संख्या बहुत कम है, कृपया यह सरकार लेखपालों की भर्ती कराये, उनकी संख्या बढ़ाये, इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री वीरपाल राठी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह पुस्तिका राजस्व विभाग ने प्रस्तुत की है, इसमें राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां दी गयी है और इन उपलब्धियों में भूमि सुधार के कार्य दिये गये है। यह माननीय मंत्री जी के पास भी है और मेरे पास भी है। भूमि सुधार के कार्यक्रम में भूमि का आवंटन है, चाहे वह वन विभाग को, चाहे वह पट्टों में हो, चाहे वह तालाबों में हो। आखिरकार यहां राजस्व विभाग के अधिकारी और मा0 मंत्री जी भी बैठे है। यह भूमि आई कहां से है, जिसका हम आवंटन कर रहे हैं, इस पर भी हमें विचार करना चाहिये कि यह भूमि कहां से आई ? यह भूमि मान्यवर, बंजर भूमि है या चकबन्दी से बचत की भूमि है और जो चकबन्दी में चकों को काटने के बाद बचत आती है, बची हुई भूमि होती है, चकबन्दी में प्राविधान यह है कि 2 परसेन्ट से 10 परसेन्ट तक कटौती की जाती है, किसान से, उस भूमि को हम यहां प्रयोग कर लेते हैं और वह किसान जिससे भूमि काटी, दण्ड उसको मिला, उस किसान को। इसलिये मेरी यह डिमाण्ड है, राजस्व मंत्री जी से कि जिस किसान से यह भूमि काटी गयी है, जो कटौती की गयी है।

मा0 मंत्री जी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हम दे रहे हैं और किसानों के बारे में जितनी गहराई से हम सुझाव दे रहे हैं, कोई सदस्य सदन में दे नहीं पा रहे हैं, मा0 मंत्री जी यह भी ध्यान दे लें। दूसरा मैं यह कहना हूं कि चक जो काटे जाते हैं और चकों में 2 परसेन्ट से 10 परसेन्ट की कटौती होती है, उस कटौती में माननीय अध्यक्ष जी, जिस चकदार का चक लिया नहीं, उससे भी कटौती कर ली जाती है तो नुकसान तो उस चकदार को भी हुआ, जिस चकदार का चकबन्दी से कोई लेना-देना नहीं है, उसे भी नुकसान हुआ। 100 बीघे पर अगर 4 परसेन्ट कटौती में उसकी 4 बीघे जमीन चली गयी, मान्यवर, वह भूमि कहां गयी, वह भूमि गयी बचत में, इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस चकदार को चकबन्दी का लाभ न हो, उस चकदार से कटौती न की जाय। एक और अनुरोध करना चाहता हूं, अम्बिका चौधरी जी बैठे हे, जब हम शुरू मैं विधायक बन कर आये थे तो इन्होंने राजस्व विभाग में बहुत अच्छे कदम उठाये थे।...सरल किया था चढ़ने को कम्प्यूटरीकरण किया था, अन्य जो कई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खामियां थीं उनको दूर करने जा रहे थे, अच्छे-अच्छे कदम उठाये जा रहे थे, मा0 मंत्री जी जब तक हम सन् 1954 में चकबन्दी के जो कानून बने थे, चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया था चकबन्दी ऐक्ट, तब से आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ चकबन्दी ऐक्ट में। मेरे गांव का एक मुकदमा विरासत को लेकर के था, वह मुकदमा 20 साल चला और 20 लाख रुपये खर्च हुये और मुकदमा रिमाण्ड कर दिया गया आपके सी0ओ0 को, यह है चकबन्दी प्रक्रिया। जब तक राजस्व विभाग और चकबन्दी विभाग को आपस में मर्ज नहीं करोगे, तब तक राजस्व विभाग का उत्थान नहीं हो सकता, यह मेरा सुझाव है, जो अम्बिका चौधरी करने जा रहे थे, मैं इस बात की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, कि इस बात को अवश्य कर लें, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी तमाम सदस्यों का विचार आया, सत्ता पक्ष के सदस्यों का भी आया और विपक्ष के भी सदस्यों का आया और सबके विचार से मान्यवर, यह लगा कि जो कटौती प्रस्ताव हम रखे हैं, उसमें हमारी आलोचना कहीं से ज्यादा नहीं हुई, केवल हमारे बड़े भाई कमाल भइया कहें है कुछ, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो गलत पट्टे हुये है उनके लिये तो अपर लेविल पर कैन्सिलेशन में जाने का अधिकार है पट्टा के खिलाफ, लेकिन हमारे भाई सन्त प्रसाद जी ने कहा कि लेखपालों की कमी है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कुछ लेखपालों को कम्प्यूटर पर लगा दिया गया है, तत्कालीन प्रभाव से मैं आपसे चाहूंगा कि संविदा पर कम्प्यूटर आपरेटर रख लें, ताकि पांच-छः लेखपाल खाली हो जायेंगे मान्यवर तो कम से कम आपकी समस्या तो हल हो जायेगी। मान्यवर मैं दो बाते और कहना चाहूंगा कि विवादित भूमि पर जब कोर्ट में मुकदमा चलता है तो यह होता है कि वह फसल कटेगी तो किसको मिलेगी, तो यह होता है कि जो बोया है वह काटेगा, अब जो बोया है वह काटेगा तो सोंचता है कि मैं बोऊँ, उसके लिये झगड़ा हो जाता है, फिर काटने के लिये झगड़ा हो जाता है। मान्यवर एक डिसीजन जी0ओ0 जारी कर दीजिये कि इस तरह की जब बात आयेगी तो सरकारी विभाग का कोई अधिकारी उसको बुआयेगा और फिफ्टी-फिफ्टी दोनों को देगा। मान्यवर मैं सुझाव दे रहा हूं बात मानें या न माने यह आपके ऊपर है। दूसरी बात मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि नदी जब इधर से उधर होती है तो एक डिसीजन यह आता है कि नदी इधर गई तो उधर की सीमान में चली गयी सब जमीन, उधर गई तो इधर की सीमान में चला गया, मान्यवर मैं आपको बताऊँ कि गोरखपुर में बहुत बड़ा खूनी संघर्ष हुआ और समाजवादी पार्टी के लोगों में आपसी संघर्ष हुआ है, यह भी मैं बताऊँ आपको, आप पता कर लीजियेगा घुनघुनकोठा में। आप एक बहुत बड़ा पिलर लगवा दीजिये ताकि नदी यदि इधर जाय या उधर जाय, लेकिन उसका डिमार्केशन सीमान का वहीं रहेगा, मान्यवर खून-खराबा बन्द हो जाय, नदियों के किनारे के क्योंकि बहुत हो बलशाली लोग लठैत रहते हैं, मानते हैं नहीं। इस खूनी संघर्ष को आप बचा लीजिये मा0 मंत्री जी। मान्यवर, कटौती प्रस्ताव इसलिये वापस नहीं ले पाऊंगा क्योंकि यह सब सम्मिलित नहीं हो पाया है, इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं, धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक आवंटन के मामले थे, तो आवंटन के जितने हमारे लक्ष्य थे, उनको हमने पूर्ण किया और अभी जी0एम0 सिंह जी ने तारीफ की है और सबने तारीफ की है बीमा योजना की। जहां तक प्रचार-प्रसार की बात है तो इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करा दिया जायेगा और जहां और जहां तक जितने भी प्रार्थना-पत्र हैं उनका समुचित निस्तारण बेहतर तरीके से कराया जायेगा और जहां तक जितने भी प्रार्थना-पत्र हैं उनका समुचित निस्तारण बेहतर तरीके से कराया जायेगा और जहां तक धारा-41 भूमि की पैमाइश समय से हो, यह भी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, समय से पैमाइश हो।

श्री अध्यक्ष-

सही, है, इसमें साल भर दो-दो साल लग जाता है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र समय से जारी होंगे और हो रहे हैं, आगे भी समय से जारी होंगे। चकबन्दी को समय से पूरा कराया जाय इसके लिये रणनीति बनाई गई है, समय से पूरी हो चकबन्दी और चकबन्दी के बारे में समय दे दिया गया है समय से अब ज्यादा डिले नहीं होगी चकबन्दी और जहां तक जिलों के वादों की बात है तो जिले के वादों का निस्तारण शीघ्र करा दिया जायेगा...और जहां तक जो सीलिंग के वादों का निस्तारण शीघ्र करा दिया जायेगा। जो पुरूषोत्तम दास गोरखपुर के है जो 1900 एकड़ पर 40 वर्ष से कब्जा है इसकी भी तुरन्त जांच करा दी जायेगी। श्री सिनोद शाक्य ने जो आग लगने का चेक दिया जाता है तो इसमें धनराशि भारत सरकार के द्वारा तय होती है। उसकी बढ़ोत्तरी के लिये प्रस्ताव भेजा था स्वीकार नहीं हुआ केन्द्र सरकार से। मो0 इरफान साहब का जो मुकदमें का निस्तारण समय सीमा के अन्तर्गत हो। कई ऐसे मामले जिनसे जनता को असुविधा होती है उस पर भी ध्यान दिया जायेगा कि जनता को असुविधा न हो। मा0 कौशल सिंह जी ने महाराजगंज की नौतनवां तहसील में बिना बैनामा के स्टाम्प की चोरी, लोग जमीन नहीं बेच पा रहे है जमीन बेचने की व्यवस्था की जाये तो उस पर विचार किया जा रहा है कि इसमें तुरन्त उन्हें बेचने का अधिकार मिले। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ शीघ्र मिल जाये। सीमा द्विवेदी जी का है कि दोनों पक्षों को सुनकर कृषक दुर्घटना बीमा योजना का फायदा समय से नहीं हुआ और 30-3-14 तक में लगभग 6400 लोगों को लाभ दिया जा चुका है।

जलालाबाद चकबंदी, सुरेश राणा जी का है कि 79 गजट 2012 की धारा-6 ग्राम समाज की जमीन चकबंदी करायी जाये। आप लिख के दिलवा देना, करा दी जायेगी चकबन्दी, जहां तक पुलिस और राजस्व विभाग में तालमेल की बात है तो होना चाहिये। उसमें भी पुलिस और राजस्व विभाग के लोगों के बीच में तालमेल रहे। जहां तक तालाबों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, मैने वैसे आदेश भी दे दिये है। ग्राम सभा की जमीन पर भी बहुत कब्जे हो रहे हैं और हुये है, लगातार हुये है। यहां तक कि मकान की बन गये है ग्राम समाज की जमीन पर और ग्राम सभी की जमीन कुछ बिल्डर लोगों ने,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाज के असामाजिक तत्वों ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बिल्डर लोगों को भी बेच दी है, उसकी भी जांच होगी। सख्ती के साथ बहुत जल्दी इसके परिणाम आपके सामने होंगे। मान्यवर, इस तरीके से इसमें जो सदस्यों ने सुझाव दिये है राजस्व विभाग में और जहां तक किसानों को, गांव के लोगों को राजस्व विभाग से ज्यादा से ज्यादा राहत हो, कोई तकलीफ न हो, ज्यादा से ज्यादा सुविधायें मिलें जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र में। जो कम्प्यूटरीकरण हुआ है उससे भी लाभ हुआ है, न्यायालय में सुविधा हुयी है। जो भी वाद विवाद की जितनी भी सीमा थी उनको भी बांट दिया गया है। राजस्व के जितने भी वाद विवाद है वे जल्दी से जल्दी से निपटाये जायेंगे। इस तरीके से बहुत तेजी के साथ जो ग्रामीणों को, किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें रहें। कहीं उनके साथ नाइंसाफी न हो, न्याय मिले ये व्यवस्था लागू हो चुकी है इसलिये यह कटौती का प्रस्ताव वापस लो, समर्थन करो और पास कराओ।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, हमारे जलालाबाद तहसील शाहजहांपुर में कुछ सरकारी संपत्ति जो कि खतौनी में कन्सोडियम के नाम से दर्ज है और उस जमीन को वहां की तहसील के कुछ कर्मचारी, जिसमें एस0डी0एम0 भी शामिल है। उसको स्थानान्तरित करके किन्हीं भू-माफियाओं के नाम से ट्रान्सफार्मर हो रही थी, इसमें तहसीलदार ने रोक लगा दी, जब मैंने जानकारी करी कि यह कन्सोडियम है क्या तो उन्होंने बतायाकि यह पाक राष्ट्रीय सम्पत्ति है, क्योंकि मा0 मंत्री जी, इस विभाग में रहे है तो जानते होंगे मैं केवल इतना चाहूंगा कि उस सम्पत्ति को जो वहां पर सरकारी है, उसको किसी भी तरीके से भी लोग स्थानान्तरण करके हथिया न पाये। इसको जरूर रूकवा लिया जाय, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। लिखित में दे दें आपको।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,20,72,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,46,54,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,99,01,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-02 आवास विभाग

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, राजस्व पुनर्वास मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 9,67,54,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपके अनुमति से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की प्रगति एवं उपलब्धियां के बारे में सदन को जानकारी देना चाहता हूं।

आवास विभाग का अब नाम ''आवास एवं शहरी नियोजन विभाग'' है, जिसका मूल उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के साथ-साथ आवासीय समस्या के समाधान हेतु प्रयास करना एवं इस दिशा में किये जा रहे विकास को गति प्रदान करना है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन प्रदेश में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, 27 विकास प्राधिकरण, 05 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा नगरीय विकास हेतु महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तैयार कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अनेक उल्लेखनीय कार्यों को सम्पादित कराया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

- **चक गंजरिया परियोजना का क्रियान्वयन :-**

चक गंजरिया फार्म, लखनऊ की भूमि के वैकल्पिक उपयोग एवं पशुपालन फार्म के पुनर्स्थापन हेतु विस्तृत कार्ययोजना निर्गत की गयी है। उक्त कार्य योजना के अनुसार चक गंजरिया फार्म में उपलब्ध कुल 846.49 एकड़ भूमि में से 30 एकड़ भूमि पर अवस्थापना सुविधाओं तथा-100 एकड़ भूमि पर आई0टी0 सिटी, 50 एकड़ भूमि पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 100 एकड़ भूमि में विश्व स्तरीय कैंसर संस्थान, मेडीसिटी तथा अन्य चिकित्सा सुविधायें तथा 20 एकड़ भूमि पर पी0पी0पी0 मोड पर सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल/कार्डियालॉजी सेन्डर, 20 एकड़ भूमि पर आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लान्ट व 25 एकड़ भूमि पर प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, 10 एकड़ भूमि पर संस्कृति स्कूल एवं 5 एकड़ भूमि पर सी0एस0आई0 टावर की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। अवशेष भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक योजनायें संचालित की जायेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण को दी गयी भूमि के निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली धनराशि में से चक गंजरिया परियोजना के समस्त दायित्वों के निर्वहन के उपरान्त उपलब्ध समस्त सरप्लस धनराशि से लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को वित्त पोषित किया जायेगा। परियोजनान्तर्गत संस्कृति स्कूल की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 5 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **लखनऊ नगर के लिये मेट्रो रेल परियोजना :-**

लखनऊ नगर के लिये मेट्रो रेल क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा स्पेशल परपज वहॅकिल (एस0पी0वी0) के रूप में लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 का गठन किया गया है। परियोजना के अन्तरिम कन्सल्टेन्ट पद्म विभूषण डा0 ई0 श्रीधरन को एल0एम0आर0सी0 का प्रमुख सलाहकार आवास विभाग का अब नाम ''आवास एवं शहरी नियोजन विभाग'' है, जिसका मूल उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के साथ-साथ आवासीय समस्या के समाधान हेतु प्रयास करना एवं इस दिशा में किये जा रहे विकास को गति प्रदान करना है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन प्रदेश में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, 27 विकास प्राधिकरण, 05 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा नगरीय विकास हेतु महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तैयार कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अनेक उल्लेखनीय कार्यों को सम्पादित कराया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

- **चक गंजरिया परियोजना का क्रियान्वयन :-**

चक गंजरिया फार्म, लखनऊ की भूमि के वैकल्पिक उपयोग एवं पशुपालन फार्म के पुनर्स्थापन हेतु विस्तृत कार्ययोजना निर्गत की गयी है। उक्त कार्य योजना के अनुसार चक गंजरिया फार्म में उपलब्ध कुल 846.49 एकड़ भूमि में से 320 एकड़ भूमि पर अवस्थापना सुविधाओं यथा-100 एकड़ भूमि पर आई0टी0 सिटी, 50 एकड़ भूमि पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 100 एकड़ भूमि में विश्व स्तरीय कैंसर संस्थान, मेडीसिटी तथा अन्य चिकित्सा सुविधायें तथा 20 एकड़ भूमि पर पी0पी0पी0 मोड़ पर सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल/कार्डियालॉजी सेन्टर, 20 एकड़ भूमि पर आधुनिक दुग्ध

प्रसंस्करण प्लान्ट व 25 एकड़ भूमि पर प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, 10 एकड़ भूमि पर संस्कृति स्कूल एवं 5 एकड़ भूमि पर सी0एस0आई0 टावर की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। अवशेष भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक योजनायें संचालित की जायेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण को दी गयी भूमि के निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली धनराशि में से चक गंजरिया परियोजना के समस्त दायित्वों के निर्वहन के उपरान्त उपलब्ध समस्त सरप्लस धनराशि से लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को वित्त पोषित किया जायेगा। परियोजनान्तर्गत संस्कृति स्कूल की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 5 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **लखनऊ नगर के लिये मेट्रों रेल परियोजना :-**

लखनऊ नगर के लिये मेट्रों रेल क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा 'स्पेशल परपज वहॅकिल' (एस0पी0वी0) के रूप में लखनऊ मेट्रों रेल कारपोरेशन लि0 का गठन किया गया है। परियोजना के अन्तरिम कन्सल्टेन्ट पद्म विभूषण डा0 ई0 श्रीधरन को एल0एम0आर0सी0 का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया जा चुका है। इस परियोजना हेतु शासन स्तर से 20 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार के अंश पूंजी के रूप में दिया जा चुका है। योजना का शिलान्यास किया जा चुका है तथा प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक मेट्रों को चालू किये जाने का लक्ष्य माह दिसम्बर, 2016 तक निर्धारित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 95.01 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

- **जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र :-**

लखनऊ के गोमतीनगर योजना के विपिन खण्ड के 75464 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अनुमानित लागत 675 करोड़ से जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। उक्त हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

- **लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों एवं विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास :-**

लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों एवं विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 500 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

- **2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि का अभिकरणों को वितरण :-**

विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को स्टाम्प विभाग द्वारा सम्पत्ति अन्तरण के विलेखों पर संग्रहीत 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि का विभागीय बजट के माध्यम से वितरण हेतु नयी मांग के रूप में वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 375 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

- **सी0एस0आई0 टावर्स-3 का निर्माण :-**

सिविल सेवा के अधिकारियों के आवास की समस्या के निराकरण हेतु गोमती नगर लखनऊ में सी0एस0आई0 लॉन में सी0एस0आई0 टावर्स-3 के निर्माण हेतु नयी मांग के रूप में वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 25 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

- **अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश का अधिष्ठान व्यय :-**

अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश में नामित अध्यक्ष/उपाध्यक्षों/सदस्यों के मानदेय, गाड़ी, पेट्रोल, कार्यालय व्यय, आयोजनों तथा संस्थान के कार्मिकों के वेतन एवं अन्य भत्तों आदि के भुगतान हेतु रु0 2.284 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

- **स्मारक समिति के कर्मियों का अधिष्ठान व्यय :-**

स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के अधीन कार्यरत कार्मिकों के वेतन, महंगाई भत्ते व अन्य भत्तों के भुगतान हेतु रु0 75.10 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

- **सी0एस0आई0 टावर्स के वार्षिक अनुरक्षण कार्य :-**

सी0एस0आई0 टावर्स के वार्षिक अनुरक्षण कार्य हेतु रु0 50 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

- **एल0आई0सी0 एवं जी0आई0सी0 से लिये गये ऋण के मूलधन एवं ब्याज का भुगतान :-**

एल0आई0सी0 एवं जी0आई0सी0 से लिये गये ऋण के मूलधन हेतु रु0 5.40 करोड़ एवं ब्याज के भुगतान हेतु रु0 2225 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

- **अन्य अधिष्ठान व्यय :-**

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन नगर एवं ग्राम नियोजन अधिष्ठान, शहरी भूमि सीमारोपण निदेशालय व विहीत अधिकारियों के अधिष्ठान हेतु वेतन भत्तों के भुगतान हेतु रु0 47.19 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

मान्यवर, आवास विकास का यह बजट और स्वच्छ कालोनी और समय से जो इन्टीग्रेटेड कालोनियां जो समय से और जो जहां पर जितनी भी जमीन मिले उसमें तुरन्त बनाई जाय। जिससे महंगाई से छुटकारा मिले। अभी तक होता यह रहा है कि जमीन तो इतनी ले ली जाती थी लेकिन दसियों साल उसमें कालोनियां नहीं बन पा रही थीं लेकिन हमारी सरकार ने इन्टीग्रेटिंग स्कीम ला करके समय से जिससे महंगाई का बोझ उपभोक्ताओं पर न पड़े, जनता पर न पड़े इसलिये इस बजट में व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, हमारी सरकार ने स्वच्छ कालोनी और समय से आवास की व्यवस्था की है इसलिये यह बजट जो हम लाये हैं बहुत यह जनता के लिये बहुत अच्छा बजट है इसलिये आप सब लोग मिल करके इसको पास करायें।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, विधायकों के लिये चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो यहां आवास भी मिले, प्लाट भी मिले।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

स्व0 वीर बहादुर सिंह ने...

श्री दलवीर सिंह-

उन्होंने तो शुरूआत की थी अब ढाई वर्ष हो गया मैं यह कहूंगा कि जिन विधायकों के यहां प्लाट और मकान हैं उनको न दिया जाय, मेरे पास है मुझे न दिया जाय, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको तो यहां जरूर दिया जाय।

(मेजों की थपथपाहट)

*श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 3 बार से आवास विभाग के बजट को रखने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पास नया कुछ कहने के लिये नहीं है।

(कटौती प्रस्ताव की आवाज आने पर)

मैं क्षमा चाहता हूं कटौती प्रस्ताव के ऊपर अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप तो मंत्री रहे हैं इसका बजट नहीं रखे थे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अगली बार वह भी रखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं पिछली बार नहीं रखे थे, यह मैं पूछ रहा हूं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है या मेरा दुर्भाग्य है कि कोई नई बात आती कि मैं इसके साथ कोई नई बात जोड़ दूं।

श्री अध्यक्ष-

तो खत्म करो क्या फायदा करने से।

श्री सतीश महाना-

आपके कद के बारे में आपकी धमक के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। सब जानते हैं लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि आपने पिछली तीन बार यह बजट रखा ईमानदारी से बताइयेगा कि पिछले बजट के बाद से लेकर इस बजट के बीच जो आपने आवास विभाग के संबंध में बातें कही थीं, क्या आपने इस बीच आवास विभाग की अलग से बैठक करके कोई समीक्षा की कि नहीं की। आपने नहीं की क्योंकि आपके पास स्वयं इतने विभाग हैं जिसके कारण आपकी व्यस्तता रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे कहने का कारण यह नहीं है कि यह कर नहीं सकते। लेकिन इनके पास इतने विभाग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं लेकिन यह विभाग सीधे तौर पर इनके पास नहीं हैं। इसलिये मान्यवर, जो लिख दिया, उसको केवल पढ़ दिया जाय तो उससे विशेष रुप से आवास विभाग जैसे बजट की इतिश्री हो जाये तो यह दुर्भाग्य है। मैंने एक सुझाव पिछली बार दिया था, उन बातों का ध्यान इसलिये दिलाना चाहता हूं कि उन बातों का जिक्र इसमें आना चाहिये था कि माननीय नगर विकास मंत्री के पास अपना विभाग है और माननीय मुख्य मंत्री जी के पास आवास विभाग है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक के रुप में काम करते हैं और जब एक दूसरे के पूरक के रुप में काम करते हैं तो एक दूसरे के बारे में जानकारी होना आवश्यक है।

माननीय मंत्री जी ने आवास विभाग से संबंधित कुछ उपयोगितायें बताई, उसके उद्देश्य बतायें कि क्यों यह आवास विभाग गठित हुआ था, इसके कारण और उद्देश्य क्या थे। 1974 में पहली बार हुआ और 1976 में हुआ और उसके बाद बहुत सारे विकास प्राधिकरण गठित होते चले गये। पिछली बार मैंने इस पर प्रकाश डाला था, लेकिन इस बार उसको कहने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, विशेष रुप से आवास विभाग का यही काम है कि टाउन प्लानिंग करें और नगरों की प्लानिंग करने के साथ-साथ वहां पर शहरों की बढ़ती आबादी के कारण वहां पर इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराये जिससे वहां बसने वालों को आसानी से मकान मिल सके और जिस समय उसको सरकार के द्वारा बनाया गया मकान मिलेगा तो जिसे अनियोजित कहा जाता है, खेत में प्लाट काटकर दे देते हैं तो इसकी उसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने इस बात की अपेक्षा की थी कि इस विभाग के बारे में पिछली बार जो मैंने कहा था उसको मैं रिपीट करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि भारत सरकार की जो बाध्यता है कि उनको गरीबों के लिये शहरों में इतने आवास बनाने पड़ेंगे, ई0डब्लू0एस0 यानि इकनामिकल वीकर सेक्शन के, उसके अलावा आपने कोई मकान बनाये। जाहिर है नहीं बनाये। आपने जो आकड़े दिये, उसके अनुसार आपने 28 हजार ई0डब्लू0एस0 मकानों का लक्ष्य रखा था और पूरे प्रदेश में मात्र 5824 मकान बनाये। इस हिसाब से एक जिले में 100 भी नहीं आते। इसी प्रकार आपने लोवर इनकम ग्रुप का लक्ष्य रखा 12 हजार और आपने बनाये 3768। इसी प्रकार आपने एम0आई0जी0 का लक्ष्य रखा 8 हजार और 2635 बनाये और एच0आई0जी0 का रखा 4 हजार और 1245 बनाये। यह आप कह रहे हो, मैं इसे मानता हूं। मैं उसके विवाद में नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या आप इसी तेजी के हिसाब से मकान बनाकर शहरों की अवस्थापना सुविधाओं को पूरा करना चाहते हैं। शहरों में मकान की जो जरुरत है, शहरों का माइग्रेशन हो रहा है, उनकी आबादी बढ़ रही है, इस हिसाब से क्या आप उसको पूरा कर देंगे और आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बजट है। यही लक्ष्य है, पहली बात तो आपका लक्ष्य कम है और लक्ष्य के बाद उपलब्धता मात्र 20 से 30 प्रतिशत है और आप कहते हों कि हम लोगों को शहरों में मकान देना चाहते हैं। पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था और आपने भी कहा था कि आवास पालिसी लायेंगे। उस आवास पालिसी के माध्यम से जो शहरों में मकान बन रहे हैं, उनके एफ0आर0 बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अब मकानों के मामले में अब होरीजेन्टली नहीं वर्टिकली बढ़ने की जरुरत है। आज विश्व भर के अंदर ऊंची से ऊंची इमारतें खड़ी हैं। माननीय मंत्री जी, आप पालिसी लाये और पालिसी में आपने अधिकतर स्थानों पर यह लिख दिया कि यह निर्णय लिये गये हैं और इसके लिये अलग से जी0ओ0 जारी हो जायेगा। मैंने उसको पढ़ा है, लगभग 11 जी0ओ0

आपको अलग से जारी करने थे, जिसके लिये प्राधिकरण से संबंधित लोगों को बाईलाज बनाकर उसे लागू करना था पिछले साल नवम्बर से लेकर जून तक वह जारी नहीं हो सके इसलिए वह पालिशी इरिलिवेन्ट सी हो गई। मान्यवर, इसके ऊपर बड़ी तेजी से काम करना है। मैंने एक निवेदन किया था कि मा0 मंत्री जी आप 20 प्रतिशत तय कर लो कि फलां-फलां विकास प्राधिकरण की कालोनियों में हम विकास करायेंगे और उसे एक माडल के रुप में रखेंगे। उसके बाद आप कहें कि यह माडल स्वरुप है इसको जाकर देखिये यह हमने डेवलप किया है। 20 प्रतिशत काम एक वर्ष के अन्तर्गत कालोनी में करायेंगे, इसका उत्तर आपके पास नहीं है क्योंकि आपने इसको नहीं कराया। मा0 अध्यक्ष जी, जैसा कि हमने कहा आप लैण्ड एक्वीजीशन पालिशी के बारे में बोल रहे थे, आप नई लैण्ड एक्वीजीशन पालिसी जिस समय आप लागू कर देंगे उस समय आपको मकान बनाने के लिए जो जमीन मिलेगी वह बहुत मंहगी होगी और इतने ज्यादा दाम होंगे कि आप उस रेट में लैण्ड एक्वायर करने के बाद डेवलप करके मकान देंगे और फिर आप यदि कहेंगे कि हमने सस्ते मकान बनाये हैं तो यह आप कह नहीं पायेंगे क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जब आप जमीन मंहगी लेंगे तो स्वाभाविक रुप से यदि आप उसे नो प्राफिट नो लास पर देना चाहेंगे तब भी वह मंहगा होगा। इसके लिए आपको कोई पालिशी बनानी पड़ेगी। मान्यवर, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर जमीनें बहुत कम हैं लेकिन फिर भी वहां पर बहुत लोग रहते हैं।

मान्यवर, इसका आपको पूरा अध्ययन करना पड़ेगा जब आप इसका अध्ययन करेंगे तभी आप नई आवास नीति ला पायेंगे, उसको अच्छी तरह से समझ पायेंगे और उसका लाभ जनमानस को दे पायेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, आपने यहां पर कहा कि दो परसेंट स्टाम्प ड्यूटी आप बढ़ायेंगे। दो परसेट स्टाम्प ड्यूटी यदि आप बढ़ाते हैं तो आपने विगत दो-तीन वर्षों से किसी को दी नहीं जिससे कि डेवलपमेंट में उसका उपयोग नहीं हो सकता, वह आपने नहीं दी। मेरा निवेदन है कि आप वित्त विभाग से समन्वय करके आवास विभाग के माध्यम से शहरों को भेजें। ये जो शहर है बहुत बार यहां बात होती है और सरकार बहुत चिन्तित भी हैं, मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से बात की वह भी बहुत चिन्तित हैं लेकिन मान्यवर, उस चिन्ता का निराकरण निकलना चाहिए। मान्यवर, लखनऊ की बात हो, कानपुर की बात हो, मेरठ की बात हो मैं बड़े महानगरों की बात कर रहा हूं। हमारे यहां कानपुर में 50 प्रतिशत आबादी यदि विकसित क्षेत्र में रहती है तो 50 प्रतिशत आबादी अविकसित क्षेत्र में रहती है। मान्यवर, 10, 20, 30, 40 सालों से वह रह रहे हैं और यदि वह 10, 20 सालों से वहां पर रह रहे हैं तो यह सम्भव नहीं है कि आप उनको किसी भी तरह से वहां से हटा सकें। इसलिए मान्यवर, उनको रेगुलराइज करने के लिए इस विधान सभा में कई बार बात हुई, मा0 नगर विकास मंत्री द्वारा भी उसका संज्ञान लिया गया और उन्होंने कहा कि उसमें कई विभाग इन्वाल्ड है। उसकी पालिशी बनाने के लिए जटिलताएं हैं लेकिन मान्यवर, सरकार जटिलताओं को ही तो आसान करने के लिए होती है। मा0 मंत्री जी ने कहा था कि कुछ भू-माफिया हैं, मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि जिस आदमी ने सौ, डेढ़ सौ, दो सौ गज का प्लाट अपने जीवन की गाढ़ी कमाई से खरीदा हो और वह वहां पर रहने को मजबूर हो जहां न सीवर है, न पानी है और न नाली है, न बिजली है, एक दिन बारिश हो जाए तो वह घर नहीं जा सकता तो मान्यवर, वह भू-माफिया नहीं है। वह भू-माफिया हो सकता है जिसने बेचा हो, भू-माफिया वह सरकारी आदमी हो सकता है जिसने उसे

बनते समय रोका न हो। अगर उसके पास पैसा होता तो वह दूसरी जगह जाता मान्यवर, उनकी चिन्ता करने की आपको आवश्यकता है।

भारत का संविधान भी यही कहता है कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि उसको पीने के लिये का पानी मिले, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह उसको मिले। मान्यवर, इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि उसे पीने के लिये पानी मिले, जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं उसे लग्जरी देने की बात नहीं है लेकिन जीवन जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वह उसे मिले। अभी बरसात हो जायेगी, दो-ढ़ाई महीने आदमी घर नहीं जा पायेगा, जल भराव होगा उसमें मच्छर आयेंगे, कीड़े आयेंगे और आदमी का जीना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए मैं किसी प्रकार यह डिमाण्ड नहीं करता कि आप उनको लग्जरी सुविधाएं दीजिए लेकिन मान्यवर उनको मूलभूत सुविधाएं जरुर दें यह मैं आपके माध्यम से सरकार से जरुर कहना चाहता हूं।...

...माननीय अध्यक्ष जी, आपने नजूल पालिसी की बात की, नजूल पालिसी तो आयी लेकिन नजूल लैण्ड का जिस प्रकार से निस्तारण होना चाहिए था, आपकी जानकारी यदि हो तो मेरा निवेदन है कि आप जरुर उसे यहां बतायें नहीं है तो स्वाभाविक रुप से सब चीजों की जानकारी इस समय उपलब्ध हो शायद सम्भव नहीं है मेरी जानकारी है आपने बहुत बढ़िया बजट की बात कही। लखनऊ में इसमें अभी मैं देख रहा था आपने पढ़ा कि यहां के लिये इतनी जमीन है यहां के लिए इतनी जमीन है यहां के लिए इतना पैसा है। आपने बोला लखनऊ सहित समस्त शहरों के लिए आपने 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था करायी, मैं देख रहा था कि लखनऊ सहित विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर 300 करोड़ लिखा हुआ था तो मैंने सोचा कि मुझसे गलती हो गयी या मा0 मंत्री जी गलत पढ़ रहे हैं तो फिर मैंने नीचे देखा कि लखनऊ में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 200 करोड़ रु0 अलग से। कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपये हो गये, लखनऊ के लिए 200 करोड़ अलग है और पूरे प्रदेश के लिए 300 करोड़ रुपये। आवास विभाग अगर लखनऊ के लिए सीमित होता है लखनऊ का विकास आवश्यक है, हमारा कैपिटल सुन्दर होना चाहिए, यहां पर भी लोगों का अधिकार है, लेकिन अगर लखनऊ पर पूरा पैसा खर्च कर देने से पूरा प्रदेश सुधर जाता तो आपने पहली वाली सरकार ने हजारों करोड़ रुपया स्मारकों पर लखनऊ में खर्च कर दिया उनका एक भी आदमी जीतकर नहीं आया। इसलिए जीतकर नहीं आया कि लखनऊ की जनता उनसे खुश नहीं थी। कम से कम यहीं से जीत जाती। उन्होंने तो बना दिये, आपने तो कहा था कि हम इसका उपयोग हास्पिटल के लिए करेंगे, फलां के लिए करेंगे वह तो आपने नहीं किया। आपने 117 करोड़ रुपये उसके लिए जो वहां पर फौज है उसकी देखभाल करने के लिए उनकी तनख्वाह के ऊपर खर्च कर रहे हैं। 100 से ज्यादा करोड़ रुपया आप उन संग्रहालयों के रखरखाव और सफाई के लिए देते हो। यह तो सुना था हाथी जिन्दा है तो इतना देता है न रहने के बाद भी देता है लेकिन न रहने के बाद इतना लेता है, यह नहीं सुना था।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी संक्षिप्त करिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, ठीक है। मैं समझ रहा हूं कि समय हो रहा है। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण बातें हैं, कोई भी बात माननीय अध्यक्ष जी मैंने ऐसी नहीं कही है जो किसी भी एक व्यक्ति से संबंधित है। जनरली यहां पर सबको अपने-अपने क्षेत्र की बात कहने का अधिकार होता है, वह भी कही जाती है, कहनी भी चाहिए, हम लोग आते यहां पर इसीलिए हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, आपको मैंने भी 20 प्रतिशत वाला सुझाव दिया था आपने पालिसी लाने की बात कही थी तब से जो मकानों के नक्शे पास होने की जो प्रक्रिया चलती थी उसमें भी शिथिलता आयी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप शायद कोई पालिसी लाओगे तो उसके कारण नक्शा जमा करायेंगे। हमारे कानपुर महानगर में वहां पर कुछ बिल्डिंग सील कर दी लेकिन मैंने एक बात कही 400 बिल्डिंग्स सीज करी है गलत बन रही थीं तो सीज करी है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। हमारे साथी विधायक सतीश जी कई बार इस बात को यहां पर कह चुके हैं लेकिन मैंने कहा कि 400 बिल्डिंग्स वह बताओ जो नक्शे के अनुसार बनी है, वह कहीं नहीं हैं। जहां पर 6 लाख मकान हैं 400 ऐसे मकान नहीं हैं जो नक्शे के हिसाब से बनी हुई दिखायी पड़े। इसका यह कारण नहीं है कि सारे लोग खराब हैं। इसका यह कारण है कि कौन सी ऐसी पालिसी हो सकती है, कौन से ऐसे कारण थे, कौन से ऐसे नियम थे, कौन से ऐसे अधिकारी थे कि सारा का सारा कुछ डेवलप हो गया, हम 400 मकान नहीं ढूंढ पाये। मान्यवर, इसलिए मैं इस बात को फिर बड़े विश्वास के साथ कहूंगा क्यों कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय इस विभाग को देख रहे थे तो पहले बजट में बड़े विश्वास के साथ इस बात को रखी थी और उस विश्वास को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने जब पिछली बार बजट रखा था तो किया था लेकिन मुझे दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए कि आपने बजट रखने के बाद उसकी चिंता नहीं की, करनी चाहिए। आप छोटे-मोटे मंत्री नहीं हैं, कोई छोटा-मोटा मंत्री होता तो बात अलग थी। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं...

श्री जाहिद बेग-

महाना जी इधर आ जाइए।

श्री अध्यक्ष-

आप यह कैसी आवाज निकाल रहे हैं। ऐसा मत करो। बेग साहब एक तो आपकी आवाज कोई समझ नहीं पाता है।

श्री सतीश महाना-

कुछ लोगों के बैक आफ माइण्ड एक चीज आ जाती है इनको पता है कि हम उधर आने वाले हैं इसलिए यह बार-बार कहते हैं कि इधर आ जाइए। उधर तो आएंगे ही परेशान न हों। लखनऊ जो प्रदेश का कैपिटल है यहां पर विकास के काम भी खूब हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां खूब खड़ा हुआ है मैं कुछ कागज दिखाना नहीं चाहूंगा क्योंकि उसका सिस्टम नहीं है मैं मंत्री जी के पास भेज दूंगा यहां 10 हजार में प्लाट मिल रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार यहां पर बहुत सारे लोग इस प्रकार के बड़े बड़े बुकलेट्स छापकर मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता इनके पास पांच बीघा दस बीघा जमीन होती है और यह 100 बीघे का कागज पर नक्शा बनाकर और इतनी बढ़िया-बढ़िया

बुकलेट्स होती है यह कोई भी राज इन्फ्रा हाउसिंग है यह सारे का सारा चल रहा है। यह इसको एडवर्टाइज करके बेच रहे हैं इसको अखबारों में देकर बेच रहे हैं इसका पैसा ले रहे हैं इसका पैसा ही नहीं ले रहे हैं बल्कि इसी से संबंधित कुछ कम्पनियां इसका पैसा लेकर भाग गई। समाचार पत्रों में भी यह छपा है जो मैं आपकी व्यवस्था के अनुसार दिखा नहीं सकता। मान्यवर, एक स्पीक एशिया कम्पनी थी वह कहती थी आप पैसा जमा कीजिए आपको इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा। उस प्रतिशत को बढ़ाने के चक्कर में जिन्होंने उसमें पैसा दिया उनका पैसा भी गया और उसको वह ढूंढ भी नहीं पाए। अभी यह विज्ञापन दे रहे हैं कि गारण्टी के साथ तीन साल में दो गुना पैसा करने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह आवास पर है कि चिट फंड कम्पनी पर है।

श्री सतीश महाना-

यह आवास पर है। मान्यवर, यह जमीन दिखाकर पैसा लिया जाता है वह कहते हैं कि आप हमारे यहां प्लाट लीजिए आपको तीन गुना हम दो साल में कर देंगे। यह अखबारों में छप रहा है लेकिन सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इसी हिसाब से डेवलप होगा। यह पूरे प्रदेश में हो रहा है यहां बड़े पैमाने पर हो रहा है क्योंकि स्वाभाविक रुप से कैपिटल सबको आकर्षित करता ही है। इसलिए यहां पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। फिर यह कहा जाएगा कि सरकार सतत चलने वाली प्रक्रिया है आज जो मंत्री हैं वह इस पर संवेदनशील होकर बात करते हैं कल फिर कोई आएगा। वह कहेंगे कि यह गड़बड़ किया। ध्यान हमने नहीं दिया भुगतेगी जनता। इसके लिए भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर आवास विकास की जो हमें बुकलेट मिली उसमें उन्होंने लिखा कि वह मलिन बस्तियों में भी काम कराएंगे। अगर आवास विकास परिषद् द्वारा किसी मलिन बस्ती में काम करवाए गए हों तो मेरा निवेदन है कि आप मुझे उसकी जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष-

थोड़ा जल्दी करें।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी बात को शिरोधार्य करते हुए केवल इंफ्रा स्ट्रक्चर की बात करना चाहता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना यह विकास प्राधिकरण का काम है स्टाम्प ड्यूटी विकास प्राधिकरण को जाएगी शहर भर में जो विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलप्ड कालोनीज है उसके अलावा जो दूसरी नान नोटीफाइड कालोनी है पुरानी कालोनी है पुराने राजस्व गांव हैं वहां पर जो रजिस्ट्री कराई जाती उसका अगर ईमानदारी से कोई नक्शा पास कराने के लिए जाय तो नक्शा फीस भी वह लेते। उसका डेवलपमेंट चार्जेज भी वह लेंगे। सब कुछ लेने के बाद प्राधिकरण, अगर जिसने कहा जाकर कि यहां पर सड़क बनवा दो यह कहेंगे यह हमारा काम नहीं यह तो नगर निगम का काम है। नगर निगम वाले लायें पैसा। पैसा नक्शा पास कराने का आप ले रहे हैं। उस क्षेत्र में डेवलपमेंट शुल्क आप ले रहे हैं। उस क्षेत्र से विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित नक्शा पास कराने, उससे सम्बन्धित रख-रखाव शुल्क जो होता है, निगरानी शुल्क होता है इत्यादि इत्यादि यह 3/4 पांच प्रकार के शुल्क होते हैं। वह सारा

विकास प्राधिकरण लेते हैं और उन्होंने कहा कि हमारी सड़क बनवा दो तो उनको कह दिया जाता है कि यह हमारा एरिया नहीं है और जो उनके एरिया हैं मान्यवर, उस एरिया के तो मान्यवर, वाह-वाह क्या कहने। सोसाइटी क्षेत्रों से अच्छे तो कोई विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के डेवलेपड एरियाज नहीं हैं।

मान्यवर, एक दिन मेरा बड़ा मन था नगर विकास मंत्री कानपुर जा रहे थे। मेरा बड़ा मन था कि यह वहां जायं मैंने फोन किया, व्यस्तता के कारण नहीं उठा मैंने मैसेज किया नहीं उठा। बाद में इन्होंने फोन किया था अनफार्चुनेटली बात नहीं हो पायी। पहले मान्यवर, कहा आजकल शहर में पुराने क्षेत्र में कहा था एक मकान गिरा हुआ है नगर निगम उसको चेक करेगा। डेढ़ सौ साल पुराना बना है। कानपुर में मान्यवर, विकास प्राधिकरण के द्वारा बनायी कालोनी 20 साल में गिर जाय यह नहीं कहा जा सकता। 200 साल डेढ़ सौ साल। यह है स्थिति, यह फैक्ट है मैंने पिछली बार उसकी फोटोग्राफ उपलब्ध करायी थी। मैंने पिछली बार उनके नाम और नम्बर के साथ उपलब्ध करायी थी लेकिन कोई जूं नहीं रेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आवास शहरों से सम्बन्धित सबसे बड़ी आवश्यकता है इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर जब तक ठीक नहीं होगा, इण्डस्ट्री को नहीं ला पायेंगे, शिक्षा को नहीं ला पायेंगे। कभी-कभी संकोच होता है इस बात को कहते हुए कि जो हालत हमारे शहरों की है। बहुत सारे बड़े-बड़े शहर बहुत डेवलेप करते चले गये। मैं नाम नहीं लूंगा। नाम लूंगा तो इनको बुरा लगेगा । सूरत की सूरत बदल गयी हो सकता है कि इनको कठिनायी हो लेकिन यह सच है। प्रदेश के शहरों की सूरत बदलने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है इस अवसर पर बड़ी विनम्रता के साथ मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, कोई आलोचना सरकार की नहीं की। केवल सुझाव दिये हैं और सरकार उन सुझावों पर विशेष रूप से ध्यान देगी। एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे पास पर्ची आयी थी और मान्यवर, वह यहां से नहीं आयी थी उधर से घुमती-घुमती आयी थी। माननीय नगर विकास मंत्री जी ने पहले ही उस समय, जब आदरणीय दलवीर जी चले गये कह कर। उन्होंने जब बोला था तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि हमको भी नहीं चाहिए। मान्यवर, हमको भी नहीं चाहिए लेकिन जा माननीय सदस्य नये आये हैं उन्हें लखनऊ में आप पैसा लेकर दे दें। इस बात को लेकर कभी-कभी नाराज होते हैं तो आपकी भवना हम समझ सकते हैं कि हम इसको मकान दें, हम उसको मकान दें। लेकिन जो निर्धारित मूल्य है नो प्राफिट नो लास के आधार पर जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए मान्यवर विचार कर लें और विकास प्राधिकरणों में जो आप कमेटी बनाते हैं कम से कम उसमें जो उस क्षेत्र के विधायक हैं, उस विकास प्राधिकरण में उनको भी सदस्य के रूप में नामित करेंगे। कुछ अच्छे सुझाव आयेंगे कुछ अच्छी बात आयेगी, कुछ अच्छा विकास होगा मान्यवर। बस इतनी बात कह कर अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आवास विभाग के इस महत्वपूर्ण बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव माननीय महाना जी ने रखा है, उस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, आवास एक ऐसी आवश्यकता है आदमी की कि गरीब, अमीर, कमजोर सब चाहता है कि हमारी छत बन जाय। मान्यवर, गरीबों को आवास मिले इसके लिए सरकार के द्वारा जो नयी कालोनियां बनायी जाती हैं उनमें एक व्यवस्था की गयी है कि इतने प्रतिशत गरीबों के आवास बनाये

जायं इसी कड़ी में जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो माननीय बहिन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के हर नगरीय क्षेत्र में चाहे वह पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, वहां पर मान्यवर, कांशीराम शहरी योजना के तहत् उन गरीबों को आवास देने का काम किया था जो गरीब फुटपाथ पर, झुग्गी झोपड़ी में खुले आसमान के नीचे रात बिताया करते थे और मान्यवर, वह एक ऐसी योजना जो गरीबों को उनके रहने का घर मुहैय्या कर रही थी, आज सरकार ने उसको बन्द करने का काम किया है। मैं चाहूंगा कि सरकार के द्वारा जिस तरह से अन्य योजनाओं के नाम बदल रहे हैं, ये किसी भी नाम से गरीबों के लिए एक आवासीय योजना जरूर चलायें जो नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम क्षेत्र में लोगों को मिले जिससे कि आज जो तमाम हमारे इस देश के, प्रदेश के गरीब, कमजोर लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, उन्हें मिल सकें। मान्यवर, शहरों के अन्दर जो बड़ी-बड़ी कालोनियां बन रही हैं जिसमें तमाम बिल्डर सरकार से जमीन ले करके, किसानों से जमीन ले करके, सरकार से समझौता करके उसका जो विकास कर रहे हैं, वह पहले अपने जो बड़े प्लाट हैं, बड़े आवास हैं, मल्टी स्टोरी हैं, बनाते हैं और जो गरीबों के लिए जो वीकर सेक्शन के लिए मकान बनाने होते हैं, वह आखिरी में बनाते हैं या कहीं-कहीं बनाते भी नहीं हैं।

मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि इसी लखनऊ 1986 में कानपुर रोड योजना जो एलडीए ने डेवलप की है, उसके चार सेक्टर अन्सल को दे दिये गये और अन्सल ने आज तक ईडब्ल्यूएस मकान पूरे नहीं कराये। मैंने इस पर एक प्रश्न भी लगाया था, उसका जवाब भी आया है कि अभी कुछ मकान शेष रह गये हैं, 1986 की कालोनी है और आज तक पूरे नहीं किये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि सरकार इस बात पर विशेष जोर दे कि जब हम किसी प्राइवेट बिल्डर को जमीन देते हैं, डेवलप करने के लिए तो वह पहले गरीबों के आवास बनाकर तैयार कराये, उसके बाद वह जो मंहगे मकान बेचते हैं, उनको बेचने का काम करें, तभी मान्यवर, सरकार की जो मंशा है, वह पूरी हो सकेगी। मान्यवर, लखनऊ के अन्दर गोमती नगर और गोमती नगर की एक विस्तार योजना बनायी गयी। गोमती नगर विस्तार योजना में जाने के लिए आज भी रास्ता नहीं है। एक वहां पर बीच में रेलवे लाइन पड़ती है, ओवर ब्रिज बनाया गया और यह मान्यवर, 2004 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब यह योजना लायी गयी थी। वह पुल दोनों तरफ से बन गया, रेलवे के ऊपर आज भी काम नहीं हुआ है, वह कालोनी जो अच्छी कालोनी बनायी गयी है, वहां पर लोग रह नहीं पा रहे हैं। आज भी मा0 मंत्री जी ने इन्टीग्रेटेड सिटी की बात की। इन्टीग्रेटेड सिटी में लखनऊ के अन्दर शहीद पथ पर अन्सल बिल्डर के द्वारा कई सौ एकड़ में जमीन ले करके कालोनी का डेवलपमेंट किया जा रहा है। मान्यवर, वहां पर भी यही शिकायत मिल रही है कि जो गरीबों को आवास देने थे, जो ईडब्ल्यूएस मकान बनने थे, उनको वह पूरा नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, अभी बात उठी अविकसित कालोनियों की। एक दिन मा0 नगर विकास मंत्री जी ने कहा था कि अविकसित कालोनियों को हम विकसित करेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अन्सल को जमीन तो आपने ही दी थी।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

नहीं, मान्यवर, आप अपनी जानकारी दुरूस्त कर लीजिए, वैसे आप बहुत सीनियर हैं। अन्सल ने शहीद पथ पर 2004 में आपकी सरकार में कार्य शुरू किया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हमने खुद जाकर उसका कब्जा ले लिया था, खुद जाकर। मौके पर जाकर कब्जा लिया था, बोर्ड हटवा दिये थे। जब आपकी सरकार आयी, आपने कब्जा पुनः दे दिया।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, आप जो बता रहे हैं, इसका तो हमें पता नहीं है लेकिन 2004 में वहां इसकी शुरूआत हुई थी। मान्यवर, अविकसित कालोनियों की बात आयी। मान्यवर, यह पूरे प्रदेश की समस्या है, नगर विकास से लेकर, नगर पंचायतों से लगाकर, नगर निगम की बात की है, अविकसित कालोनियों के बारे में मंत्री जी ने यहीं आश्वस्त किया था कि उनको गिराया नहीं जा सकता तो उनको विकसित करने के लिए जो भी प्रक्रिया हो, समन शुल्क लेकर, उसको भी विकसित कराने पर ध्यान दिया जाये। मान्यवर, इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में जो एलडीए के अन्तर्गत क्षेत्र नहीं आता है, वहां पर जिला पंचायत से नक्शा पास करा कर कालोनियों को जैसा अभी महाना जी ने बताया कि कालोनियों के ऐसे ही ऐड देकर के और लोगों से पैसा लेकर के प्लाट देने का काम बहुत जोरों से चल रहा है, मान्यवर, इस पर तत्काल अंकुश लगाने की आवश्यकता है क्योंकि जिला पंचायत कोई ऐसी टेक्निकल संस्था नहीं है, जो आवास बनाने के लिए कालोनी बनाने के लिए नक्शा पास कर दे, लेकिन यह यहां पर धड़ल्ले से हो रहा है। मान्यवर, मैं अन्त में लखनऊ के अन्दर चूंकि लखनऊ पुराना शहर है, इसी तरह से कानपुर है, हमारे यहां के जो महानगर हैं अब यहां पर जमीन कम पड़ती जा रही है, आने वाले रहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और मल्टी स्टोरी का कल्चर आ गया है, मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग बनाने के लिए वर्तमान में जो व्यवस्था है, एल0डी0ए0 22 वर्ग फिट रूपये ग्रुप हाउसिंग पास कर रही है और जो आवास विकास परिषद् है वह 04 हजार फिट वर्ग मीटर में नक्शा पास कर देती है, इसको दोनों को समाज करने की जरूरत है और छोटे जो भूखण्ड हैं उन पर भी अगर ग्रुप हाउसिंग की योजना सरकार के द्वारा पास हो जायेगी तो जो आज अवैध निर्माण हो रहे हैं, उन पर भी अंकुश लगेगा, सरकार को भी इससे फायदा मिलेगा। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने आवास विभाग पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, मा0 मंत्री जी ने जो बजट रखा है बहुत अच्छा है, मैं उसकी तारीफ करता हूं परन्तु मैं जिस क्षेत्र से चुनकर के आता हूं उस क्षेत्र में नौ वार्ड हैं शहरी नगर निगम के जिसमें अंसल ने जो कालोनी डेवलप की है, 85-86 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वहां की जमीन एक्वायर की और जिस जमीन पर अंसल ने कालोनी बनायी, वह जमीन 202 बीघे नवाज शीश महल का तालाब था किन परिस्थितियों में वह परती दर्ज किया गया और परती दर्ज करने के बाद तमाम बड़े-बड़े लोगों के तमाम आफीसर्य के आई0ए0एस0 के उसमें नाम दर्ज कर दिये गये और नाम दर्ज

कर लेने के बाद उन लोगों ने उसका कम्पनसेशन उठा लिया और उस पर कालोनी बनी, वह तालाब समाप्त कर दिया गया। उसमें से 12 एकड़ लैण्ड अब भी तालाब में दर्ज है, एल0डी0ए0 वहां पर मकान बना लेना चाहता है, कुछ भू-माफिया जो तहसील से सम्बन्धित थे, वह भी उसको कब्जा करना चाहते हैं। स्थिति यह है कि कांशीराम स्मृति उपवन जो 101 एकड़ में मा0 कल्याण सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे, उन्होंने उसे कारगिर शहीद स्मृति उपवन का नाम दे कर के 101 एकड़ को और उसमें झील बनाने का काम किया, वहां पर झीन थी और झीन बनी रही, मा0 मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री होकर के आये तो उन्होंने उसको डेवलप किया, दुर्भाग्य से हमारे मौर्या जी की सरकार आ गयी और उसने क्या किया, कारगिल शहीद स्मृति उपवन को 21 एकड़ में तो कारगिल शहीद स्मृति उपवन रखा और 80 एकड़ में काशीराम को बना दिया। मायावती जी ने आते ही उस झीन को पाटने का काम किया वहां पर अब लखनऊ महोत्सव लगता है। उधर 21 एकड़ में जो कारगिल शहीद स्मृति उपवन था, मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने उस झील में पांच बोट डलवाये थे, वह आज भी कारगिल शहीद उपवन में पड़े हुए हैं उपेक्षित और जो झीन में 101 बतख डाली थीं, वह 98 कतख आज कारगिल शहीद स्मृति उपवन में बन्द हैं, वह मर रही हैं और वहां की स्थिति बड़ी ही अस्त-व्यस्त है। तो जहां पर तालाब था, झीन थी और किला मोहम्मदीनगर के नाम से वह झीन मशहूर थी, आज यह स्थिति है कि जो अंसल ने कालोनी बनायी, मा0 अध्यक्ष जी उस कालोनी की कतई यह स्थिति है कि आज तक वह नगर विकास में तामील नहीं हो पायी और वहां सड़क नहीं है, वहां के आवंटी बहुत परेशान हैं। खजाना मार्केट था 86 में बना था, मैं जब इनडिपेन्डेन्ट जीत करके आया था और अब मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा, अपने प्रभारी मंत्री जी को कि इनके प्रयास से, रात-रात में इन्होंने दौड़ा किया एस0पी0 यादव साहब ने मेरे साथ और खजाना मार्केट की अब रजिस्ट्री हो पायी है, जिसके लिए वहां के जो आवंटी हैं, जो व्यापारी हैं वह हमारी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं और हमारी सरकार के प्रति कृतज्ञ हैं। वहीं दूसरी स्थिति यह है कि जो दीपक अंसल की कालोनी है, पहले एक थे, अब दोनों भाई अलग हो गये, अंसल ए0पी0आई0 हो गया जो इधर रायबरेली रोड की तरफ सुल्तानपुर रोड की तरफ बना रहा है और दीपक अंसल इधर काम कर रहे हैं, परन्तु दीपक अंसल कहीं कतई सुनवाई नहीं कर रहे हैं सारी स्थिति खराब है। मा0 मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी ने इतना दबाव बनाया एल0डी0ए0 पर परन्तु एल0डी0ए0 के कान पर भी जूं नहीं रेंगी। मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वे हस्तक्षेप करके उस कालोनी को नगर विकास विभाग में ट्रांसफर करा दें या नहीं तो एल0डी0ए0 ही वहां की सड़कें बनाये। मिलेनियम स्कूल के पास अभी चंद दिन पहले एक 9 वर्ष का बच्चा जो सड़क एल0डी0ए0 ने बनायी थी। हमने पत्र लिखा मुख्य मंत्री जी को मुख्य मंत्री जी ने संज्ञान लिया और उस सड़क पर जो मेन होल हैं तो वह स्थिति यह है कि आज एल0डी0ए0 की उपेक्षा के कारण आज वहां स्थिति ठीक नहीं है। हमारी मांग यह है कि अंसल के द्वारा बनायी हुई कालोनी या उससे डेवलप हो क्योंकि उसकी जो सेक्योरिटी मनी थी वह सेक्योरिटी मनी एल0डी0ए0 ने वापस कर दी। अब उन पर कोई दबाव नहीं है। उस कोई दबाव नहीं अंसल पर कि वह वहां काम करे तो वहां की सड़क का निर्माण हो जाये, वहां जो सुविधायें हैं आशियाना कालोनी की वे मिल जायें। बसपा सरकार में बापू मधुबन योजना के तहत गाजियाबाद में विधायकों को प्लाट एलाट किये थे आपने। प्लाट तो एलाट कर दिये परन्तु अभी तक उन प्लाटों पर कब्जा नहीं मिला।

विधायकों ने पैसा भी जमा किया था पर कुछ नहीं हुआ। मैं मा0 मंत्री जी से कहूंगा कि उस प्रकरण का संज्ञान लें। मैं इन्ही शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

*श्री रवि शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं उत्तर प्रदेश के उस कोने से पिछड़े बुन्देलखण्ड से आया हूं जहां पर वास्तविकता में लोग अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। उस बुन्देलखण्ड के एक मात्र महानगर झांसी जहां पर लोगों की रहने की इच्छा होती है। जरा भी सम्पन्नता होगी या बच्चों को पढ़ाना होगा क्योंकि रेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। शिक्षा की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है ऐसे महानगर में लोग अपना घर बना करके बच्चों को रखने के लिए उनके मन में हमेशा इच्छा रहती है। मैं उस महानगर से आता हूं अध्यक्ष जी। 60-70 कि0मी0 रेडियस के लोग झांसी में निवास करते हैं लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड को अभी तक अधिकारियों ने चरागाह के रूप में इस्तेमाल किया। सरकारों का भी ज्यादा ध्यान वहां पर नहीं रहा। पहले तो अधिकारी यहां से उस तरफ कोने में जाना नहीं चाहता है और अगर वह चला गया तो फिर निश्चित रूप से आना नहीं चाहता है, बार-बार अपने तबादले को रुकवायेगा कि यहीं पर रहने दिया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, एक मात्र विकास प्राधिकरण झांसी विकास प्राधिकरण निष्क्रिय हालत में है। वहां पर व्यवस्था में जो अध्यक्ष हैं विकास प्राधिकरण का वे कमिश्नर होते हैं, उपाध्यक्ष होंगे जिलाधिकारी, सचिव की नियुक्ति होती नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्था से काम चलाना पड़ता है। कभी ए0डी0एम0 सचिव होंगे, कभी सिटी मजिस्ट्रेट को सचिव बनाया जायेगा। मा0 अध्यक्ष जी, जब वहां पर सचिव की नियुक्ति नहीं होगी तो निश्चित रूप से काम प्रभावित होते हैं। नक्शे पास हो नहीं पाते हैं। जनता परेशान है, जनमानस परेशान है। एक और बड़ा विषय है वहां पर कि नक्शे पास के लिए जब सचिव की नियुक्ति ही नहीं है।

वैकल्पिक व्यवस्था में सिटी मजिस्ट्रेट के पास चार्ज है, सिटी मजिस्ट्रेट की अपनी व्यस्ततायें हैं। वह वहां पर जाकर नियमित रूप से नहीं बैठ सकते हैं। मेरा सरकार को सुझाव है कि उपाध्यक्ष के रूप में जो नामित किया गया है जिलाधिकारी को, उसकी व्यवस्था में परिवर्तन करके लखनऊ से किसी अधिकारी को उपाध्यक्ष बना करके भेजा जाये। सचिव की लखनऊ स्तर से नियुक्ति की जाये जिससे वहां झांसी विकास प्राधिकरण सुचारु रूप से काम कर सकें। मा0 अध्यक्ष महोदय, झांसी में अभी तक विकास प्राधिकरण ने कोई लम्बा चौड़ा काम नहीं किया है। इसकी स्थापना 12-10-1984 को हुई थी लेकिन सन् 84 से लेकर आज तक झांसी विकास प्राधिकरण ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया इन्होंने सिर्फ दो-तीन कालोनियां डेवलप कीं। लेकिन वो कालोनियां आज ऐसी स्थिति में हैं मा0 अध्यक्ष जी कि वहां पर आज तक ये लोगों को पजेशन नहीं दे पाये, जर्जर हालत में हैं, रोड़े बना दी उखड़ गयीं। मा0 अध्यक्ष जी, यह ऐसी संस्था है जो अपनी एफ0डीयों को बढ़ाने में लगी हुई है इनके पास प्रतिवर्ष सरकार द्वारा स्टाम्प की राशि भेजी जाती है, उसका से ब्याज खाते हैं मान्यवर, मा0 अध्यक्ष जी, इनके पास झांसी में लगाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। इनकी कोई कार्ययोजना नहीं है यदि आप इस बजट में देख लें, झांसी विकास प्राधिकरण को इनका खर्चा कहीं नहीं दिखाया है इन्होंने। ये सब शुल्क

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमा करते जा रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि ऐसी संस्था जो झांसी विकास प्राधिकरण है, उसको संज्ञान में लिया जाये। इन्होंने मा0 अध्यक्ष जी पिछले 07-08 वर्षों में अपनी कालोनियां बनायी थीं, उसमें अभी तक कब्जा नहीं दे पाये हैं। इसे संज्ञान में लिया जाये मा0 मंत्री जी और एक बात है मा0 अध्यक्ष जी यहां पर जो अधिकारी हैं, जे0ई0, ए0ई0 जो मा0 अध्यक्ष जी इसमें दिखाये गये हैं कि अधिशासी अभियंता एक और सहायक अभियंता चार हैं, अवर अभियंता 8 हैं। यहां पर जो भी अवर अभियंता हैं, वह झांसी के ही मूल निवासी हैं।

श्री अध्यक्ष-

जब वहां कुछ हो ही नहीं रहा है तो चाहे जहां का रहे क्यों परेशान हैं आगे बढ़ें ?

श्री रवि शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी विकास के लिए रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकतायें हैं जनता की, उस पर यदि इस तरीके से हम लोग निष्क्रिय होकर सोचना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम निराशाजनक होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं संज्ञान चाहता हूं मा0 मंत्री महोदय का कि इस पर संज्ञान लेकर के झांसी विकास प्राधिकरण प्रभावी रूप से काम कर सके। यहां पर उपाध्यक्ष की नियुक्ति, यहां पर सचिव की नियुक्ति शासन से हो, जिससे कि प्रभावी संस्था के रूप में झांसी में काम हो सके। धन्यवाद।

श्री सतीश कुमार निगम (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे आवास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कानपुर के ही आपके साथी ने कटौती रखा है, अब आप उसका जवाब दे दीजिये।

श्री सतीश कुमार निगम (एडवोकेट)-

मैं कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी प्राब्लम हमारे क्षेत्र में है कि 300 के आस-पास बिल्डिंगों को सील कर दिया गया है जिसमें 2/3 हमारे क्षेत्र की हैं। उसमें हमने मा0 मुख्य मंत्री से भी गुजारिश की है और आज आदरणीय मंत्री जी सदन में हमारे पास हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि थोड़ा हस्तक्षेप करके इस बड़ी समस्या से हमें निजात दिलायें। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उस क्षेत्र में खाली बिल्डर ही प्रभावित नहीं हुआ, इसमें उन आम लोगों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा जिन लोगों ने अपना इनवेस्टमेंट किया फ्लैट खरीदने के लिए साथ-ही-साथ यह कोई नयी बात नहीं है, बहुत पहले से यह प्रक्रिया चली आ रही है, क्योंकि जो लोग कानपुर डेवलपमेंट आथारिटी में या दूसरी डेवलेपमेंट आथारिटी में पैसा खाकर काम कराते रहे इस तरह से गलत निर्माणों को प्रोत्साहित करते रहे हैं उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई, कहीं भी अगर कोई शिकार हुआ तो वह कोई जो उस फ्लैट को लेने वाला , वह आम आदमी और गरीब आदमी तो मेरी यह गुजारिश है कि एक तो उस क्षेत्र का जहां पर एफ0ए00आर0 बढ़ा सकते हैं उनका एफ0ए0आर0 बढ़ाया जाये और एफ0ए0आर0 बढ़ने से अपने-आप बहुत सारी

समस्याओं का हल निकलेगा और साथ ही साथ हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारे शहर में जो बार्डर की बस्तियों हैं, आवासीय सोसाइटी का क्षेत्र है, वहां पर बहुत-सारी समस्यायें हैं।

वहां के क्षेत्र में बहुत से लोग बेटरमेंट चार्ज देना भी चाहते हैं, बहुत से लोगों को बेटरमेंट जमा भी है, वे नक्शा भी पास कराना चाहते हैं जो उसके नियम एवं प्रक्रिया कानपुर डेवलपमेंट आथारिटी या अन्य डेवलपमेंट आथारिटी प्रदेश की बनायेंगी उसका अनुपालन भी लोग करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कारगर नीति नहीं बनी है, तो मेरी मा0 मंत्री जी से गुजारिश है कि ऐसी कारगर नीति बनायी जाये कि सोसाइटी के क्षेत्रों का उद्धार हो सके, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी कानपुर शहर में जितनी आबादी व्यवस्थित क्षेत्र में रहती है, उतनी ही अव्यवस्थित क्षेत्र में भी रहती है, बहुत बड़ी समस्या है और तीसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे नये सदस्य अभी महाना जी ने हमारी बात कही। हम भी उसमें आपसे गुजारिश करते हैं कि बहुत से हमारे नये सदस्य हैं, हम खुद भी नये सदस्य हैं और पुराने भी कह रहे हैं, सभी की मिलाकर यह इच्छा है कि हम लोगों को एक-एक लखनऊ में या नोयडा में जहां भी कोई प्लाट या फ्लैट जो सदस्य की मर्जी हो, वह हमें सरकार की तरफ से मिले। हमारी सरकार से गुजारिश है और जो भी कीमतें आथारिटीज की वहां पर होंगी, वह सभी लोग देंगे उन्हीं कीमतों पर हम चाहते हैं। मान्यवर, मेरा निश्चित रूप से मानना है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी। धन्यवाद।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, शहरी आवास-विकास में सरकार काफी चिन्तित है और अपने बजट भाषण में उसने यह कहा है कि प्रदेश की बीस करोड़ जनता में साढ़े पन्द्रह करोड़ जनता गांवों में रहती है, जो अनार्थिक खेती या जनसंख्या के बोझ से कारण रोजगार नहीं मिलता और वे शहरों की ओर भाग रहे हैं तथा शहरों में अनियोजित ढंग से बड़े पैमाने पर यह ग्रामीण लोग रहने लगते हैं। सरकार माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि बजट आमदनी खर्चे का लेखा-जोखा नहीं है। हमारा लक्ष्य "संतुलित सुनियोजित एवं सुस्थिर विकास" है और साथ ही साथ उन्होंने "सबके लिए आवास" की घोषणा की है। इसके तहत 52 हजार नये भवन बनाने की बात कही गयी है। यह 52 हजार मकान हमारी कुल आवश्यकता का कितना प्रतिशत होगा ? कितना बैकलाग रह जायेगा ? और कुल कितनी नयी मांग इसी बीच पैदा हो जायेगी इसका कोई अंदाज नहीं लग पाता। सवाल यह है कि यदि एक अदद छत सबको मुहैया करा दी जाय तो उसी ढंग से योजना बननी चाहिए, जिसका नितान्त अभाव दिखाई देता है। मान्यवर, शहरी आवास का एक बहुत बड़ी हिस्सा हमारे निजी कालोनाइजर पूरा करते हैं और जहां भी उनको जमीन मिलता है वह वहां बहुमंजिला बिल्डिंग बनाते हैं या गांव में कालोनी बसाते हैं। इन गांवों में कालोनी बसाने में आवास-विकास उनकी बड़ी मदद करता है। वह एक तरफा घोषणा कर देता है कि इतनी जमीन हम वहां की लेंगे। अभी-अभी सात-आठ साल पहले वाराणसी के आवास-विकास ने घोषित कर दिया कि 32 गांवों के लोगों की जमीन की अधिग्रहण की जायेगी और वह घोषणा एक तरफा कर दी। उससे किसान डरता है कि हमारा खेत हमारे हाथ से निकल जायेगा। उस स्थिति में वह औने-पौने दाम में अपनी जमीन कालोनाइजर को बेंच देता है और उस पर कालोनियां खड़ी हो जाती है। लेकिन इन कालोनियों का कोई मां बाप नहीं होता है। न इनमें सड़क होती है और न बिजली होती है न पानी निकासी होती और न ही सीवर लाइन होती है। जनता

दौड़ती है। जनता दौड़ती है और जन प्रतिनिधि झक मार करके अपनी विधायक निधि का पैसा गलियों मुहल्लों की सड़कों को बनाने में लगा देता है। सरकार अपनी नीति में जोड़े कि कालोनी बनाने वाला कालोनी का पूर्ण रूप से विकास करेगा और इसके अभाव में हम वास्तव में अनियोजित विकास करते हैं। सरकार सुनियोजित विकास की घोषणा करती है और अनियोजित विकास होता है। प्रत्येक शहर में बड़े-बड़े स्लम एरिया होते हैं। इन स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं वह बहुत ही यातनापूर्ण जिन्दगी व्यतीत करते हैं। उनके पास पक्के मकान नहीं हैं कच्चे हैं या अर्धनिर्मित हैं और उस स्लम एरिया में एक-तिहाई झुग्गी झोपड़ियां होती हैं। यह स्लमगीरी एक तरह से यातनागीरी के रूप में है जहां जनता की आवश्यक आवश्यकता की जो भी चीजें हैं जैसे जल-निकासी, सीवर, पाइप-लाइन, पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट कुछ भी नहीं होता है। हम सोचते हैं कि प्रत्येक प्रगतिशील सरकार के नीति का एक अंग होता है। जन-कल्याण और सामाजिक सुरक्षा इसलिए जो भी आवास विकास के द्वारा भवन बनाये जायें। नियम यह बन जाना चाहिए कि उसमें एक निश्चित प्रतिशत इन स्लम एरिया में रहने वाले लोगों विशेषकर वे लोग जिनके पास जमीन भी नहीं है। झोपड़ियों में रहते हैं उनको सुविधायें पहुंचाने के लिए आरक्षित कर दिया जाय। आवास-विकास परिषद् के द्वारा बनाये जाने वाले भवनों का यह प्रतिशत बिना किसी लागत खर्चे का जब आरक्षित रहेगा तो धीरे-धीरे यह स्लम एरिया खत्म हो जायेगी और मुख्य धारा में वे लोग भी जुड़ जायेंगे। मान्यवर, इसके अलावा कैण्ट स्टेशन में खुले में लोगों को जीवन यापन करते देखा जा सकता है। एक प्रगतिशील सरकार को ऐसे लोगों के लिए स्थायी और स्थित निवास की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे भटकी हुई जिन्दगी को स्थिरता मिले। मान्यवर, बड़े पैमाने पर लोगों को चादर बिछाकर रात में खुले में सोते हुए देखा जा सकता है। जिनका पूरा परिवार इस तरीके से सोता हुआ दिखायी देता है और ऐसे बच्चे फिर गलत कामों में लिप्त होते जाते हैं। जरूरी यह है कि इस प्रकार के जो आरक्षित मकान होंगे उसमें धीरे-धीरे स्टेशनों पर बैठे, खुले बगीचों में पड़े हुए, सड़क के किनारे रहने वाले लोग, उनको वह मकान दे दिये जायें और इस तरह से हमारे शहर का वास्तव में विकास हो सकता है और उसका चेहरा विकसित हो सकता है। बड़े पैमाने पर आवास-विकास को जमीन चाहिए। जमीन जल्दी मिलती नहीं है जमीन सीमित होती है चाहे भवन बनाइये, चाहे खेती करिये चाहे उद्योग खोलिये। आवास विकास घोषणा कर देती है एक तरफा तो जनता भी इकट्ठा हो जाती है विरोध करने के लिए और अपनी जमीन को न देने की घोषणा करती है और आन्दोलन करती है कि जमीन जाने न पावे। मान्यवर, इसलिए यह भी उचित होगा कि शहर से बाहर निकलकर खेती की ओर आवास-विकास द्वारा दृष्टि न डाली जाय, क्योंकि हमारे खेत कम होते जा रहे हैं। वहां कालोनियां विकसित हो रही हैं। वह खेत हमारे भारत के अन्न के साधन हैं। यह जो बंजर और खाली जमीनें हैं जो शहर की सीमा से बाहर हैं वहां नया टाउनशिप डेवलप किया जाय। वहां भवन बनाये जायें। मान्यवर, रोजगार के नाम पर गांवों से शहरों में आने वाले लोग उन टाउनशिप में बसायें जायें इस तरह से हम बड़े सुव्यवस्थित ढंग से अपने शहरों का विकास कर सकते हैं। मैं सोचती हूं कि सरकार मेरे इन सुझावों पर ध्यान देगी और अमल करायेगी। धन्यवाद।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, आपने सतीश महाना जी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं।

प्राधिकरणों में या तो उपाध्यक्ष नहीं हैं सचिव हैं और कहीं सचिव हैं तो उपाध्यक्ष नहीं हैं। खुर्जा विकास प्राधिकरण में एस0ई0 की पोस्ट है और दूसरे विकास प्राधिकरण बुलन्दशहर में इक्सियन की पोस्ट है वह जिला हेडक्वार्टर है। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, भू-माफियाओं से सांठ-गांठ करके कालोनियों को गिराने की अखबार में खबर देकर के वहां का वीसी और सेक्रेट्री उनके धन्धे को फलने फूलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और कोई कालोनी अगर गिरायी गयी है तो सरकार अपने जवाब में उसे बतायें।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, प्राधिकरण और आवास विकास परिषदों में कोई अंकुश नहीं है कमिश्नर के पास 5-6 जिले होते हैं कलेक्टर उसके मेम्बर होते हैं और एक पी0सी0एस0 अधिकारी उसका वाइस चेयरमैन होता है और वह अपनी मर्जी से बिना किसी टेण्डर प्रक्रिया के वर्कआर्डर पर, जो उनकी क्षमता में आता है मान्यवर, एक करोड़ का काम है तो 99 लाख रुपये पर वक्र आर्डर पर दे देगा और अपनी मनमर्जी चलायेगा। जरूरी काम पानी देते, निकासी के बारे में भी नहीं सोचते खेत प्लाट में 2 परसेन्ट रजिस्ट्री शुल्क उनको मिलता है लेकिन किसी जनप्रतिनिधि से, चाहे वह ब्लाक प्रमुख उनके विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आते हैं विधायक आते हैं, सांसद आते हैं कभी भी राय मशविरा करना उनके धर्म के खिलाफ है। मैं चाहता हूं कि विकास प्राधिकरणों में, आवास परिषदों में हमारे प्रतिनिधि के रूप में या पदेन सदस्य के रूप में हमारी सहभागिता हो तो उनकी जो गुण्डागर्दी है वह रुकेगी। आज लालफीताशाही इन प्राधिकरणों में हावी हो गयी है उसको रोकने के लिए मैं चाहूंगा कि बहुत सक्षम मंत्री हैं, मैं चाहता हूं कि वह जैसे इंजीनियरों को सुधारने के लिए उनको सस्पेण्ड कर रहे हैं वह प्राधिकरणों को भी सुधारने के लिए संज्ञान लेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ संज्ञान लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दें, उनसे जाकर मिल आयें।

*डा0 अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसके समर्थन में आपने हमें बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने क्षेत्र की नहीं पूरे इलाहाबाद की जनता की बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसमें उन्होंने सामान्य जनता को काफी सहूलियतें दी हैं और यह काफी अच्छा बजट है, मैं इसका समर्थन करता हूं। परन्तु इसके साथ-साथ जो प्राधिकरण की थोड़ी सी कमियां हैं, विशेषकर इलाहाबाद जनपद में, उसकी ओर मैं जरूर इंगित करना चाहता हूं। हमारे यहां इलाहाबाद जनपद में, अवन्तिका आवास योजना तथा अन्य आवास योजनायें 1982-83 के आसपास शुरू की गयी थी और उन योजनाओं में बहुत से गरीब लोगों की जमीन अधिग्रहीत की गयी और आज तक लगभग 200 गरीब आदमियों को उनकी जमीन का पैसा नहीं मिला। हमारे यहां इलाहाबाद जनपद चूंकि शैक्षिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर लगभग हर इतवार को विभागीय परीक्षायें होती रहती हैं और उनमें शामिल होने के लिए जो छात्र परीक्षार्थी के रूप में बाहर से आते हैं, उनके पास न पैसा होता है और न होटल इतना सस्ता होता है तो ऐसे बच्चों को रहने के लिए, छात्रों के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहने के लिए ऐसी सुविधा बना दी जाय, जिससे वह बच्चे रात में वहां रुक सकें। हमारे यहां कुछ भू-माफिया हैं, मैं सरकार को उसके लिए जरूर इशारा करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी को लिखकर दे दीजियेगा।

डा0 अजय कुमार-

मैंने कई बार मंत्री जी को लिखकर दिया है। उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए विशेष रूप से उस ओर इशारा करना चाहता हूं। हमारे यहां एक एन0एस0आई0जी0 कम्पनी है, लघु उद्योग है, उसमें 14 एकड़ का तालाब था, यह बहुत गम्भीर विषय है, उस तालाब को 14 एकड़ से हटाकर राजस्व विभाग की मिली भगत करके भू-माफियाओं द्वारा 14 बिस्वे का तालाब अंकित करा दिया गया, इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब समाप्त करें। आपकी बात आ गयी।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं कि समाज का जो सबसे उपेक्षित और शोषित वर्ग है उसमें अति पिछड़े [xxx]

श्री अध्यक्ष-

अब यह जाति की बात आप मत करो। आप गरीबों की बात करो वह तो ठीक है लेकिन यह क्या तरीका है कि आप जाति का बंटवारा कर रहे हो। यह सब लिखा नहीं जायेगा।

डा0 साहब आप इस पर बहस करवा रहे हैं लेकिन इस पर आप अपना संशोधन नहीं रखेंगे। बंसल जी आप बोलिये।

*श्री सुरेश बंसल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आवास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं गाजियाबाद शहर से आता हूं। गाजियाबाद में बहुत अधिक आबादी है। गाजियाबाद बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है वहां पर कई हजार लोग सड़कों पर सोते हैं और बहुत सारी मलिन बस्तियां हैं और लाखों लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं उनको मकान मिलना तो असम्भव है ही उन्हें पानी के लिए नल भी नहीं मिलता। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि जब आपके बजट में यह व्यवस्था है कि हम मलिन बस्तियों में सुविधा करायेंगे तो सुदामापुरी, कृष्णनगर, भीमनगर, लट्ठनगर कालोनी, इन्दरकालोनी, मेरे क्षेत्र में बहुत सारी कालोनियां हैं जो मलिन बस्ती हैं मैं चाहूंगा कि ये कार्य कराये जायें। दूसरा, मेरा आपसे कहना है कि गगन इन्क्लेव जो गाजियाबाद में एप्रूव्ड कालोनी है जी0डी0ए0 से, उसमें कोई सुविधा नहीं है उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। अध्यक्ष

नोट :-[xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी, मेरा एक सुझाव है कि यदि सौ गज के प्लाट पर तीन फ्लोर का नक्शा पास हो जाये तो उसमें तीन परिवार रह सकते हैं जब गाजियाबाद में जी0डी0ए0 के पास जमीन नहीं है और वह नयी कालोनी डेवलप नहीं कर पा रहा है, आबादी बढ़ रही है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो छोटे लोग हैं जो सौ गज के प्लाट पर तीन फ्लोर बनाकर अपने तीन बच्चों को रख सकते हैं तो उनका नक्शा पास हो। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सलिल विश्नोई-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे मा0 सतीश महाना जी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मा0 मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने लखनऊ की इंटीग्रेटेड सिटी की योजना के बारे में बड़े विस्तार से बताया, विशेष रूप से मेट्रो के लिए और संस्कृत विद्यालय के लिए उनका मैं आभारी हूं। मा0 मंत्री जी आपकी पिछली सरकार में कानपुर में एक ट्रांस गंगा योजना इंटरसिटी योजना डेवलप की थी जो गंगोत्री योजना के नाम से है वह योजना आज ठप पड़ी है। अगर आप लखनऊ की ओर ध्यान दे रहे हैं तो कानपुर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है उसकी ओर भी ध्यान दें। जैसा कि एक बहुत बड़ी समस्या कानपुर के हर विधायक ने बतायी है कि कानपुर में हजारों बिल्डिंगें शील्ड पड़ी हैं जिनकी सील एफ0ए0आर0 की नयी आवास नीति की वजह से खुल सकती हैं इसलिए नयी आवास नीति जल्दी घोषित कीजिए। जो बिल्डिंगें शील्ड की गयी हैं उसमें बिल्डरों का कोई नुकसान नहीं है सारा पैसा उनका लगा है जिनके पास छत नहीं है और उन्होंने छतों की आस में पैसा दे रखा है या फिर यह पैसा बैंक और फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स का फंसा हुआ है जिनसे लोन लेकर वह बना रहे थे। मेरा मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि बिल्डर को तो आपने दोषी कर दिया और मकान लेने वाले को भी दोषी मानकर दो साल से उनको मकान नहीं लेने दिया है लेकिन जिस जे0ई0 और ए0ई0 के कार्यकाल में वह मकान बने थे जो शील्ड हुए हैं उनको कहां दण्डित किया उनको तो आप पुरस्कृत कर रहे हैं। आज भी कानपुर में सैकड़ों मकान बिना नक्शा पास किये बन रहे हैं और जे0ई0 और ए0ई0 एक-एक स्लैब डालने के 25-25 लाख रुपये रिश्वत ले रहे हैं, मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है लेकिन जिसके पास छत नहीं है और वह छत लेने के लिए प्रयास कर रहा है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मान्यवर, के0डी0ए0 के द्वारा तमाम योजनायें बनाकर अधूरी छोड़ दी गयी हैं उनका पैसा तो के0डी0ए0 ने ले लिया लेकिन उनकी सड़कें टूटी हुई हैं जब वह नगर निगम को ट्रांसफर करते हैं तो नगर निगम इनकार कर देता है कि हम टूटी सड़कों को टेकओवर नहीं करेंगे। इसी तरह से इन्दिरा नगर की योजना के0डी0ए0 ने डेवलप की और वहां पर गौतमबुद्ध नामक बहुत बड़ा पार्क अधूरा छोड़े बिना उसका नाला तोड़ दिया गया और उसका पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भरता है। उस नाले की समस्या की वजह से हजारों प्लाट डूब जाते हैं उसे भी सरकार पूर्ण करे, के0डी0ए0 अपनी जिम्मेदारी को भी समझे। मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि विकास प्राधिकरणों का गठन नियोजित विकास के लिए किया गया था लेकिन ये जो आदमी छत बनाना चाहता है उसके सपनों को चकनाचूर कर रही है इसलिए इस योजना का लाभ उन लोगों को मिले जिनके पास छत नहीं है और वह छत रखने की चाहत रखते हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, इतनी देर से इंतजार कर रहा था। मान्यवर, मैं खड़ा तो हुआ था महाना जी की कटौती के लिए लेकिन जो मा0 सतीश निगम, मा0 शारदा शुक्ला और जो इलाहाबाद के मा0 विधायक जी ने कहा उसको सुनने के बाद मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं इनकी कटौती के सम्बन्ध में बोलूं या मा0 महाना जी कटौती के प्रस्ताव पर बोलूं। एक सामूहिक बात है वह सर्वदलीय है चाहे वह किसी भी दल के हों। इन प्राधिकरणों की रचना जिस उद्देश्य के लिए की गयी थी उस उद्देश्य को वह पूरा नहीं कर रहे हैं और हमें आपको सबको समझना चाहिए कि यह खेल है ब्यूरोकेसी का, लोकतंत्र के हाथ से छीन लिया गया है और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। मैं बहुत गम्भीरता से इस बात को कह रहा हूं अध्यक्ष जी, संविधान का 74वां संशोधन इस बात को बहुत मजबूती के साथ कहता है कि प्राधिकरणों के ऊपर लोकतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? आखिर ये सारे विभाग नगर निगम को क्यों नहीं दिये जा रहे, जहां चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। दूसरी चीज अध्यक्ष जी, जो मा0 महाना जी ने कहा आप 4 सदस्य नामित करते हैं अदने से, जिनकी मीटिंग में अधिकारियों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। आप क्यों नामित करते हैं उन्हें ? आपको समझ में नहीं आता कि इन बौने-बौने किस्म के नामांकन को लेकर ये अधिकारी अपना राज चलाना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है कि विकास प्राधिकरणों में चाहे वह जिस भी जनपद के हों, जिस भी पार्टी के विधायक हों, जो भी शहर के हैं उनका नामांकन क्यों नहीं होता ? वह गौर करते कि विकास प्राधिकरण नियमों के अनुसार काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वह यह सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन यह खेल है जो अधिकारियों के द्वारा खेला जाता है। अध्यक्ष जी, इस सदन को बहुत गम्भीरता के साथ सर्वदलीय आधार पर, क्योंकि सबने यही बात कही, कोई इलाहाबाद की रोता है, कोई कानपुर की रोता है कोई लखनऊ की रोता है। शुक्ला जी अंसल की बात कर रहे थे, अंसल अकेला नहीं है आप गोरखपुर में चले जाइये, मा0 मंत्री जी जब आपने 2012-13 में बजट प्रस्तुत किया था तो मैंने गोरखपुर की कालोनियों की बात की थी, आपने यहीं यदन में आदेश दिया था उन कालोनियों के विनियमितीकरण की कार्रवाई की जायेगी लेकिन आज तक नहीं हुआ। आपने कहा था कि मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि जिस प्रकार का अनियोजित विकास पूरे शहरों में हो रहा है जिस प्रकार से जी0डी0ए0 के माफियाज, मैं उनको अधिकारी नहीं कह पाऊंगा, वह असली माफिया हैं जितना ठेकेदार नहीं कमाता उससे ज्यादा अधिकारी कमाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज। यही तो अकेला विषय है मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक दिन तय करिये कि आज के बाद जो भी क्षेत्र जी0डी0ए0 का होगा उस क्षेत्र में कोई अनियमित विकास नहीं होने दिया जायेगा। इतना ही तय करिये। लोग कालोनियां खड़ी कर दे रहे हैं और कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, आखिर नगर विकास विभाग कहां से सुविधा देगा ? मैं किसी विभाग की बात नहीं कर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा हूं। नागरिक हम लोगों के पास आते हैं। जी0डी0ए0 के द्वारा एप्रूव्ड कालोनियों में अध्यक्ष जी, सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, जल निकासी नहीं है और स्वयं जी0डी0ए0 ने जितनी टंकी बनवायी है 20 की 20 सभी टंकी चू रही है। आखिर ऐसे घटिया निर्माण को लेकर हम लोग करेंगे क्या ? अध्यक्ष जी, मैं केवल जी0डी0ए0 की बात नहीं कर रहा हूं डेवलेपमेन्ट अथारिटी कहीं की हो। दूसरी चीज, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि विकास शुल्क गलत है। असंवैधानिक है उसको रोक दिया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर कौन है इसके बावजूद ये प्राधिकरण विकास शुल्क ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये, अफतारी का समय हो गया है जल्दी खत्म करिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, दूसरी चीज इसी सदन में मैं कांशीराम योजना की बात ले करके आया था मैंने कहा था कि यह भवन खड़ा हो गया है, उसकी नींव डाली गयी, बिना नीव का भवन है। मैंने कहा था कि इसके अन्दर जितनी अण्डर ग्राउन्ड पाइप लाइन डाली गयी सब घटिया है। उस समय कोई जांच नहीं करायी गयी, आज वह सारी पाइप लाइन टूट गयी और पूरे कांशी राम योजना में पाइप लाइन से सप्लाई नहीं है पानी की। आखिर कौन जांच करेगा, हम हैं किसलिये, किसी ने बनायी हो वह कालोनी, कहीं न कहीं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, चूंकि आवास विभाग का मामला है गोरखपुर में मान्डेला की जमीन अधिग्रहीत की जा रही है 1908 से आज तक कब्जा नहीं ले पाये, 60 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं बाकी 40 में से 30 प्रतिशत गरीब और दलित है, वह चीख रहे हैं चीत्कार कर रहे हैं। छोटी-छोटी जमीनें हैं और हम उनका जबरन अधिग्रहण करते चले जा रहे हैं। आज सुबह चर्चा हुई थी उस पारदर्शी, सेटिलमेंट और उस ऐक्ट की। वह ऐक्ट कहता है कि जिन क्षेत्रों का हमने अधिग्रहण किया है लेकिन हम उन्हें मुआवजा नहीं दे पाये, कब्जा नहीं दे पाये हैं हम उनको इस ऐक्ट के अन्तर्गत लायेंगे। मैं आपसे मांग करता हूं कि 2013 का नया अधिनियम जो सुबह आपने कहा कि 01 जनवरी को लागू कर दिया गया उस अधिनियम को मान्डेला के किसानों पर लागू कर दीजिये जिससे कम से कम उनकी अगर जमीन ली भी जाए तो उनको सही तरीके से मुआवजा मिल भी सके।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब अब खत्म करो।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

खत्म कर दे रहे हैं अध्यक्ष जी, ठीक है धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी आप दो मिनट में अपनी बात रखें।

श्री सतीश महाना-

मैं दो तीन बातें कहूंगा मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वे इसका संज्ञान ले लेंगे। जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं वह भी नोट कर लेंगे। एक तो पालिसी के बारे में मैंने कहा था इसके बारे में जो जी0ओ0 जाने हैं उनको जारी करा दें। एक एफ0ए0आर0 बढ़ाने की बात सब तरफ से आई है वह उसमें अगर सम्मिलित नहीं है तो उसको सम्मिलित कराइये। हमारे यहां आवास विकास ने एक हंसपुरम् कालोनी बनाई है वह लगभग 20-25 वर्ष पहले बनाई थी मैंने बहुत प्रयास किया इसको नगर निगम में हस्तान्तरण के लिये इसके लिये आवास विकास परिषद् और नगर निगम में सहमति बन गई है आवास विकास परिषद् ने कानपुर नगर निगम को उस काम को जो उन्होंनें संयुक्त रूप से किया है जैसे सड़कें आदि वह इस्टीमेट उनको दे दें ताकि 20-25 वर्षों से जो लोग सरकारी कालोनी में रह रहे हैं उनको कम से कम मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं। यह सिद्धान्ततः तय है अगर आप इसकी चिन्ता कर लेंगे तो यह हस्तान्तरण हो जाएगा और काम हो जाएगा। एक हमारे यहां जरौली विश्व बैंक कालोनी है इस सम्बन्ध में एक बार माननीय नगर विकास मंत्री जी ने एक बैठक करी थी जे0एन0एन0यू0आर0एम0 जो प्रदेश स्तरीय समिति होती है उसमें बहुत गम्भीरता से लिया था और कहा भी होगा एक ओवर हेड टैंक 25 सालों से खड़ा हुआ है उसमें पानी नहीं आया और एक दूसरा खड़ा कर दिया यह 50 गज की भी दूरी नहीं है एक उधर है एक इधर है यह किसने बनाई थी क्या बनाई थी मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मेरा कहना यह है कि जब वह बनी थी तो लोगों को पानी मिलना चाहिए। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है इसके अलावा आप जांच करवाना चाहें तो करवाएं लेकिन पानी वहां पर लोगों को मिल जाए। यह हमारी दो तीन छोटी-छोटी बातें हैं इसके अलावा जितने भी माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कही हैं उन्होंने कमोवेश वही बातें कही हैं जो मैंने कही हैं सबके मन में एक ही पीड़ा है। आप इसका ध्यान देंगे और इसका निराकरण करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

*श्री शिवपाल सिंह यादव-

महाना जी ने जो एफ0ए0आर0 बढ़ाने की बात कही है और हंसपुरम् कालोनी की बात कही है उस पर पूरा ध्यान दिया जायेगा महाना जी ने जो राज्य शहरी आवास एवं पुनर्वास नीति दिनांक 4-3-14 को प्रख्यापित है इसमें सम्बन्धित शासनादेश शीघ्र निर्गत कर दिया जायेगा। दो प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि समस्त प्राधिकरणों को बजट पास होते ही निर्गत कर दी जाएगी। अवैध कालोनियों को नियमित करने की कार्यवाही सर्वोच्च वरीयता पर की जा रही है शीघ्र ही इसे अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। जो नजूल नीति 2014 दिनांक 4-3-2014 को जारी की गई है उससे नजूल भूमि फ्री-होल्ड हो सकेगी। अवस्थापना सुविधाओं हेतु लखनऊ सहित अन्य नगरों हेतु विकास हेतु 500 करोड़ का जो प्राविधान है यह धनराशि केवल लखनऊ के लिये ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिये है। कानपुर शहर में जो गलत नक्शे के विपरीत बने हैं उन्हें सील किया गया है उन्हें नियमानुसार कम्पाउन्ड पर विचार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जायेगा। जो गरीब पात्र व्यक्तियों को रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु 5-12-2013 को नई नीति लागू की गई है। ऐसे क्षेत्र जो नगर विकास विभाग के अधीन हैं उनमें सड़क और विकास कार्य हेतु 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2014 दिनांक 4-3-2014 जारी कर दी गई है। जिससे निजी क्षेत्र में आवासों के निर्माण में वृद्धि होगी। नीति में पंजीकरण की व्यवस्था समाप्त कर सीधे लाइसेन्स की व्यवस्था की गई है तो यह सब सुविधाएं हो रही हैं। जितने भी सदस्यों के सुझाव आये हैं उन पर पूरा विचार करके निर्देश दे दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,67,54,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014

*लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, चूंकि सबकी इच्छा है कि थोड़ा सा बोला जाय इसलिये मैं अपनी बहुत सारी बातों को छोटा करूंगा। लेकिन जो मूल इसकी आत्मा है उस पर तो आना ही पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाने का उद्देश्य इस विधेयक की उद्देशिका में लिखा गया है। लिखा गया है कि यह बैंक की प्राथमिकता सेक्टर की योजनाओं के लिये ऋण देता है और केवल दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है जो बैंकिंग व्यवसाय का छोटा सा हिस्सा है। बैंक न तो प्रदेश के कृषकों की समस्त आवश्यकताएं पूरी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर रहा है और न ही अन्य ग्रामीण बैंकों से प्रतिस्पर्धा पूरी कर पा रहा है। अध्यक्ष महोदय यही पर सारी बात रुकी है। हम सब जानते हैं कि दो प्रकार से ऋण होते हैं दो क्या तीन मान लीजिये हालांकि तीन को दो ही माना जाता है। शार्ट टर्म लोन और मीडियम और लॉग टर्म लोन। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि आज जितने भी सहकारी भूमि विकास बैंक काम कर रहे हैं 1920 में यह सब मार्टगेज बैंक के उत्तराधिकारी के रूप में आये हैं और यह मूलतः लॉग टर्म लोन देने का काम करते थे। बैजनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट आई है वह उन बैंकों पर भी लागू होती है। लेकिन सरकार ने उन कमेटी की रिपोर्टों को लागू नहीं किया। बैंकों को स्वायत्ता हो उनको कार्य करने में स्वतंत्रता हो उनके सी0ओ0 बिना सेलेक्शन पद्धति के न भेजें जायं वह अपनी नीतियों को खुद बना सकें। उनका सही तरीके से आडिट हो सके। बैजनाथन कमेटी ने इस तरह के 10, 12 सुझाव दिये हैं।

बैजनाथन कमेटी के सुझाव पर भारत सरकार ने अध्यक्ष महोदय अपने संविधान में परिवर्तन कर लिया और यह गम्भीर बात है। 2011 में संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 9 भी जोड़ा गया और यह संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई है कि सरकारी बैंकों में इन बैजनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना आवश्यक होगा, मैनडेटरी होगा। हमने उन सिफारिशों को तो आज तक लागू नहीं किया। हमने उस बात को मान लिया जो उन्होंने कहा था कि लॉग टर्म लोन और शार्ट टर्म लोन दोनों का मर्जर कर दिया जाय। हमारी असहमति इससे भी नहीं हो सकती है लेकिन जब हम शार्ट टर्म लोन की बात करते हैं अध्यक्ष जी तो शार्ट टर्म लोन का 95 प्रतिशत हिस्सा फसल लोन होता है बाकी तो कुछ होता नहीं जो इनका पुराना नियम जिसको वह संशोधित कर रहे हैं वह नियम इन्हें कहीं भी शार्ट टर्म लोन देने से रोकता नहीं है। नियम क्या है ? ग्राम्य विकास बैंक और सहकारी ग्राम्य विकास बैंक का तात्पर्य उस समय में तत्समय को-आपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट के अधीन निबन्धित किसी ऐसी सहकारी समिति से हो जो उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास बैंक के सदस्य के रूप में स्वीकृत की गई हो और जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को सामान्यतया कृषि और ग्रामीण विकास के लिये जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भवन का निर्माण भी है। अचल सम्पत्ति के बंधक या उसके प्रभार पर या चल-अचल सम्पत्ति की गिरवी पर या राज्य सरकार के बिना शर्त प्रत्याभूमि पर ऋण देना हो अब यह परिभाषा कहीं भी भूमि विकास बैंक को यह नहीं कहती है कि आप सिर्फ लॉग टर्म लोन देंगे। यह आपका आब्शन है, आप अभी तक देते नहीं थे, शार्ट टर्म लोन, आप देना चाहते हैं, दीजिए। इसके लिये ऐक्ट लाने की क्या जरूरत पड़ी ? अध्यक्ष जी, देखिये, ऐक्ट की भाषा क्या प्रयोग की गयी है, क्या जोड़ा गया है ? जोड़ा यह गया है कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सदस्यों के हित में या सदस्यों द्वारा चाहने पर कोई भी अन्य क्रिया-कलाप किया जा सकता है। मेरी आपत्ति इस शब्द पर है। अगर हम शार्ट लोन देने के लिये यह परिवर्तन ला रहे हैं तो हमें शार्ट टर्म लोन की बात करनी चाहिए थी। हमें यह कहने की क्या जरूरत थी कि वह कोई भी अन्य क्रिया-कलाप कर सकता है ? यह इतना वाइड मीनिंग शब्द है, इसकी इतनी बड़ी परिभाषा होगी कि यह कृषक की परिभाषा से निकल करके कहीं और चला जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड जिन कामों के लिये पैसा देता है, उन कामों में कोई भी काम नहीं आता है। उसमें भूमि विकास आयेगा, उसमें लघु सिंचाई आयेगी, उसमें भूमि का मशीनीकरण आयेगा, उसमें प्लान्टेशन आ जायेगा, उसमें वेयर हाउस आ जायेंगे, उसमें स्टोरेज आ जायेगा। जब यह सारे प्राविधान हम आलरेडी लागू किये थे तो हमें इतने बड़े मतलब का कोई भी क्रिया-कलाप, कोई

माने बहुत कुछ, यानी करीब-करीब किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि जो एक कामर्शियल बैंक करता है, हम उसे करने की छूट दे रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता है और न इस संशोधन की कोई जरूरत है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक का बहुत छोटा सा संशोधन लाए हैं। डाक्टर साहब ने इतना बड़ा-चढ़ा करके बता दिया है जबकि संशोधन बहुत छोटा है। केवल इसमें नाबार्ड द्वारा ऋण डिबेन्चर के बजाय ऋण से वित्त उपलब्ध कराने के कारण धारा-8 के शीर्षक में संशोधन कर ऋण-पत्र अथवा अन्य प्रकार से ली गयी धनराशि आवश्यक है। केवल इस अधिनियम में 3-धारा-8 उपधारा-4 के बाद अतिरिक्त उपधारा-5 इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी वार्ड धारा-9-क में निर्दिष्ट संस्थाओं में से किसी से धारा-6 में उपबन्धित ऋण-पत्र जारी करने की रीति या उपाय से भिन्न किसी अन्य रीति या उपाय से इस अधिनियम में ऋण-पत्रों के लिये यथा उपबन्धित नियमों और शर्तों और सीमाओं पर राज्य सरकार की बिना शर्त प्रत्याभूति के सापेक्ष, धन उधार ले सकता है। यह जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है।

केवल सामान्य जीवन, परिवर्तन हेतु अन्य क्रिया-कलाप जैसे-सामान्य जीवन बीमा, पेंशन योजना, उपभोक्ता ऋण, विपणन, दुग्ध प्रसंस्करण तथा कृषि एवं सम्बन्धित अन्य कार्य ग्रामीण आवास जैसे कार्यों हेतु ऋण आदि उपलब्ध करा सकते हैं। केवल थोड़ा सा परिवर्तन करके उसमें व्यवसाय बढ़ाया जा सकता है तो मान्यवर, यह जरूरी है। अब इसमें डिबेन्चर की जगह ऋण पत्र हो जायेगा, बस इतना सा है तो यह व्यवसाय बढ़ाने के लिये व्यवसाय अगर नहीं बढ़ेगा तो परेशानी होती है किसानों को छोटे-छोटे ऋण लेने वालों को। मान्यवर, इससे व्यवसाय बढ़ेगा तो इससे तो लाभ मिलना है। इसलिये डाक्टर साहब इसे पास करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब, आप संशोधन वापस ले रहे हैं ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं संशाधन प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-16 सन् 1964 की धारा-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम, 1964, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-2 में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ग) 'ग्राम विकास बैंक' या 'सहकारी ग्राम विकास बैंक' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1965 के अधीन निबन्धित किसी ऐसी सहकारी समिति से है जो उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक के सदस्य के रूप में स्वीकृत की गई हो और जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को, सामान्यतया कृषि और ग्रामीण विकास के लिये, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भवन के निर्माण भी है, अचल सम्पत्ति के बंधक या उसके प्रभार पर या चल सम्पत्ति की गिरवी पर या राज्य सरकार के बिना शर्त प्रत्याभूति पर ऋण देना हो और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सदस्यों के हित में या सदस्यों द्वारा चाहने पर कोई अन्य क्रिया-कलाप करना हो।''

धारा-8 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-8 में,-

(क) शीर्षक में, शब्द ''ऋण-पत्रों'' के स्थान पर शब्द ''ऋण-पत्र के द्वारा अथवा अन्य प्रकार से ली जाने वाली धनराशि'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात् :-

''(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, बोर्ड धारा-9-क में निर्दिष्ट संस्थाओं में से किसी से धारा-6 में उपबन्धित ऋण-पत्र जारी करने की रीति या उपाय से भिन्न किसी अन्य रीति या उपाय से इस अधिनियम में ऋण-पत्रों के लिये यथा उपबन्धित नियमों और शर्तों और सीमाओं पर राज्य सरकार की बिना शर्त प्रत्याभूति के सापेक्ष, धन उधार ले सकता है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से करवाया जाना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह मद स्थगित रहेगी।

अब मैं नियम-51 की सूचनायें ले रहा हूं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-51 की सूचनाएं ले रहा हूं। आज दिनांक 02-07-2014 को नियम-51 की कुल 79 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रदेश में बी0एड/डी0एड0 (विशेष शिक्षा) योग्यताधारी विशेष शिक्षकों को सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजित कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य।

दूसरी सूचना श्री उमाशंकर की बलिया के दि किसान सहकारी चीनी मिल, माधौपुर के गन्ना कृषकों एवं मिल कर्मचारियों के बकायों के भुगतान के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री सुशील सिंह की चन्दौली में स्थित राजकीय महाविद्यालय चन्दौली में स्नातकोत्तर विषय के अध्यापकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री फेरनलाल की उ0प्र0 के लगभग 2000 हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों की मान्यतायें न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री सलिल विश्नोई की कानपुर महानगर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज को एम्स जैसी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की बुलन्दशहर में सरायकुड़ियां स्थित जिला पंचायत की 100 करोड़ की जमीन/सम्पत्ति का अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी द्वारा घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री सुरेश बंसल की जनपद गाजियाबाद स्थित विवेकानन्द नगर में डबल स्टोरी फ्लेट में सीवर जाम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री अमर पाल शर्मा की जनपद गाजियाबाद स्थित बैशाली से साहिबाबाद होते हुए नोएडा सेक्टर-62 तक मेट्रों चलाये जाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद से लोहारी के मध्य मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

दसवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद-आगरा के सी0ए0टी0 मार्ग जगनेर रोड से डांडा होते हुए मिर्जपुरा तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

1-श्री रामचन्द्र चौधरी,

2-श्री जगपाल सिंह,

3-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

4-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप,

5-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,

6-श्री मित्रसेन यादव,

7-श्री गयादीन अनुरागी,

8-श्री नीरज कुशवाहा मौर्य,

9-श्री ममतेश शाक्य,

10-श्री सतीश महाना,

11-श्री धर्मपाल सिंह,

12-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

13-श्री श्याम बहादुर सिंह यादव,

14-श्री राधे श्याम जायसवाल,

15-श्री पूरन प्रकाश,

16-श्री राकेश बाबू,

17-श्री दलवीर सिंह,

18-श्री सुदेश शर्मा,

19-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,

20-श्री रोशन लाल वर्मा,

21-श्री राज कुमार रावत,

22-डा0 मो0 अयूब,
23-श्री मो0 गाजी,
24-श्री उमेश पाण्डेय,
25-श्री सन्तराम कुशवाहा,
26-डा0 अरूण कुमार,
27-श्री ललितेशपति त्रिपाठी,
28-श्री प्रदीप माथुर,
29-श्री रामसरन वर्मा,
30-श्री गुटियारी लाल दुवेश,
31-श्री पंकज मलिक,
32-श्री दलजीत सिंह,
33-श्री संजय प्रताप जयसवाल,
34-श्री इन्द्रजीत सरोज,
35-श्री मदन चौहान,
36-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले),
37-श्री संत प्रसाद,
38-श्री विजय बहादुर यादव,
39-श्री अगयश राम सरन वर्मा,
40-श्री रामचन्द्र यादव,
41-श्री जगन प्रसाद गर्ग,
42-श्री जन्मेजय सिंह,
43-श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना',
44-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,
45-श्रीमती लालमुन्नी सिंह,
46-श्री हाजी मुर्सरत अली बिट्टन,
47-श्री गजेन्द्र सिंह,
48-श्री प्रदीप चौधरी,
49-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल,
50-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,
51-श्री बब्बन सिंह चौहान,
52-श्री अनिल कुमार,
53-डा0 धर्म सिंह सैनी,
54-श्री राजबली जैसल,

55-श्री जय प्रकाश अंचल,

56-श्री विजय कुमार दुबे,

57-श्री मनबोध प्रसाद,

58-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

59-श्री गोरख पासवान,

60-श्री अनुग्रह नारायण सिंह,

61-श्री दिलनवाज खान,

62-श्री अजय कुमार लल्लू,

63-श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज,

64-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया,

65-श्री जय प्रकाश निषाद

66-श्री जगराम पासवान तथा

67-श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी।

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में आये दिन किसानों द्वारा सूखे बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि तथा कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, राजस्व मंत्री का वक्तव्य

जन्तु, उद्यान राज्य मंत्री (डा0 शिव प्रताप यादव)-

मा0 सदस्यगण द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से यह अवगत कराया गया है....

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव-)

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य जन्तु, उद्यान राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 शिव प्रताप यादव-

[बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जनपदों में आये दिन किसान सूखे, बेरोजगारी, बारिश, ओलावृष्टि तथा कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करते रहते हैं। पूर्व के 07-08 वर्ष में बुन्देलखण्ड के सातों जनपदों में उक्त वर्षों में लगभग 2700-2800 किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में इस वर्ष अर्थात् जनवरी, 2014 से 26 जून, 2014 तक लगभग 110 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, जिसमें से कुछ मृतकों की सूचना 17 जून, 2014 को 'जनसंदेश टाइम्स' में प्रकाशित हुई थी। किन्तु जिला प्रशासन कर्ज से किसानों की मौत को स्वीकार नहीं करता है। इस प्रकार पूरे बुन्देलखण्ड

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में यह एक भीषण समस्या बनती जा रही है। किसानों में इस घटना को लेकर बहुत ही आक्रोश व्याप्त है। आये दिन इस घटना को लेकर किसानों द्वारा धरना-प्रदर्शन किये जा रहे हैं। यदि सरकार ने इस ओर अविलम्ब ठोस कदम न उठाये तो आने वाले दिनों में हजारों किसान सूखे, कर्ज, बेरोजगारी तथा साहूकारों के कर्ज के कारण परेशान होकर आत्महत्या कर सकते हैं तथा किसानों द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जिसकी पूर्णरूपेण जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस बिन्दु पर सर्वदलीय कमेटी गठित करते हुए सदन में चर्चा कराये जाने की मांग की गयी है।

2-प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में फरवरी/मार्च, 2014 में ओलावृष्टि के सम्बन्ध में संज्ञान होने के पश्चात् शासनादेश संख्या-231/1-10-2014, दिनांक 01-03-2014 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को इस आशय का निर्देश दिया गया था कि शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए किसानों की फसलों का सर्वे करा लिया जाय तथा भारत सरकार के मानक के अनुसार फसलों की क्षति के सापेक्ष राज्य आपदा मोचक निधि से कृषि निवेश अनुदान की धनराशि स्वीकृत किये जाने के लिये प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें। जिलाधिकारीगणों से प्राप्त सूचना/विवरण के आधार पर भारत सरकार के केन्द्रीय दल द्वारा स्थलीय क्षेत्रों के भ्रमण के पश्चात् रु0 365.28 करोड़ का मेमोरेण्डम दिनांक 23-5-2014 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से धनराशि अभी प्राप्त नहीं हुई है, धनराशि प्राप्त होने पर सम्बन्धित जनपदों को स्वीकृत की जायेगी। यह अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ओलावृष्टि से प्रभावित जनपदों को कृषि निवेश अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 5345 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3-बुन्देलखण्ड क्षेत्र अथवा प्रदेश में दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार के आदेश संख्या-32-3-2013-एन0डी0एम0-I दिनांक 21-6-2013 (यथा संशोधित) द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप अहेतुक सहायता प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान भी प्रदेश के दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु रु0 4255.29 लाख की धनराशि जिलाधिकारियों को स्वीकृत की गयी है।

4-जहां तक कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या किये जाने को प्रश्न है, के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-डब्लू-868/1-7-2011-100/2003 दिनांक 21-7-2011 एवं शासनादेश संख्या-डब्लू-1517/1-7-2013-100/2013 टी0सी0, दिनांक 16-9-2013 द्वारा बुन्देलखण्ड के कृषकों द्वारा बैंकों/संस्थाओं के माध्यम से लिये गये ऋण की वसूली के सम्बन्ध में उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। इसी क्रम में सहकारिता विभाग के शासनादेश संख्या-728/49-1-13-08(135)/2012 दिनांक 22-4-2013 द्वारा रु0 50,000/-तक स्वीकृत मूलधन के रूप में ऋण प्राप्त करने वाले कृषक जिनके ऋण खाते में लिये गये ऋण का कम से कम दस प्रतिशत तक की धनराशि किसी भी रूप में (यथा-नगद जमा, अनुदान पूर्व में दी गयी ऋण माफी, लाभांश तथा बीमा क्लेम से प्राप्त धनराशि) जमा हो उनके दिनांक 31-3-2012 तक अवशेष मूलधन एवं शासन द्वारा ऋण माफी की धनराशि उपलब्ध कराये जाने की तिथि तक ब्याज को माफ किया गया है। बेरोजगारी के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत खेतिहार मजदूरों एवं अन्य जरूरत मन्द लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार (मनरेगा) योजना के अन्तर्गत रोजगार परक योजनाओं का सुचारु रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

6-जहां तक सूखे का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में वर्षानुवर्ष सूखे से निपटने के लिये बुन्देलखण्ड ही नहीं बल्कि प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों एवं सम्बन्धित प्रमुख सचिवों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिये जाते रहे हैं। वर्तमान वर्ष में भी सूखे की कार्ययोजना बनाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-115/1-11-2014-18(जी)/06, दिनांक 24-3-2014 द्वारा दिये गये है। इससे निपटने हेतु समय-समय पर स्मरण कराये जाने के साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय दैवी आपदा राहत समिति द्वारा सम्बन्धित विभागों के साथ दिनांक 20-6-2014 को समीक्षा भी की गयी है। इस सम्बन्ध में लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है।

7-बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसी भी जनपद से किसानों द्वारा सूखे, बेरोजगारी, बारिश, ओलावृष्टि तथा कर्ज आदि से किसानों के आत्महत्या किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं आया है।]

जनपद-कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत किसानों की सिंचाई हेतु जोगापुर पम्प कैनाल परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह व्यपगत हुआ।

जनपद झांसी में ग्वालियर रोड स्थित रेलवे-क्रासिंग पर फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह व्यपगत हुआ।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में स्थित रूद्र-विलास किसान सहकारी चीनी मिल के प्लाण्ट व वॉयलर का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह व्यपगत हुआ।

जनपद कानपुर देहात के सिकन्दरा क्षेत्रान्तर्गत मुगल रोड से दुर्जापुर, अनवा होते हुए बेहमई तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह व्यपगत हुआ।

जनपद ललितपुर के विकास खण्ड महरौली में जर्जर विद्युत लाइन के टूटने से हुई मृत्यु में मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री फेरनलाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह व्यपगत हुआ।

जनपद वाराणसी में नगर निगम द्वारा समय से आगणन तैयार न कराकर विकास कार्य पूर्ण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह व्यपगत हुआ।

जनपद गोण्डा के भू-माफियों द्वारा ग्राम सभा देवरिया में हरिजन आबादी की जमीन को कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती नन्दिता शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह मद स्थगित रहेगी।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 54 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 02 जुलाई, 2014

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ-166 पर)

श्री राजकुमार रावत-

मा0 अध्यक्ष जी आपने सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं तथा वरिष्ठ सदस्य मा0 तेजपाल सिंह जी ने बहुत सुझाव दिये परन्तु जनपद मथुरा में खारे पानी की अत्यन्त गम्भीर समस्या है। जिससे सारा जनपद जूझ रहा है। आगरा कैनाल में जो पानी सिंचाई के लिए आता है। वह विषैला हरियाणा की फैक्ट्रियों का है। अक्सर उस विषैले पानी को पीने के बाद पशु या तो बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं। ये गम्भीर समस्या है। इसकी जांच करवा कर विषैले पानी को रोका जाय मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारे क्षेत्र गोईजन की रजवाहों की सफाई बहुत दिनों से नहीं हुई है। जैसे भढींग रजवाह, जुल्हैदी, रसूलपुर कुपरवन, नन्दगांव व तमाम माइनर हैं। इनकी सफाई करायी जाये मा0 अध्यक्ष आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि वाटी गांव पर वर्ष 2012 में डैम स्वीकृत हुए थे। परन्तु वे मानकों के अनुरूप नहीं बने। जिससे जनता को उनका कोई लाभ नहीं हुआ मा0 अध्यक्ष जी देवपुरा स्केप रजवाह काफी दिनों से बन्द था उसके लिए आगरा कैनाल पर स्केप बना कर उसे चालू करना था। परन्तु स्वीकृत होने के बाद पैसा नहीं मिला है। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि शीघ्र देबपुरा के लिए पैसा जारी किया जाय जिससे करीब 25 गांवों की सिंचाई की व्यवस्था होगी तथा रजवाहों पर टूटे पुलों को शीघ्र नया बनाया जाय मा0 अध्यक्ष जी आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री ओम प्रकाश वर्मा-

सेवा में,

मा0 विधान सभा अध्यक्ष महोदय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

कृपया सादर आपको अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा शिकोहाबाद में आवास विकास कालोनी शिकोहाबाद में बनी है। मगर उसमें अभी कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। इस कालोनी में 5 पार्क बने हैं। उनका कोई सौन्दरीकरण नहीं हुआ है। इसकी बाउण्डरी वाल नहीं बनी है और सड़कों की बहुत खराब स्थिति बनी है। इसकी सड़कों को बनवाया जाय यहां के लोग मुझे कई बार बता चुके हैं। मैंने यहां के अधिशासी अभियंता आवास विकास से फोन पर बात हुई है। मगर कोई कार्य नहीं हुआ है। आपसे निवेदन है इसे जुड़वाकर कार्य कराने की कृपा करें।

श्री राम चन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी,

मुझे वर्ष 2014-15 के सिंचाई विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र रूदौली की कुछ गम्भीर समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके निराकरण के लिए सरकार से मांग करता हूं।

1. घाघरा नदी के किनारे बसी ग्राम पंचायतें यथा-सराय नासिर, खैरी, परसहूं, ऐथर, मानपुर बिचाला, जैथरी, उधरौरा, पस्ता, बरई, नयेपुरा, मंहगू का पुरवा, पसइया, मुतौली, शहवाजपुर, शहवाजचक, शंकरगढ़, हाता भेलसर, अलहवाना सहित कई ग्राम पंचायतों की खेती घाघरा के किनारे बने रौनाही तटबंध से दक्षिण तरफ बरसात के दिनों में हर वर्ष जलभराव के चलते नष्ट हो जाती है। किसानों की इस समस्या के समाधान के लिए मैंने पिछले वर्ष रौनाही तटबंध पर नये पुरा के पास पम्पिंग स्टेशन की स्थापना कराये जाने की मांग किया था। इसी क्षेत्र में घाघरा नदी के किनारे नूरगंज व मंहगू का पुरवा नदी के कटान से सैकड़ों किसानों की उपजाऊ भूमि कट गयी व मकान बह गये। हर वर्ष बरसात के दिनों में होने वाली इस तबाही को रोकने के लिए सरकार से कार्य योजना बनाकर इस समस्या का निदान करते हेतु पिछले वर्ष भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था।
2. क्षेत्र की दो लघुडाल नहरें नैरोजपुर बघेड़ी व डीह हिनौहा लो-वोल्टेज की समस्या के चलते विगत तीन वर्षों से सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। जिसके कारण क्षेत्र के किसानों का सिंचाई कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है। इन दोनों लघु डाल नहरों के अविलम्ब सुचारु रूप से चलाये जाने के लिए मैंने पिछले वर्ष भी मांग किया था परन्तु अभी तक सरकार का ध्यान इस गम्भीर समस्या की तरफ नहीं गया है। जिसके कारण क्षेत्र के किसानों में गम्भीर आक्रोश है।
3. क्षेत्र की दो बड़ी नहरें सुलतानपुर शाखा नहर व फैजाबाद शाखा नहर दोनों की पटरियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। विगत दो वर्षों से किसी तरह का कोई मरम्मत कार्य दोनों नहरों पर नहीं कराया गया। जिसके कारण नहर की पटरियों पर बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें घटीं। इन दोनों नहरों से निकलने वाली माइनरों व रजवाहों के सफाई का कार्य भी विगत दो वर्षों से नहीं कराया गया है जिसके कारण क्षेत्र के किसानों का सिंचाई कार्य बाधित हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र में माइनरों व रजवाहों की सफाई के लिए तत्काल प्रभावी निर्देश दिये जायें जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके।

मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

अधिष्ठाता महोदय,

आपके द्वारा निर्धारित समय में मेरी पूरी बात नहीं आ पायी परन्तु आपके आदेश पर मुझे भाषण समाप्त करना पड़ा अतएव मेरी शेष बातों को लिखकर दे रहा हूं उन्हें कार्यवाही में जुड़वाने का कष्ट करें।

मेरी विधान सभा धौरहरा में एक नहर ग्राम अमेठी तह0 धौरहरा में लगभग 20 वर्ष पहले खोदी गयी थी उसमें पानी नहीं चल रहा है उसे चलवाया जाय।

ग्राम कबिरहा, रामलोक, पलिहा, ईसानगर, टेड़िया सरैंया, मिर्जापुर, रूद्रपुर, मोचनापुर, मिलिक, दुर्गापुर पड़री, सिकतिहा, डाबर, रायपुर-कमना, रोतिहा थिकनाजती रैनी, सरगड़ा, चहमलपुर, खगियापुर इत्यादि गांव नदी किनारे हैं तटबन्ध पूर्ण नहीं है इन ग्रामों को कटान से बचाने हेतु ठोकरें बनाकर इन ग्रामों को कटने से बचाया जाय।

ओझापुरवा, कैरातीपुर, बेलागढ़ी इत्यादि व उपर्युक्त ग्रामों में कटान प्रभावित बेघर हुए लोगों को बसाने हेतु भूमि आवंटन कर बसाने का कार्य किया जाय, सिंचाई विभाग की जमीन पर जो अतिक्रमण हुआ है उसे खाली कराया जाय। बाढ़ शुरू होने पर वहां पर मोटर बोट व बाढ़ राहत हेतु आपदा राहत दस्ता तैनात किया जाय।

धन्यवाद।

श्री सन्त प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी,

यह प्रदेश कृषि प्रधान (किसानों का) प्रदेश है। 75 से 80 प्रतिशत लोगों के जिविका का मुख्य साधन खेती है जल ही जीवन है यह पूर्णतया कृषि पर भी लागू होती है सिंचाई के बिना खेती असम्भव है। मा0 अध्यक्ष जी गोरखपुर जनपद की खजनी तहसील पिछले वर्ष संत कबीर नगर के भिखारीपुर बन्धा कट जाने के कारण खजनी विधान सभा की क्षेत्र पंचायत वेलघाट पूरी तरह से जल मग्न हो गया था जिसके कारण कुवानों नदी का बन्धा गौरगंज कट गया, दिलवनपुर नकौड़ी की पुलिया बह गयी वेलघाट शाहपुर मार्ग पुरी तरह से छतिग्रस्त हो गया अभी तक बना नहीं भिसिया बन्धे पर लगा रेगुलेटर टूट गया है उसे तत्काल ठीक कराया जाये। सरयू नहर खण्ड 5 बस्ती जो गोरखपुर की खजनी तहसील में सीसवा से हरनही तक सड़क के किनारे है विस्तार होने के कारण सड़क पर मिट्टी डाल कर छोड़ दिया गया है उसे तत्काल ठीक कराया जाये 75 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब पड़े हैं उसे ठीक कराया जाये।

श्री महावीर सिंह राणा-

मा0 अध्यक्ष जी,

आपके माध्यम से मैं मा0 सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं। मेरी विधान सभा क्षेत्र-01, बेहट, सहारनपुर के विछले वर्ष की बाड़ में अत्यधिक नुकसान हुआ है। सड़कों, नदी के किनारे के निम्न गांवों छज्जा, असादपुर, जारोवाला, धोकरा, ननिआरी, जोवला खुजनावर, माजरी, बादशाहपुर, ईश्माईलपुर व हिन्डन नदी का पुल, रपटे, हलवाना का पुल टलहापुर की एप्रोच रोड, दवकोरा, इरून्द्र जैतपुर चौथा कुआ, कुडीखेडा, नौकग्यू, जीवाला, हिंडन नदी, बादशाहीबाग शेरा के अन्य 15 सड़क पुल व नदी के रपटे बनवाने का कष्ट करें।

श्री पूर्णमासी देहाती-

माननीय अध्यक्ष जी आपने सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपनी बात रखने की अनुमति दिया मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उससे पूरे उ0प्र0 में सिंचाई बाढ़ सुरक्षा पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी हमारे विपक्ष के साथी अजय कुमार उर्फ लल्लू ने जो कटौती प्रस्तुत

किया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके क्षेत्र तमकुही में स्वयं माननीय सिंचाई मंत्री जी गये थे और बाढ़ सुरक्षा को देखा था, मान्यवर, मेरे क्षेत्र में मौन नाला कप्तानगंज के बगल से बहती है जिसका संचालन महराजगंज से किया जाता है, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है बड़ी गंडक नहर की सफाई किया जाना चाहिए इसी के साथ मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी-

महोदय,

आज विधान सभा में मा0 सिंचाई मंत्री मा0 शिवपाल सिंह यादव ने जो सिंचाई विभाग का महत्वपूर्ण बजट रखा है उसका समर्थन करता हूं।

मा0 मेरे विधान सभा क्षेत्र 191, कादीपुर, सुलतानपुर में शारदा सहायक खण्ड 16 की नहरें संचालित हैं। नहरों से जो माइनरें निकाली गयी हैं उन सभी नहरों एवं माइनरों की सफाई सरकार बनते ही सफाई का कार्य हुआ है। कहीं-कही कुछ कमी है उसे पूरा कराय जाय। माइनरों में खानपुर पिवाई, धर्मापुर, मजदूमपुर, अजईपुर, विरईपुर तथा बहुत सी माइनरें हैं उन सबों की सफाई इसे पुनः कराये जाने की आवश्यकता है।

1. नहरों के पुलों की रेलिंग टूट गयी है उसे भी बनवाया जाय जिससे खतरा टल जाय।

2. नहर की पटरियों को पक्की कराया जाय।

धन्यवाद।

श्री राजेश त्रिपाठी-

हम आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में कोठा से लेकर आछीडीह तक 45 किमी0 का लम्बा बांध बना हुआ है। परन्तु आछीडीह से सरजा खास तक 5 किमी0 बन्धा अवशेष है। इस बांध के न बनने से राप्ती का पानी भयंकर रूप से हजारों हेक्टेयर जमीनों एवं गांवों को तबाह करता है। विभाग ने स्टीमेट बनवाया। पटना मुख्यालय से स्वीकार करा कर पत्रावली आपके समक्ष लगभग 52 करोड़ रुपये की लम्बित है। मैं आग्रह करता हूं कि इस अवशेष बंधे को स्वीकृति देकर निर्माण कराने का कष्ट करें। साथ ही माननीय मंत्री जी हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 70 किमी0 लम्बा तरैना नाला है जो प्रत्येक वर्ष हजारों हेक्टेयर भूमि बर्बाद करता है। उक्त नाले को खुदायी कराने की मांग तथा उसके दोनों ओर तटबन्ध बनवाने और उसके दोनों ओर वृक्षारोपण कराने का कार्य करेंगे यह विश्वास है। मा0 अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में कोटियादीपयाह, कोटिया निरंजन, गानेघट, मानेहा, भूड़ाडीह बगहा, बल्थर, कृपालपुर, तिवारीपुर, उक्रवलिया, बनकटी, हरिहरपुर, बारानगर जैसे अनेक गांव सरयू से कट रहे हैं लाखों हेक्टेयर भूमि खेती योग्य तेजी से कट रही है। उन गांवों को गांव के समूह योजना के तहत ठोकर बनवाकर बचाया जाय। बारानगर सरयू नहर कैनाल में इतनी सिल्ट भरी है कि विभाग पानी चलाने को तैयार नहीं था। आप यह जांच करायें कि जब धन दिया गया

था तो नहरों की सिल्ट की सफाई क्यों नहीं हुई। उक्त लम्बी नहर पर कई गांव ऐसे हैं जहां पुलिया की आवश्यकता है जिसे विभाग को बनवाना चाहिए। हम से आग्रह कर रहे हैं।

मा0 अध्यक्ष जी परती भूमि विकास विभाग का भी बजट प्रस्तुत हुआ है हम आग्रह करते हैं कि सरकार इस बात की जांच करा ले कि क्या ग्राम स्तर पर जो जलग्रहण समितियां बनी हैं वे कार्य भी करती हैं क्या ? हमारे ख्याल से इस पर कोई कार्य नहीं होता।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी,

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आभारी हूं। सिंचाई विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। उत्तर प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। आप सहमत होंगे कि कृषि के लिए जितनी बीज एवं खाद की आवश्यकता होती है उतनी ही जल की आवश्यकता भी होती है। जहां किसान देश का अन्नदाता है वहीं किसान का अन्नदाता सिंचाई विभाग है। पिछले कुछ समय से सिंचाई विभाग को मात्र एक कमाई का साधन समझ लिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः गंगा एवं यमुना नहर सिस्टम के माध्यम से सिंचाई होती है। एक हम अपने पूरे जल प्रयोग नहीं कर पाते हैं और जो पानी मिलता है उसका नहर/रजबाहे/अल्पिकायें कच्चे होने के कारण पूरा प्रयोग नहीं होता है और काफी मात्रा में पानी बर्बाद हो जाता है। जबकि पड़ोस के राज्य हरियाणा में सभी पक्की कर दी गयी है। जिसके कारण पानी की हानि बच जाती है। इस बजट में गंगा नहर व यमुना नहर सिस्टम को पक्का करने की घोषणा नहीं हो पायी। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में नहरों को पक्की करने की घोषणा करें। हमारी पूर्वी यमुना नहर को जो उ0प्र0 एवं हरियाणा में सिंचाई करती है हमारी सरकार की उपेक्षा के कारण कम मात्रा में पानी मिल पाता है। यदि ताजेवाला बांध का सुदृढ़ीकरण किया जाये एवं वैज्ञानिक तरीके से निर्माण हो तो हम किसान को हमारे हिस्से से पानी मिल सकता है। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि यहां कोई सरकार इस ओर गम्भीर नहीं रही है। राजबाहा में अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। एक तो पानी ही कम मिलता है और दूसरे कम उपलब्ध बजट में बंदरबांट करने के कारण आवश्यकतानुसार नहरों की सफाई नहीं हो पाती है। अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी तथा सम्बन्धित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। सिंचाई विभाग की ओर से नहर के रख-रखाव हेतु पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध होना चाहिए। हमारे यहां प्रबुद्धनगर के राजबाहा मालीपुर, खन्द्रावली, नाला कांधला एवं भारसी एलम से गुजरने धसौली, गढ़ीमियां गंगेस, रामपुर, अड्डा से गुजरने वाले राजबाहों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। कृषक अत्यन्त परेशान हैं, आपसे अनुरोध है कि कृषक हित राजबाहों/अल्पिकाओं के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करायी जाये।

मान्यवर, पूर्व में कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए समानान्तर देवबन्द ब्रांच का निर्माण कराया गया था जिसका उद्देश्य गंगा नहर का पानी यमुना नहर एवं कल्लरपुर राजबाहें डालकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना था जिससे यमुना नहर के राजवाहे लाई, भौरा व कल्लरपुर में सिंचाई का प्राविधान किया गया है। परन्तु शाख लोई में एक बूंद पानी नहीं है। आपसे अनुरोध है कि प्रचुर मात्रा में नहर जल छुड़वाने की व्यवस्था की जाये मुख्य पूर्वी यमुना नहर/राजबाहों/अल्पिकाओं

की पटरियों को पूर्व में पक्का कराया था जिससे कृषकों का आवागमन सुलभ हो गया था। परन्तु पटरियों का रख-रखाव सही न होने के कारण अब अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद में गांव आरा व सरायघासी के बीच स्थित करवन नदी का पुल पिछले एक वर्ष से टूटा हुआ है। जिसके कारण उक्त दोनों गांवों का सम्पक्र टूट चुका है तथा यहां के निवासियों को कई कि0मी0 घूमकर आना-जाना पड़ता है इसके अतिरिक्त गांव चोला व बहोराखास के बीच तथा गांव सैदमपुर के पास नालों पर पुल नहीं है उक्त पुलों के न होने के कारण केटा की जनता को अत्याधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्षेत्र के बच्चे शहरों के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जा पाते हैं। जिसके कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है अगर इन गांवों में किसी व्यक्ति की आकस्मिक बीमारी हो जाये तो उसे चिकित्सा न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है कृपया इन पुलों का निर्माण करवाना अति आवश्यक है।

सिंचाई एक महत्वपूर्ण विभाग है किसानों व खेती से जुड़ा हुआ विभाग है। मेरी विधान सभा सिकन्द्राबाद में आजमपुर व हुसेनपुर वैलाग रजवाहे में साइफन की खराबी की वजह से कई एकड़ फैली किसानों की फसल जलमग्न हो जाती है और फसल बर्बाद हो जाती है कई बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है क्यों कि ये दो जिलों गौतमबुद्धनगर व बुलन्दशहर के विवाद में पड़ा हुआ है कृपया माननीय मंत्री जी निर्देश देकर साइफन को ठीक करवायें।

2-ऐसी ही एक समस्या बड़ोदा रजवाहे की है उसका ढलान सही नहीं होने की वजह से सुदूर के गांव जैसे नगला बड़ोदा, महेया, चुहरपुर आदि गांवों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है कृपया बड़ोदा रजवाहा का ढलान ठीक करवाने की व्यवस्था करें।

3-नगला इनायतपुर (ब्लाक सिकन्द्राबाद) लड़पुरा के तटबंधों का निर्माण करवाने का कष्ट करें।

श्री रघुराज सिंह शाक्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय आपने मुझे सिंचाई बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

मा0 अध्यक्ष जी मैं सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आजादी के बाद जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तभी-तभी नहरों की सफाई की गयी। मा0 सिंचाई मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने टेल तक पानी पहुंचाया है। किसानों की सिंचाई मुफ्त की नहरों व नलकूपों की। आपने चौधरी चरण सिंह योजना के तरह नये ट्यूबवेल लगवाने का कार्य किया व पुराने ट्यूबवेलों को रि-बोर करके ठीक कराया। आपने बहुत कार्य कराये हैं। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इटावा जनपद के जसवन्तनगर ब्लाक में पानी का स्टेटा बहुत नीचा चला गया है आने वाले समय में किरमना पानी की परेशानी होगी अतः मेरी मांग है कि वीवामऊ ग्राम से नहर से नदी पाट करके एन0एच0-2 के किनारे बम्बा निकाला जाय जो कि बीबामऊ ग्राम होकर नागरी, जोनई

धौलापुर खेड़ा ग्राम घरवार होकर आगे नदी में डाल दिया जाय। जिससे किसानों की सिंचाई भी होती है व पानी का स्टेटा भी बढ़ेगा जिससे जसवन्तनगर ब्लाक डार्क क्षेत्र होने से बचाया जा सकता है।

अतः मैं मा0 अध्यक्ष जी महोदय के माध्यम से मा0 सिंचाई मंत्री जी को बधाई देता हूं और सिंचाई बजट का समर्थन करता हूं।

डा0 अरूण कुमार-

सिंचाई सुविधायें बढ़ायी जानी चाहिए नहरों की सफाई करायी जाय तथा मरम्मत करायी जाय ताकि पानी आखिर तक पहुंचे तथा ज्यादा पानी आने पर नहर कटे नहीं नदियों पर शहरों में बन्धे बनाये जायं तथा उनका उचित रख-रखाव हो नदियों के किनारे शहर के पास टूरिष्ट स्पाट बनाये जायं तथा पार्क आदि बनाये जायें। कुछ नहरें ऐसी भी हैं जो अब महानगरों में आ गयी हैं और वहां अब खेती नहीं होती नहरों में पानी भी नहीं आता उनको कालोनाइजर्स ने दाब लिया और कालोनियां बना ली सरकार को वह जमीन कालोनाइजर्स से खाली करानी चाहिए या बेंच देना चाहिए। हमारे बरेली महानगर में ऐसे कई मामले हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी,

मैं सिंचाई विभाग के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इलाहाबाद नगर तीन ओर से गंगा एवं यमुना नदी से घिरा है प्रत्येक वर्ष दोनों बड़ी नदियों की भीषण बाढ़ से जिला एवं नगर प्रभावित होता है। भारी धन-जन की क्षति होती है। उत्तर की ओर बक्शी बांध तथा पूरब की ओर त्रिवेणी बांध है। पिछली बाढ़ से बक्शी बांध स्थित एस0टी0पी0 रिंग बांध टूट जाने से सारा भार बक्शी बांध पर आ गया था। किसी तरह आम नागरिक-युवाजन-प्रशासन तथा हमलोगों ने मिलकर सेना की मदद से भारी तबाही बचायी गयी। एस0टी0पी0 रिंग बांध तथा बक्शी बांध को सुदृढ़ करने हेतु मेरे प्रश्न करने पर शासन ने 12 करोड़ रु0 की योजना स्वीकृत की है। कुछ दे दिया गया है और अभी लगभग 9 करोड़ रु0 शेष है। इसे तत्काल लागू कराने की आवश्यकता है जिससे कि आगामी वर्षा-बाढ़ से बचाया जा सके।

मान्यवर, नगर के उत्तरी भाग की बहुत बड़ी आबादी दौपदी घाट, नेवादा, गंगानगर, राजापुर, ऊंचवागढ़ी, बेलीगांव, म्योराबाद, कमलानगर, नयापूरा, मेंहदौरी गांव, रसूलाबाद, जोंधवल, महाबीरपुरी, शिवकुटी तथा नगर के पूरबी भाग शिवकुटी मंदिर, चिल्ला, गोविन्दपुर, सलोरी, भुलई का पूरा, कैलाशपुरी, सादियाबाद, चांदपुर, बड़ाबघाड़ा, छोटाबघाड़ा, रामप्रियारोड, ढरहरिया आदि बाढ़ से पीड़ित होते हैं। यहां पर बांध बनाकर धन-जन की प्रति पर्ष होने वाली क्षति से बचाया जा सकता है। यह बांध रिंग रोड का काम भी कर सकता है। इसे भी प्राथमिकता के स्तर पर योजना बनाकर कराये जाने की अपेक्षा करता हूं।

श्री अनिल कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के विकास खण्ड पुरकाजी में खादर क्षेत्र लगता है, जहां

धनौरी उत्तराखण्ड से सलौनी नदी निकलती है, और मा0 अध्यक्ष जी जब भी बरसात होती है, तभी मेरे क्षेत्र के 20-25 गांव सलौनी नदी में आयी बाढ़ की चपेट में हर वर्ष आ जाते हैं, जिस कारण वहां क्षेत्र में भारी जानमाल की तबाही होती है।

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र पुरकाजी उत्तराखण्ड से लगा हुआ क्षेत्र है, और तबाही दोनों तरफ ही आती है, उ0प्र0 में व उत्तराखण्ड में, मा0 अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड सरकार ने तो अपनी तरफ नदी तट पर बांध बनाने के आदेश दे दिये हैं और वहां काम भी तीव्रगति से बांध बनाने का चल गया है, अगर मा0 अध्यक्ष उत्तराखण्ड क्षेत्र में बांध बनता है तो मेरे क्षेत्र में पूर्व से भी ज्यादा तबाही बाढ़ द्वारा आयेगी और जान माल का नुकसान पहले से ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि उत्तराखण्ड में बांध बनने से पूर्व पूरा पानी पुरे क्षेत्र में फैल कर चलता था और धीरे-धीरे नीचे की ओर कम नुकसान करते हुए निकल जाता था। लेकिन बांध बनने के बाद वह पानी एक तरफ बांध तट बनने से तेज गति से हमारे क्षेत्र में आयेगा और उसके चपेट में जितने भी गांव आयेंगे वो पूरी तरह खत्म होने की कगार पर पहुंच जायेंगे। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से पुरकाजी क्षेत्र के खादर में भी उत्तराखण्ड से आगे बांध तट बनाये जाने की मांग सदन के समक्ष रखता हूं व बनाये जाने की मांग करता हूं।

मुझे आपने अपनी क्षेत्र की समस्या को रखने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री मनबोध-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मा0 सिंचाई एवं बाढ़ मंत्री जी के रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, मेरा विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर जनपद देवरिया में तुर्तीपार बन्धा है जो चुरिया तक गया है और जर्जर हो गया है साथ ही चुरिया से मायापुर, मानिकपुर बन्धा है जिसकी लम्बाई 800 मी0 नहीं बना है, इसके कारण बाढ़ के समय पानी का बहाव गांवों की तरफ हो जाता है जिससे जन-जीवन प्रभावित होता है और लोग काफी भयभीत रहते हैं, ऐसी दशा में निम्न सुधान की आवश्यकता है-

1- तुर्तीपार बन्धे को ठीक कराया जाय तो बन्धा चुरिया तक है।

2- शेष बन्धा चुरिया से मायापुर, मानिकपुर तक ल0 800 में नया बन्धा को बनाये जाना जनता के हित में सर्वोपरि है।

श्री जय प्रकाश अंचल-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मा0 सिंचाई एवं बाढ़ मंत्री जी के रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। मा0 सिंचाई मंत्री जी ने जो भारी भरकम एवं जनोपयोगी बजट प्रस्तुत किये हैं इसके लिए मा0 मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इससे प्रदेश के किसानों को काफी राहत मिलेगी। इन्होंने पूरे प्रदेश की नहरों की सिल्ट-सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की योजना बना कर सिल्ट सफाई करायी है इसके लिए प्रदेश का किसान मा0 मंत्री जी को बधाई दे रहा है।

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने डा0 राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर सरकारी नलकूपों की व्यवस्था कराकर उन किसानों को लाभान्वित कराने का कार्य किया है जिनके खेतों तक नहरों का पानी नहीं पहुंच पाता है।

मान्यवर, इसी के साथ आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद-बलिया के तरफ ले जाना चाहता हूं मा0 मंत्री जी मेरा क्षेत्र तीन तरफ से गंगा व घाघरा नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है बरसात के दिनों में नदियों के पानी से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गंगा नदी पर पचरूखिया बी0एस0टी0 बन्धा के पास इम्ब्राहिमाबाद नौब्रार (अठमांवा) व टी0एस0 बन्धा पर दन्तहा पर भीषण कटान से पूरे क्षेत्र की जनमानस में काफी भय व्याप्त है। मा0 मंत्री जी मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र के कटान रोकने हेतु पचरूखिया (गंगा नदी पर) पर-1140.88 लाख स्वीकृत, बी0एस0टी0 बन्धा इम्ब्राहिमाबाद नौब्रार (अठगावां) हेतु-1701.00 लाख रुपया, टी0एस0 बन्धा दन्तहां हेतु-1095.77 लाख स्वीकृत कराये हैं जिसका कार्य समय से पूर्व पूर्ण कराने का कार्य करायें। मान्यवर, वहीं दूसरी ओर मेरे क्षेत्र के निम्न गांव-श्रीनगर केहरपुर, उदयीछपरा, दूबेछपरा, गंगापुर, शाहपुर गगौली, बहुआरा, नरदरा भुसैला, जगदीशपुर, शिवपुर कपूर दियर आदि गांव गंगा के भीषण कटान के क्षेत्र में आते हैं ठोकर का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाय। इसी के साथ मा0 मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे सिंचाई विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का मौका दिया सहृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

मा0 अध्यक्ष जी आगरा जनपद की मेरी विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड में सिंचाई का कोई साधन नहीं है पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ट्यूबवेल लगाने में काफी कठिनाई होती है नहर नाम की कोई चीज विकास खण्ड जगनेर में नहीं है जिसके कारण वहां के किसान को अपने खेतों की सिंचाई करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी विकास खण्ड जगनेर में गुगांबध बंधा व रिछोहा बंधा और होलीपुरा व भोजपुर बंधा कच्चे बने हैं जिनकी लम्बाई 500 मीटर से लेकर 2 कि0मी0 लगभग है। लेकिन कच्चे होने के कारण बरसात का पानी नहीं रुक पाता है। मा0 अध्यक्ष जी एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी वर्ष 2005 में और मा0 श्रीमती अनुराधा चौधरी सिंचाई मंत्री थीं तब इन बंधों को पक्का निर्माण कार्य कराये जाने के लिए पैसा स्वीकृत हुआ था लेकिन कार्य नहीं हो सका मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं यदि इन बंधों को पक्का करा दिया जायेगा तो वहां का किसान आबाद हो जायेगा और सिंचाई की समस्या का निराकरण हो जायेगा। इसके साथ ही साथ वहां का जलस्तर भी ऊंचा होने से पीने के पानी की समस्या भी दूर हो जायेगी। मान्यवर, इन बंधों को पक्का करवाने की कार्यवाही सरकार करे यही चाहता हूं आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उमाशंकर-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि दोहरी घाट पम्प कैनाल से भरथिया हेड तक लगभग 21 किमी0 नहर की दोनों पटरियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं अगर इन दोनों पटरियों का मरम्मत कार्य करा दिया जाता है तो इन्दारा राजवाहा एवं नागपुर डीवाई

इन दोनों नहरों में पानी की सप्लाई की जा सकती है एवं ये दोनों नहरें सुचारु रूप से चल सकते हैं। पिछले 30 सालों में इन नहरों में कभी भी पानी नहीं छोड़ा गया जिससे हमारे विधान सभा के किसान पानी का बिल भी देते हैं एवं सिंचाई से वंचित भी रहते हैं इसलिए इन नहरों में शीघ्र पानी छोड़े जाने की व्यवस्था करायी जाये। यही नहीं मान्यवर हमारा विधान सभा, रसड़ा टोंस नदी के किनारे बसा हुआ है जिस कारण प्रत्येक साल बाढ़ एवं कटान की परेशानी हमारे विधान सभा के लोगों को झेलना पड़ता है इसलिए मिर्जापुर जेवेनिया लरकुआ, प्रधानपुर, मुड़ेडा, बेसूयाय के किनारे से होते हुए टोंस नदी की किनारे बन्धा बनाया जाय यही नहीं प्रधानपुर मिर्जापुर वेसवान आदि गांवों के सामने टोंस नदी के किनारे ढोकर बनाये जायं। यही नहीं मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र नहरों के अभाव एवं कमी के कारण किसानों को सिंचाई हेतु सरकारी ट्यूबवेल की जरूरत है जिसके लिए लिखकर भी दिया जा चुका है। इसलिए 50 सरकारी ट्यूबवेल स्वीकृत करके मेरे विधान सभा के निम्न ग्रामों में इस वित्तीय वर्ष में लगवाया जाये।

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

मा0 अध्यक्ष जी मुझे सिंचाई के बजट समर्थन में बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर समर्थन के साथ-साथ मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्या रखना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र आलापुर अम्बेडकर नगर में घाघरा नदी है। बरसात के समय में बाढ़ आने पर बहुत भयावह स्थिति बनती है। लेढुआडीह गांव के सामने से महोदा गांव की दूरी लगभग 7-8 किलोमीटर है। जिसके अन्तर्गत नदी के किनारे हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है। किसान फसल नहीं बो पाता है। बन्धा बनना अति आवश्यक है जिसमें कई समस्या निम्न है-

1. लेढुआडीह गांव से चहोडा गांव तक बन्धा।
2. बाबा ब्रह्मचारी जी की कुटी धिनहापुर गांव से बने बन्धे का चौड़ीकरण कर बाढ़ पीड़ितों के लिए टीन शेड की व्यवस्था।
3. मकरही बाजार के बगल छिटकहवा यादव बस्ती तथा सम्मनपुर के बीच बड़ा नाला पर पुल न होने के कारण बरसात में मकरही आने में बहुत दूरी तय करनी पड़ती है। उस पर पुल अति आवश्यक है।
4. सैजना इमजापुर के सामने नहर पर पतली पुलिया का चौड़ीकरण।
5. आकोपुर नहर पर पतली पुलिया का चौड़ीकरण।
6. आलापुर विधान सभा अन्तर्गत नहर, राजबाहा ड्रेन, नाला की जो भी सफाई हुई है यह मानक के अनुसार न करके कागज पर की गयी है। उसकी जांच कर दोषी पाये जाने पर दण्डित।

श्री सचीन्द्रनाथ त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी आपने अवसर दिया है सिंचाई बजट पर भाषण का इसके समर्थन में बोल रहा हूं।

बजट अत्यन्त लोकप्रिय, जनहितकारी, लाभकारी एवं जनोपयोगी है। कृषि क्षेत्र के सिंचाई को द्रुतगति प्रदान हेतु अच्छा प्रयास है। मैं इस पर बल देता हूं। मेरा क्षेत्र दो नदियों गोमती एवं सई नदी

के मध्य अवस्थित है। नहरों की कमी है। डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन नलकूप प्रचुर मात्रा में दिया गया।

(2) नदियों से दूर क्षेत्र मेरे पड़ते हैं। दो नहरें हैं। शारदा सहायक परियोजना का टेल का जनपद है उसका कैरियर सिस्टम है। इसकी क्षमता कम हो गयी है पूरा पानी नहीं मिलता है। इसके पुनर्स्थापित की आवश्यकता है।

(3) गूलों का सिस्टम न के बराबर है पक्की नाली बननी चाहिये।

(4) नहरों की पटरी पक्की करा देने पर नहर की मजबूती बढ़ेगी। आवागमन भी होगा। केराकत रजबहा एवं वाबलपुर रजबहा की पटरी पक्की हो।

(5) मोथहा पम्प कैनाल एवं जगदीशपुर पम्प कैनाल दोनों जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं। गोमती नदी मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। दोनों पम्प कैनालों की मरम्मत कराई जाय ताकि कैनाल से सिंचाई हो सके। अन्त में पुनः सिंचाई बजट पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री गजराज सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद, मैं अपने क्षेत्र की निम्नलिखित समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

1-भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 चौ0 चरण सिंह जी के गांव को बनखण्डा से नूरपुर तक के राजवाहे की जर्जर पटरी बनवायें।

2-भटजन राजवाहा निजामपुर में पानी नहीं आता। कृपया तत्काल व्यवस्था कराने की कृपा करें।

3-भटजन राजवाहे की पूठा हुसैनपुर से उबारपुर की पटरी जो जर्जर अवस्था में है। तत्काल बनवाने की कृपा करें।

4-अनूपशहर राजवाहा जो छजुपुर तहसील हापुड़ में है, की पटरी पक्की बनवाने की कृपा करें।

5-सरकारी नलकूप मेरे क्षेत्र में कम से कम दो लगवायें। अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गयादीन अनुरागी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की निम्नलिखित समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं :-

(1) सिंचाई प्रखण्ड महोबा के अन्तर्गत अर्जुन बांध बहुत पुराना हो जाने से सिल्ट आ गयी है उससे जो नहर अर्जुन मुख्य नहर निकली है उसमें लगभग 10 (दस) वर्षों से टेल तक पानी नहीं आया है उससे प्रभावित मेरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों (छानी खुर्द, कंधौकी, गुन्देला, ऐंझी, पहाड़ी भिटारी, मुस्करा, बसवारी, मसगांव, इमिलिया आदि) की हजारों एकड़ भूमि अपसिंचित रहती है। क्या मा0 मंत्री जी अर्जुन बांध की मुख्य नहर की झालें, सिल्ट सफाई, माझर रजबाहों के हेड सही कराकर सिंचाई की व्यवस्था करेंगे।

(2) सपरार डिवीजन झांसी के लहचूरा बांध से निकली मुख्य नहर से जो नीचे की ओर निकली दो नहरें, (जलाकपुर साख व इस्लामपुर) साख इनमें भी कई वर्षों से टेल तक पानी नहीं आया है। क्या मा0 मंत्री जी दोनों नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री कुं0 कौशल सिंह-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान महराजगंज जिले के विधान सभा क्षेत्र नौतनवा के तरफ ले जाना चाहता हूं मेरी विधान सभा क्षेत्र में शोहिन हेड प्रणाली दस वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है इससे 50 कि0मी0 के क्षेत्र में सिंचाई का कार्य होता था इसके न बनने के कारण किसानों की सिंचाई में बाधा उत्पन्न हो रही है जिसके कारण किसानों में रोष व्याप्त है। सन् 2005 में तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय नेता जी द्वारा इसका शिलान्यास भी किया गया था लेकिन अभी तक कार्य बाधित है। कृपया इसको तत्काल करवाने की व्यवस्था करें। इस रोहिन नदी से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं इसमें कई जगहों पर ठोकर लगाने की नितान्त आवश्यकता है। वर्तमान मे गौहरपुर ग्राम सभा के सामने नदी कटान पर है और तत्काल उसका अनुरक्षण नहीं हुआ तो दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित होंगे व भारी जानमाल का नुकसान होगा।

मेरी विधान सभा क्षेत्र में महाव नाला जो नेपाल से होकर आता है और दर्जनों गांव को हमेशा बाढ़ से प्रभावित करता है इस नाले से इतनी अधिक मात्रा में सिल्ट निकलती है कि किसानों की कृषि योग्य भूमि कई वर्षों के लिए खेती करने योग्य नहीं रह पाती है। अतः इस नाले की जगह-जगह पत्थर की पिचिंग कराई जाय जिससे किसानों के खेत सुरक्षित रह सकें। मेरी ही विधान सभा क्षेत्र डान्डा नहर प्रणाली है जिसकी पटरियों पर लोगों ने नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है और अपने घरों के नाले व सीवर के पानी को लोगों द्वारा नहर में गिराया जा रहा है जिससे किसानों में आक्रोश है डान्डा नहर प्रणाली पेकुछ धन देकर सुसज्जित करवाने की कृपा प्रदान करें।

श्री गेंदालाल चौधरी-

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान विधान सभा क्षेत्र हाथरस के सासनी ब्लाक की निम्नलिखित जर्जर पुलियाओं तथा अन्य समस्याओं की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं :-

1-नगला अलगर्जी और चिन्तापुर गांव के बीच से जाने वाले गन्दे नाले पर पुलिया का निर्माण किये जाना,

2-सासनी ब्लाक स्थित अलीगढ़ ड्रेन (सासनी से नानऊ जाने वाले मार्ग पर) बनी क्षतिग्रस्त पुलिया का चौड़ीकरण,

3-कोमरी रजबहा के अन्तर्गत टेल तक पानी पहुंचाने हेतु।

उल्लेखनीय है कि उक्त समस्याओं का निराकरण किये जाने हेतु आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मा0 अध्यक्ष जी, कृपया सिंचाई के बजट भाषण में मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्या निम्नलिखित को कार्यवाही में शामिल करायें :-

1-विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर होकर बह रही राप्ती नदी के दोनों तरफ बाढ़ के पानी से बचाने के लिये पक्के तटबन्ध बनाये जाने की मांग जनहित में करता हूं।

2-विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर में कपौव्वाशेरपुर से रसूलाबाद मोहम्मदपुर बनजरहा तक सुवांव नाला की सफाई न होने से बरसात का पानी खेती को तबाह, बर्बाद कर देता है जनहित में उक्त नाले को गहरा करके सफाई करने की मांग करता हूं।

श्री जगपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष वि0स0 जी, महोदय, निवेदन है कि मेरी वि0स0 क्षेत्र-04, सहारनपुर में ग्राम धुन्ना में राजवाहे की पुलिया टुटी है जिससे आवागमन ठप्प पड़ा है बनवाने की कृपा करें माननीय अध्यक्ष जी जो राजवाहे ग्रामों के बीच को माइनर या राजवाहे बह रहे हैं पशु पानी पीने के घाट बनाये जायें तथा ग्रामों के बीच बहने वाले रजवाहे की पटरी पक्की कराई जाये जिसके बरसात में कट जाते हैं और गांव में पानी भर जाता है और काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि गांव के बीच बहने वाले राजवाहों की पक्की पटरी बनवाने की कृपा करें, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।

पी0एस0यू0पी0-एल0 206 विधान सभा (362)-21-11-2014-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।